लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-92
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60.C(A.)
Date 16.11.92

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 55—सोमवार, 11 मई, 1970/21 वैशाख, 1892 (शक)

No. 55—Monday, May 11, 1970/Vaisakha 21, 1892 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
1531.	कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए अभियान	Campaign for early Detection of Cancer	1—4
1532.	मुद्रा परिचालन	Circulation of Currency . . .	4—7
1533.	मंत्रियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बड़े बंगलो का निर्माण	Construction of Big Bungalows for Ministers, High Court Judges and Senior officers	7—9
1534.	एशियाई बैंकों की तीसरी वार्षिक बैठक में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Third Annual Meeting of Asian Banks. . .	9—10
1536.	सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन करने सम्बन्धी नीति	Policy regarding allotment of Government quarters to Government Employees	10—13
1539.	दिल्ली क्षेत्र के विकास के लिए सांविधिक बोर्ड की स्थापना	Setting up of Statutory Board for Development of Delhi Region . .	13—14
1545.	1970–71 का चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाया जाना	1970–71 as Medical Year .	14—16
1546.	सरकारी अस्पतालों में घटिया किस्म की औषधियों का प्रयोग	Use of sub-standard drugs in Government Hospitals	16—19
	अल्प-सूचना प्रश्न S.N.Q. No.		
31.	संसद् सदस्यों को एक से अधिक मकानों/ फ्लैटों का आवंटन	Allotment of more than one House/ Flat to Members of Parliament .	19—25
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
	अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. No.		
1535.	भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों तथा तारकोल के ढोलों की सप्लाई	Supply of Oil Barrels and Bitumen Drums to IOC	26

*किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अ०ता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1537.	राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना	Mobilisation of Resources by States .	26—27
1538.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में चाय बागान की खरीद	Purchase of Tea Estates in Assam by ONGC	27
1540.	आयातित अशोधित तेल का प्रयोग करने वाले पैट्रोलियम तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में कमी करना	Cut in production at Petroleum Refineries using imported Crude . .	27
1541.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने तेल शोधक कारखानों के विस्तार का अनुरोध	Request by Foreign oil companies for Expansion of their Refineries . .	28
1542.	उड़ीसा में सीसे, तांबे तथा हीरों का पाया जाना	Discovery of lead, copper and Diamonds in Orissa	28
1543.	विकासशील देशों के लिए अमरीकी सहायता	US Aid to Developing countries . .	28—29
1544.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद साधन-हीन उद्योगपतियों को दिये गये ऋण	Loans advanced to poor industrialists after Bank Nationalisation . .	29
1547.	पकड़ी गई मोटर गाड़ियों को ज़ब्त करने से सम्बन्धित कार्यवाही	Finalisation of confiscation proceedings of Seized Vehicles . . .	30
1548.	विलंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against doctors of Willingdon Hospital, New Delhi . .	30—31
1549.	हिन्द गैलवेनाइज़िंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की जांच	C.B.I. inquiry into irregularities committed by Hind Galvanising and Engineering Company . . .	31
1550.	कलकत्ता के मध्य में गन्दी बस्तियां	Slums in heart of Calcutta . . .	31—32
1551.	पूर्वी अफ़्रीका के देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन का भेजा जाना	Remittances by Indians living in East African countries	32
1552.	थोक विक्रय मूल्य सूचकांक	Whole sale price Index . . .	32
1553.	आवास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये राज्यों को धन राशि का नियतन	Allocation of funds to States for Housing programmes	33
1554.	साबुन के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of soaps . . .	33
1555.	विदेशी सहायता	Foreign Aid	34
1556.	पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों को मिली शिकायतें	Complaints received by Income Tax Officers of West Bengal . . .	34—35
1557.	सर हीरजी कोवासजी जहांगीर, बम्बई के निवास स्थान और कार्यालय पर छापा	Raid on Residence and office of Sir Hirjee Cowasji Jahangir, Bombay .	35
1558.	बरौनी तेलशोधक कारखाने के वर्तमान संयंत्र में सुधार का प्रस्ताव	Proposal for modifying existing plant at Barauni Refinery . . .	35—36
1559.	अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस से आयकर की वसूली	Realisation of Income Tax from All India Trade Union Congress . .	36

अ०ता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1560.	होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Holy Family Hospital, New Delhi	36
9091.	बैंक आफ बड़ौदा द्वारा महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग निगम को दिया गया ऋण	Loan advanced by Bank of Baroda to Maharashtra State Small Scale Industries	36—37
9092.	सरकारी उपक्रमों के निर्माण अनुभागों द्वारा फलाई ऐश का प्रयोग	Use of Fly Ash by Construction cells of Public Undertaking . . .	37
9093.	सरकारी आवास के आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची	Waiting List for Allotment of Government Accommodation . . .	37—38
9094.	मध्य प्रदेश में पैट्रो-रसायन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	Setting up of Petro Chemical Training Institute in Madhya Pradesh . .	38—39
9095.	अश्लील फिल्मों का चोरी छिपे लाना	Smuggling of Blue Films .	39—40
9096.	विदेशी मुद्रा का पता लगाने के लिए छापे	Raids for Unearthing Foreign Exchange	40
9097.	दिल्ली के बूचड़खाने में गाभिन पशुओं का मारा जाना	Slaughtering of pregnant animals in Delhi slaughter house . . .	40—41
9098.	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण	Reservation in promotion to scheduled castes employees	41—42
9099.	खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण में प्रयोग आने वाले हानिकारक रंगों की बिक्री पर प्रतिबन्ध	Ban on sale of Harmful colours used in food adulteration	42—43
9100.	गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड दिल्ली द्वारा अपने सदस्यों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots by the Gujranwala House Building cooperative Society Limited Delhi to its Members . .	43
9101.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण पश्चिम जोन के मुख्यालय को नागपुर से बम्बई स्थानान्तरित करना	Shifting of the Headquarters of the South Western Zone of C. P. W. D. from Nagpur to Bombay . .	44
9102.	वैलाडिला लौह अयस्क खान में फलौट और माइनिंग के लिये ठेका देने में तथा कथित गड़बड़	Alleged bungling in grant of contract for float ore mining at Balladilla Iron Ore Mills	44—45
9103.	फालतू पुर्जों की सप्लाई में विलम्ब के कारण वैलाडिला और किरिबर्न खानों को हुई हानि	Loss suffered by Balladilla and Kiriburn Mines due to delay in Supply of spare parts	45—46
9104.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संघों से प्राप्त पत्र	Letters received from the C. P. W. D. Associations	46—47
9105.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के संघों की मांग	Demands of C. P. W. D. Engineers Associations	47

अ०ता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9106.	सिविल इंजीनियरों की संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती बन्द करना	Stoppage of recruitment of Civil Engineers through UPSC . . .	47
9107.	गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली	Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi. . . .	47—48
9108.	खाद्य अपमिश्रण को रोकना और अधिक प्रोटीन वाले खाद्यपदार्थों की बिक्री	Prevention of Food Adulteration and Marketing of protein Rich food .	48
9109.	दवाइयों की कीमतों के बारे में दवाई निर्माताओं के साथ हुई बातचीत का ब्योरा	Details of discussions held with Drug manufacturers regarding Drug prices	49
9110.	रासायनिक मशीनरी का आयात	Import of chemical machinery . .	49—50
9111.	आस्तियां बेचने के लिये विदेशी समवायों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना	Prior approval of R.B.I. for selling assets by foreign companies . .	50
9112.	जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा	Visit by German delegation	50—51
9113.	शाहदरा दिल्ली में अवैध शराब का पकड़ा जाना	Seizure of illicit liquor in Shahdara, Delhi	51
9114.	उत्तर प्रदेश में यूरिया कारखाना स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देना	Grant of licence to Birlas for setting up of Urea Plant in U.P. . . .	51—52
9115.	पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी नीति	Pricing policy of petroleum products .	52
9116.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में परिवहन संचालकों के लिये मंजूर की गई धन राशि	Amount granted by Nationalised Banks to Transport operators in Delhi .	52—53
9117.	केन्द्रीय आवर्तक निधि से वित्त पोषित गृह निर्माण परियोजनाएं	Housing projects financed from Central Revolving Fund	54
9118.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते को उनके उत्पादन के साथ मिलाना	Linking up of salaries and allowances of employees of Public Sector Undertaking with production . . .	54—55
9119.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा चुकाया जाने वाला ऋण	Loans due from TISC and IISCO	55
9120.	पश्चिम बंगाल के खनन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन	Coal output in mining area of West Bengal	55
9121.	हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector industries in Haryana .	56
9122.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मज़दूर मालिक सम्बन्ध	Labour management relations in public Undertakings	56—57

अ०ता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9123.	अमरीकी राजदूत का वक्तव्य	US ambassador's statement	57
9124.	भारत का खनन उद्योग	India's Mining Industry . . .	58
9125.	गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को विश्व बैंक से ऋण	World Bank loans for Gujarat State Co-operative land development Bank	58
9126.	नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Construction of staff quarters of Nilratan Sarkar Medical College, Calcutta	59
9127.	घेराव आदि के शिकार हुए श्रमिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देकर रोजगार देना	Employment through loans by nationalised banks to victims of Gheraoes .	59
9128.	अमरीकी शान्ति दल स्वयं सेवक संगठन	American peace corps volunteers organisation	59
9129.	चौथी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme during Fourth Plan	60
9130.	सिंदरी उर्वरक कारखाने के संयंत्रों का आधुनिकरण तथा ओवरहाल करना	Modernisation and overhauling of plants in Sindri Fertilizer Factory .	60
9131.	पकड़े गये तस्करी के सामान की संसद् भवन में बिक्री	Sale of Seized Smuggled Goods in Parliament House	61
9132.	दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water supply in Delhi . . .	61
9133.	दिल्ली परिवहन के बस स्टापों पर शौचालयों का निर्माण	Construction of lavatories/Urinals at DTU Bus stops	61—62
9134.	नई दिल्ली की पूसा रोड पर शराब की दुकान	Liquor shop at Pusa Road, New Delhi .	62
9135.	हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारियों की अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि	Advance annual increments to employees doing Hindi work . . .	63
9136.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ वेतन वृद्धि	Ad hoc increment to Central Government Employees	63
9137.	पाकिस्तान को भुगतान	Payments to Pakistan . . .	63—64
9138.	पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के लिये कर में छूट	Tax concessions for industries in Backward Areas	64—66
9139.	लाटरी टिकटों की बिक्री से हुए लाभ से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुई आय	Profit from sale of lottery tickets earned by DDA	66—67
9140.	भारत में कैंसर का आरम्भ में ही पता लगाने के तरीके	Methods of early detection of cancer in India	67
9141.	दिल्ली में अनधिवासी पात्र व्यक्तियों को पट्टा देना	Grant of lease to eligible Squatters in Delhi	67—68
9142.	अच्छी किस्म के तैयार लौह अयस्क की मांग की पूर्ति के लिए व्यवस्था	Arrangements to meet demand of quality processed iron ore . .	68

अ०त०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9143.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी	Liveries to Class IV employees working in C.G.H.S. Scheme . . .	68
9144.	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में ड्रैसरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scale of Dressers in C.G.H.S. Dispensaries . . .	68—69
9145.	आफीसर्स एसोसियेशन आफ इन्डियन बैंक द्वारा दिया गया मांगों सम्बन्धी ज्ञापन	Memorandum of Demands by Officers Association of Indian Bank . .	69
9146.	इन्डिया बैंक के सम्बन्ध में एक तमिल समाचार पत्र में लिखे गये लेख	Articles written in Tamil Newspaper regarding India Bank . . .	70
9147.	चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षकों की आस्तियां और दायित्व	Assets and Liabilities of custodians of 14 Nationalised Banks . . .	71—71
9148.	कैंसर का पता लगाना	Detection of cancer	71—72
9149.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता	Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta	72—73
9150.	दिल्ली में सरकारी तथा स्थानीय निकायों की इमारतों में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Government and Local Bodies owning Buildings in Delhi	73—74
9151.	बुल्सर के निकट विदेशी माल का पकड़ा जाना	Seizure of foreign goods near Bulsar .	74
9152.	स्थानीय अस्पताल में खुला पड़ा एक्सरे का संयंत्र	Unpacked X-Ray plant lying in local Hospital	74—75
9153.	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	75
9154.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी, कानपुर के फर्रुखाबाद डिवीज़न में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण	Postings and transfers of staff working in Farrukhabad Division of Central Excise Collectorate, Kanpur . .	75—76
9155.	कलकत्ता के विकास के लिए कलकत्ता लाटरी और महानगरीय बचत बॉड आरम्भ करना	Introduction of Calcutta lottery and Metropolitan Saving Bond etc. for Development of Calcutta . .	76
9156.	भारतीय धातु निगम को दिया जाने वाला मुआवजा	Compensation to Metal Corporation of India	76—77
9157.	पश्चिम बंगाल में पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये वेतन आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pay Commission set up by last U. F. Government in West Bengal	77
9158.	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में प्रगति	Progress in States of Family Planning programmes	77—78
9160.	सहकारी बैंकों के बारे में महाराष्ट्र सहकारी बैंक के चेयरमैन द्वारा व्यक्त किया गया मत	Views expressed by chairman of Maharashtra Co-operative Bank regarding Co-operative Banks . .	78—79

अ०त०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9161.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को घाटा	Loss incurred by I.D.P.L. . .	79—80
9162.	रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया में प्रकाशित श्री पी० डी० ओझा द्वारा निकाले गये निष्कर्ष तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया	Findings of Shri P.D. Ojha as published in R.B.I. Bulletin and Government's Reaction thereon	80
9163.	राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी के साथ हुए करार का पुनरीक्षण	Revision of agreement with National Iranian Oil Company . . .	80—81
9164.	लोह अयस्क के उत्पादन तथा विश्व बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति में सुधार करने के लिए अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of study Team on improving production and competitiveness of iron ore in World Market	81
9165.	मदुरै में गुप्त रोग	Mysterious Disease in Madurai . .	81
9166.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में काम करने वाले कम्पाउंडरों आदि द्वारा किया गया प्रदर्शन	Demonstration held by pharmacists working in C.G.H.S. Dispensaries .	82
9167.	कोयले के विकास के लिए समिति का गठन	Constitution of Committee for Development of coal	82
9168.	लोहे की तिजोरियों पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Iron Safes .	82—83
9169.	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के आवास के लिये दिये जाने वाला वार्षिक किराया	Annual rent paid for accommodation for Central Government offices .	83
9170.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किराये पर ली इमारतों का वार्षिक किराया	Annual rent paid for accommodation occupied by the Public Sector undertakings	83
9172.	मध्य प्रदेश में पैट्रोलियम का सर्वेक्षण	Survey for petroleum products in Madhya Pradesh	84
9173.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का वेतन	Pay of probationary officers of Indian Overseas Bank	84
9174.	केरल में खनिज उत्पादन में कमी	Decrease in mineral production in Kerala	84—85
9175.	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को क्रयादेश देने से सम्बन्धित भारतीय तेल निगम के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही	Action against I.O.C. official connected with placing of orders with Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company	85—86
9176.	मैसर्स युनाइटिड एजेंसीज़. मैसर्स राधा किसन विमल कुमार और मैसर्स बाल किसन लाल पोद्दार के पैट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल और इण्डियन गैस की एजेंसियां	Petro pumps, kerosene and Indane gas agencies owned by M/s. United Agencies M/s. Radhakissen Bimal Kumar and M/s. Balkissen Lal Poddar	86
9177.	संसद् सदस्यों द्वारा आय कर सम्बन्धी विवरण का दिया जाना	Filling of income tax returns by members of Parliament	87

अ०ता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9178.	मैसूर में ग्रामीण सेवा के लिये इच्छुक डाक्टरों को अधिक भत्ता	More allowances for doctors opting for Rural Service	88
9179.	सुपरफास्फेट उर्वरक की मांग का न होना तथा उसके उत्पादन में कमी	Lack of demand and fall in production of superphosphate fertilizer . .	88
9181.	देश में पशुओं से (यूनोटिक) होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of communicable disease of Zoonotic origin in the country . .	88—90
9182.	गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी धन का निवेश	Foreign investment in private sector .	90—91
9183.	कैलाश बूस्टर पम्पिंग स्टेशन योजना, दिल्ली	Kailash booster pumping station scheme, Delhi	91
9184.	पैट्रोलियम उत्पादों में कमी	Shortage in petroleum products .	91—92
9185.	गृह निर्माण के लिए ऋण	Loans for building houses .	92
9186.	भारत को प्रति व्यक्ति विदेशी सहायता	*Per capita* Foreign Aid to India .	92
9187.	छोटी आयों पर आयकर वसूल करने पर आने वाली लागत	Cost of Collection of Income Tax on small incomes	93
9188.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की राजस्थान में खोली गई शाखाएं	Branches of Nationalised Banks opened in Rajasthan	94—95
9189.	वोल्टास लिमिटेड में सरकार के शेयर	Shares of Government in Voltas Ltd. .	95—96
9190.	पूर्णरूप से तेल पर आधारित उर्वरक कारखानों का विरोध	Opposition to full oil based fertilizer Plants	96
9191.	दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों को मकानों का आवंटन	Allotment of houses to teachers of Delhi Administration . . .	96
9192.	भारत में तीन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी	Capital investment of three foreign oil companies in India . . .	97
9193.	स्नातकोत्तर संस्था के कर्मचारियों को पंजाब सरकार के वेतनमान देना	Punjab pay scales to employees P.G.I. Chandigarh	97
9194.	उत्तर प्रदेश में हुक्का तम्बाकू के उगाने वालों द्वारा उत्पादन-शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against excise officials by Hukka Tobacco Cultivators in Uttar Pradesh	97
9195.	हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड में ट्रिपल सुपरफास्फेट का उत्पादन	Production of Triple Superphosphate in Hindustan Zinc Ltd. . . .	98
9196.	बरौनी उर्वरक कारखाने के कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन	Representation by Employees Union of Barauni Fertilizer Factory . .	98
9197.	बिहार द्वारा अप्रयुक्त राशि का वापस किया जाना	Refund of Unutilised Amount by Bihar	98—99

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9198.	कोयला खान मालिकों द्वारा गन्तव्य स्थान पर वैगनों में लदे कोयले का संयुक्त विश्लेषण करने का विरोध	Opposition to Joint Analysis of Coal Loaded in Wagons at Receiving Point by Colliery Owners . . . 99
9199.	वर्ष 1969–70 में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास	Development of Public Health Centres in M.P. during 1969–70 . . . 99—100
9200.	आवास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Madhya Pradesh for Housing Programmes . . . 100—101
9201.	मध्य प्रदेश में तपेदिक के रोगी	TB cases in Madhya Pradesh . . 100
9202.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिल्ली की जनता को ऋण	Loan advanced to people of Delhi from Nationalised Banks . . . 101—102
9203.	जीवन बीमा निगम के एजेंट	Life Insurance Corporation Agents . 102—103
9204.	प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास स्थान का बाजार की दर से किराया	Market Rent of present premises occupied by Prime Minister . . 103
9205.	कुछ असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिये कारगर सिद्ध हुई भारतीय जड़ी-बूटियाँ	Indian Herbs prove effective in curing some incurable diseases . . . 103—104
9206.	लाजपत नगर में पार्क का विकास	Development of park in Lajpat Nagar. 104—105
9207.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्लाटों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of plots developed by DDA 105
9208.	धमकी द्वारा परिवार नियोजन	Family planning under threat . . 105—106
9209.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family planning programme . . 106—107
9210.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद् सदस्यों के लिये बनाये जाने वाले चार कमरों के फ्लैट	Four rooms flat for M.Ps. by DDA . 107
9211.	त्यौहार के लिये अग्रिम राशि	Festival advance . . . . 107—108
9212.	देश में कोढ़ रोग की समाप्ति	Eradication of leprosy from the country 108
9213.	राज्यों को सहायता	Assistance to states 109
9214.	काफी समय से पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन में वृद्धि	Increase in pension to old pensioners . 109
9215.	अमझोर बिहार में खानों से गन्धक निकालना	Mining of Sulphur at Amjhore in Bihar 109—110
9216.	साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय के सम्बन्ध में संसद् भवन में शिकायत अनुभाग	Complaint cell in Parliament House about South Avenue Enquiry Office. 110
9217.	वायदा बाजार सौदों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए समिति	Committee on Inquiry into forward trading 111
9218.	अशोक होटल और सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट भारतीय तेल निगम के पैट्रोल पम्प	IOC petrol pumps near Ashoka Hotel and Safdarjang Aerodrome . . 111
9219.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज की दरें	Rates of interest in the nationalised banks . . . . . 111—112

अ० ता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ/ PAGES
9220. निपटाए जाने के लिए अनिर्णीत दावे	Claims pending for settlement . .	112—113
9221. केन्द्रीय महालेखापाल के कार्यालय में लेखा अधिकारियों की पदोन्नति	Promotions in office of Accountant-General, Central Revenues to Accounts Officers	113
9222. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को सांख्यिकीय अनुभाग	Statistical section of Indian Council of Medical Research . . .	113—114
9223. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में आई० वी० एम० 602 गणना तथा छिद्रण (केलक्यूलेटिंग पंच) मशीन	IBM 602 calculating Punch Machine in Indian Council of Medical Research	114
9224. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विस्तार	Expansion of Indian Council of Medical Research	114—115
9225. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में मुख्य सांख्यिकी विद् की नियुक्ति	Appointment of Chief Statistician in Indian Council of Medical Research.	115
9226. आयकर कार्यालय, चण्डीगढ़	Income Tax office, Chandigarh . .	115—116
9227. बीमा कम्पनियों को हुए लाभ की राशि	Amount of profit made by Insurance Companies	116
9228. एक फर्म द्वारा नालाबदी से कथित अवैध रूप से जिप्सम प्राप्त करना	Alleged illegal procurement of Gypsum from Nalabadi by a firm . . .	116—117
9229. फिल्म कलाकारों को जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान	Payment of films artists through LIC policies	117
9230. फिल्म उद्योग से उत्पादन-शुल्क की वसूली	Excise duty realised from Film Industry	117—118
9231. गुजरात में तम्बाकू की खेती	Tobacco cultivation in Gujarat . .	118
9232. राज्यों में मानसिक रोग के अस्पताल	Mental hospitals in States . . .	118—119
9233. देश में अशोधित तेल का उत्पादन	Internal production of crude oil . .	119
9234. पहाड़गंज (नई दिल्ली) में धार्मिक स्थानों के निकट सफाई	Cleanliness near religious places in Pahar Ganj, New Delhi. . .	120
9235. हथकरघा उद्योग के लिये ऋण प्रत्याभूति की योजनाएं	Credit guarantee schemes for Handloom Industry	120
9236. स्वायत्तशासी निकायों से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तबादले होने पर कर्मचारियों के वेतन का संरक्षण	Protection of pay of the employee of autonomous bodies after transfer to Central Government Offices . .	121
9237. वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अन्य स्थानों का दौरा	Visits to outstations of class I Officers in Ministry of Finance . . .	121
9238. वित्त मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी के कर्त्तव्य	Duties attached to the post of Hindi Officer in Ministry of Finance . .	121—122
9239. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्व तथा बीमा विभाग के हिन्दी अधिकारी को भेजे गये मामले	Cases referred by Enforcement Directorate to Hindi officers in the Department of Revenue and Insurance .	122

अ० ता० प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9240.	विदेश यात्रा के लिये प्रमाण-पत्र Certificates for going abroad . .	123
9241.	सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये सार्वजनिक न्यास Public Trusts taken over by Government	123
9242.	लाजपत नगर-1 नई दिल्ली में मकानों के सम्बन्ध में नामान्तरण क लिये आवेदन Applications for Mutation of Houses in Lajpat Nagar I, New Delhi .	123—124
9243.	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पटरियों पर बैठ कर फाऊंटेनपैनों की मरम्मत करने वालों से तह-बाजारी के रूप में ली जाने वाली राशि Amount of Teh Bazari Charged by N.M.D.C. from payment pen repairers	124—125
9244.	चौथी योजना के दौरान कोयले के उत्पादन कार्यक्रम के बारे में भारतीय कोयला व्यापारी संघ, बम्बई के अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य Statement by President, Indian Coal merchants association Bombay regarding coal production programme during Fourth Plan . . .	125
9246.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करना Alleged issue of a derogatory advertisement by FCI	125
9247.	कर अपवंचन तथा काले धन के सम्बन्ध में कानपुर और लखनऊ के आयकर आयुक्त को प्राप्त शिकायतें Complaints regarding tax evasion and black money received by income tax commissioners Kanpur and Lucknow	126
9248.	डेरा इस्माइलखां शहकारी भवन निर्माण समिति नई दिल्ली के ले-आउट योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब Delay in finalisation of Lay-out plan of Dera Ismail Khan Co-operative House Buildings Society Delhi .	126
9249.	सर्दी और अन्य बिमारियों से मृत्यु Deaths due to cold and other diseases .	126—127
9250.	मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षित व्यक्ति Persons trained in Medical colleges .	127
9251.	एक व्यक्ति द्वारा या उससे अधिक संस्थाओं से वेतन और भत्ते लेना Drawing of pay and allowances by a person from two or more institutions	127
9252.	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने की अनिच्छा Doctors of C.G.H.S. not willing to join C.H.S.	127—128
9253.	आयकर विभाग में निणयाधीन आयकर वापसी के दावे Pending claims for refund in Income Tax department	128
9254.	नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के फ्लैटों के नौकरों के क्वार्टरों में छत के पंखों की व्यवस्था Provision of ceiling fans in servants quarters of M.Ps. Flats in North and South Avenue, New Delhi. . .	128—129
9255.	दक्षिण दिल्ली में संसद् सदस्यों को फ्लेटों का आवंटन Allotment of plots to M.Ps. in South Delhi	129
9256.	होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में परियोजना भत्ते बन्द किया जाना Stoppage of Project Allowance at Hoshangabad	129—130

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9257.	दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों की पदोन्नति / Promotion to Nurses in Delhi	130
9258.	रामकृष्णापुरम (नई दिल्ली) में कल्याण मण्डप बारात घर का निर्माण / Construction of Kalyan Mandap or Junj Ghar in R.K. Puram Colony, New Delhi	130—131
9259.	उर्वरकों के लिये भारी पैट्रोलियम प्रभाग (फ्रैक्शन्स) को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाना / Use of heavier petroleum fractions as raw material for fertilizers	131
9260.	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दालों, तिलहन के तेलों तथा अनाज पर ऋण देना / Advancing of money against pulses, oil seeds, oils, grains by commercial banks	131—132
9261.	मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं / Commercial bank branches in Madhya Pradesh	132—133
9262.	मध्य प्रदेश में कमर्शियल बैंकों की शाखायें / Commercial bank branches in Madhya Pradesh	133—134
9263.	जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण / Wage revision of Class III and IV Employees of LIC	134
9264.	केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये व्यक्ति / Persons sent on deputation from A.G.C.R., New Delhi	135
9265	नायलोन का धागा पकड़ा जाना / Seizure of Nylon Yarn	135
9266.	आसाम और नेफा के अतिरिक्त क्षेत्र के लिये आयल इंडिया लिमिटेड को समन्वेषी लाइसेंस देना / Grant of exploratory licence to Oil India Ltd. over an additional area of Assam and NEFA	135—136
9267.	फिल्म निर्माताओं के यहां छापे / Raids on Films producers	136—137
9268.	श्रीनिवासपुरी (नई दिल्ली) में चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जाधारी / Unauthorised occupants of Class IV quarters in Srinivaspuri (New Delhi)	137—138
9269.	एल्यूमीनियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क / Excise duty on Aluminium products	138—139
9270.	लौह अयस्क पर रायल्टी बढ़ाने के लिये उड़ीसा सरकार की मांग / Demand by Orissa Government for increase in royalty on iron ores	139
9271.	बच्चों में मृत्यु और बीमारी के कारणों की जांच करने के लिये अनुसंधान योजना / Research scheme to go into the cause of death and disease among children	140
9272.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में उपनिदेशक (तकनीकी) तथा सहायक सम्पादक के चयन की पद्धति / Mode of selection of Deputy Director (Technical) and Assistant Editor in Headquarters of ICMR	140—141
9273.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा पेरूवोसाइड औषधि की जांच / Screening of peruvoside drug by ICMR	141—141

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9274. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के भारत में तथा विदेशों में दौरे	Tours of Director General, Indian Council of Medical Research in India and abroad	142
9275. शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र में अनधिकृत बस्तियों को नियमित ठहराना	Regularisation of unauthorised colonies in Shahdara (Delhi) . . .	142—143
9276. शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र में अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को हटाना	Removal of Illegal squatters in Shahdara (Delhi)	143
9277. शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र की ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Group IV Co-operative house building societies, Shahdara (Delhi)	143—144
9278. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को इच्छुक विद्यार्थियों के लिये मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats in Medical Colleges for students who serve in rural areas .	144
9279. भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में रिक्त पड़ा हुआ वित्तीय नियंत्रक का पद	Post of Financial Controller in marketing division of IOC lying vacant .	144
9280. प्रीत नगर तथा सरकारी अध्यापक सहकारी जगह निर्माण समितियां, दिल्ली	Preet Nagar House Building Society Delhi	144—145
9281. आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन	Studies of Ayurvedic Medicines . .	146
9282. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के और राज्यों के संगठनों के बीच भूवैज्ञानिकों का आदान-प्रदान	Exchange of Geologists among Geological Survey of India and State Organisations	146—147
9283. गुड़ में प्रयुक्त रसायनों का हानिकारक प्रभाव	Harmful effect of Chemicals used in Jaggery.	147
9284. चट्टा लाल मियां योजना, देवनगर, करोलबाग, नई दिल्ली के बारे में पट्टा नामों का निष्पादन	Execution of lease deeds in respect of Chatta Lal Mian Scheme, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi. . .	147—148
9285. छत्तीसगढ़ में बैंक ऋण	Bank loans in Chhattisgarh . .	148
9286. केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् की स्थापना	Setting up of Central Homoeopathic Council	148—149
9287. दिल्ली में बाग कड़ेखां में सामुदायिक केन्द्र बनाना	Construction of Community Centre at Bagh Kare Khan in Delhi . .	149
9288. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली का पुनः नाम रखना	Renaming of Willingdon Hospital, New Delhi	149
9289. सेवा निवृत्ति वार्षिक प्राप्त करने के लिये भुगतान	Payments for securing retiring annuities	150
9290. परिवार नियोजन के लिये आवंटित धन को अन्य मदों में लगाने के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against division of funds for family planning to other items .	150

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
आंतरिक प्र० सं० 6826 के 20 अप्रैल, 1970 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Connecting statement to U.S.Q. 6826 dated 20-4-1970	150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent public importance	151—152
एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against a Police officer	154—155
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	155—156
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . .	156—157
राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में लौटाये गये विधेयक	Bills as returned by Rajya Sabha with amendments;	157
(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1969	Central Silk Board (Amendment) Bill, 1969	157
(दो) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969	The Tea (Amendment) Bill, 1969. .	157
महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य—श्री यशवन्तराव चह्वाण	Statement recommunal disturbances in Maharashtra . . . . Shri Y. B. Chavan . . .	157—159
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षितता) संशोधन विधेयक, 1970 पुर स्थापित	Coal mines (Conservation and Safety) Amendment Bill, 1970 Introduced .	159—160
पूर्वोत्तर परिषद् विधेयक, 1969	The North-Eastern Council Bill, 1969 .	160—161
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	160
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan . . .	160
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta	161
श्री बेदब्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua . . .	162
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	163
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji . .	164
श्री हेम बरूआ	Shri Hem Barua	164
श्री लीला धर कटकी	Shri Liladhar Kotoki . . .	165
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun . . .	166
श्री राजेन्द्रनाथ बरूआ	Shri R. Barua	167
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	167
श्री मयाबन	Shri Mayavan	168
श्री रा० दो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare . . .	169
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireshwar Kalita . . .	170
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	170

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 8 and 1 . . .	173—177
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	178
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	178
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	178—179
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	179
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal .	179—180
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan . . .	180
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . .	180
पच्चासवां प्रतिवेदन	Fiftieth Report	180
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968	University Grants Commission (Amendment) Bill, 1968 . . .	180
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, और	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	180
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. annual reports of University Grants Commission . . .	180
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao .	180
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour discussion . .	181
मूल्यों में वृद्धि	Upward trend in prices . .	181
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal . .	181—182
श्री खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar .	183

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 11 मई 1970/21 वैशाख, 1892 (शक)

Monday, May 11, 1970/*Vaishaka* 21, 1892 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए अभियान

*1531. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 को कैंसर का शीघ्र पता लगाने के अभियान-वर्ष के रूप में मनाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकार को कोई अनुदान दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अभियान के लिये कोई राज्यवार कार्यक्रम आरम्भ किया है और तदनुसार अनुदान नियत किये हैं ?

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के लिये कोई राशि मंजूर की गई है और यदि हां, तो कितनी; और

(घ) क्या कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने भी कोई अभियान आरम्भ किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के लिए भारत सरकार ने 1970-71 के बजट में 10.50 लाख रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा 1-4-1963 से 31-3-1970 तक की अवधि में इस केन्द्र को 55,88,000 रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने 7 अप्रैल, 1970 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन करके कैंसर का शीघ्र पता लगाने के महत्त्व को प्रभावकारी रूप से प्रकाशित किया।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : चितरंजन कैंसर अनुसन्धान संस्थान, जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, कैंसर में मूलभूत अनुसन्धान का कार्य करता है। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या यह सच है कि इस संस्थान में कैंसर जांच केन्द्र के नाम से एक विशेष विभाग था, जो मुख्यतः कैंसर के मामलों का शीघ्र पता लगाने के कार्य में संलग्न था। क्यों, किन परिस्थितियों में और किसके आदेश से इस कैंसर जांच केन्द्र को अभी हाल में बन्द कर दिया गया है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : जहां तक हमें पता है, इसे बन्द नहीं किया गया है, परन्तु मेरे विचार में एक नई समिति गठित की गई है, जिसने यह महसूस किया है कि चूंकि रोगियों की देखभाल मुख्य अस्पताल में होती

ही है, इसलिए जांच केन्द्र आवश्यक है। फिर भी, हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं और सूचना प्राप्त होते ही माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह संकेत किया है कि निकट के अस्पताल में यही कार्य किया जा रहा था और इसलिए इस जांच केन्द्र को बन्द कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अस्पताल में सामान्यतः, रोगियों को तब दाखिल किया जाता है, जबकि उनकी हालत काफी खराब हो चुकती है, अर्थात् वे अस्पताल तब आते हैं जब कैंसर का रोग काफी बढ़ जाता है और उसका इलाज करना सम्भव नहीं होता, जबकि जांच केन्द्र पूर्णतः भिन्न उद्देश्य के लिए अर्थात् जनरल स्क्रीनिंग के लिए जनता को शिक्षा देने और प्रारम्भिक स्थिति में ही जबकि 50 से 60 प्रतिशत मामलों में इलाज सम्भव होता है, कैंसर का पता लगाना था। फिर उन दोनों में एक जैसा कार्य कहां था? दूसरी बात यह कि जहां कैंसर जांच केन्द्र इस कार्य को निःशुल्क कर रहा था, अस्पताल में जब कोई व्यक्ति परीक्षण के लिए आता है, तो 10 रुपये एक बार में शुल्क के अदा करने पड़ते हैं। इसलिए, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कलकत्ता में प्रदान की जाने वाली इस निःशुल्क और आवश्यक सेवा से निर्धन जनता को वंचित करते हुए इस केन्द्र को बन्द करने के क्या कारण हैं और क्या इस सारे मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हो, तो क्या केन्द्र को पुनः चालू किया जायेगा?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अस्पताल, जहां कैंसर के रोगियों का इलाज हो सके, और जांच केन्द्र की आवश्यकता है। नई समिति का यह दृष्टिकोण प्रतीत होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, परन्तु मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं यह पता लगाने के लिये उनसे कहूंगा कि वे कलकत्ता में इस निःशुल्क परीक्षण और जांच केन्द्रों को क्यों नहीं खोल सकते।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know from the Hon'ble Minister whether Govt. has made any assessment as to how many people die every year as a result of cancer and whether it is also a fact that number of such deaths is increasing year by year and that cancer is detected all of a sudden and not in time? If so, would the Govt. open cancer detection Centres in big cities so that people may get themselves checked up and find-out if they are suffering from cancer? Would they also open such mobile Centres?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : अपने देश में कैंसर होने के कुल मामलों के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, परन्तु जो अपूर्ण प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ष कैंसर से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 2 लाख है और उनमें 30 से 40 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर होने का पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि अखिल-भारतीय स्तर का केन्द्र होना चाहिए अथवा सारे देश में केन्द्र होने चाहिए, कलकत्ता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र है, मद्रास में कैंसर अनुसंधान-संस्थान है, अहमदाबाद में शाह कैंसर अस्पताल है तथा बम्बई में कैंसर अस्पताल है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कैंसर की प्रारम्भिक स्थिति में पता लगाये जाने की व्यवस्था हमें करनी होगी और निश्चित रूप से हम वर्तमान केन्द्रों के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं और नये केन्द्र खोल सकते हैं जिससे प्रारम्भिक स्थिति में ही कैंसर का पता लगाया जा सके।

श्री कँवर लाल गुप्त : दिल्ली के बारे में क्या किया गया है?

Shri Nathu Ram Ahirwar: I want to know from the Hon'ble Minister that medical facilities are provided only to urban population, whereas the poor people of rural areas are unable to avail of such facilities, in view of this, does the Govt. contemplate to open such hospitals in rural areas so that the poor may also avail of these medical facilities?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं। यह कार्यवाही हेतु सुझाव है। इस पर होने वाले व्यय का भी हमें ध्यान रखना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कैंसर जांच केन्द्र जो कि अब बन्द कर दिया गया है, केवल स्मीअर विधि का प्रयोग करता था—मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा—और उसी विधि

का प्रयोग चितरंजन कैंसर अस्पताल द्वारा किया जाता था। अब चितरंजन कैंसर अस्पताल, जो कि उसी भवन में है, बायोप्सी, एक्स-रे और फेफड़ों की अन्तरीक्षा आदि विधि से 10 रु० का नाममात्र शुल्क लेकर परीक्षण करती है और जिसे व्यक्ति आसानी से अदा कर सकता है।.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना सवाल पूछिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, 41% मामले घातक नहीं होते और 41% मामले गम्भीर स्थिति के होते हैं तथा 18%.....

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता स्थित केवल चित्तरंजन कैंसर अस्पताल ही ऐसा है जो सारे कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है और इसके लिए पूर्णतः सुसज्जित है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य आंशिक रूप से ही सही हैं कि जांच केन्द्र मरीज़ों से कोई शुल्क नहीं लेता। वे केवल स्मीअर विधि का ही उपयोग करते हैं। अगर वे पता नहीं लगा पाते हैं, तो वे मरीज़ों को मुख्य कैंसर अस्पताल में भेज देते हैं जहां पता लगाया जाता है। अगर मैं साफ साफ कह दूं, तो बात यह है कि कुछ डाक्टरों ने यह महसूस किया है कि अगर वे अस्पताल में आते हैं, तो उन्हें फीस कितनी चाहिए जबकि अगर वे अन्य अस्पताल को जाते थे, तो उन्हें निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त होती थी। यही विवाद का विषय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कतई सही नहीं है। इसके विपरीत, सही बात तो बिल्कुल उल्टी है।

श्री नाथ पाई : श्रीमान् जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रायः इलाज की अपेक्षा परहेज़ ज्यादा बहतर है और मेरा प्रश्न भी इसी पर आधारित है। क्या सरकार कैंसर के प्रसार के विरुद्ध प्रचार के रूप में अधिकांश भारतीयों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करेगी कि लगातार पान चबाने से मुंह का कैंसर हो जाने की सम्भावना होती है ?

दूसरी बात यह कि विकसित देशों में दायित्व की भांति क्या तम्बाकू के उत्पादक और निर्माता यह विज्ञापित करेंगे कि तम्बाकू का खाना या पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ? क्या निर्माताओं को बाध्य करने के लिए कोई कानून इस सम्बन्ध में है; यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है ?

श्रीमान् जी, मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूं कि विकसित देशों में सिगरेटों का तब तक विज्ञापन नहीं दिया जा सकता जबकि साथ ही साथ यह भी संकेत न कर दिया जाय कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा है। क्या भारत में भी ऐसा किया जायेगा ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में सिगरेटों की आधुनिक डिब्बियों पर यह चेतावनी छपी होती है, "आप अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर धूम्रपान कर रहे हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरा है।" सभी दूरदर्शन विज्ञापनों में उसे दुहराया जाता है और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि, 'मुझे तो आदत पड़ गई है।' और इसीलिए वहां भी कैंसर होता है। माननीय सदस्य का सुझाव एक अति सुन्दर सुझाव है। क्या हम मन्त्रालय में इस सम्भावना का पता लगायेंगे कि हम भी लोगों को धूम्रपान से निरुत्साहित करने के लिए उसी प्रकार का कानून बना सकते हैं या नहीं। धूम्रपान न करने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं।

जहां तक पान चबाने का प्रश्न है, अनेक सदस्य पान चबाते हैं। पिछले 10 वर्षों में मद्रास स्थित कैंसर केन्द्र ने काफी अनुसन्धान किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि न केवल पान चबाने से, बल्कि गाल में उसे रखे रहना भी मुंह के कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण है।

श्री नाथ पाई : श्रीमान् जी, क्या आप अपने महान् अधिकार का प्रयोग सदस्यों के स्वास्थ्य के हित में उन्हें पान खाने से निरुत्साहित करने में करेंगे ?

श्री जी० विश्वनाथन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कांचीपुरम में आरिगनार अन्ना कैंसर संस्थान चालू किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने किसी वित्तीय सहायता की मांग की है और क्या सरकार उन्हें वित्तीय तथा अन्य प्राकार की सभी सहायता प्रदान करेगी ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : उक्त कैंसर संस्थान, मद्रास के स्व० मुख्यमन्त्री श्री सी० एन० अन्नादुराई की स्मृति में चालू किया गया है और उन्होंने हमसे कुछ सहायता प्राप्त करने का आवेदन किया है; हम इसकी जांच कर रहे हैं और मेरे विचार से इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार उन अपराधियों के लिए मृत्यु-दण्ड अर्थात् फांसी पर् लटकाने की सजा समाप्त करने का है जो अपने शरीर को कैंसर के कीटाणु प्रवेश करवाकर अनुसन्धान के लिए देने के इच्छुक होते हैं और जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होता है, जहां इस कारण इस घातक बीमारी के शीघ्र इलाज और शीघ्र पता लगाये जाने में सफलता मिली है।

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर: न्यूयार्क स्थित 'दि कैंटरिंग इन्स्टीच्यूट' में उच्चकोटि के उपकरण और उच्च प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति इस प्रकार का अनुसन्धान कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है और इसलिए उनका सुझाव हमारे लिए उपयुक्त नहीं है।

Circulation of Currency

†
*1532. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of new currency notes printed by Government during the last three years; and

(b) the total circulation of money in the last three years ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) :

एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

नासिक रोड के करेंसी नोट प्रेस द्वारा छापे गये तथा पिछले तीन वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक को सप्लाई किये गये करेंसी और बैंक नोटों का मूल्य इस प्रकार है :—

	(करोड़ों रुपयों में)
1967-68	2,181.17
1968-69	2,311.07
1969-70	2,390.54

इन तीन वित्तीय वर्षों के अन्तिम शुक्रवार को जनता के पास मुद्रा की उपलब्धि का ब्योरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1967-68	5,350
1968-69	5,779
1969-70	6,349

इसमें से जनता में परिचालित कुल करेंसी का ब्योरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1967-68	3,376
1968-69	3,682
1969-70	4,006

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir it is obvious from the statement that money supply is increasing every year. Money supply increased by 570 crores of rupees last year. As a result of it, Prices and cost of living also increased. Reserve Bank has got full authority in this connection. As Reserve Bank has not informed us so far, I want to know from the Hon'ble Minister that what is the relation between money-supply and Cost of living as well as Price increase ? Would the Govt. appoint a high-powered Commission to examine the matter and to recommend the basis between these two factors, so that money supply might be regulated and Prices as well as cost of living might not increase ?

Secondly, I would like to know if Govt. is not contemplating to withdraw the bigger Notes or of demonetising the Notes of higher denomination ? Many a times such rumours are afloat. Govt. may clarify its stand in this connection.

श्री प्र० चं० सेठी : मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि जब मनी सप्लाई राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, तो उससे मुद्रा-स्फीति की स्थिति पैदा नहीं होती। जहां तक विमुद्रीकरण का सम्बन्ध है, सरकार ने पहले भी कई बार इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि विमुद्रीकरण समस्या का समाधान नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I had asked about the High powered Commission. I had asked the relation between money-supply and cost of living as well as Price increase ? Would the Govt. set up a Commission to find out this relation ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, Sir I had stated that money supply at the same rate at which National output expands, is not bound to create inflationary pressures. There are so many reasons for that—one of them is that if production also increases simultaneously, there is no fear of price increase as a result of that much money-pressure.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Has he replied my question ? I had also asked about the High-powered Commission ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसकी ज़रूरत नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta: The Minister has just now stated that if money supply increases at the same rate as output increases, there would be more investment and less rate of interest and prices would fall as a result thereof provided our economy is properly managed. But prices have been increasing as it is un-managed. After Bank nationalisation, Reserve Bank has got unfeltered powers. The credit facilities are decided by them and money supply is also under them. Would the Govt. separate supply of money from credit and interest ? Would the Govt. appoint an independent monetary authority away from political considerations ? There are three independent authorities such as Judiciary, Executive and Legislature. In the same manner, a fourth pillar essential for democratic set-up is independent monetary authority which should be appointed by the Govt. for properly regulating money supply, away from political considerations ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker, in so far as working of R.B.I. is concerned, it is unjustified to say that its working is influenced by political pressure, political considerations or directions. It is an independent autonomous body which regulates all these things.

The Hon'ble Member has stated that as a result of money supply, prices increase, I would like to cite an illustration—So far as Second and Third Five Year Plan period

is concerned, money supply increased only 29.4 and 57.9%, whereas price increase was only 35% and 32.5%. Therefore, as I mentioned that if production of consumer goods also increases along with money supply, it is not essential that prices should also increase.

So far as Reserve Bank is concerned, it does not come into picture in each credit. Reserve Bank is authorised to see and decide the credit for cases involving Rs. five lakhs and above. Rest of the cases is decided by State Bank, other Banks and their subsidiaries.

Shri Kanwar Lal Gupta : Nothing has been said about independent monetary authority.

Shri P. C. Sethi : Reserve Bank itself is an independent autonomous body.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I want to know the number of Notes of ten thousand, five thousand and one thousand denomination ? How many of them are under public-circulation and how many of them are in Russia and America ? If so, in what Banks ?

Shri P. C. Sethi : So far as Notes of one thousand denomination are concerned, there were 2,52,100 Notes during 1969–70. Notes of five thousand denomination were 48,400 in 1969–70, whereas Notes of ten thousand denomination were 30,000 in 1969–70. So far as P. L. 480 Fund of America is concerned, there is 60 crores of rupees in American Banks and rest of the amount is in the shape of Govt. securities. Therefore, it cannot be stated how much of it is in circulation.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Mr. Speaker, I had asked how many Notes of 10 thousand, five thousand and one thousand denomination are in public circulation ? Secondly, I had asked about the number of Notes in the American and Russian Account, and in which Bank ? Replies to these specific questions may please be furnished.

Shri P. C. Sethi : So far as public circulation and money-supply is concerned, I have stated in reply to the main question that total money supply during 1969–70 was of the order of 6349 crores of rupees, whereas currency-in-circulation was 4006 crores of rupees. The difference between money supply and currency circulation is that money supply also includes Current Deposits and Saving Deposits Account, in addition to currency-circulation, but the break-up as to how many of the Notes of these denomination are in the Deposits is not readily available with me.

Shri Maharaj Singh Bharati : The hon. Minister has just now stated that if the production in the country increases and the currency also increases, there would be no resultant effect on inflation. May I know whether the Reserve Bank has made out any such formula by which increase in currency *vis-a-vis* increase in production may be known ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस प्रकार का कोई सूत्र नहीं बनाया गया है जिस के द्वारा ऐसा किया जा रहा हो। परन्तु यदि मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है तथा उपभोक्ता माल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो महंगाई अधिक नहीं बढ़ती है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या यह सच है कि कुछ विद्रोही-नागा तथा नक्सलपंथियों का नेता कानू सान्याल हाल ही में चीन से लौट कर आये हैं तथा लगभग 5 लाख रुपये के बराबर जाली भारतीय करेन्सी लाये हैं ? क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये, कि इस जाली करेन्सी के परिचालन से हमारे देश में कोई अनुचित अथवा प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, जांच की है तथा उचित कार्यवाही की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : 2 मार्च, 1970 को प्रश्न संख्या 155 के उत्तर में मैंने कहा था कि भारतीय क्षेत्र में इस प्रकार से तस्करी से मुद्रा लाये जाने के बारे में कोई सूत्र नहीं मालूम हुआ है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस की जांच के आदेश दे दिये गये थे तथा उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई पता नहीं लगाया जा सका है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उस उत्तर के दिये जाने के पश्चात् दो महीने व्यतीत हो गये हैं। असम में कान् सान्याल नागा विद्रोहियों के साथ सक्रिय है। यह गत सप्ताह की सूचना है। विगत जानकारी के आधार पर उत्तर देने की अपेक्षा क्या सरकार नवीनतम समाचारों पर विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने विगत जानकारी के आधार पर कहा था। यदि माननीय सदस्या के पास कोई विशिष्ट जानकारी है तो वह उसे हमें दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में उन्हें कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहिये था।

श्री जे० एच० पटेल : माननीय सदस्य ने अपने कथन में आज करेन्सी के परिचालन के बारे में कहा है। कुल परिचालन में से कितनी करेन्सी सरकारी है तथा कितनी जाली है ? इसको स्वीकार किया गया है कि जाली करेन्सी आई है। यह केवल आंतरिक उत्पादन ही नहीं है अपितु कुछ विदेशी अभिकरण भी इसमें लगे हुए हैं। क्या रिज़र्व बैंक देश में प्रचलित जाली करेन्सी की उचित राशि का पता लगा पाया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे सरकारी करेन्सी के प्रचलन के हैं। जहां तक जाली करेन्सी का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं कह चुका हूं कि चीन से भारत में तस्कर द्वारा भारतीय नोटों को लाना तथा उनके मुद्रण के बारे में कोई साक्षी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान से लाये जाने वाले जाली नोटों का प्रश्न है, गत वर्ष तथा उससे पिछले वर्ष भारत-पाक सीमा पर 100 रुपये के करेन्सी नोट पकड़े गये परन्तु उनकी संख्या 29 तथा 22 थी।

जहां तक देश में जाली करेन्सी का प्रश्न है केन्द्रीय विभाग तथा पुलिस इस बारे में पूर्णतया सतर्क है तथा जहां कहीं जाली करेन्सी पाई जाती है तो उस पर नियन्त्रण किया जाता है।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, the pawn brokers, commission-agents and black-marketeers are holding about Rs. 4000 crores which creates imbalance and difficulty in circulation of our money. I want to know the steps which are being taken by the Government to unearth that hoarded money so that our money may be circulated easily ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य को यह जानकारी दी जाती है कि काले धन का पता लगाने के लिये श्री वांचू की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाला आयोग नियुक्त किया गया है। इस बात का पता लगाना कठिन है कि कुल कितना काला धन है परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि वह करेन्सी नोटों के रूप में ही हो, इसे सम्पत्ति के अन्य रूपों में भी परिवर्तत किया जा सकता है।

मंत्रियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बड़े बंगलों का निर्माण

†
*1533 **श्री वालमीकि चौधरी :**

श्री सूरज भान :

श्री शारदा नन्द :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मंत्रियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिये बड़े बंगले न बनाने का निर्णय किया है?

(ख) यदि हां तो इस निर्णय के क्या कारण हैं?

(ग) भविष्य में उपरोक्त वर्गों के लिए अधिक से अधिक कितने बड़े बंगले बनाये जायेंगे?

(घ) क्या सरकार ने इन बड़े बंगलों को छोटे बंगलों में बदलने का कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : **(क) और (ख)** भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये और दिल्ली की वृहत योजना में दिये गये जनसंख्या के घनत्व को प्राप्त करने के लिये सरकार का भविष्य में, कुछ अपवादात्मक मामलों को शायद छोड़कर, बड़े बंगले निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) क्योंकि बड़े बंगलों के प्लाटों के पुनर्विकास का सम्पूर्ण प्रश्न अभी विचाराधीन है, अभी कुछ कहना समय पूर्व होगा कि क्या कभी छोटे-छोटे पृथक बंगले निर्मित किये जायेंगे अथवा केवल फ्लैट ही निर्मित किये जायेंगे।

(घ) तथा (ङ) जैसा कि पहले बताया गया है, यह प्रश्न विचाराधीन है और फ़िलहाल कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

Shri Valmiki Choudhary : Mr. Speaker, Sir, I want to know whether this decision has been taken with this view that one aim is to set up socialistic pattern of society ? If so, whether it is useful for future and the present also ?

The second question is this that the housing arrangements are to be made for class III and IV employees, when would it be implemented and how many persons at this time are benefited ?

Mr. Speaker : That question is to be put up after a little while.

Shri K. K. Shah : There is separate question for that and that is in connection with the question of class III and IV employees. I have said in reply to his first question that that is under consideration.

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिक ज़मीन में बड़े बंगले बने हुए हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन खाली ज़मीनों पर दूसरे बंगले निर्मित करके क्या सरकार का विचार इस ज़मीन का उपयोग करने का है ?

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने कहा कि यह विचाराधीन है कि फ्लैट निर्मित किये जायें अथवा छोटे बंगले निर्मित किये जायें। मैं सारे मामले पर विचार कर रहा हूं कि कितनी भूमि बचेगी जिसमें थोड़ा धन लगाया जा सके तथा उसे निम्न श्रेणी के लोगों के उपयोग में लाया जा सके।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ मामलों को छोड़कर अब बड़े बंगले निर्मित नहीं किये जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे मामले कौन-कौन से हैं, क्योंकि यह प्रश्न मंत्रियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्चाधिकारियों के बंगलों के सम्बन्ध में हैं। क्या वह हमें इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि कभी यदि कोई मामले होंगे भी तो कम-से-कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्चाधिकारियों के संबंध में ऐसा नहीं होगा।

श्री के० के० शाह : केवल उप-राष्ट्रपति के मामले में अपवाद हो सकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उप-राष्ट्रपति मंत्री नहीं हैं।

श्री के० के० शाह : अन्य व्यक्तियों के लिये बड़े बंगले निर्मित नहीं किये जा रहे हैं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों के बंगलों के बारे में विचार किया जा रहा है। प्रधान मंत्री के लिये एक बंगला निर्मित करने के विचार को फिलहाल त्याग दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय के लिये क्या विचार है ?

श्री के० के० शाह : वह अलग बात है, वह बात संसद् सदस्यों से संबंधित नहीं है।

†एशियाई बैंकों की तीसरी वार्षिक बैठक में भारत द्वारा भाग लिया जाना

*†1534. **श्री मयाबन :**

श्री चैंगलराया नायडू :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री दंडपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रैल, 1970 को सियोल में हुई एशियाई बैंकों की तीसरी वार्षिक बैठक में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की तीसरी वार्षिक बैठक सिओल में 9 से 11 अप्रैल, 1970 तक हुई। भारत ने भी इस बैठक में भाग लिया था।

(ख) और (ग) गवर्नरों के बोर्ड ने बैंक की 1969 की गतिविधियों की समीक्षा की, 1969 के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा 1970 के प्रशासनिक बजट को मंजूर किया और बैंक की 1969 की कुल शुद्ध आय को, जो 55.1 लाख डालर (4.13 करोड़ रुपया) थी, बैंक की सामान्य प्रारक्षित निधि में डालने का निश्चय किया।

विचार-विमर्श के दौरान कई प्रतिनिधियों ने विकासशील देशों के लिए बहुपक्षीय सहायता का समर्थन किया और अनुबद्ध ऋणों के अधिक उपयोग का अनुरोध किया। कुछ प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से प्रायोजनाओं की देशी तथा विदेशी मुद्रा दोनों की लागत की पूर्ति की जानी चाहिये। बैंक द्वारा निर्यात की वित्त-व्यवस्था करने के काम को हाथ में लिये जाने की वांछनीयता का भी उल्लेख किया गया।

इस उद्देश्य से कि बैंक रियायती शर्तों वाले ऋणों की राशि में वृद्धि कर सके, कई देशों ने बैंक के विशेष निधि साधनों (स्पेशल फण्ड रीसोर्सेज़) में अंशदान देने की घोषणा की। ब्रिटेन ने 144 लाख डालर (10.8 करोड़ रुपया), जापान ने 300 लाख डालर (22.5 करोड़ रुपया) और आस्ट्रेलिया ने 100 लाख डालर (7.5 करोड़ रुपया) की पेशकश की। इसके अलावा भारत (2 लाख रुपया), जापान, फिनलैंड, नीदरलैंड, पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड ने तकनीकी सहायता के रूप में योगदान देने की घोषणा की।

श्री मयाबन : क्या मैं जान सकता हूं कि सम्मेलन में जो निर्णय किये गये हैं वे भारतीय बैंकों को मान्य हैं तथा भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को क्या किसी ऐसे विदेश द्वारा उठाया गया है जिसके बैंक की शाखाऐं इस देश में हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : एशियाई विकास बैंक को भारतीय बैंकों से सम्बन्धित बात पर निर्णय नहीं करने हैं। इसलिये उस सम्मेलन में भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को रखा ही नहीं गया था।

श्री मयाबन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन ने कृषि क्षेत्र में बैंकों की सुविधाओं का विस्तार करने का सुझाव दिया था तथा क्या भारत सरकार ने भारत में इस सम्मेलन को बुलाने का निमंत्रण दिया था।

श्री प्र० चं० सेठी : एशियाई विकास बैंक पहले से ही कृषि क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है तथा इस सम्बन्ध में कई दल भेजे गये हैं तथा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। भारत ने आगामी सम्मेलन भारत में बुलाने के लिये नहीं कहा है। आगामी सम्मेलन सिंगापुर में बुलाया जाने वाला है।

Policy Regarding allotment of Government Quarters to Government Employees

***1536. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of years it generally takes for the allotment of various types of Government quarters to Government employees and the number of employees with maximum period of service to their credit, who are still to be allotted Government quarters indicating the type to which they are entitled; and

(b) the details of the scheme formulated by Government for the next five years in order to provide Government employees with quarters early and the number of years of service to the credit of Government employees, who are likely to be provided with Government quarters under the said scheme ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Applications for the allotment of accommodation during a particular year are invited on a restricted basis keeping in view the likely availability of vacancies during that period. The number of years generally taken for the allotment of various types of accommodation, therefore, cannot be indicated. In the case of employees entitled to type V and above, the priority date is reckoned from the date an officer has been continuously drawing emoluments of Rs. 800/- and above; in these cases their length of service is not known to the Directorate of Estates. In the case of type IV and below, the entire service is taken into consideration for determining the date of priority and the date of priority stipulated for purposes of applications indicates the number of years of service put in by such employees. The dates of priority stipulated in 1969 for applications for general pool accommodation in Delhi/New Delhi in various types and the number of employees waiting for allotment upto the period of applications are as under :—

Type	Date of priority stipulated for purposes of applications	No. of officers awaiting allotment of the entitled type from whom applications were invited	No. of persons amongst these waiting allotment who are occupying accommodation in a lower type
I . . . . :	31-12-1958	2,104	—
II	31-12-1955	4,214	78
III . . .	31-12-1948	3,158	2,628
IV . . .	31-12-1948	2,755	1,231
V . .	31-12-1964	1,197	603
VI . .	31-12-1962	764	714
VII	31-7-1969	294	241
VIII	31-7-1969	78	65

(b) The number of quarters proposed to be constructed during the Fourth Plan in Delhi/New Delhi is 8,305.

It cannot be foreseen at this stage upto what priority date it will be possible to provide accommodation during the Fourth Plan period.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, may I know whether the Government is aware that several Government employees and senior officials have constructed their own houses by taking loans as the policy of the Government is liberal. After that they have given these houses on rent and themselves are living in small Government quarters with less rents. May I know what steps Government have taken in order to check this tendency ?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि 1959 तक ऐसा हुआ है परन्तु 1959 के बाद हमने सहकारी समितियों को भूमि देना प्रारंभ कर दिया जो कि पंजीकृत की जाती थी अतः मैं नहीं समझता कि 1959 के बाद यह शिकायत शेष रह जाती है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : How many persons are there who, in spite of having their own houses, are living in quarters also.

Shri K. K. Shah : I have said, that those who have constructed houses for themselves upto 1959, have rented their houses and are living in Government quarters.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Are such persons still there ?

Shri K. K. Shah : Yes, Sir.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Government are going to construct new flats and new houses for Government employees. I want to ask whether it would be considered while constructing these houses that there is little distinction between the type of houses of the low salaried and high salaried employees so that they can give the glimpse of the socialistic policy of the Government in the Capital ?

Shri K. K. Shah : That is why in Type I, 380 houses are going to be built, in Class II 2,700, in Class III 2,840, in class IV 2066, are proposed to be constructed. In Class V and class VI 135 and 184 quarters will be constructed. No quarter would be constructed for Class VII and Class VIII.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I mean to say that whether in the size of the houses for junior and senior employees such little distinction will be made so that it may not show that there are small houses for junior employees and big for senior ones.

Shri K. K. Shah: No quarters would be constructed for Class VII and Class VIII employees. I am giving the area of all the classes :

Type I, 400 sq. ft., Type II, 540 sq. ft.; Type III, 710 sq. ft.; Type IV 900 sq. ft.; Type V, 1,500 sq. ft.; Type VI 2,100 sq. ft.

Shri Achal Singh : Will the Hon. Minister state that thousands of houses in various colonies are lying vacant and which have not been allotted, I want to know why those houses have not been allotted ?

Shri K. K. Shah : That may be outdated case. If the hon. member draws my attention, I would definitely see why does it happen. We try to acquire as much land as we can.

Shri Jharkhande Rai : Will the **Works and Housing** Minister state that there is no difference between the policies of the ruling party before and after the adoption of the policy to establish socialistic pattern of society in regard to the allotment of houses. The difference which was prevalent in allotting the houses between the senior officials and middle and junior employees before the adoption of the aim of socialistic pattern of society is the same to-day, and there is no difference. If so, why it is so ? And what steps are being taken by the Government for its removal ?

Mr. Speaker : Its answer has been given.

Shri K. K. Shah : The allotment of 262 sq. ft. to junior employees has been increased and the construction of quarters for Type VII and Type VIII has been stopped. Therefore, senior officials will have to live in the quarters of Type V and Type VI.

श्री श्रीचंद गोयल : मैं उन सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर क्लास तीन तथा क्लास चार का प्रतिशत जानना चाहता हूं, जिनको सरकारी मकान मिले हुए हैं। क्या सरकार के पास ऐसे कोई लक्ष्य हैं जिनके द्वारा कम-से-कम उन कर्मचारियों को 10 से 20 वर्षों में सरकारी आवास प्रदान किये जा सके। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत वह अपने कर्मचारियों को रियायती तथा सस्ती दरों पर आवास के लिये भूखंड दे सके ?

श्री के० के० शाह : जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा परन्तु जहां तक I, II, III तथा IV टाइप का सम्बन्ध है, मैं यह देखने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं (**व्यवधान**)—आठ टाइप के क्वार्टर हैं। टाइप IV तक 900 वर्ग फुट है। मुझे पांच वर्षों के समय में 80 प्रतिशत से अधिक संतोष हुआ है। वही मेरा लक्ष्य है तथा मुझे आशा है कि मैं कर्मचारियों को संतुष्ट कर सकता हूं।

श्री नाथपाई : महोदय, प्रश्न थोड़ा-सा भिन्न था। जिस प्रकार के मकान मंत्रालय द्वारा बनाये जाते हैं उसके प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि प्रश्न यह है कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी रहने के लिये स्थान दिया जायेगा। क्या मैं अनुपूरक भी पूछ सकता हूं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह वही है।

श्री नाथपाई : यह थोड़ा-सा भिन्न है। किसी ने मुझे कहा था कि आपको अनुज्ञा नहीं दी गयी है इसीलिये मैं बैठ गया था। पहले मैं स्पष्टीकरण दूंगा फिर अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। यदि मैंने ठीक से सुना है तो मेरे मित्र श्री गोयल ने जो कुछ पूछा उसका आशय यह था कि क्या सरकार के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को मकानों की सुविधा प्रदान करने का कोई लक्ष्य है। वह क ख ग घ आदि के बारे में नहीं कह रहे थे। इस सम्बन्ध में किसी के यह कहने पर प्रतिबन्ध है कि भारत सरकार देश में गन्दी बस्तियां बसाने के लिये एकाधिकारी बन रही है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो मकान दिये गये हैं वे एक स्पष्ट अपमान के रूप में हैं। यदि सरकार उन्हें हमारे साथ चल कर देखना चाहती है तो इम उसे दिखायेंगे। प्रधान मंत्री हेराउण्ड अल रशीद की भाषान्तरित महिला की तरह अस्पतालों को देखने जाती है। मैं इसका स्वागत करता हूं, यह अच्छी बात है। परन्तु मैं चाहूंगा कि वह नौकरों के क्वार्टरों को भी देखने जाये। सरकारी आवास दिये जाने के रूप में सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों का निर्माण हो रहा है। जिस नव भारत का वह निर्माण करती है वह गन्दी बस्ती वाला भारत है। आवास इस प्रकार से थोड़ा सुन्दर होना चाहिये जिससे कि देखने वाले को सुन्दर प्रतीत हो। केवल एक कमरा प्रदान करने का उपबन्ध ही पर्याप्त नहीं है।

श्री के० के० शाह : श्री नाथपाई की जानकारी के लिये मैं कह सकता हूं कि टाइप I चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये है। इस प्रकार के मकानों का न्याधार क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट है। इसका न्याधार क्षेत्रफल पहले 250 वर्ग फुट होता था। वह अब समाप्त हो गया है।

श्री नाथपाई : कितने कर्मचारियों को अब तक आवास सुविधा प्रदान कर दी गयी है तथा कितने लोगों को भविष्य में मिलेगी, और कितने समय में यह सुविधा मिल जायेगी ?

श्री के० के० शाह : चतुर्थ श्रेणी के 26,317 कर्मचारियों में से 13,180 कर्मचारियों को जो कि लगभग 50 प्रतिशत होते हैं, ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। शेष 50 प्रतिशत कमी को भी पूरी करनी है। जहां तक आगामी 540 वर्ग फुट न्याधार क्षेत्रफल का सम्बन्ध है, उससे भी हमें बहुत ही कम संतोष है। 43,581 कर्मचारियों में से केवल 14,928 को मकानों की सुविधा दी गयी है और 28,000 को अब भी यह सुविधा दी जानी है।

श्री नाथपाई : आप केवल दिल्ली में दी गयी सुविधा के बारे में कह रहे हैं। समस्त देश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री के० के० शाह : यह सच है कि यह आंकड़े केवल दिल्ली पर ही लागू होते हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने पूछा था कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है जिसके अनुसार कर्मचारियों को आवास के लिये भूखंड रियायती दरों पर प्रदान करे जिससे वह अपने स्वयं के मकान बनाने में सक्षम हो सकें ?

श्री के० के० शाह : मैं एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा हूं जिसके अन्तर्गत यदि सरकारी कर्मचारी अपने क्षेत्र में निर्माण करने और चले जाने को सहमत हो जाते हैं तो उन्हें बहुत-सी रियायतें देने का सुझाव है। मैं इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा हूं।

Shri Ramji Ram : I want to know the basis on which the Government has kept the names like Man Nagar, Shan Nagar or Seva Nagar the newly colonies built in New Delhi? Is it proper to name the colonies like that ? I want to know the basis on which these names are kept.

Mr. Speaker : The question does not relate to the Hon. Minister.

Shri K. K. Shah : These Colonies do not have these names now.

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ सुझाव दे रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल : अधिकारियों की एक से आठ श्रेणियां बनाये रखने के लिये सरकार का मार्ग-दर्शन देने की प्रवृत्ति है। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि अब ये श्रेणियां 1 से 6 तक होंगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया जा रहा है और वे भी बहुत-सी श्रेणियां रखे हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन क्षेणियों में अधिकतम कमी होगी और कुछ अतिरिक्त कमरों के अलावा रसोई, स्नानगृह आदि की सुविधाएं समान रूप से सब श्रेणियों को उपलब्ध होंगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन श्रेणियों की संख्या 6 से घटा कर 4 कर दी जायेगी ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि किराया निर्धारित करने के लिये उक्त श्रेणियां आवश्यक हैं। निम्न श्रेणी 175 रुपये तक है। उससे अगली श्रेणी 175 रुपये से 349 रुपये तक है। तीसरी श्रेणी 350 रुपये से 499 रुपये तक। चौथी श्रेणी 500 रुपये से 799 रुपये तक। पांचवीं श्रेणी 800 रुपये से 1,299 रुपये तक और छटी श्रेणी 1,300 रुपये ऊपर तक होगी। श्रेणियों में कमी करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी क्योंकि किराया श्रेणियों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

श्री मनुभाई पटेल : क्या अन्य सुविधाएं भी समान होंगी ?

श्री के० के० शाह : अन्य सुविधाएं केवल पानी और बिजली की हैं।

दिल्ली क्षेत्र के विकास के लिये सांविधिक बोर्ड की स्थापना

***1539 श्री यशपाल सिंह: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र के शीघ्र तथा योजनाबद्ध विकास के लिये सरकार ने एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में दिल्ली प्रशासन की प्रतिक्रिया जान ली गई है; और

(ग) इस बारे में विधान कब तक बनाया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रस्ताव को उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद की सहमति प्राप्त है।

(ग) यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारो के साथ, जो मामले से संबंधित हैं, चर्चा चल रही है।

Shri Yashpal Singh : I want to know the reasons why the Central Government is interfering when the responsibility of administrating Delhi has been handed over to Delhi Administration ? The Government should not interfere in these small matters. Mahatma Gandhi had said that "that Government is the best which governs the least". Government is unnecessary interfering in the jurisdiction of Delhi Administration instead of it should make preparations to deal with Pakistan and China.

Shri K. K. Shah : Some suggestions have been made by Delhi Administration. We have to work with the Co-operation of the Government of Rajasthan, Uttar Pradesh, and Haryana in this matter and therefore this is the only alternative ?

Shri Yashpal Singh : I want to know the specific date when this proposal will be implemented ?

Shri K. K. Shah : It will be decided after consulations with those states.

1970-71 का चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाया जाना

***1545. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने 1970–71 को चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त वर्ष को सफल बनाने के लिये दिल्ली प्रशासन को पूरा सहयोग तथा वित्तीय सहायता देगी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिये विस्तृत योजनाएं दिल्ली प्रशासन तैयार कर रहा है। योजना आयोग ने अब तक निम्नलिखित योजनाओं को मंजूर कर दिया है :

(1) पांच सौ पलंगों वाले दो अस्पतालों की स्थापना; एक पूर्वी दिल्ली में तथा एक पश्चिमी दिल्ली में।

(2) हिन्दु राव अस्पताल में 200 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था।

(3) 100 पलंगों वाले संक्रामक रोगों के अस्पताल की स्थापना।

(4) पांच प्रसूति अस्पतालों की स्थापना—प्रत्येक में 100 पलंग।

(5) हैदर पुर के आयुर्वैदिक अस्पताल में 33 पलंगों की व्यवस्था।

(ग) और (घ) : जब कभी सहायता के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे उन पर उनके प्रकरण के गुणावगुण के अनुसार विचार किया जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : अपना प्रश्न पूछने से पूर्व मैं माननीय मंत्री को यह सूचित करना चाहूंगा कि इस सभा की एक सदस्या श्रीमती निर्लेप कौर जो एक रोगी के साथ विलिंगडन अस्पताल गई थीं .....

अध्यक्ष महोदय : उनके अस्पताल जाने से आप कैसे सम्बन्धित हैं ?

श्री नाथ पाई : हम सब सम्बन्धित हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : हम सब सम्बन्धित हैं क्योंकि दिल्ली प्रशासन वर्ष 1970–71 को चिकित्सा वर्ष के रूप में मना रहा है और इस वर्ष के दौरान उन्हें अस्पताल छोड़ने को कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री रा० कृ० बिड़ला : यह बहुत गम्भीर मामला है। अब मैं अपना प्रश्न पूछूंगा। ये अस्पताल कब तक तैयार हो जायेंगे ? और वहां बिस्तरों की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ? जब तक उनकी व्यवस्था हो तब तक क्या सरकार कोई चलते फिरते अस्पताल चालू करने के बारे में विचार कर रही है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : श्रीमती निर्लेप कौर से सम्बन्धित प्रश्न का प्रथम भाग मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक श्रीमती निर्लेप कौर का सम्बन्ध है यदि वह कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं तो मैं उन्हें इसके लिए अवसर दूंगा। वे माननीय मंत्री प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर दें।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या जब तक अन्य अस्पताल बन कर तैयार नहीं हो जाते सरकार चलते-फिरते अस्पतालों की व्यवस्था करने के बारे में सोच रही है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : जी, नहीं। इस समय चलते-फिरते अस्पतालों की व्यवस्था करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री के० के० शाह : मैं इसमें कुछ शुद्धि करना चाहता हूं। हम चलते फिरते अस्पताल कुछ चिकित्सा कालिजों की सहायता से चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इस बारे में शिक्षा मंत्रालय की सहायता से 17 चिकित्सा कालिजों का चयन भी किया जा चुका है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : आप कितने और अस्पताल खोल रहे हैं ?

श्री के० के० शाह : सत्रह।

श्री रा० कृ० बिड़ला : आप कितने और अस्पताल खोलेंगे ? इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

श्री के० के० शाह : यह बहुत-सी अन्य बातों पर निर्भर करता है। मैं इस बारे में कोई वचन नहीं दे सकता लेकिन यदि सम्भव हुआ तो इस वर्ष हम सत्रह अस्पताल खोल सकेंगे। इस समय 90 चिकित्सा कालिज हैं हम इनमें से 17 चुनना चाहते हैं।

श्री निर्लेप कौर : डा० श्रीवास्तव की सिफारिश पर मैं गुरुवार को एक रोगी को डा० घोष द्वारा जांच करवाने के लिये विलिंगडन अस्पताल ले गई। डा० घोष वहां उपस्थित नहीं थे लेकिन कार्यभारी डा० मित्तल वहीं उपस्थित थे। पहले उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे फिर पूछा। फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उनसे तीसरी बार डाक्टर घोष के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 'आप कमरा नम्बर 4 में जायें'। मैं कमरा नम्बर 4 में गई लेकिन डा० घोष वहां नहीं थे। मैं वापिस कार्यभारी डाक्टर के पास आई और उन्हें बताया कि डाक्टर घोष वहां नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि 'आप रोगी को यहां ले आइये'। मैंने उनसे कहा कि जब डा० घोष यहां नहीं हैं तो रोगी को यहां लाने से क्या लाभ ? तब उन्होंने कहा कि आप "अस्पताल से बाहर निकल जायें।" मैंने उन्हें बताया कि मैं संसद् सदस्य हूं—मैं केवल यह नहीं चाहती कि केवल संसद् सदस्यों को विशेष सुविधाएं दी जायें लेकिन मैं चाहती हूं कि प्रत्येक नागरिक की अस्पताल में देखभाल की जाये। इसके बाद मैंने पूछा कि क्या "मैं टेलीफोन का प्रयोग कर सकती हूं"। उन्होंने कहा "नहीं", आप पूछताछ कार्यालय

जायें"। यह सब घटना मुख्य इमारत में हुई जबकि पूछताछ कार्यालय अगली इमारत में है। यदि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि डाक्टर रोगियों के प्रति अभद्र व्यवहार करें।

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : यह बहुत गम्भीर मामला है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने उक्त मामले से मंत्रालय को अवगत करा दिया है। हम इस बारे में जांच करेंगे।

श्री समर गुह : ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है कि माननीय प्रधान मंत्री ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया था और कुछ रोगियों से बातचीत की थी। मैं इस बारे में हुई प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री नाथ पाई : अस्पतालों में स्थानों की भारी कमी होने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। निर्धन वर्ग की उपेक्षा की जाती है। यह बात नहीं है कि डाक्टर रोगियों की जानबूझकर उपेक्षा करते हैं बल्कि अस्पतालों में स्थिति ऐसी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कमरा भी मछली बाजार बना हुआ है। आप उनके कमरे में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप संसद् सदस्य या प्रतिष्ठित व्यक्ति न हों। प्रधान मंत्री ने जो वहां देखा उसको दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चिकित्सा सुविधाएं देने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम है?

श्री के० के० शाह : इसी कारण से उक्त कार्यक्रम को, जिसके बारे में मैंने पिछले प्रश्न में उल्लेख किया है, 500 बिस्तर वाले दो अस्पतालों, एक नई दिल्ली के पूर्व और दूसरे नई दिल्ली के पश्चिम के लिये तैयार किया गया है।

श्री हेम बरुआ : हम इस बारे में प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

श्री नाथ पाई : क्या अस्पतालों में हमने जो स्थिति देखी है आप उससे अधिक अच्छी स्थिति देखते हैं? कभी आप अस्पतालों को अत्यन्त शोचनीय स्थिति में नहीं देखते?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि प्रत्येक अस्पताल पर बहुत अधिक भार है। यह सच है कि जबकि सफदरजंग अस्पताल में लगभग 1,300 बिस्तरों की व्यवस्था है हमें कभी-कभी वहां 1,500, 1,600 या 1,700 रोगियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमें अस्थायी बिस्तरों की व्यवस्था करनी होती है। यह बात सच है और इसको स्वीकार करना होगा। इसीलिए 500 बिस्तरों के दो अस्पताल अर्थात् 1,000 बिस्तरों की व्यवस्था करने और हिन्दु राव अस्पताल में 200 बिस्तर और आई० डी० अस्पताल में 100 बिस्तर और पांच अलग प्रसूति केन्द्र खोलने की योजना तैयार की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों में घटिया किस्म की औषधियों का प्रयोग

*1546. **श्री बेदब्रत बरुआ** :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री जयसिंह :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री हरदयाल देवगुण : क्या **स्वास्थ, ,परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एंव नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सरकारी अस्पतालों में एक्रोमाईसिन के टीकों तथा फेरस सल्फेट की गोलियों जैसी विभिन्न घटिया किस्म की औषधियों का प्रयोग हो रहा है?

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में इनके प्रयोग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दायर किये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी अस्पतालों में घटिया किस्म की औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। तथापि इर्विन अस्पताल ने 16 दिसम्बर, 1967 को औषध नियंत्रक, दिल्ली को सूचित किया था कि मेसर्स सियानामिड लिमिटेड, बम्बई द्वारा 1966 में निर्मित तथा मेडीकल स्टोर डीपू, करनाल के माध्यम से इस अस्पताल को दिये गये एक्रोमाइसिन के टीकों के कतिपय बैचों द्वारा प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। उस समय तक इस अस्पताल में 20,710 टीकों का उपयोग कर लिया था। खराबी का पता लगने के बाद अस्पताल ने एक्रोमाइसिन के किसी टीके का उपयोग नहीं किया।

उस समय इस अस्पताल में उपलब्ध इंजेक्शनों के तीन बैचों से नमूने सरकारी विश्लेषक, कलकत्ता को भेजे गये जिसने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि दो बैचों में टेट्रासाइक्लिन की मात्रा शून्य थी जबकि तीसरे बैच में लेशमात्र टेट्रासाइक्लिन थी। इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली औषध नियंत्रण अधिकारियों ने औषध नियंत्रण प्रशासन, गुजरात को जिस के अधिकार क्षेत्र में यह निर्माता फर्म आती है लिख दिया कि वे इस पर आवश्यक कार्यवाही करें। शिकायत किये गये तीन बैचों तथा निर्माताओं के पास दूसरे बैचों के नमूनों का सरकारी विश्लेषक, बड़ौदा द्वारा परीक्षण किया गया और इनमें कोई दोष नहीं पाया गया। इन शिकायतों के अतिरिक्त, निर्माताओं अथवा किसी अन्य राज्य के औषध नियंत्रण अधिकारियों को देश के अन्य भागों में इन तीन बैचों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से इन बैचों में किसी प्रकार के दोष होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। इन परिस्थितियों में औषध नियंत्रण प्रशासन, गुजरात ने प्रसंगाधीन बैचों को बाजार से वापस लेने पर कोई जोर नहीं डाला। टेट्रासाइक्लिन एक अत्यधिक अस्थिर योग है और बाद में किये गये परीक्षण पर इन इंजेक्शनों में टेट्रासाइक्लिन का कोई अंश न निकलने से जरूरी नहीं कि यह निष्कर्ष निकले कि मूल दवा में टेट्रासाइक्लिन तत्व था ही नहीं। ऐसा नहीं जान पड़ता कि इन तीनों बैचों में हुई विकृति निर्माताओं द्वारा बरते गये गुण नियंत्रण उपायों में लापरवाही का फल हो।

जहां तक फेरस सल्फेट की गोलियों का संबंध है इर्विन अस्पताल ने औषध नियंत्रक, दिल्ली को 20 नवम्बर, 1968 को सूचित किया कि फेरस सल्फेट गोलियों में धब्बे पड़ गये हैं। एक नमूना लिया गया और उसे सरकारी विश्लेषक, कलकत्ता को भेज दिया गया जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर गोलियों में काले धब्बे पड़ चुके थे तथा औषधि सेवन योग्य नहीं रह गई थी। सेन्ट्रल इंडियन फार्मेकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद में भी इन गोलियों की जांच की गई थी और उसकी रिपोर्ट में बताया गया था कि यद्यपि फेरस सल्फेट की मात्रा लेबिल में अंकित मात्रा के अनुरूप थी तब भी चूंकि इन गोलियों पर धब्बे पड़ चुके हैं अतः ये सेवन योग्य नहीं रह गई थीं। दिल्ली औषध नियंत्रण प्रशासन ने फर्म का निर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया था।

धब्बों के दिखाई पड़ने के पश्चात् अस्पताल के रिकार्ड में फेरस की 51,000 गोलियां दी गई दिखाई गई हैं। चूंकि फेरस सल्फेट अस्पतालों में अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाली दवा है अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि ये गोलियां दी तो गई होंगी धब्बे पकड़े जाने से पूर्व, किन्तु रिकार्ड में बाद में दर्ज की गई होंगी। गाजियाबाद की प्रयोगशाला ने यह भी बतलाया कि इन गोलियों में सक्रिय संघटक अंश निर्धारित मात्रा के अनुसार था अतः इन गोलियों के प्रयोग से कोई शारीरिक क्षति या नुकसान नहीं हो सकता था।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम उठाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में घटिया किस्म की दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। तथापि यदि किसी औषधि में कोई खराबी आ जाय तो इसका उपयोग स्वतः ही बन्द कर दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त हालत में कोई मामला दायर नहीं किया गया है।

श्री बेदब्रत बरूआ : मैंने अपने प्रश्न में 'ऐक्रोमाइसीन' इंजेक्शन को शामिल नहीं किया था लेकिन मैंने औषधियों के स्तर में गिरावट आने के बारे में सामान्य प्रश्न पूछा था। अस्पतालों में रोगियों को दी जाने वाली ये औषधियां अक्सर प्रभावकारी नहीं होतीं। क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी और इस बात का पता लगायेगी कि औषधियों में वास्तव में कितनी मिलावट की जाती है। इस बारे में अनेक मामले पकड़े गये हैं। देश में औषधियों में मिलावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : खाद्यान्नों और औषधियों में मिलावट की जा रही है। यह मिलावट पांच से सात प्रतिशत है। जब कभी किसी मामले को प्राधिकारियों के सामने लाया जाता है तो उस मामले में प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाता है। अस्पताल में घटिया इंजेक्शन और औषधियां देने के बारे में हम जांच कर रहे हैं।

श्री बेदब्रत बरूआ : अभी हाल ही में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि मंत्री महोदय ने औषधि निर्माणकर्ताओं से सरकार को विशेष पैकिंग में औषधियां सप्लाई करने के बारे में अनुरोध किया है। यह बहुत अच्छा विचार है। उसमें यह भी समाचार प्रकाशित हुआ था कि औषध निर्माताओं ने सरकार को विशेष पैकिंग में औषधियां सप्लाई करना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि सच यह है कि निर्माताओं ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है। मैं इस बारे में वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : बम्बई में हुई पहली बैठक में निर्माताओं ने अस्पतालों को विशेष पैकिंग में विशेष मूल्यों पर दवाइयां सप्लाई करने की सहमति दे दी थी। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि केवल अस्पतालों को विशेष मूल्यों पर औषधियां सप्लाई की जायें। अतः औषधियों के मूल्यों के बारे में जांच की गई थी और इस बारे में मेरे माननीय मित्र पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। अब हम सरकारी अस्पतालों को विशेष पैकिंग में सप्लाई करने वाली औषधियों के बारे में निर्माताओं से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि इर्विन अस्पताल में हजारों 'ऐक्रोमाइसीन' के इंजेक्शन बिल्कुल प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि उनमें 'ऐक्रोमाइसीन' की मात्रा नहीं थी या उनमें बहुत कम 'ऐक्रोमाइसीन' की मात्रा थी। इर्विन अस्पताल से प्राप्त इस समाचार के बारे में सरकार ने कोई जांच की है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उक्त अस्पताल को दवाइयों की सप्लाई किसी गैर-सरकारी निर्माता द्वारा की जा रही है या किसी सरकारी औषध निर्माण एजेन्सी द्वारा की जा रही है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : इस बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इर्विन अस्पताल ने औषध नियंत्रक, दिल्ली को 20 नवम्बर, 1968 को सूचित किया था कि फेरस सल्फेट की गोलियां विषाणुयुक्त हो गई हैं। इसका एक नमूना सरकारी विश्लेषक, कलकत्ता को भेजा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अधिकांश गोलियों पर काले निशान थे और दवाई स्वीकार करने के स्तर की नहीं थी। दिल्ली औषध नियंत्रण प्रशासन ने फर्म के औषध निर्माण के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

श्री जय सिंह : मेरे विचार से प्रश्न के भाग (ख) का उक्त अस्पताल में रोगियों के स्वास्थ्य के हित में नहीं है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्वीकार किया गया है कि फेरस सल्फेट की 51,000 गोलियां विषाणुयुक्त हो गई थी। यद्यपि यह खतरनाक औषध नहीं है तथापि यह बहुत गम्भीर मामला है। जब नजरी परीक्षा द्वारा यह विदित हो गया था कि यह औषध ठीक नहीं है तो इस औषध की सप्लाई क्यों की गई ? विश्लेषक द्वारा की गई अन्तिम जांच से भी विदित होता है कि उक्त औषध में आधी भी शुद्धता नहीं थी। अतः मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि अस्पतालों को ये निदेश जारी करें कि यदि किसी औषध में नजरी परीक्षा में असाधारण बात का पता लगे तो उसका पुनः परीक्षण करने से पूर्व उसकी सप्लाई न की जाये।

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : दवाई को केवल देखने मात्र से यह कहना सम्भव नहीं कि यह घटिया किस्म की है अथवा नहीं जब तक कि इसका परीक्षण न कर लिया जाये। दुर्भाग्य से इस बात का पता लगाने में कि उक्त औषधि का रोगियों पर प्रभाव होता है अथवा नहीं, कुछ समय लगता है। औषधि के प्रभावहीन सिद्ध होने पर औषधि की कृत्रिम होने के प्रश्न पर प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया जाता है और इस बारे में जांच की जाती है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

संसद् सदस्यों को एक से अधिक मकानों/फ्लैटों का आवंटन

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 31. श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य तता परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीम विकास मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 763 संसद् सदस्यों को 842 मकान/फ्लैट आवंटित किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो किन-किन संसद् सदस्यों को एक से अधिक मकान/फ्लैट दिये गये हैं ?

(ग) एक से अधिक मकान आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार एक से अधिक मकानों के आवंटन को रद्द करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। परन्तु कुछ संसद् सदस्यों को वैस्टर्न कोर्ट और विठ्ठलभाई पटेल हाऊस में एक से अधिक सूट आवंटित किये गये हैं।

(ख) उन संसद् सदस्यों के नाम, जिन्हें विठ्ठलभाई पटेल हाऊस और वैस्टर्न कोर्ट में एक से अधिक सूट उपलब्ध किये गये हैं का एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ग) सरकार ने संसद् के दोनों आवास समितियों के परामर्श से संसद् सदस्यों को विठ्ठलभाई पटेल हाऊस में (क) एक सिंगल सूट, अथवा (ख) दो सिंगल सूट या (ग) तीन सिंगल सूट या (घ) एक डबल सूट अथवा (ङ) एक डबल सूट तथा एक सिंगल सूट आवंटित करने का निर्णय किया है। इसी प्रकार एक सदस्य को वैस्टर्न कोर्ट में दो सिंगल सूट, यदि आवश्यक हों, आवंटित किये जा सकते हैं। ऐसा संसद सदस्यों की वास के मामले में आवश्यकताओं को समूचित रूप से पूरा करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि विठ्ठलभाई पटेल हाऊस/वैस्टर्न कोर्ट के सूटों में वास-स्थान अन्य स्थानों के फ्लैटों की अपेक्षा कम है।

(घ) तथा (ङ) क्योंकि उपर्यक्त (ग) में उल्लिखित वास का मापमान स्वीकृत मानकों पर आधारित है, अतः अधिक आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विठठलभाई पटेल हाऊस में संसद सदल्यों की एक से अधिक आवंटन/सिंगल/डबल सूट के दखल का विवरण––स्थिति जैसे वह **30** अप्रैल, **1970** को थी

क्र०सं०	कमरा नं०	सदस्य का नाम	टिप्पणी
1.	9-सिंगल 10-सिंगल	श्री विक्रम चन्द महाजन	(लोक सभा)
2.	14-डबल 11-सिंगल	श्री सन्त बख्श सिंह	(लोक सभा)

क्र०सं०	कमरा नं०	सदस्य का नाम	टिप्पणी
3.	101-सिंगल 103-सिंगल 102-ए-सिंगल	श्रीमती विमल देशमुख	(राज्य सभा)
4.	102-सिंगल 111-सिंगल	श्रीमती तारा साप्रे	(लोक सभा)
5.	105-सिंगल 106-डबल	डा० के० रमैय्या	(राज्य सभा)
6.	113-डबल 116-सिंगल	श्री आर० डी० रामा रेड्डी	(लोक सभा)
7.	108-सिंगल 114-डबल	डा० एम० पी० पुरी	(लोक सभा)
8.	117-सिंगल 205-सिंगल 419-सिंगल	श्री धुलेश्वर मीना	(लोक सभा)
9.	207-डबल 112-सिंगल	श्री हयातुल्लाह अंसारी	(राज्य सभा)
10.	209-सिंगल 210-सिंगल 208-सिंगल	श्री मान सिंह वर्मा	(राज्य सभा)
11.	214-डबल 215-सिंगल	श्री पी० गंगा रेड्डी	(लोक सभा)
12.	218-सिंगल 219-सिंगल 224-सिंगल	श्री इम्तियाउद्दीन अहमद	(लोक सभा).
13.	222-सिंगल 223-सिंगल 304-सिंगल	श्री प्रेम मनोहर	(राज्य सभा)
14.	306-डबल 405-सिंगल	श्री देविन्दर सिंह गार्चा	(लोक सभा)
15.	312-सिंगल 313-डबल	श्री शंकर जी० कुरूप	(राज्य सभा)

क्र० सं०	कमरा नं०	सदस्य का नाम	टिप्पणी
16.	310-सिंगल, 316-सिंगल, 317-सिंगल	श्री कुम्भाराम आर्य	(राज्य सभा)
17.	501-सिंगल, 502-सिंगल, 509-सिंगल	श्री मणिभाई जे० पटेल	(लोक सभा)
18.	124-सिंगल, 302-सिंगल, 303-सिंगल	श्री मुशीर अहमद खां	(लोक सभा)
19.	15-सिंगल, 122-सिंगल, 123-सिंगल	श्री एन० के० शेजवलकर	(राज्य सभा)
20.	211-सिंगल, 321-डबल	श्री एम० एम० ओवेराय	(लोक सभा)
21.	202-सिंगल, 203-सिंगल, 418-सिंगल	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	(राज्य सभा)
22.	1-सिंगल, 4-सिंगल, 5-सिंगल	श्री शाम लाल यादव	(राज्य सभा)
23.	109-सिंगल, 110-सिंगल	श्री सवाईसिंह सिसोदिया	(राज्य सभा)
24.	120-डबल, 416-सिंगल	श्री के० पी० एम० गेनन	(राज्य सभा)
25.	201-ए० सिंगल, 201-बी० डबल	श्री इंदर सिंह	(राज्य सभा)

उन संसद् सदस्यों की सूची जिनके पास विट्ठलभाई पटेल हाऊस/वैस्टर्न कोर्ट में एक से अधिक सूट हैं ।

वैस्टर्न कोर्ट

1.	एस-आर० नं० 36	श्री सैयद अहमद	(राज्य सभा)
2.	एस-आर० नं० 37		
3.	एस-आर० नं० 24	श्री फ्रेंक एंथनी	(लोक सभा)
4.	एस-आर० नं० 25		

Shri Madhu Limaye : From the report of his Ministry published in the newspapers it appears that some Members of Parliament have been allotted more than one flat. It is not proper to allot more than one or two flats to any Member of Parliament. You must have clarified the position in this regard in the House : You should allot only one flat to every Member of Parliament.

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री संसद् सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री के० के० शाह : मैं इसके लिये जिम्मेवार नहीं हूं और मैंने इस बारे में स्पष्ट व्यक्तव्य दिया था कि संसद् सदस्यों को दी गई जगह अधिक नहीं है और किसी एक सदस्य को दो मकानों का आबंटन नहीं किया गया है ।

Shri Madhu Limaye : It has been published in the headlines of the newspapers that the Members of Parliament have been allotted excessive accommodation. I want to know whether the Hon. Minister will clarify this position ?

Shri K. K. Shah : Please see todays reply in this connection.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the Government will rectify its mistake and a copy of its clarification will be sent to the press.

Shri K. K. Shah : Yes, please.

Shri Madhu Limaye: There has been a heated discussion on the matter of abolishing the rights and privileges of the Raja and Maharajas and the I.A.S. Officers. General public want the special rights and privileges enjoyed by M.L.A. and M.Ps. should be abolished. So far as the question of doing the Parliamentary work is concerned, I think the people would have no objection in respect of the facilities and privileges being enjoyed by us.

The Members of Parliament are given preference in the matter of disposing watches etc. seizes by the custom authority. We have asked a question in this regard. After that, that practice has stopped. Similarly, 50 horse power tractors were indented from Russia. There was a proposal of disposing them also to the Members of Parliament in preference. I was against it. That matter was also over. It has been published in the newspapers that Members of Parliament are demanding cheap land for constructing their houses. (Interruptions.) I.A.S. and I.C.S. officers have purchased land at the rate of 8 annas per square in Poona. That land is in Ganesh Khindi. It is considered to be the richest area of that place and the prices of land are very high there.

Delhi Administration is of the view that if present M.P.'s or former M.P.'s have been allotted land in Delhi for constructing houses like this there will remain either Tombs or the houses of the present or the former Members of Parliament in Delhi. There will be hardly any place left for common man in Delhi. Nobody would mind if the Members of Parliament are given the facility of having stenographer and typists as that would help them in their legislative work. But to allot subsidised flats to them or to give them Russian tractors, T.V. sets or the goods seized by the custom authority is something ununderstandable. May I know why this discrimination is made between the ordinary citizen and the Member of Parliament.

Shri K. K. Shah : I have taken this step after due consideration. The M.P.'s whose annual income does not exceed Rs. 18,000 have been allotted plots of the type which are made available to the middle income group people in Delhi. This is also on the condition that members will construct house in two years and will vacate those premises which they are occupying. I shall be grateful if those who have fixed income are prepared to accept plots of lesser area. I have not done anything extraordinary for them.

Shri Madhu Limaye : I have also asked questions regarding the supply of T.V. sets, Russian tractors and the goods seized by the customs. These questions should also be explained. You have answered the question which is concerned with your ministry but as regards the others you should better make an enquiry from the Hon. Prime Minister Smt. Indira Gandhi and Hon. Minister Sethi.

Shri K. K. Shah : As far as I know M.Ps'. have not been given any special facility. I am also an M.P. and whatever I am saying, I am saying with full sense of responsibility. All that I can say is, that there is nothing hanky-panky about it.

Shri Ramavatar Shastri : There is an enquiry office near M.P.s' flats. They have to look after the comforts of the M.Ps'. I wish to know have you received any complaints from M.P.s regarding these enquiry offices, if so, has there any action been taken or you proposed to take to improve their working so as to ensure facilities to M.Ps'. ?

Mr. Speaker : How does it arise out of this ? The question refers to the M.P. flats We should have some standard in the house.

Shri Ramavatar Shastri: These enquiry offices are also for these flats so my question should be answered.

Mr. Speaker : You must see the question. It is; 'whether it is a fact that 842 houses/ flats have been allotted to 763 Members of Parliament'. How does enquiry offices come into it ? You should be reasonable. It is not fair.....(interruptions)

Shri Mritunjay Prasad: The list submitted by the Hon. Minister is not complete. Is it a fact that in the North Avenue and South Avenue members have been allotted two flats each. If so, why the names of such persons and the numbers of their flats have not been included in the list. Will the Hon. Minister be kind enough to include all this in the list and lay it on the table of the house ?

Shri Manubhai Patel : We do not want to refer to anybody but if the Hon. Minister states categorically that nobody has been alloted two houses, I may tell him that Shri Shashi Bhushan has got two flats and how has he been allotted two houses ? He always talks about socialism.

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्यों को याद होगा कि नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू में 92 यूनिटों को 46 बड़े यूनिटों में परिवर्तित किया जा रहा है ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : प्रश्न यह नहीं है । पूछा तो यह गया है कि क्या दो फलैट एक ही व्यक्ति को दिए गए हैं ? जिस प्रकार उन्होंने विठ्ठलभाई पटेल भवन और वैस्टर्न कोर्ट के बारे में बताया था उसी प्रकार इसके बारे में भी पहले से बता सकते थे ।

श्री के० के० शाह : मैं इसका उत्तर दे रहा हूं । कृपया माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें ।

नार्थ और साऊथ एवेन्यू के 92 यूनिटों को 46 बड़े यूनिटों में परिवर्तन किया जा रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि एक बड़ा फलैट बनाने के लिए दो यूनिटों को जोड़ा जा रहा है । 16 ऐसे यूनिट पूरे हो चुके हैं अर्थात् जहां दो घरों को जोड़कर एक कर दिया गया है और ऐसा जगह की कमी के कारण किया जा रहा है । जो घर तैयार हो गए हैं उन्हें रिहायश के लिए दे दिया गया है ।

श्री मृत्युजंय प्रसाद : आपने यह सूचना पहले क्यों नहीं दी ?

श्री मनुभाई पटेल : यदि उन्हें एक ही माना गया है तो उन्हें दो यूनिट अलग अलग नम्बर क्यों दे रखे है । एक घर के लिए एक नम्बर होना चाहिए ।

श्री के० के० शाह : जैसे ही सब को मिला दिया जाएगा उनको नम्बर भी उसी प्रकार दे दिए जाएंगे । और यह कोई नई बात नहीं कि पिछले अढ़ाई वर्षों से यह काम चल रहा है ।

श्री मृत्युजय प्रसाद : क्या दो घरों का बनाया गया एक यूनिट एक ही व्यक्ति के अधिकार में है ।

श्री के० के० शाह : जी हां ।

श्री मनुभाई पटेल : श्री कृष्णा मेनन के पास दो बंगले हैं ।

श्री के० के० शाह : श्री कृष्ण मेनन को एक बंगला दिया गया था जो बाद में उनके नाम कर दिया गया था । उन्होंने कार्यालय अथवा रिहाइश के लिए जगह मांगी थी मुझे मालूम नहीं कि उनके सलाहकारों को कोई जगह दी गई है या नहीं । जब सदन में इस सम्बन्ध में प्रश्न किया गया तो मैंने इसकी जांच करवाई उन्हें केवल संसद् संदस्य होने के नाते रिहाइश के लिए जगह दी गई है ।

एक माननीय सदस्य और श्री शशी भूषण के बारे में .....

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : संसद् सदस्यों को दिए जाने वाले फलैटों के विभिन्न वर्ग हैं । में यह जानना चाहता हूं कि कितने संसद् सदस्यों को कितने फलैट दिए गए हैं और इस आवंटन का आधार क्या है और क्या यह आधार समयानुसार परिवर्तित होता रहा है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तीन संसद् सदस्यों को बंगलों के साथ-साथ एकएक कमरा विठ्ठलभाई पटेल भवन में भी मिला हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं । माननीय सदस्य उस समय यहां उपस्थित नहीं थे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The M.Ps' have been allotted flats only to help them to put in maximum work. They have also been provided with servant quarters and garrages. It has been seen that majority of them let out the servant quarters and garrages to third persons. Will the Government conduct an enquiry and will adopt measures for taking action against those who sub-let their flats or in the alternative for charging them double the rent ?

Shri K. K. Shah : If any particular instance is given I will look into it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Hon. Minister find out if the South and North Avenues are full of third persons ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सदस्यों को दिए गए मकानों के सम्बन्ध में है : आप प्रश्न की सीमा से बाहर जा रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है मैंने स्वयं कुछ समय पूर्व सदन में यह प्रश्न उठाया था । कुछ सदस्य अपने फलैट्स और गैराज आदि सब कुछ किराए पर उठा देते हैं अतः श्री कछवाय ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है और इसकी जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर किसी अन्य दिन चर्चा की जा सकती है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले पर काफी आलोचना हो रही है ।

श्री ज्योतिमय बसु : 15 अगस्त 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2659 के उत्तर में सरकार की ओर से सभा में यह बताया गया था कि सामान्य पूल के निवास स्थान संसद् सदस्यों के कुछ वर्गों जैसे कि केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व राजदूत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, अधिकृत विरोधी

दलों के नेताओं तथा अन्य संसद् सदस्यों को संसद्-कार्य मंत्री के विवेक से तदर्थ आधार पर अलाट किए जाते हैं। 1962 से लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति से इस बारे में परामर्श करना बन्द कर दिया गया है। हम समझते हैं कि लोक सभा में हम सब सदस्य समान है जिनको कि समान वेतन मिलता है और हम उस चीज के अधिकारी हैं जो कि अन्य सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या सरकार विवेकपूर्ण इस प्रथा को समाप्त करेगी जिससे हमारा मन क्षुब्ध हो गया है और आवश्यकता के आधार पर बंगलों तथा फ्लैटों के वितरण की स्वस्थ प्रणाली लागू करेगी ?

श्री के० के० शाह : सदस्यों के पास अब जो बंगले हैं वह उनको स्टैंडर्ड के अनुसार दिए गए थे। अब हम मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के बंगलों के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहें हैं और एक सामान्य निर्णय किया जाएगा जो कि मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों पर लागू होगा।

Shri Shiv Chandra Jhai : Will the ministry proposes to add a room at the backside of each flat and to connect with a corridor to make it á compact unit. Such construction is being undertaken in South Avenue and North Avenue. Once this was considered in housing committee. But construction, which is hardly necessary is going on even in those flats which are unoccupied and are lying vacant. Rooms are being added to the flats of those M.Ps. who do not require additional accommodation and by so doing money is being misappropriated. The people with a view to grab money from the contractors carry on such construction. Will the Hon. Minister appoint a Committee for inquiring into this matter.

श्री के० के० शाह : मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के मन में कोई भ्रामक विचार बना रहे। संसद् सदस्यों के लिए बनाए जाने वाले फ्लैट संसद् की दो समितियों के परामर्श अनुसार बनाए जा रहे हैं। यह आरोप उचित नहीं है यदि समिति ने कोई निर्णय लिया है तो सदस्यों का कर्तव्य है कि वह उसका पालन करें..... (**व्यवधान**)

Shri Shashi Bhushan : My name has just been referred to by some members that I have been allotted two flats. Firstly such a question should not be raised without investigation. Sir, in each flat of South Avenue and North Avenue a new room has been added and the A, B plots of the corner are combined into a single unit and still those flats are not complete, a corridor is to be made. I am paying rent for two flats and I have still to submit to the committee that rent for one flat should be charged from me. Inspite of all this that people are raising the questions without making inquiry. Any how I do not have any objection. But why those people are not questioned who are living in big bungalows. Why do not you ask Shri Morarji, and Shri Madhu Limaye ? Why objections are raised if my house situated at the corner is amalgamated in the other under the scheme by the Public Works Department ?

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

श्री ज० महोम्मद ईमाम : मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : अगले प्रश्न के बाद कीजिए। श्री बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी : इससे पूर्व कि मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति की चुनाव याचिका में उनकी विजय पर बधाई दी जाए। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की एक बार पुनः हार हुई है। ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए !

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TOQUESTIONS

भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों तथा तारकोल के ढोलों की सप्लाई

1535. श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारकोल के ढोल और तेल के बैरलों का कोई निर्माता पंकज आयरन एण्ड स्टील वर्क्स तथा पैट्रोलियम स्टील फैब्रीकेटर्स से कम दाम पर तारकोल के ढोल और तेल के बैरल सप्लाई करने के लिये मद्रास में एक कारखाना स्थापित करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा पंकज आयरन एण्ड स्टील वर्क्स तथा पैट्रोलियम स्टील फैब्रीकेटर्स को अधिक मूल्य पर तारकोल के ढोल और तेल के बैरलों के क्रयादेश दिये जाने के क्या कारण हैं, जिसके फलस्वरूप निगम को खर्च वहन करना पड़ा;

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा क्रयादेश प्रतिष्ठित निर्माताओं की बजाय स्थापित की जा रही नयी कम्पनियों को दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या तारकोल के ढोलों और तेल के बैरलों के नये कारखानों को पूरी तरह स्थापित करने का अपने कुछ कृपापात्रों को अवसर देने के लिये भारतीय तेल निगम ने 10 महीने का समय लिया था और उन्हें यह पूर्व आश्वासन भी दिया था कि निगम तारकोल के ढोलों और तेल के बैरलों के क्रयादेश देने में अन्य प्रतिष्ठित निर्माताओं की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता देगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). तारकोल के ढोलों तथा तेल के बैरलों की सप्लाई के लिए मद्रास में एक संयंत्र की स्थापना के लिये कुछ निर्माताओं ने पेशकश की थी पर वे इस पर निर्भर थी कि भारतीय तेल निगम जगह, बिजली और पानी जैसी सुविधायें दे या अगले 10 वर्षों में भारतीय तेल निगम की समस्त आवश्यकताएं उठाये जाने की गारंटी दे । यह शर्तें स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि भारतीय तेल निगम मद्रास में अपना बैरल/ड्रम यंत्र संयंत्र स्थापित कर रहा है। अतः कोटेशनों की तुलना मद्रास में प्रदत लागत के आधारों पर की गई थी। इस आधार पर पंकज आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और पैट्रोकैम स्टील प्राइवेट लिमिटेड की कोटेशने सब से कम थी। टैण्डर समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से अक्तूबर, 1969 के पहले सप्ताह में इन दोनों फर्मों के पांस उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। समिति को इस बात पर संतोष था कि अल्प सूचना पर काम शुरू करने के लिये इन पार्टियों के पास अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

(घ) जी नहीं ।

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना

***1537. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों ने योजना आयोग से 1970-71 की अपनी वार्षिक योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करते समय यह वचन दिया था कि वे अतिरिक्त कर लगा कर 72 करोड़ रुपये जुटायेंगे ;

(ख) क्या राज्यों के बजटों में अतिरिक्त करों के लिये की गई वास्तविक व्यवस्था 30 करोड़ रुपये से भी कम है ;

(ग) क्या राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने में पर्याप्त प्रयासों के अभाव का संभवतः एक कारण यह है कि सरकार द्वारा चौथी योजना की अवधि में राज्यों को लगभग 932 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दिये जाने का आयोजन है; और

(घ) यदि हां, तो इन संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में पूर्ति मंत्री और राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) पिछले वर्ष योजना आयोग के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान राज्यों ने अपनी 1970-71 की वार्षिक आयोजनाओं के लिए 79.55 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का लक्ष्य बताया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ)। जी नहीं। 1970-71 के केन्द्रीय बजट में, चालू वर्ष में उन राज्यों को, जिनके साधनों में कमी पड़ जायेगी, विशेष सहायता देने के जिस निश्चय की घोषणा की गयी थी, यह हवाला सम्भवतः उसके बारे में है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार ने सिद्धांत रूप से, उन राज्यों को जिनके साधनों में अपरिहार्य रूप से कमी पड़ जाय, विशेष सहायता देना स्वीकार कर लिया है। साधनों की कमी का निर्धारण, योजना आयोग द्वारा आयोजना-भिन्न अपरिहार्य वचनबद्ध खर्चों, आयोजना-भिन्न खर्च में किफायत की गुंजाइश, राजस्व और कर-संग्रह में सुधार करने के लिए किये गये उपायों और अन्य बजट संबंधी सामान्य साधनों को जुटाने के संबंध में किये जाने वाले मूल्यांकन के बाद किया जायेगा। इससे ये राज्य साधन जुटाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न कर सकेंगे और उन अतिरिक्त साधनों का, जो वे जुटा सकते हैं, अपने स्वीकृत आयोजना-परिव्यय के लिए उपयोग कर सकेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में चाय बागान की खरीद

*1538. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायण और खान तथा** धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम में कुछ चाय बागान खरीदे है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस खरीद की केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच कराने की घोषणा की है; और

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रासायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख)। जी हां।

(ग) इस स्थिति में उसकी बाबत बताना सम्भव नहीं है। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांचों को पूरा करने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा।

आयातित अशोधित तेल का प्रयोग करने वाले पैट्रोलियम तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में कमी करना

*1540. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अशोधित तेल का प्रयोग करने वाले पैट्रोलियम तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में 10 प्रतिशत कटौती करने के बारे में कुछ कम्पनियों को कोई अनुदेश जारी किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख)। देश में सारे पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की संतोषजनक स्थिति ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 1970 में कच्चे तेल के आयात में 10 प्रतिशत और मई 1970 में 15 प्रतिशत कटौती की गई थी।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपने तेल शोधक कारखानों के विस्तार का अनुरोध

*1541. **श्री हिम्मतसिंहका** : **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियां अपने तेल शोधक कारखानों के विस्तार की सम्भावनाओं के बारे में हाल में पूछताछ करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ने तेल शोधक क्षमता का कितना विस्तार करने की मांग की है; और

(ग) इस संबंध में यदि सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया हो तो वह क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) । प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सीसे, तांबे तथा हीरों का पाया जाना

*1542. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सीसा, तांबा तथा हीरे पाये गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां पाये गये हैं और निक्षेपों की मात्रा कितनी है ; और

(ग) उनको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग)। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा सुन्दरगढ़ जिले में सरगीपल्ली स्थान पर हाल ही में सीसा-सल्फाइड के एक कार्ययोग्य निक्षेप का पता लगाया गया है । अभी तक हीरों के कोई निक्षेप नहीं खोजे गये हैं । सम्भलपुर जिले में हीरों के लिये व्यवस्थित समन्वेषण प्रगति पर है । अभी तक सरगीपल्ली निक्षेप में लगभग 6 प्रतिशत सीसे को अन्तर्विष्ट करने वाला 40 लाख मैट्रिक टन अयस्क भंडार के अनन्तिम अनुमान लगाये गये हैं । तांबे के कोई महत्वपूर्ण प्राप्तिस्थल ध्यान में नहीं आये हैं । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा और आगे कार्य प्रगति पर है । इसके पूरा कर लिये जाने के पश्चात् समुपयोजन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विकासशील देशों के लिये अमेरिकी सहायता

*1543. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमेरिका के विदेशी सहायता निर्धारण संबंधी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या उस रिपोर्ट में विकासशील देशों को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता के बहुपक्षीयकरण का सुझाव दिया गया है और यह सुझाव भी दिया गया है कि चुने हुए देशों में चुने हुए कार्यक्रमों जैसे कृषि तथा शिक्षा में और ऐसी बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं में जिनमें अमेरिका के विशेष हित हैं अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा द्विपक्षीय व्यापार का केन्द्रीयकरण किया जाय;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) रिपोर्ट की अन्य मुख्य बातें क्या-क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) सरकार ने दिनांक 4 मार्च 1970 की "1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जाने वाली विदेशी सहायता : एक नया दृष्टिकोण" नामक रिपोर्ट देखी है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी दल (टास्क फोर्स आन इण्टरनेशनल डेवलपमेंट) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ)। रिपोर्ट की अन्य मुख्य-मुख्य बातें हैं–संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक और सैनिक सहायता को अलग-अलग करने, सहायता और व्यापार संबंधी नीतियों को उदार बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जाने वाली द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता की रकम में वृद्धि करने से संबद्ध सिफारिशें उक्त रिपोर्ट की प्रति संसद् के पुस्तकालय से मिल सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार इस समय इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है। ऐसा समझा जाता है कि इस रिपोर्ट पर विचार किये जाने के बाद, आवश्यक विधेयक, जनवरी 1971 में अमेरिकी कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा। जब तक इन स्तरों पर पास होने वाले प्रस्तावों का ठीक-ठीक पता नहीं चल जाता तब तक इस रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना असामयिक होगा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद साधनहीन उद्योगपत्तियों को दिये गये ऋण

***1544. श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 1 अगस्त, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों से गरीब व्यापारियों तथा कृषकों को कुल कितना ऋण मिला तथा बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बड़े-बड़े जमींदारों को कितना मिला; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपर्युक्त अवधि में कुल कितने ऋण दिये गये और उनमें से प्रथम तीन बड़े वर्ग कौन-कौन से हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने "गरीब किसानों" और "बड़े जमींदारों" को या "गरीब व्यापारियों" और "बड़े उद्योगपतियों" को कितना-कितना ऋण दिया है। किन्तु उपर्युक्त बैंकों द्वारा किसानों, लघु औद्योगिक एककों और खुदरा व्यापारियों को दिये गये ऋण की जून 1969 के अन्त में और जनवरी 1970 के अन्त में बकाया रकमों की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

	जून, 1969	जनवरी, 1970
किसानों के लिये प्रत्यक्ष ऋण	26.96	65.61
लघु औद्योगिक एकक	148.44	184.97
खुदरा व्यापारी . . .	19.22	31.04

पहली अगस्त 1969 और 31 मार्च, 1970 के बीच की अवधि में दिये गये इन ऋणों में होने वाली वृद्धियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि इस बात को छोड़ भी दिया जाय कि गरीब व्यापारियों और बड़े जमींदारों की आसानी से ठीक-ठीक परिभाषा नहीं की जा सकती, तो भी खास कर इस अवधि के लिए इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने में काफी परिश्रम करना पड़ेगा और बहुत समय लगेगा तथा काफी धन खर्च करना पड़ेगा जो परिणामों को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

(ख) जून 1969 के अन्त में और जनवरी 1970 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

जून 1969 के अन्तिम शुक्रवार को . .	1829.3
जनवरी 1970 के अन्तिम शुक्रवार को . .	2026.8
इस अवधि में हुई वृद्धि	197.5

जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पहले ही बताया गया है यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

पकड़ी गई मोटर गाड़ियों को जब्त करने से संबंधित कार्यवाही

*1547. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पकड़ी गई मोटर गाड़ियों से संबंधित मामलों के बारे में शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है;

(ख) वर्ष 1968-69 में विभिन्न सीमा-शुल्क केन्द्रों द्वारा पकड़ी गई मोटर गाड़ियों की संख्या कितनी है; और

(ग) जब्त करने की कार्यवाही को अन्तिम रूप देने के लिये निर्धारित एक मास की समय-सीमा का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। सरकारी लेखा समिति (1968-69) चौथी लोक सभा ने अपनी बहत्तरवीं रिपोर्ट में सरकार का ध्यान, पकड़ी गई मोटर गाड़ियों से संबंधित न्याय-निर्णय की कार्यवाही को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ।

(ख) विभिन्न सीमा-शुल्क गृहों द्वारा वर्ष 1968-69 में पकड़ी गयी गाड़ियों की संख्या 281 है ।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा 1965 में सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के सभी समाहर्ताओं को आदेश जारी किये गये थे जिनमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मोटर गाड़ियों की जब्ती संबंधी कार्यवाही को एक महीने के अन्दर निपटाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये, परन्तु व्यवहार में जब्ती संबंधी कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता है। इस प्रकार की कार्यवाही में विलम्ब होने का मुख्य कारण यह है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच करने के बाद, पकड़ी गई गाड़ियों के मालिकों पर 'कारण बताओ ज्ञापन' तामील करना होता है और उनका बचाव पेश करने तथा रूबरू सुनवाई के लिये पेश होने को उनको माकूल मोहलत देनी पड़ती है। कारण बताओ ज्ञापनों के उत्तर पेश करने के लिये दी गयी मोहलत में वृद्धि के लिये दरख्वास्त देकर, सुनवाई के लिये नियत तारीखों को स्थगित करवाकर और गवाहों से लम्बी जिरह करते हुए कार्यवाही को बढ़ाकर, गाड़ियों के मालिकों द्वारा अक्सर कार्यवाही में विलम्ब किया जाता है ।

Complaints against Doctors of Willingdon Hospital, New Delhi

*1548. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether on the 16th April, 1970 he received a complaint concerning Willingdon Hospital from an M.P. (Lok Sabha);

(b) whether no X-Ray was taken of a patient suffering from abdominal injury who was admitted in the Hospital on the 6th April, 1970 and was kept there upto the 8th April;

(c) whether the patient was given morphia injection instead of some permanent treatment for vomitting from mid-night of the 7th April to 10.00 hours on the 8th April, 1970;

(d) the grounds on which the said patient was transferred from the Willingdon Hospital to All India Institute of Medical Sciences on the 8th April, 1970; and

(e) whether on the 9th April, 1970 an X-Ray of abdominal injury was taken in the Institute; if so, the action taken or being taken against the doctors and officers of Willingdon Hospital guilty of negligence on their part?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (e). A statement containing the requisite information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

STATEMENT CONTAINING INFORMATION IN RESPECT OF PART (A) TO (E) OF STARRED QUESTION NO. 1548 FOR REPLY IN THE LOK SABHA ON THE 11TH MAY, 1870.

No written complaint appears to have been received. However from the inquiry made the patient referred to is probably Shri Arjan Singh Bhadoria who was admitted on the 6th April, 1970 at 3.10 P.M. in the Willingdon Hospital with a history of being beaten on the abdomen by the police.

Though X-Ray was advised it was not taken as the patient's condition was reported to be better and he was treated for an old complaint of colitis and anaemia.

According to the patient's History Sheet he was not given morphia injection. He complained of vomitting in the early hours of the morning on the 8th April, 1970 and was given Avomine and Sequil an Antiemitic followed by Stemetil half tablet 3 times a day. The patient was discharged from the Willingdon Hospital at his request as stated in his History Sheet. The X-Ray taken at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi did not show any abnormality.

The question of taking any action against the doctors of Willingdon Hospital does not arise.

हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की जांच

*1549. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 16 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच हिन्द गैलवेनाजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय गुप्त विभाग के प्रतिवेदन की जांच कर ली है, जैसा कि प्राक्कलन समिति के 86वें प्रतिवेदन में संकेत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग)। अपनी 86वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.34 में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश संख्या 11 की कार्यन्विति के लिये आगामी कार्यवाही के ब्यौरों को इस समय बताना जनहित में नहीं होगा।

कलकत्ता के मध्य में गन्दी बस्तियां

*1550. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : **क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कलकत्ता के मध्य में बहुत-सी गन्दी बस्तियां हैं, जिन्हें बस्ती कहा जाता है और जहां के निवासी गन्दगी और दरिद्रता में अपना जीवन बिताते हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि कलकत्ता में भूमि का मूल्य बहुत अधिक है और इन बस्तियों ने काफी बड़ा क्षेत्र घेरा हुआ है; और

(ग) क्या बड़े शहरों में सीधे (वर्टिकल) भवनों का निर्माण करने की अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए आवर्तक निधि से ऐसे भवन के निर्माण का शुभारम्भ कलकत्ता में किया जायेगा जिसमें स्थानीय निवासियों को स्थान दिया जा सके और अपनी आवर्तक निधि में वृद्धि करने के लिए फालतू भूमि को बेच कर इसको अन्य बस्तियों को हटाने पर व्यय किया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अब तक पश्चिम बंगाल सरकार से इस तरह के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु बस्तियों के प्रश्न पर कैसे कार्यवाही की जानी चाहिये, इस पर राज्य और केन्द्रीय सरकारें सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं ।

Remittances by Indians living in East African Countries

***1551. Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide facility to the Indian nationals living in East African countries to deposit their money in the Indian banks on the lines of British banks so that Government could take benefit of foreign exchange worth crores of rupees;

(b) if so, the time by which an announcement would be made in this respect; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). There are no restrictions in the matter of non-residents, including persons of Indian origin living abroad, making deposits in banks in India through banking channels. Rules have also been framed recently creating a special category of accounts known as 'Non-Resident (External) Accounts'. A noteworthy feature of such accounts is that funds held therein may be remitted abroad by the Authorised Dealers (banks) on receipt of instructions from the account-holder without having to obtain any further formal approval of the Reserve Bank. Under the Income-tax Act, the interest earned on these accounts is also exempt from tax liability.

थोक विक्रय मूल्य सूचकांक

***1552. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1970 के अन्त का थोक विक्रय मूल्य सूचकांक गत वर्ष के मार्च महीने के अन्त के थोक विक्रय मूल्य सूचकांक से कम था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मार्च, 1969 तथा मार्च, 1968 की तुलना में मार्च 1970 के अन्त में थोक विक्रय मूल्य सूचकांक कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) थोक मूल्यों का सूचक अंक, (1961-62-100) 28 मार्च 1970 को समाप्त हुए सप्ताह में 175·4 था जबकि 29 मार्च 1969 तथा 30 मार्च, 1968 को समाप्त हुए सप्ताहों में यह सूचक अंक क्रमश: 165·1 और 160·3 था।

आवास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये राज्यों को धन-राशि का नियतन

*1553. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री शम्भु नाथ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के सभी अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पिछड़े राज्यों में है जैसा कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित 14 करोड़ रुपये की राशि में से राज्यों को उनके आवास सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये धन देने सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिये केवल 100 लाख रुपये नियत किये जाने के क्या कारण हैं जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिये, जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधी है क्रमशः 150 लाख और 120 लाख रुपये की राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) राज्यों को नियतन सामाजिक आवास योजनाओं पर जीवन बीमा निगम ऋणों के उपयोग में उनके पिछले कार्यों, उनके नए कार्यक्रमों के लिए निधियों की आवश्यकताओं और पहले दिए गए ऋणों से खर्च न किए जाने पर बचे बकाया, को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं।

साबुन के मूल्यों में वृद्धि

*1554. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साबुन निर्माताओं को साबुन के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या साबुन के मूल्यों में वृद्धि तथा कमी के बारे में कोई निश्चित नीति है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ)। नवम्बर, 1966 में हुये एक अनौपचारिक प्रबन्ध के अनुसार, संगठित (बड़े पैमाने) क्षेत्र के कारखानों द्वारा बनाये साबुनों के मूल्यों में वृद्धि/कमी, देश में प्रचलित तेल मूल्यों, आयातित चर्बी, ताड़ के तेल आदि की उपलब्धता तथा निर्माताओं द्वारा अपनाये तेल मिश्र के स्टैन्डर्ड सूत्र के आधारों पर, सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है।

Foreign Aid

†*1555. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance received by India from foreign countries during the last three years so far;

(b) the amount, out of that, repaid in foreign exchange and Indian currency, separately and the amount of loan still outstanding against India;

(c) the amount of money likely to be received by India from foreign countries in the form of loan during the year 1969-70 and during the forthcoming years; and

(d) the terms for its repayment ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The total amount of foreign aid received (in terms of utilisation of project and non-project assistance) by India from foreign countries/institutions amounted to Rs. 788 crores during 1967-68, Rs. 687 crores during 1968-69 and is estimated to be Rs. 698 crores during 1969-70.

(b) A Statement showing the principal repayments on account of foreign loans and India's outstanding foreign debt is laid on the Table of the House. [Placed in the library. See No. L.T. 3457/70].

(c) The amount of foreign aid received by India during 1969-70 is estimated at Rs. 698 crores. The Fourth Five Year Plan assumes a gross inflow of foreign aid, excluding food aid, of Rs. 3,750 crores. Aid is considered and committed by most donors on an annual basis. At this stage, it is not possible to indicate the likely aid to be received during the forthcoming years.

(d) The repayment of each loan is made according to terms and conditions incorporated in each loan agreement. The conditions vary from country to country and in some cases loan to loan from the same country. A Statement showing certain standard terms applicable to current loans from various countries is also laid on the Table of the House. [Placed in the library. See No. L.T. 3457/70].

पश्चिम बंगाल के आयकर अधिकारियों को मिली शिकायतें

*1556. **श्री प० मु० सईद :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनियों के निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर अपवंचन की गंभीर शिकायतों के बारे में पश्चिम बंगाल-II के आयकर आयुक्त को उन मामलों की सूचना मिली है जो उसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों और निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जांच आरम्भ कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का कर अपवंचन किये जाने की सूचना मिली है ?

† Original in Hindi.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आय-कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-II को ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिनमें दो कंपनियों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा कर-अपवंचन किये जाने के आरोप हैं।

(ख) जांच की सफलता के हित में, अभी उन व्यक्तियों के नाम प्रकट करना वांछनीय नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) जांच की समाप्ति और कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप देने के बाद ही कर अपवंचन की मात्रा का पता चल सकेगा।

सर हीरजी कोवासजी जहांगीर, बम्बई के निवास-स्थान और कार्यालय पर छापा

***1557. श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **वित्त** मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बम्बई में सर हीरजी कोवासजी जहांगीर के निवास-स्थान तथा कार्यालय पर कुछ समय पूर्व छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो छापे मारे जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या छापे के दौरान उनको दोषी सिद्ध करने वाली कोई वस्तु बरामद हुई थी;

(घ) क्या सरकार ने बम्बई से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र "पैक्ट" (अप्रैल 11, 1970) में छपे एक नोट की फोटो स्ट्ट प्रति देखी हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि वह सर हीरजी से संबंधित है और जिसमें यह बताया गया है कि उन्होंने 1,70,000 डालर विदेशी खातों में भेज दिये हैं; और

(ङ) क्या सर हीरजी के विरुद्ध इस समय कोई मुकदमा चल रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कुछ दस्तावेज उन स्थानों पर छिपाये हुए होने की सूचना मिलने पर, अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में तलाशी ली गयी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) सर हीरजी कोवासजी जहांगीर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23-डी के अन्तर्गत न्यायनिर्णय की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

बरौनी तेलशोधक कारखाने के वर्तमान संयंत्र में सुधार का प्रस्ताव

***1558. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरौनी तेलशोधक कारखाने के वर्तमान संयंत्र में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजनायें क्या है; और

(ग) प्रस्तावित सुधार से उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) से (ग) हाई सल्फर के कच्चे तेल को इस्तेमाल करने के लिये शोधनशाला के एक आसवन यूनिट में सुधार करने का प्रस्ताव है। अवशिष्ट ईंधन तेल को मध्यक आसुतों में बदलने के लिये द्वितीयक प्रोसैसिंग

सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इन परिवर्धनों/सुधारों से, शोधनशाला प्रति वर्ष 3·4 मिलियन मीटरी टन के परिचालन के योग्य हो जायेगी। एक संभाव्य रिपोर्ट अब बनाई जा रही है।

Realisation of Income-tax from All India Trade Union Congress

***1559. Shri Hukum Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have examined the sources of income of the All India Trade Union Congress and its affiliated Trade Unions;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government are in possession of sufficient proofs to show that the amount of money collected by the aforesaid organisation is so huge that it can be made liable to income-tax; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

होली फेमिली अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

***1560. श्री बलराज मधोक :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारियों के प्रति नई दिल्ली स्थित होली फेमिली अस्पताल के प्रबन्धकों के दुर्व्यवहार के विरोध में वहां के 100 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उनमें से एक कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां के विदेशी डाक्टरों के आचार के बारे में शिकायतें हैं कि वे गरीब भारतीय रोगियों के प्रति घृणास्पद वर्ताव करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस अस्पताल की स्थिति में सुधार करने और उसके निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग निगम को दिया गया ऋण

9091. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा ने महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम को भेड़ों की खालों के निर्यात के लिये कितनी राशि ऋण में दी थी और यह किस तिथि को तथा किन शर्तों पर दी गई थी; और

(ख) मूल ऋण में से कितनी राशि वापिस भुगतान कर दिया गया है और शेष का कब और कैसे भुगतान किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) बैंकों की सामान्य प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति के लेखों के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती।

सरकारी उपक्रमों में निर्माण अनुभागों द्वारा फलाई ऐश का प्रयोग

9092. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक उद्योगों के ब्यूरों ने सरकारी क्षेत्र में परियोजना के निर्माण अनुभागों से कहा है कि वे सीमेंट की अपेक्षा अधिकाधिक फ्लाई ऐश का प्रयोग करें क्योंकि हमारे 30 के लगभग तापीय स्टेशन इसका उपोत्पाद के रूप में उत्पादन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष इन तापीय स्टेशनों में कितनी मात्रा तथा मूल्य का उत्पादन होता है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान ने इसकी निर्माण सामग्री के रूप में उपयुक्तता के बहुत अधिक परीक्षण किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने भवनों के निर्माण में फलाई ऐश के प्रयोग के लिये कार्यवाही करने जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए इमारतों के निर्माण-कार्य में सादे सीमेंट कंकरीट और सीमेंट के गारे में 'फ्लाई ऐश' के प्रयोग के फायदों के बारे में बताया है। 'फ्लाई ऐश' तापीय बिजली घरों का उपोत्पाद होता है।

(ख) साधारण अनुमान के अनुसार देश में "फ्लाई ऐश" का उत्पादन 30 लाख मैट्रिक टन से अधिक होता है। दिल्ली में 'फ्लाई ऐश' की कीमत 2 रुपये से लेकर 5 रुपये प्रति मैट्रिक टन तक होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकारी उद्यमों के अलावा कार्यालय ने अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों से जैसे सैन्य इंजीनियरी सेवा, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग, रेल आदि से 'फ्लाई ऐश' के प्रयोग की सिफारिश की है।

सरकारी आवास के आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची

9093. श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री अब्दुल गनी डार :
श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1970 को सरकारी आवास के आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक श्रेणी के कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी थे;

(ख) सरकार के पास शीघ्र आवंटन के लिये कितने क्वार्टर हैं;

(ग) आगामी दो वर्षों में सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिये कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे; और

(घ) इन क्वार्टरों पर कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) वर्ष विशेष के दौरान उस अवधि में संभावित रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वास के आवंटन के लिये सीमित आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न टाइपों के लिये 1969 में जिस प्राथमिकता तारीख तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे तथा प्रत्येक टाइप के लिये उस आधार पर आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या, जैसे वह 1 अप्रैल, 1970 को थी, निम्न प्रकार है :—

टाइप	प्राथमिकता की तारीख़ जिस तक आवेदन मांगे गये थे	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या	इनमें से प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या जो निचले टाइप के वास के दख़ल में हैं
I . . .	31-12-1958	2,149	—
II . . .	31-12-1955	4,238	78
III . . .	31-12-1948	3,332	2,628
IV	31-12-1948	2,786	1,231
V	31-12-1964	1,197	603
VI	31-12-1962	765	714
VII	31-7-1969	294	241
VIII	31-7-1969	78	65

(ख) आवंटन के लिये कोई नए एकक तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं किन्तु प्रत्येक टाइप में होने वाली नित्य-प्रति सामान्य रिक्तियों का आवंटन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

टाइप	1970-71 और 1971-72 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में बनने वाले संभावित एककों की संख्या	अनुमानित लागत
I . . .	200	403.48 लाख
II . . .	452	
III . . .	772	
IV . . .	468	

Setting-up of Petro-Chemical Training Institute in Madhya Pradesh

9094. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Petro-chemical Training Institute in Madhya Pradesh; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) Government have no proposal to set up a Petro-chemical Training Institute in Madhya Pradesh or in any other State. In fact, for meeting the current requirements of technicians for Petro-chemical industries in the country, it is expected that the existing arrangements in the Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun which has organised courses in theoretical and practical training and orientation of graduate engineers, will be adequate. Apart from this, the technical collaboration agreements of units in the Petro-chemical industry both in the public and the private sectors provide for the required training of engineers and technicians.

अश्लील फिल्मों का चोरी छिपे लाना

†**9095. श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क विभाग ने वर्ष 1967 से अब तक कितनी अश्लील फिल्मों को पकड़ा जिनमें नग्नता और यौन सम्बन्धी दृश्य दिखाये गये हों, वे किन-किन देशों से लायी गई थीं; इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक व्यक्ति को क्या दंड दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि "कामसूत्र" नामक एक अश्लील चित्र की, जिसे पश्चिमी जर्मनी के एक फिल्म निर्माता ने भारत में तैयार किया था और जिसमें भारत के पुरुषों तथा स्त्रियों को यौन सम्बन्धी क्रियायें करते हुये दिखाया गया था, सीमा-शुल्क विभाग ने भारत से बाहर ले जाने की अनुमति दी थी यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) अश्लील फिल्मों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी फिल्मों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी कानून की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जनवरी 1967 से लेकर अप्रैल 1970 तक सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने अश्लील फिल्मों की 308 रीलें पकड़ी हैं। ये फिल्में अदन, डेन्मार्क, इंगलैण्ड, ग्रीस, हांगकांग, इटली, जापान, मलाया, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैण्ड और अमरीका से आने वाले यात्रियों द्वारा लाई गई थीं। इस सम्बन्ध में निम्न व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया।

(1) भालामल हरीश चन्द्र

(2) सुरेश चन्द्र अग्रवाल

इनमें से 81 रीलों को जब्त कर लिया गया है और शेष रीलों के बारे में अभी न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत जुर्माने भी किये जा चुके हैं।

(ख) "कामसूत्र" फिल्म से सम्बद्ध जानकारी 27 नवम्बर, 1969 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1671 के उत्तर में दी जा चुकी है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

क्या भारत में निर्मित इस फिल्म के कुछ भागों को विदेश ले जाने के लिए सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अनुमति दी गई, और यदि दी गई तो किन परिस्थितियों में, इन बातों के विषय में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) अश्लील फिल्मों को प्रायः यात्रियों के सामान के साथ चोरी छिपे लाया जाता है। कुछ प्रशिक्षित सीमा-शुल्क अधिकारियों को हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर यात्रियों के सामान के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है। व्यवस्थाबद्ध जानकारी द्वारा वह यह पता लगा लेते हैं कि किस सामान

के सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता है। जहां कहीं सन्देह हो या जिस सामान के बारे में कोई जानकारी हो आवश्यकता पड़ने पर, सामान की और उसके यात्री की तलाशी भी ली जाती है।

अश्लील फिल्मों का भारत में आयात सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मना है और मनाही के बावजूद भी जिन फिल्मों का आयात किया जाता है सरकार उन्हें जब्त कर सकती है। सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सम्बद्ध व्यक्तियों पर जुर्माना भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में जहां उपयुक्त साक्ष्य उपलब्ध हो वहां अदालत में मुकदमा भी चलाया जाता है परन्तु यह मुख्यतः अपराध के महत्त्व पर निर्भर करता है।

विदेशी मुद्रा का पता लगाने के लिए छापे

9096. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1969 से अब तक विदेशी मुद्रा का पता लगाने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली में जिन व्यक्तियों के यहां छापे मारे उनके नाम, व्यवसाय तथा पते क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के पास से कितनी राशि में और किस प्रकार की विदेशी मुद्रा पायी गई; और

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) इन मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी और मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

विवरण

1-8-1969 से 1-5-1970 तक की अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये उन मामलों का विवरण-पत्र जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली में तलाशियां ली गईं और जिनमें रिहायशी मकानों की तलाशियां भी ली गईं।

क्र० सं०	व्यक्तियों के नाम और पते	व्यवसाय	पकड़ी गई विदेशी मुद्रा (इसमें इन तलाशियों में पकड़ी गई भारतीय मुद्रा शामिल नहीं है)
1.	श्री मोहम्मद अदरीस, लाल कुआं, हौज़-काज़ी, दिल्ली।	अर्जीनवीस	2,135 पाकिस्तानी रुपये।
2.	श्री गुलज़ारी लाल, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।	मेवों (ड्राई फ्रूट) का कारोबार	(क) विदेशी मुद्रा *64 अमरीकी डालर 9 पौण्ड स्टर्लिंग 300 पाकिस्तानी रुपये (ख) पर्यटक चेकों के रूप में 330 पौण्ड स्टर्लिंग 210 अमरीकी डालर

*इसमें रिहायशी मकान की तलाशी में बरामद हुए तीन अमरीकी डालर शामिल हैं।

दिल्ली के बूचड़खाने में गाभिन पशुओं का मारा जाना

9097. श्री बाबूराव पटेल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मंत्री दिल्ली में गाभिन भेड़ों के मारे जाने के बारे में 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग ने इस बीच इस मामले की जांच पूरी कर ली है, यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और दो मांस निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि बूचड़खानों में मारे जाने के लिये गाभिन पशुओं के लाने वालों के विरुद्ध विशिष्ट कार्यवाही की जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपती चन्द्रशेखर) : (क) सतर्कता विभाग ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है और उसके परिणामस्वरूप दो मांस निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : बूचड़खानों के लिए उप-नियम जो कि भूतपूर्व दिल्ली नगर पालिका द्वारा बनाये गये थे, अभी भी लागू हैं। इन उप-नियमों के अधीन गाभिन पशुओं के मारने की मनाही है किन्तु जो व्यक्ति गाभिन पशुओं को वध के लिए लाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। दिल्ली नगर निगम विभिन्न नगर निगमों द्वारा बनाये गये पशुओं के वध करने, मांस की विक्री तथा मांस की दूकानें चलाने सम्बन्धी उप-नियमों को एकत्र कर रहा है। इन उप-नियमों का अध्ययन करने के उपरांत, दिल्ली नगर निगम द्वारा नये उप-नियम बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण

9098. श्री आ० दीपा : क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5221 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण और विधि, नई दिल्ली, के कार्यालय में अनुसूचत जाति के कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियां गृह कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/13/63 एस० टी० सी० (1) दिनांक 21 दिसम्बर, 1963 के अनुबन्ध 1 में दिये गये सूत्र के अनुसार हैं जिसमें पद 1, 9, 17, 25, 33 आदि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये जाने हैं।

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति के सलेक्शन ग्रेड के क्लर्कों की वरीयता ऊपरि भाग (क) में वर्णित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार न रखने के क्या कारण हैं; और क्या उनकी वरीयता को बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या अलग अलग बताते हुए वर्ष 1967 से लेकर मार्च, 1970 तक सलेक्शन ग्रेड क्लर्कों के पदों में की गई पदोन्नतियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के बारे में अलग आदेश जारी किये गये हैं जैसा कि गृह कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/12/67-इस्टैब्लिशमैंट (सी०) दिनांक 11 जुलाई, 1968 में उल्लिखित है; और

(ङ) यदि हां, तो जारी किये गये आदेश की संख्या तथा तारीख क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) चुनाव ग्रेड में होने वाली पदोन्नति वाणिज्य, निर्माण तथा विविध कार्य के महालेखाकार द्वारा बनाई गई पदोन्नति की संयुक्त सूची से की जाती है, जिसमें वाणिज्य, निर्माण तथा विविध कार्य के महालेखाकार के प्रधान कार्यालय में तत्काल कार्य कर रहे वरिष्ठ श्रेणी लिपिक तथा 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व भरती किये गये तथा फिलहाल मुख्य अदायगी तथा लेखा कार्यालय संगठन में कार्य कर रहे वरिष्ठ लिपिक शामिल हैं। इन दोनों कार्यालयों के संयुक्त संवर्ग में पदोन्नतियों का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या
1967–68	78	9
1968–69 .	2	—
1969–70	62	8

(घ) तथा (ङ) : जी, हां।

भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दिनांक 3 अक्तूबर 1969 के पत्र सं० 1989-एन० जी० इं० 11/89–68, में निहित आदेशों से शासित हैं।

खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण में प्रयोग आने वाले हानिकारक रंगों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

9099. श्री लोबो प्रभु : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण में प्रयोग में लाये जाने वाले हानिकारक रंगों का प्रचार किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) उद्योगों में प्रयोग के लिये उनके वितरण पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जहरीली वस्तुओं की बिक्री पर लागू नियमों को उनकी बिक्री पर लागू न करने के क्या कारण है, ताकि खरीदारों का ब्योरा रखा जाय जिसका अधिकारी समय समय पर निरीक्षण कर सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी नहीं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कुछ खाद्य वस्तुओं में केवल आठ कोलतार रंगों के उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। बाजार में हजारों कोलतार रंग उपलब्ध हैं जिनका उपभोग वस्त्रोद्योग, रंगलेपों, वार्निस आदि में किया जाता है और मानव उपभोग के लिए नुकसानदायक इन सभी कोलतार रंगों के नामों का प्रचार करना संभव नहीं है।

इस आशय का एक प्रस्ताव है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, के 1954 के अधीन जिन अहानिकर कोलतार रंगों की अनुमति मिली हुई है उन्हें भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकृत चिह्न के अन्तर्गत बेचा जाय और इसको अन्तिम रूप दिये जाने के बाद इस सम्बन्ध में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में आवश्यक उपबन्ध सम्मिलित कर दिए जायेंगे।

(ग) विष-अधिनियम के अधीन बनाये गये राज्यों के विषय-नियमों के द्वारा केवल उन जहरीले रसायनों पर नियंत्रण किया जाता है जिनसे मृत्यु, आकस्मिक विषाक्तीकरण हो सकता हो अथवा जिसका उपयोग आत्महत्या, अपराधिक मामलों या जानवरों के विषाक्तीकरण में हो सकता हो। खाद्य वस्तुओं की रंगाई के काम में लाये जाने वाले हानिकर रंग इतने जहरीले नहीं होते कि उनका उपयोग करते ही

तत्क्षण तीव्र विषात्कीकरण हो जाय। अतः राज्यों के विष नियमों के अन्तर्गत इन पर नियंत्रण नहीं किया जाता है।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली द्वारा अपने सदस्यों को प्लाटों का आवंटन

9100. श्री देविन्द्र सिंह गार्चा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) समिति के गठन से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष उसने कितने सदस्य रजिस्टर किये और उनमें से कितनों को प्लाट आवंटित किये गये हैं और कितनों को अभी तक प्लाट आवंटित नहीं किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कनिष्ठ सदस्यों को स्थान देने के लिये नक्शों में परिवर्तन किया गया था और इसी कारण प्लाटों के आकार को भी छोटा कर दिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो प्लाटों के आकार को कम से कम करके सभी सदस्यों को स्थान न देने के क्या कारण हैं; और यदि हां, तो प्रशासन ने वरिष्ठ सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) शेष सदस्यों को कब तक प्लाट आवंटित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) नियमित सूची में 661 और प्रतीक्षा सूची में 80।

(ख) सूचना निम्नांकित है :—

वर्ष	पंजीकृत सदस्यों की संख्या	आवंटित प्लाट	प्लाट जिन्हें अभी आवंटित नहीं किया गया
1957 . .	171	171	—
1958 . .	136	136	—
1959 . .	129	121	8
1960 . .	67	56	11
1961 . .	110	84	26
1962 . .	32	19	13
1963 . .	5	3	2
1964 . .	11	8	3
	661	598	63
प्रतीक्षा सूची में सदस्य .	80	—	80

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में प्लाटों का आवंटन सदस्यता के क्रमानुसार प्राथमिकता आधार पर लाटरी निकाल कर किया गया है।

(ङ) ज्यों ही सोसाइटी को अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाय और उसका विकास पूरा हो जाय।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण पश्चिम जोन के मुख्यालय को नागपुर से बम्बई स्थानान्तरित करना

9101. श्री रा० बरुआ : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण पश्चिम जोन के मुख्यालय को जून, 1968 में नागपुर से बम्बई स्थानान्तरित करने से पहले वित्त मंत्रालय (व्यय प्रभाग) की पूर्व-अनुमति नहीं ली गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्यालय का नागपुर से बम्बई में स्थानान्तरण किया जाना मुख्य इंजीनियर के व्यक्तिगत हित में था और नागपुर से बम्बई स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को कोई विशेष नगर प्रतिकर भत्ता, (मुख्यालय स्थानान्तरण भत्ता), जो कि नियमों के अन्तर्गत मिलना चाहिए, नहीं दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मुख्य इंजीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और दक्षिण पश्चिम जोन के प्रभावित कर्मचारियों को विशेष नगर प्रतिकर भत्ता देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य नहीं है कि मुख्यालय का नागपुर से बम्बई स्थानान्तरण मुख्य इंजीनियर के वैयक्तिक हित में था। तथापि, यह ठीक है कि स्थानान्तरण से प्रभावित स्टाफ़ को कोई विशेष नगर प्रतिकर भत्ता नहीं दिया गया, क्योंकि वे नियमों के अन्तर्गत इसके पात्र नहीं थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैलाडिला लौह अयस्क खान में फ्लोट-ओर-माईनिंग के लिए ठेका देने में तथाकथित गड़बड़

9102. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री बैलाडिला लौह अयस्क खान में फ्लोट-ओर-माईनिंग के लिए ठेका देने में तथाकथित गड़बड़ से सम्बन्धित 30 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे से क्षेत्र में ठेकेदार के काम को देखने से पूर्व दण्ड माफ कर दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) 16 दिसम्बर, 1969 तक ठेकेदार से कुल कितना दण्ड वसूल किया जाना चाहिए था;

(ग) क्या ठेकेदार ने ठेके रद्द किये जाने से पूर्व निगम को उचित सूचना दी थी;

(घ) क्या ठेकेदार ने मामले में बरती गई कुछ अनियमितताओं के बारे में निगम को नोटिस नहीं दिया था तथा वह मामले को अदालत में ले जायेगा; और

(ङ) अपनी इच्छा से चुने गये नये ठेकेदार को अधिक दरों पर ठेके देने का क्या औचित्य है तथा इस बारे में लम्बी मुकदमेबाजी की क्या सम्भावनाएं हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कार्य करते रहने के लिये या कुछ क्षेत्रों को खाली करने के लिये भी ठेकेदार केवल इस बात से सहमत था यदि, (1) इस आधार पर दण्ड पर आग्रह न किया जाये कि उत्पादन बढ़ाने के लिये वह अन्यथा संसाधनों को बढ़ाने के योग्य नहीं होगा, और (2) मध्य खण्ड उसके पास ही रहने दिया जाये। छोटे क्षेत्र में उसकी कार्यनिष्पन्नता के अवलोकन के लिये, अतः कोई संभावना न थी।

(ख) नवम्बर 1969 तक प्रोद्भूत दण्ड की राशि 89,855·70 रुपये थी।

(ग) ठेकेदार ने कोई समुचित सूचना न दी परंतु एकतरफा रूप से कार्य बंद कर दिया। उसे समुचित सूचना देकर निगम द्वारा संविदा को समाप्त कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सितम्बर 1969 में जिन दलों ने यथोचित दरें बताई थीं उनके साथ बातचीत के आधार पर नई संविदा दी गई थी, क्योंकि उत्पादन की नाजुक स्थिति तथा इसमें लगने वाले समय की दृष्टि से नई निविदाएं मंगवाने की लम्बे समय की खपत वाली प्रक्रिया के अनुसार चलना उचित न होता।

फालतू पुर्जों की सप्लाई में विलम्ब के कारण बैलाडिला और कीरीबुरू खानों को हुई हानि

9103. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथाधातु** मंत्री 30 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरिबुरु और बैलाडिला परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित न्यूनतम ड्रिल तथा डम्पर अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1969 में काम कर रहे थे;

(ख) यदि नहीं, तो उनके कम संख्या में उपलब्ध होने के क्या कारण हैं तथा कितने ड्रिल और डम्पर वर्कशापों में पड़े हैं तथा कितने समय से; और

(ग) दोनों खानों में खराब उपकरणों तथा संचालकों की धीरे काम करो नीति के कारण उत्पादन में कितनी-कितनी कमी हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) स्थिति इस प्रकार है :—

	परियोजना प्रतिवेदन में अनुमानित ड्रिलों की संख्या	परियोजना में वास्तव में उपलब्ध ड्रिल		
		अक्तूबर, 1969	नवम्बर, 1969	दिसम्बर, 1969
कीरीबुरू परियोजना	3	81·3 प्रतिशत तक कार्य संचालन के लिए 'तीन' उपलब्ध। एक की महीने भर तक मरम्मत होती रही।	78 प्रतिशत तक कार्य संचालन के लिए 'तीन' उपलब्ध। एक की महीने भर तक मरम्मत होती रही।	न्यूनतम आवश्यकताओं के 98 प्रतिशत तक के लिए चार उपलब्ध।
बैलाडिला परियोजना (निक्षेप संख्या-14)	4	न्यूनतम आवश्यकता का 30 प्रतिशत।	न्यूनतम आवश्यकता का 50 प्रतिशत।	न्यूनतम आवश्यकता का 48 प्रतिशत।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में वास्तविक रूप में अपेक्षाकृत कम ड्रिल उपलब्ध होने के कारण हैं: (एक) फालतू पुर्जों के आयात के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने में लगा समय और (दो) उपकरण की अवस्था जिसे क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार नये उपकरण से अब परिवर्तित कर दिया है/किया जा रहा है।

कर्मशालाओं में पड़े ड्रिलों और डम्परों की संख्या इस प्रकार है:—

	अक्तूबर, 1969	नवम्बर, 1969	दिसम्बर, 1969
कीरीबुरू परियोजना			
ड्रिल	1	1	—
डम्पर	7	7	8
बैलाडिला परियोजना (निक्षेप संख्या-14)			
ड्रिल	2	4	3
डम्पर	2	4	4

(ग) **कीरीबुरू परियोजना** : यद्यपि खान में ड्रिलों के अपेक्षाकृत कम उपलब्ध होने के कारण समय-समय पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ता रहा है, फिर भी उत्पादन पोतों के पत्तन पर पहुंचने, पत्तन पर जमा भण्डार, और लौह अयस्क के पत्तन तक भेजने पर निर्भर करता है। वर्ष 1969–70 में कीरीबूरू में 15.71 लाख मीटरिक टन का उत्पादन हुआ और 31-3-70 तक खान में 2.75 लाख मीटरिक टन का भण्डार था, अर्थात् वर्ष में 16.05 लाख मीटरिक टन के निर्यात वायदे की तुलना में कुल 18.45 लाख मीटरिक टन उत्पादन हुआ। इसलिये यदि अपेक्षाकृत अधिक लौह-अयस्क का उत्पादन होता तो भी पोत के ना मिलने के कारण इसे जापान के लिए जहाज में लदान करना कठिन हो जाता।

बैलाडिला परियोजना (निक्षेप संख्या-14) : वर्ष भर में 26.21 लाख मीटरिक टन वास्तविक उत्पादन हुआ, और 2.34 लाख मीटरिक टन का भण्डार खान तथा पत्तन पर है, अर्थात् 34.54 लाख मीटरिक टन के संवेदित निर्यात वायदे की तुलना में कुल 28.55 लाख मीटरिक टन का उत्पादन हुआ। जबकि ड्रिलों के न मिलने, और धीरे काम करने की नीति के कारण उत्पादन में हुई हानि का निश्चित रूप से अनुमान लगाना तो कठिन है, फिर भी कार्य संचालन के समेकित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस कमी को इन दो घटकों में मोटे तौर पर 1:1 के अनुपात में बांटा जा सकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संधों से प्राप्त पत्र

9104. श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970 तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संघों से निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग को कितने पत्र प्राप्त हुए और प्रत्येक पत्र का विषय क्या था;

(ख) उनमें से कितने पत्रों के अन्तिम उत्तर भेज दिये गये हैं और उत्तर देने में लगभग कितना समय लगा;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी प्राप्ति की सूचना तक न देने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के संघों की मांग

9105. श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक नर्माण विभाग के इंजीनियरों के सब संघों को यह शिकायत है कि न तो उनकी उचित मांगों पर विचार किया जाता है और न ही उनकी मांगों का निबटारा करने के लिये समय-समय पर उनसे बातचीत की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की संस्थाओं की किसी भी ऐसी शिकायत का हमें पता नहीं है। संस्थाओं द्वारा की गई मांगों की हमेशा भली प्रकार जांच की जाती है तथा जब कभी आवश्यक होता है संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सभी स्तरों पर मिला जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल इंजीनियरों की संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती बन्द करना

9106. श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में सिविल इंजीनियर सेवा श्रेणी II के बन्द करने के बारे में मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग में कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भर्ती के 1954 के नियमों में उचित संशोधन के अनुमोदन को तैयार न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह आश्वासन देंगे कि 1970 की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सी० ई० एस० श्रेणी II के लिये कोई मांग नहीं भेजी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी II में सीधी भर्ती रोकने के बारे में प्रस्ताव अभी संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामले की इस अवस्था में, प्रस्तावित आश्वासन देना संभव नहीं होगा।

गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली

9107. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि के बदले में भूमि के आधार पर गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति को 293 बीघे तथा बिस्वे भूमि अलाट की गई थी और इस समिति के सभी रजिस्टर्ड सदस्यों को प्लाट देने के लिये प्रशासन ने इस समिति को 93 बीघे अतिरिक्त भूमि अलाट की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समिति के सभी वरिष्ठ तथा कुछ कनिष्ठ सदस्यों को प्लाट अलाट नहीं किये गये हैं;

(ग) समिति ने सदस्य किस आधार पर बनाये थे और प्रशासन ने इस समिति को भूमि किस आधार पर अलाट की;

(घ) क्या प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों को प्लाट अलाट कर दिये गये हैं; और यदि नहीं, तो इनमें से कितनों को प्लाट अलाट नहीं किये गये हैं; और

(ङ) वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। सोसाइटी की भूमि के अर्जन से पूर्व उसके बराबर, 347 बीघे और 4 बिस्वे भूमि की पात्रता के विपरीत, अब तक सोसाइटी को 315 बीघे 14 बिस्वे भूमि दी जा चुकी है। सोसाइटी को शेष भूमि, उस पर लगे व्यादेश हट जाने पर दे दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं। सोसाइटी की नियमित सूची के केवल 63 सदस्यों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है। सोसाइटी को शेष भूमि प्राप्त होने पर, और उसका विकास पूरा होने के पश्चात्, उन्हें भूमि आवंटित कर दी जायेगी।

(ग) सोसाइटी ने अपने अनुमोदित उप-नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सदस्य बनाये थे। सोसाइटी को उतनी भूमि आवंटित कर दी गई है, जितनी कि सरकार द्वारा अर्जन किए जाने से पूर्व उसके पास वास्तव में अपनी भूमि थी।

(घ) प्रबन्ध-समिति के केवल एक सदस्य को प्लाट अभी तक आवंटित नहीं किया गया है।

(ङ) कृपया उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर देखें।

खाद्य अपमिश्रण को रोकना और अधिक प्रोटीन वाले खाद्यपदार्थों की बिक्री

9108. श्री चेंगलराया नायडू : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि प्रोटीन खाद्य पदार्थ एसोसिएशन आई० एस० आई० सर्टिफिकेशन मार्क के अन्तर्गत अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को बेचने के लिए सहमत हो गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपती चन्द्रशखर) : (क) राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये एक केन्द्रीय खाद्य अपमिश्रण निवारण एकक स्थापित किया जा रहा है। इस एकक का संबंध मुख्यत: **खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955** के नियम 9 में अन्तर्राज्य अपराधों संबंधी विहित कार्यों से होगा तथा यह राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन करने में सहायक होगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही कठोर कर दिया गया है तथा राज्यों को अधिनियम के उपबन्धों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है।

(ख) प्रोटीन खाद्य पदार्थ एसोसिएशन अपना उत्पादन शुरु होने पर अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को आई० एस० आई० सर्टिफिकेशन मार्क के अन्तर्गत बेचने के लिये सिद्धान्तत: सहमत हो गया है।

दवाइयों की कीमतों के बारे में दवाई निर्माताओं के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा

9109. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 18 फरवरी, 1970 को दवाइयों की कीमतों के प्रश्न के बारे में दवाई निर्माताओं के साथ नई दिल्ली में क्या बातचीत की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : 18-2-70 को औषध उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक औषधियों के मूल्यों में कमी करने के प्रश्न पर दोनों संगठित तथा लघु पैमाने के उद्योगों के दृष्टिकोण का पता लगाने तथा उन्हें समझने के लिये बुलाई गई थी। बातचीत से सरकार को औषध मूल्यों पर निर्णय, जिनकी हाल में घोषणा की गई थी, लेने में सहायता मिली है।

रासायनिक मशीनरी का आयात

9110. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पेट्रोलियन तथा रसायण और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम शोधन तथा पेट्रो-रसायन उद्योग के बारे में हाल में नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग के विकास के बारे में उक्त गोष्ठी में क्या-क्या बातें कही गईं और क्या-क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) क्या उक्त गोष्ठी में रासायनिक मशीनरी के आयात को उदार बनाने के बारे में कोई जोरदार तर्क दिया गया था और यदि हां, तो इन बातों तथा सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) जी हां। 9 और 10 मार्च, 1970 को केमिकल प्लांट एण्ड मशीनरी एस्सोसियेशन आफ इंडिया ने गोष्ठी बुलाई थी।

(ख) गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(1) सरकार को, माल तैयार करने वाले उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं पुर्जों के आयात में छूट देनी चाहिए ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वन और उपकरण के आयात, जो अपने देश में उपलब्ध क्षमता से तैयार किये जा सकते हैं, में होने वाली देरी को कम किया जाए।

(2) आयात लाइसैन्सों की मंजूरी की पद्धतियों में तेजी लानी चाहिए ताकि परियोजनाओं को लाइसैन्स मिलने में दो महीने से अधिक समय न लगे।

(3) डिज़ाइन इन्जीनियरिंग फर्मों को उसी प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए जैसे निर्माताओं को दिया गया है ताकि वे पैट्रोलियम शोधन और पैट्रो-रसायन उद्योग से सम्बन्धित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी ठहराये जा सकें।

(4) देशीय गवेषणा तथा रूपांकन कार्य उन क्षेत्रों तक सीमित होने चाहिएं जहां पर परिणाम तीव्रता एवं लाभप्रदता से प्राप्त हो सके और जहां पर बाहर से प्राप्त तकनीकी सुधारी जा सके। जटिल एवं प्रतियोगात्मक नवीन क्षेत्रों में प्रोसैस (प्रक्रिया) तकनीकी के लिए लाइसैन्स देने में सरकार को विचारशील होना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर इस का भुगतान करना चाहिए।

(5) एक ओर विभिन्न गवेषणा निकायों तथा दूसरी ओर पैट्रोलियम शोधन एवं पेट्रो-रसायन उत्पादों के डिज़ाइन इन्जीनियरिंग फर्मों/निर्माताओं/उत्पादकों के बीच सहयोग की तुरन्त आवश्यकता है ।

(6) उपकरण और संघटक पुर्जों के मानकीकरण की पद्धति मालूम करने के लिए भारतीय मानक संस्था और डिज़ाइन इन्जीनियरिंग फर्मों/निर्माताओं के बीच सहयोग होना चाहिए ताकि ये भारतीय संसाधनों से सुगमता से प्राप्त हो सकें ।

(ग) गोष्ठी में केवल कच्चे माल और पुर्जों के आयात को उदार बनाने के बारे में तर्क हुआ था, रसायन मशीनरी के बारे में नहीं ।

आस्तियां बेचने के लिए विदेशी समवादों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना

9111. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विदेशी समवायों को जो अपनी आस्तियों को भारत में बेचना चाहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बिक्री से प्राप्त धन को अपने देश ले जाने के बारे में कोई सीमा निर्धारित की गई है ;

(घ) क्या इस निर्णय का विदेशों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने देशों द्वारा विरोध किया गया है और उन की आपत्ति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिजर्व बैंक ने 20 फरवरी, 1970 को एक प्रैस नोट जारी किया है जिसमें विदेशी समवायों को यह सलाह दी गई है कि यदि वे अपनी आस्तियां भारत में बेचना चाहें तो उन्हें इस कार्य के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी यदि वे इस बिक्री से अधिक धन (10 लाख रुपयों से अधिक) अपने देश वापस ले जाना चाहें प्रैस नोट की एक प्रति संलग्न है **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या 3458/70]**

(ख) यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी आस्तियों का न्यायसंगत मूल्य अदा किया जाये, तथा आस्तियों को खरीदने वाली पार्टी ऐसी हो जो उनकी उत्पादन क्षमता को बनाये रखे और यदि उनसे कोई निर्यात किया जाता हो तो उसे भी बनाये रखे ।

(ग) कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु यदि बिक्री से प्राप्त धन की विदेश ले जाई जाने वाली राशि अधिक होगी तो उसे उचित किश्तों में ले जाने दिया जायेगा ।

(घ) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि किसी देश ने इसका विरोध किया है ;

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा

9112. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस जर्मन दल ने, जिसने भारत का हाल में दौरा किया है मुख्यतः क्या प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया है कि जर्मन के सहयोग से भारत में स्थापित किये गये कारखानों में निर्मित माल का निर्यात किया जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या आयात करने वाले देश में ख़रीदार उनकी मर्जी के होंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कम बीजक बनाने की सम्भावना को कैसे समाप्त करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : प्रतिनिधिमंडल ने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किये हैं । इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय उद्योग में जर्मन सहयोग की अन्य आशाओं तथा जर्मनी और अन्य देशों को भारत जर्मन सहयोग से निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाना था ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

शाहदरा दिल्ली में अवैध शराब का पकड़ा जाना

9113. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा पुलिस द्वारा छापा मारे जाने पर कस्तूरबा नगर, शाहदरा की दो महिलाओं से हाल में अवैध शराब की लगभग एक हजार बोतलें बरामद हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(ग) अवैध शराब का व्यापार करने की बुराई को दूर करने के बारे में सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : पिछले मार्च और अप्रैल में मारे गये दो छापों में, तीन स्त्रियों के मकानों से अवैध शराब की 864 बोतलें बरामद की गई थीं । उन स्त्रियों के विरुद्ध पंजाब आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज कर लिये गये हैं । आगे जांच चल रही है ।

(ग) शराब के अवैध व्यापार को रोकने के प्रयोजन से, सरकार के प्रवर्त्तन विभागों द्वारा सतत निगरानी रखने के सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में यूरिया कारखाना स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देना

9114. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक यूरिया कारखाना स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को हाल में एक और लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर;

(ग) सबसे बड़े व्यापारिक गृहों में से एक व्यापारिक गृह को विशेष कर इस समय, जब सरकार ने इनके नियन्त्रणाधीन कम्पनियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग स्थापित किया है एक नया लाइसेंस देने के क्या कारण हैं; और

(घ) बिड़ला बन्धुओं को यह लाइसेंस देने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी नीति

9115. श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मणिभाई ज० पटेल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी नीति पर निर्णय, जिसको बार-बार टाला गया था, इस बीच कर लिया गया है;

(ख) क्या राज्यों, विशेषकर तेल वाले राज्यों की राय पर भी विचार किया गया है; और

(ग) मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी नीति के पुनरीक्षण से उपभोक्ता किस प्रकार प्रभावित होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :

(क) जी हां ।

(ख) तेल मूल्यांकन समिति ने असम और गुजरात जैसे सम्बन्धित राज्य सरकारों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा है ।

(ग) इस विषय पर सरकार के संकल्प की एक प्रति आज 11 मई, 1970 को सभा पटल पर रखी जा रही है, जिसमें सरकार के निर्णयों के मुख्य लक्षण दे दिये हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में परिवहन संचालकों के लिए मंजूर की गई धनराशि

9116. श्री ई० के० नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में परिवहन संचालकों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में राज्यवार, परिवहन संचालकों को इस प्रकार के ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रखा गया है :—

विवरणी

(रुपये लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1969 दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक		
	एककों की संख्या	वर्तमान सीमा	शेष
दिल्ली	135	49.50	38.26
आन्ध्र प्रदेश	305	103.02	94.29
असम .	30	16.52	3.34
बिहार .	52	29.68	12.85
गुजरात	337	130.00	97.41
हरियाणा	2	2.61	1.96
जम्मू और कश्मीर .	—	—	—
केरल . .	203	57.25	37.77
मध्य प्रदेश .	52	17.56	11.80
मैसूर .	1034	292.68	243.10
महाराष्ट्र	1015	311.64	252.56
उड़ीसा	15	7.62	3.06
पंजाब .	24	5.28	5.64
राजस्थान	7	2.44	1.99
तमिलनाडु	427	200.49	234.80
उत्तर प्रदेश	78	24.38	18.46
पश्चिम बंगाल	194	81.62	43.88
चंडीगढ़	—	—	—
गोआ .	282	101.30	73.00
हिमाचल प्रदेश .	1	0.32	0.32
मणिपुर .	—	—	—
नागालैण्ड .	—	—	—
पांडिचेरी .	5	0.92	0.92
त्रिपुरा	—	—	—
संघ राज्य क्षेत्र (अलग-अलग रूप से नहीं दिखाया गया) . .	—	—	—
कुल .	4198	1434.83	1175.41

केन्द्रीय आवर्तक निधि से वित्त-पोषित गृह-निर्माण परियोजनाएं

9117. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दण्डपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आवर्तक निधि से वित्त-पोषित होने वाली लगभग 150 गृह-निर्माण परियोजनाओं के बारे में इस बीच प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इन योजनाओं को प्रस्तुत करने वाले राज्य कौन-कौन हैं; और

(घ) इन योजनाओं में कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सरकार द्वारा कुछ जांच की गई है किन्तु सभी परियोजनाओं की विस्तृत जांच आवास तथा नगर-विकास वित्त निगम द्वारा की जानी है।

(ग) निम्न राज्यों और संघ क्षेत्रों से परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं :—

राज्य—1. आंध्र प्रदेश, 2. असम, 3. बिहार, 4. गुजरात, 5. मध्य प्रदेश, 6. महाराष्ट्र, 7. मैसूर, 8. राजस्थान, 9. तमिल नाडु, 10. उत्तर प्रदेश, 11. पश्चिम बंगाल, 12. हरियाणा और 13. पंजाब।

संघ क्षेत्र—1. हिमाचल प्रदेश, 2. पाण्डुचेरी और 3 गोवा दमन और दिउ

(घ) इन परियोजनाओं में लगभग 170 करोड़ रुपये की मूल पूंजी की मांग परिकल्पित है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते को उनके उत्पादन के साथ मिलाना

9118. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सभी स्तरों पर वेतन तथा भत्तों को उत्पादन के साथ मिलाने के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०च० सेठी) : (क) और (ख) : सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए प्रभावकारी प्रोत्साहन योजनाएं

शुरू करने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें और ऐसी योजना तैयार करते समय बुनियादी तौर पर यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि कतिपय निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अन्दर-अन्दर कर्मचारियों की आय को उनकी उत्पादकता और उनके द्वारा सम्पन्न कार्यों से जोड़ दिया जाय ।

सरकारी क्षेत्र में वेतन और भत्ते, काम, अर्हताएं और पद के लिए निर्धारित अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए निश्चित किये जाते हैं । यद्यपि केवल मूल वेतन और भत्तों को ही उत्पादन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन बहुत से उपक्रमों में सम्पन्न कार्य से सम्बद्ध विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने अर्थात् कुल वेतन के एक भाग को उत्पादन/उत्पादकता से जोड़ने की योजनाएं शुरू कर दी गयी हैं और अन्य उपक्रमों में इन पर विचार किया जा रहा है ।

Loans due from TISCO and IISCO

*9119. **Shri P. C. Adichan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loans due to Government including various Government run/controlled credit institutions, from the Tata Iron and Steel Company and Indian Iron and Steel Company;

(b) the total repayments of loans and interest since last three years by each of them; and

(c) the amount paid in 1968 by each company to Government and the Government credit institutions towards principal and interest ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). According to information ascertained from the two All India public sector financial institutions, namely, the Industrial Finance Corporation of India and the Industrial Development Bank of India, no loan assistance has been given by either of them to the Tata Iron and Steel Company Limited. The Industrial Development Bank of India, however, has given loan assistance to the Indian Iron and Steel Company Limited. The required information about this loan as well as the loans given by the Government of India to the Indian Iron and Steel Company Limited and Tata Iron and Steel Company Limited is given in the attached Statement. [Placed in Library *See* LT No. 3459/70].

पश्चिम बंगाल के खनन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन

9120. श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में खनन क्षेत्रों से होने वाले कोयले के कुल उत्पादन में वर्ष 1968–69 में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के राज्य में कोयले खनन क्षेत्रों से होने वाले कोयले के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में कोयले के उत्पादन में कमी हो जाने के क्या कारण हैं और इसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

9121. श्री राम किशन गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में हरियाणा की जनता में भी रोष है कि उस राज्य में कुछ बड़े सरकारी-क्षेत्र के औद्योगिक कारखाने लगाने में केन्द्रीय सरकार असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा के पिंजोर नामक स्थान पर मशीनी औजार बनाने का एक कारखाना पहले ही स्थापित कर, दिया है और आशा है कि पिंजौर में ट्रैक्टर तैयार करने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिये चौथी पंचवर्षीय आयोजना में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी । अतः यह नहीं माना जा सकता कि केन्द्रीय सरकार, हरियाणा में महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रम स्थापित करने में असमर्थ रही है और इस कारण हरियाणा के लोगों में असन्तोष है ।

Labour Management Relations in Public Undertakings

9122. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the details of the recommendations made by the Bureau of Public Enterprises in respect of labour-management and production in the public undertakings;

(b) the recommendations made by the Bureau in respect of the management training;

(c) whether Government have laid down a policy to fix uniform pay scales for the labour and technical hands working in the same type of industries; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to labour management and production management in Public Enterprises.

With regard to labour management, the Administrative Reforms Commission in their Report on "Public Sector Undertakings" had made various recommendations. Government's decisions on most of these recommendations have been finalised, and the decisions are also being implemented. By and large, Public Enterprises are endeavouring to adhere to the obligations referred to by the ARC, *i.e.*, the concept of being a model employer as far as practicable, especially in providing welfare amenities, training facilities, for vertical and horizontal mobility of workers and in establishing sound personnel departments to ensure smooth industrial relations.

In the field of Production Management, the Bureau has been recommending to the enterprises the need for establishing proper production control organisation with an industrial engineering department dealing with methods improvement, standards of performance and quality, material handling and movement, operator motivation, job analysis and specification, product development and diversification, prototype manufacture, etc. The need for adequate plant and equipment maintenance facilities to reduce losses due to "Down Time" of equipment and machinery has been emphasised. Similarly, the

Public Enterprises have been advised to bestow adequate attention to Materials Management. For exchange of ideas and local experiences on these various matters as well as for exposure to the new techniques of production management, organisation of seminars and workshops on the subject has been taken up by the Bureau of Public Enterprises.

(b) Following Government's decisions on the ARC's recommendations, the Bureau has also made suggestions, as mentioned below, in the matter of management training, to the Public Enterprises :—

(i) Identification of training needs in the enterprises—The Bureau has been taking up specific studies on the subject in selected enterprises every year.

(ii) Formulation of a five-year Management Development Programme by the enterprises.

(iii) Suitable programmes in General Management and functional areas organised in the various training institutes in the country are being recommended to the enterprises for their participation. Similarly, the Bureau is also coordinating the utilisation by public sector managers of management training facilities made available through international agencies.

(iv) Special seminars and workshops on important areas of management are being organised at the instance of the Bureau of Public Enterprises.

(v) The Bureau has recommended to the enterprises that a senior officer should be identified in each enterprise who would be responsible for all management training matters.

(vi) The Bureau has also recommended the setting up of a Management Development Advisory Committee in each enterprise.

(c) & (d) It has been decided that while it may not be practicable to work out a uniform pattern of pay scales for all Public Enterprises, yet wherever rationalisation is possible, this should be effected.

अमेरिकी राजदूत का वक्तव्य

9123. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ में अमेरिकी राजदूत श्री कैनेथ बी० कीटिंग द्वारा मध्याह्न भोजन पर दिये गये इस आशय के कथित भाषण की ओर दिलाया गया है कि विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिये ली गई सहायता एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दी गई सहायता मात्र है यह कहना ठीक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस विचार से सहमत है कि आर्थिक विकास की अत्यन्त जटिल प्रक्रिया में, सहायता केवल एक पहलू है और व्यापार का प्रसार और तकनीकी जानकारी का अन्तरण आदि जैसे अन्य पहलू, भारत जैसे विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति की गति पर विशेष प्रभाव डाल सकते हैं ।

भारत का खनन उद्योग

9124. श्री राजदेव सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का खनन उद्योग 50 वर्ष से अधिक पुराना है और अब तक पर्याप्त निपुणता प्राप्त हो चुकी होगी;

(ख) यदि हां, तो अब सहयोग की मांग क्यों की जा रही है; और

(ग) क्या बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को ध्यान में रखते हुए "देश की समस्याओं को देश के लोग हल करें" उक्ति को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां । जहां तक कोयले का संबंध है कोलार के सिवाय धातुमय खनन में वस्तुत समुपयोजन सापेक्षतः हाल ही से प्रारम्भ हुआ है ।

(ख) और (ग) : कोयला खनन के नए तकनीकों के प्रवर्तन के लिये ही विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है और केवल न्यूनतम विदेशी विशेषज्ञों की सेवा का ही उपयोग किया जाता है । उत्तरोत्तर उन्हें भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को विश्व बैंक से ऋण

9125. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० को विश्व बैंक 32 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भारत के किसी अन्य राज्य में किसी दूसरे सहकारी बैंक को भी ऐसी वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जो कि विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है गुजरात की एक कृषि ऋण परियोजना के लिए 1970 मई 5 को 26.25 करोड़ रुपये (3.5 करोड़ डालर) भारत सरकार को ऋण के रूप में देने का फैसला किया। उक्त परियोजना में छोटे सिंचाई कार्यों में विनियोजन के लिए और कृषि में यंत्रीकरण कार्यों, जिसमें 2200 ट्रैक्टरों के आयात भी शामिल है, के लिए कृषकों को मध्यम कालीन ऋण देने की व्यवस्था है । गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० इस परियोजना के अन्तर्गत ऐसी पहली संस्था होगी जो ऋण प्रदान करेगी । इस ऋण के लिए शीघ्र ही परिषद् के साथ समझौते में हस्ताक्षर किया जाएगा ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् का यह प्रस्तावित ऋण भारत सरकार को उनकी सामान्य शर्तों पर दिया जाएगा याने ऋण का भुगतान 50 वर्षों में किया जाएगा और पहले 10 वर्षों में ब्याज नहीं देना होगा, बल्कि परिषद् के प्रशासनिक व्यय को निभाने के लिए प्रतिवर्ष केवल 0.75 प्रतिशत का सेवा-शुल्क ही देना होगा ।

(ग) पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर और महाराष्ट्र में, उक्त ढांचे की जो कृषि ऋण परियोजनाएं हैं उनको विश्व बैंक दल की वित्तीय ऋण प्रदान करने का मामला विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

9126. श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व नीलरत्न मेडिकल कालेज, कलकत्ता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने की मांग पर विचार किया था ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने बतलाया है कि नीलरत्न सरकार मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अतिरिक्त क्वार्टरों सम्बन्धी मांग पर उन्होंने विचार किया है । अस्पताल में कम से कम जितने कर्मचारियों का रहना अपेक्षित है उन्हें बिना किराये के सरकारी क्वार्टर दे दिये गये हैं । 1968 में अनधिकृत हटमेंटों के गिराये जाने से प्रभावित हुए 145 अन्य कर्मचारियों के लिए भी सरकारी क्वार्टरों में आवास की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने यह भी बतलाया है कि अन्य कर्मचारियों को विहित दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाता है। आवश्यक धन तथा समुचित भूमि के अभाव के कारण और अधिक क्वार्टरों का निर्माण तुरन्त कराना सम्भव नहीं है ।

घेराव आदि के शिकार हुए श्रमिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देकर रोज़गार देना

9127. श्री अब्दुल गनी डार: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घेराव अथवा कारखानों या औद्योगिक संस्थानों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कितने औद्योगिक श्रमिकों को छोटे पैमाने के अपने उद्योग आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देकर रोजगार दिया गया ; और

(ख) यदि हां तो ऐसे श्रमिकों के लिए कितना ऋण उपलब्ध किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीयकृत बैंक किसी भी ऐसे ऋण कर्त्ता को ऋण देते हैं जिनके पास कोई सक्षम और लाभकारी योजना हो। पर, चूंकि बैंक ऋण-कर्त्ताओं की संख्या के आंकड़े इस प्रकार नहीं रखते जिनसे यह पता चल सके कि उनमें ऐसे औद्योगिक श्रमिकों की संख्या कितनी है जो घेराव आदि के कारण बेरोजगार हो गये थे, इसलिये जिस प्रकार का ब्यौरा माननीय सदस्य ने मांगा है, वैसा नहीं दिया जा सकता ।

अमरीकी शान्ति दल स्वयं सेवक संगठन

9128. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई अमरीकी शान्ति दल स्वयं सेवक संगठन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अमरीकी शान्ति दल के स्वयं सेवकों को राज्य से वापिस बुलाने की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

Rural Housing Scheme during Fourth Plan

9129. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have incorporated any scheme in the Fourth Five Year Plan for improving the rural housing position as has been done in the case of urban housing and urban development; and

(b) if not, whether Planning Commission would consider the housing problem as a national problem and if so, the reasons for which no scheme has been formulated for improvement in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. The Village Housing Projects Scheme, introduced by the Department of Works, Housing and Urban Development in 1957, *inter-alia*, provided for :—

(i) the advance of house building loans;

(ii) the allotment of free house-sites to landless agricultural workers; and

(iii) grants for laying streets and drains for improving sanitation in villages.

The scheme, though introduced by this Department, is being implemented by the State Governments and administrations of Union Territories. It is being continued in the Fourth Five Year Plan.

(b) Does not arise.

Modernisation and Overhauling of Plants in Sindri Fertilizer Factory

9130. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the plants in the Sindri Fertilizer Factory have not been modernised and overhauled; and

(b) if so, the reasons for which the employees of the Jodhpur institution are being released and the action Government propose to take to amalgamate this institution with the said factory permanently and the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Some steps have been taken for improving the production of the Sindri Fertilizer Factory. An additional Lean Gas Plant has been installed. A Naphtha Gasification Scheme has been completed and trial runs are in progress. A scheme to effect a substantial improvement in the working of the factory known as the Sindri Rationalisation Scheme is also under implementation.

(b) When the Sindri Rationalisation Scheme is implemented, the Sindri Unit will no longer depend on the mineral gypsum obtained at present from Rajasthan. Consequently, the mining organisation of F.C.I. in Rajasthan will become surplus. The question of absorption of the employees of the mining organisation has already been taken up and the possibility of absorbing them in other suitable organisations under the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals is being actively explored.

No employee of Jodhpur Organisation working on activities connected with operation of the Sindri Fertilizer Factory has been retrenched.

पकड़े गये तस्करी के सामान की संसद् भवन में बिक्री

9131. श्री एन० शिवप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जब्त की गई वस्तुओं की संसद् सदस्यों को रियायती दरों पर बिक्री के लिए संसद् भवन में एक दुकान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) और (ख) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फरवरी 1968 से सीमा-शुल्क गृहों द्वारा जब्त शुदा उपभोक्ता वस्तुओं की जनता में खुदरा बिक्री बन्द कर दी गई है, और अब यह वस्तुएं थोक में, केवल राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से विभिन्न सहकारी संस्थाओं को, गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा सैनिक कैण्टीनों को ही बेची जाती हैं ।

दिल्ली में पानी की सप्लाई

9132. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई यहां की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के अनसार नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आंशिक करार के कारण नई दिल्ली नगर पालिका को अधिकांशत: दिल्ली नगर निगम से पानी सप्लाई होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से जनसंख्या की कम वृद्धि होने के कारण नई दिल्ली नगर निगम पालिका क्षेत्र में पानी की प्रति व्यक्ति सप्लाई दिल्ली नगर निगम के रामाकृष्णापुरम् जैसे पोड़सी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई से अधिक है; और

(घ)-यदि हां, तो क्या सरकार समाजवाद की अपनी घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के विभिन्न भागों में तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों के लिये पानी की वर्तमान सप्लाई का समान वितरण के लिये कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली केन्टोन्मेंट के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति जल की खपत में इस समय कुछ अन्तर है । दिल्ली नगर निगम द्वारा उन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं जहां पानी की कमी है । सभी क्षेत्रों में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 50 गैलन पीने का पानी सप्लाई करने का अन्तिम लक्ष्य रखा गया है (इस समय दिल्ली के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में प्रति दिन प्रति व्यक्ति औसतन 40 गैलन से कुछ अधिक पीने का पानी दिया जा रहा है) ।

Construction of Lavatories/Urinals at DTU Bus Stops

9133. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the absence of lavatories or urinals at the Delhi Transport Undertaking Bus stops wide-spread unhygienic conditions prevail there and

as the buses come after long intervals and the people have to wait for hours together and as such it is but natural that they spread dirt by making water or easing themselves here and there; and

(b) whether keeping this in view arrangements will be made to construct lavatories or urinals at the bus stops so that spreading of dirt could be checked ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). It is a fact that at certain Delhi Transport Undertaking Bus stops, lavatories or urinals have not been provided and their absence leads to creation of some nuisance by indiscriminate urination by the general public. The New Delhi Municipal Committee has provided lavatories on all the important Bus stops in its area and a proposal has been approved by the Committee to construct lavatories on the remaining Bus stops in its area. The Delhi Municipal Corporation have informed that it is not possible for them to construct latrines at all the Bus stops. However, as a matter of general policy, they construct urinals after taking into consideration the number of the users.

नई दिल्ली की पूसा रोड पर शराब की दुकान

9134. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अब तक पूसा रोड (अपर रिज रोड) पर स्थित देशी शराब की दुकान को चालूं रखने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार शराब की दुकान के लिए अन्य स्थान अलाट करने के लिये सहमत हो गई है ?

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन को इस सम्बन्ध में रोष रहा है क्योंकि उनके अनुसार ऐसा किया जाना दिल्ली प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करने के बराबर है ; और

(ङ) इस वर्ष अप्रैल मास के कुछ आरम्भ के दिनों में दुकान बन्द करने से कितनी हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) वह स्थान एक स्कूल को दे दिया गया है अतः शराब की दुकान को वहां से उठाना आवश्यक हो गया था ;

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) गत मार्च की बोली तथा 30 अप्रैल, 1970 की पुनः नीलामी में 8·6 लाख रुपयों का अन्तर है ।

Advance Annual Increment to Employees doing Hindi Work

9135. Shri J. Sunder Lal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two advance annual increments are given to Section Officers on the completion of five years service by them so that they may maintain their efficiency;

(b) if so, whether these increments will be given to employees doing Hindi work, especially Hindi Assistants, so that they may maintain their efficiency because there are no direct avenues for their promotion; and

(c) if so, from which date and if not, the steps Government propose to take to ensure that the efficiency of the employees doing Hindi work, especially Hindi Assistants, is maintained ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir. The Hon'ble Member has presumably in mind the scheme of sanction of advance increments at two stages *viz.*, Rs. 530 and Rs. 740 in the integrated scale of Rs. 350—900, subject to certain conditions, to some categories of Section Officers particularly those who were in the then Grade III scale of Section Officers as on 1-7-59. This is, however, essentially intended to compensate them for loss of promotion prospects due to the merger of the then two grades of Section Officers into a single one.

(b) and (c). Similar conditions do not exist in the case of other employees and the question of extending similar benefit of advance increments does not, therefore, arise.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ वेतन-वृद्धि

9136. श्री स० मो० बैनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों के लिये तदर्थ वेतन वृद्धि देने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय किया जा चुका है जो गत दो वर्षों से अपने ग्रेड में अधिकतम वेतन ले रहे हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे के कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : मामले पर विचार किया जा रहा है और निर्णय जल्दी ही किये जाने की आशा है ।

(ग) जी, हां ।

पाकिस्तान को भुगतान

9137. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को किन समझौतों के अन्तर्गत पाकिस्तान को धन का भुगतान करना अनिवार्य है ;

(ख) प्रत्येक समझौते के अन्तर्गत तथा विशेषकर सिन्धु जल समझौते के अन्तर्गत वर्षवार कितना धन देना है;

(ग) गत तीन वर्षों में कितना धन अदा किया गया है तथा किस रूप में अदा किया गया है ; और

(घ) जो समझौते समाप्त हो गये हैं उनके अन्तर्गत कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सिन्धु नदी जल सन्धि के अन्तर्गत, सिन्धु घाटी विकास निधि में, भारत के अंशदान के रूप में, नवम्बर 1960 से नवम्बर 1969 तक, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को बराबर-बराबर की दस वार्षिक किस्तों में कुल 62,060,000 पौंड की रकम अदा की गई थी ।

इसके अतिरिक्त, विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत, पाकिस्तान को, अविभाजित केन्द्रीय सरकार की रोकड़ बाकी में से उसके हिस्से के रूप में 70 करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये 1947 में और 50 करोड़ रुपये 1948 में) की तथा सैन्य सामग्री बनाने के कारखानों और कुछ अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में 2·47 करोड़ रुपये की अदायगी की गई थी । पाकिस्तान को और कोई रकम नहीं दी जानी है ।

(ग) सिन्धु घाटी विकास निधि में, भारत के अंशदान के रूप में 18,618,000 पौंड ।

(घ) भारत द्वारा केवल सिन्धु जल सन्धि के अन्तर्गत अदायगियां की गयी हैं । यह सन्धि एक चिरस्थायी सन्धि है और इस के अन्तर्गत जो रकमें अदा की गयी हैं वे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में बता दी गयी हैं । इस सन्धि के अन्तर्गत और कोई रकम नहीं दी जानी है ।

पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के लिए कर में छूट

†**9138. श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने बरेली में एक सार्वजनिक सभा में यह कहा है कि पिछड़े और अर्ध विकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को कर की छूट और विशेष रियायतें दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ग) क्या सरकार ने पिछड़े हुए और अर्ध विकसित क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध करने के लिये कोई विशिष्ट कसौटी निर्धारित की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 11 अप्रैल 1970 को प्रधान मंत्री ने रायबरेली में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया । प्रधान मंत्री ने अपने हिन्दी के भाषण में संतुलित क्षेत्रीय विकास के महत्त्व का उल्लेख करते हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिए उचित अन्तर संरचना की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होने सामान्य रूप से भारत सरकार की उस कार्यवाही का वर्णन किया जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग चलाने के लिये की जा रही है । प्रधान मंत्री ने इसके लिए किये गये इन सभी निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए ही सम्भवतः ऐसा कहा ।

(1) केन्द्रीय सरकार की वह शक्तियां जिनके अन्तर्गत वह कुछ क्षेत्रों को "नगरीय क्षेत्र" करार कर सकती है जिस का आधार जनसंख्या, उद्योग का केन्द्रीयकरण, क्षेत्र के लिए अपेक्षित योजना की आवश्यकता तथा अन्य सम्बद्ध कारण हो सकते हैं । इस आधार पर यदि कोई सार्वजनिक कम्पनी अपने औद्योगिक संस्थान को इस "नगरीय घोषित

क्षेत्र" से किसी अन्य क्षेत्र में तबदील करती है तो वह "कर क्रेडिट प्रमाणपत्र" के लिए हकदार होगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा वांचू समिति की सिफारिशों के आधार पर चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक संस्थायें खोलने के लिए दिये जाने वाले अनुदान परियोजना की कुल पूंजी का दसवां भाग और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में 50 लाख रुपया, और उच्च विकास कटौती के स्थान पर, आयकर, निगम कर, आयात शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के देने पर कुछ निश्चित समय के लिए मुक्ति आदि को लिया जा सकता है ।

(3) आई० डी० बी० आई० तथा आई० एफ० सी० द्वारा छोटी तथा मध्यम परियोजनाओं को अविकसित क्षेत्रों के लिए आसान शर्तों पर जो सहायता दी जाती है, वह अधिक देर के लिए नहीं होती । इन छूटों के अन्तर्गत कम दरों पर व्याज तथा मूल की अदायगी के लिए अधिक समय की अवधि आदि को लिया जा सकता है जिन का विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3460/70) ।

इन्हीं निर्णयों के सन्दर्भ में ही प्रधान मन्त्री ने इन कर छूटों का केवल सामान्य उल्लेख कर दिया इसके पीछे कोई विशेष योजना नहीं थी उन्होंने केवल मात्र श्रोताओं को स्पष्ट करने के लिए ही ऐसा कहा था ।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति के निर्णयों के सन्दर्भ में सितम्बर 1968 में योजना आयोग ने क्षेत्रीय असन्तुलनों के अध्ययन के लिए सितम्बर 1969 में दो कार्यकारी दलों की स्थापना की । इन में से एक अध्ययन दल का कार्य पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए मानदण्ड निर्धारित करना था और दूसरे का कार्य उनको दिये जाने वाले राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिशें करना था ।

पिछड़े क्षेत्रों को पहचानने वाले अध्ययन दल ने केन्द्र शासित प्रशासनों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को पहचानने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये :—

(1) प्रति व्यक्ति आय ।

(2) खानों और उद्योग से प्रति व्यक्ति आय ।

(3) कारखानों में पंजीकृत मज़दूरों की संख्या ।

(4) प्रत्येक व्यक्ति का वार्षिक विद्युत् खर्च ।

(5) जनसंख्या और राज्य के क्षेत्र की दृष्टि से सम्बद्ध तलीय सड़क की लम्बाई ।

(6) जनसंख्या और राज्य क्षेत्र से सम्बद्ध रेल की लम्बाई ।

इस मानदण्ड के अनुसार प्रस्तुत दल ने जिन राज्यों को प्राथमिकता दी उनका उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3460/70) ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित करने वाले दल ने वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने की नीति को पुनः निर्धारित करने का सुझाव दिया जिससे कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वालों को व्याज दरों में कोई छूट दी जा सके । इसने

यह भी सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार को अपने परोक्ष तथा प्रत्यक्ष करों में भी कुछ छूट देनी चाहिए । राज्य सरकारों को भी अपने राज्य में उद्योग स्थापित करने वालों को कुछ सुविधायें देनी चाहियें ।

इन दोनों दलों की सिफारिशों पर 26 सितम्बर, 1969 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति में विचार किया गया और इस बैठक ने जो मुख्य निर्णय लिए वह निम्नलिखित थे :—

(क) वित्त और ऋण संस्थानों द्वारा चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को दी जाने वाली सहायता राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों दोनों को दी जानी चाहिये ।

(ख) राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का चयन करने का कार्य योजना आयोग द्वारा वित्तीय संस्थानों के साथ विचार विमर्श करके करना चाहिये । इसके साथ ही उन्हें कार्यकारी दलों की पिछड़े क्षेत्रों की पहचान से सम्बद्ध सिफारिशें भी ध्यान में रखनी चाहियें ।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) के दो चुने हुए जिलों को केन्द्र सरकार चाहे तो उद्योग स्थापित करने वाली संस्थाओं को कुल पूंजी का दसवां भाग, परन्तु वह 50 लाख से यदि अधिक न हो तो सीधा अनुदान के रूप में दे सकती है ।

उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण के फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले निर्धारित करने के मानदण्ड का प्रश्न वित्तीय संस्थाओं के साथ उठाया गया और उनके सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए योजना आयोग ने 10 दिसम्बर 1969 को राज्य सरकारों को एक परिचालन भेजा जिस में उन्हें अपने-अपने राज्य के पिछड़े हुए जिलों की सूची भेजने के लिए कहा गया । राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया कि वह इस सूची के साथ दो या तीन ऐसे जिलों का नाम भी अलग रूप से भेजें जिन्हें कि पूर्व पैराग्राफ के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा सीधे अनुदान दिया जाने के लिए विचार किया जा सके । कुछ राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपने सुझाव भेज दिये हैं और यह सुझाव योजना आयोग के विचाराधीन है । अन्य राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से अपने सुझाव जल्दी भेजने का अनुरोध किया गया है ।

चौथी योजना में केन्द्र द्वारा पूर्व उल्लिखित संस्थाओं को कुल पूंजी का दसवां भाग अनुदान के रूप में देने के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है ।

लाटरी टिकटों की बिक्री से हुए लाभ से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुई आय

9139. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे ड्रा के लिये लाटरी के टिकटों की बिक्री से दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना लाभ हुआ है ;

(ख) लाटरियों से प्राप्त आय को अब तक जिन योजनाओं पर खर्च किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को चौथे ड्रा में हानि होने की आशंका है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 7 लाख रुपये ।

(ख) झुग्गी और झोंपड़ी कालोनियों में सफ़ाई अभियान के लिए दिल्ली नगर निगम को 3 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में कैंसर का आरम्भ में ही पता लगाने के तरीके

9140. श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री लोम्बो प्रभु :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डा० गुणरत्न ने हाल ही में भारत में कैंसर का आरम्भ में ही पता लगाने तथा उपचार के कुछ तरीके बताये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : 7 अप्रैल, 1970 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित 'प्रारम्भ में ही कैंसर का पता लग जाने से जीवन की रक्षा होती है' विषय पर संगोष्ठी में बोलते हुए विभिन्न वक्ताओं ने जिनमें डा० गुणरत्न भी सम्मिलित थे, सामूहिक रूप से रोगियों का पता लगाने तथा कैन्सर के कतिपय रोगों में अपपर्णी कैशिकी (एक्स-फोलियेटिव साइटोलाजी) के उपयोग करने के बारे में बल दिया । डा० गुणरत्न ने चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों और आम जनता को कैन्सर विषयक शिक्षा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया । उन्होंने कैन्सर का आरम्भ में ही पता लगाने तथा उपचार के बारे में कोई नये तरीके नहीं बताये ।

दिल्ली में अनधिवासी पात्र व्यक्तियों को पट्टा देना

9141. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनधिवासी उन पात्र व्यक्तियों को कोई पट्टा देने पर विचार किया है, जिन्हें प्रत्येक को दिल्ली में 25 वर्ग गज का प्लाट दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है, अतएव, इस स्तर पर किसी ब्यौरे को नहीं दिया जा सकता ।

अच्छी किस्म के तैयार लोह अयस्क की मांग की पूर्ति के लिए व्यवस्था

9142. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कठिनाईयों से बचने के लिए अच्छी किस्म के तैयार लोह अयस्क की मांग की पूर्ति के लिए तेजी से कदम उठाने के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : प्रस्तावित नए स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों में सभी धमन-भट्ठियां, आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुसार अर्थात्, परिपाणित कच्चे मोलो, लौह अयस्क के सिन्टरिंग या पैलेटाइज़ेशन आदि के तैयार धार पर आधारित होगी । अनुसरण की जाने वाली यथार्थ प्रक्रिया इस्पात संयंत्रों के यथार्थ स्थापना-स्थल और पास-पड़ोस में उपलब्ध कच्चे मालों पर निर्भर करेगी ।

जहां तक निर्यात बाजार का सम्बन्ध है, मैसूर राज्य में दोनिमलई से लौह अयस्क सूक्ष्मों और नीली धूलि के पैलेट्स में संसाधन के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पहिले ही सम्भाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया है और बैलाडिला से लौह अयस्क सूक्ष्मों और नीली धूलि के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का अध्ययन कर रहा है । निगम एवं सरकार द्वारा सम्भाव्यता रिपोटों की जांच के पश्चात् दोनिमलई और बैलाडिला स्थानों पर पैलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना के लिये निवेश पर निर्णय लिया जायेगा ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी

9143. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कई वर्षों से वर्दी नहीं दी गई है जिसके वे अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को समय पर वर्दी देने के सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी नहीं । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के स्टाफ के सभी पात्र व्यक्तियों को वर्दियां नियमानुसार दी जाती हैं । इन्हें ठीक समय पर देने के हेतु हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में ड्रेसरों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

9144. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के ड्रेसरों के वेतनमान उनके कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन ड्रेसरों का वेतन-मान 80–1–85–2–95–द० अ०–3–110 है और यह दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है ।

भारत सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति की है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों के ढांचे की जांच करेगा ।

आफिसर्स एसोसियेशन आफ इन्डियन बैंक द्वारा दिया गया मांगों सम्बन्धी ज्ञापन

9145. श्री किरुत्तिनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आफिसर्स एसोसियेशन आफ इन्डियन बैंक ने संरक्षक को मांगों का ज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ ने हड़ताल करने की सूचना दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा इन मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : इंडियन बैंक अधिकारी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ, मद्रास ने, बैंक के अभिरक्षक को, 18 मार्च 1970 को मांग-पत्र सहित हड़ताल का नोटिस भेजा था जिसमें यह सूचित किया गया था कि यदि प्रबन्धकों ने उनकी निम्न-लिखित मांगें पूरी न की तो अभिरक्षक द्वारा नोटिस-प्राप्ति की तारीख के 15 दिनों के बाद अर्थात् 4 अप्रैल, 1970 को और उससे छः सप्ताह के अन्दर-अन्दर देश भर में संघ के सदस्य किसी भी दिन हड़ताल शुरू कर देंगे :

(1) श्री एच० शाह नवाज खां के तबादले के आदेश तत्काल रद्द किए जाएं और उन्हें सहायक स्टाफ अधिकारी के पुनर्नामोदृष्ट पद पर नियुक्त किया जाए ।

(2) श्री वी० एन० स्वामिनाथन के तबादले का आदेश मन्सूख करके उन्हें वापस बुलाया जाए और बम्बई क्षेत्र के किसी वरिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की जाए ।

(3) सभी अधिकारियों को, उनके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में (एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में) तबादला किये जाने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जाएं ।

(4) एजेण्टों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार से सम्बन्धित उन मामलों को शीघ्र निपटाया जाय जो लम्बे अरसे से अनिर्णीत बताये जाते हैं ।

अभिरक्षक ने संघ के प्रतिनिधियों तथा अन्य अधिकारियों को बताया है कि किन परिस्थितियों में उक्त दोनों अधिकारियों का तबादला कराना पड़ा और अधिकारियों का दक्षिण से बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता तबादले किये जाने पर उन्हें वेतन वृद्धियां देने के बारे में बैंक की वर्तमान नीति क्या है । जहां तक उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित अनिर्णीत मामलों का सम्बन्ध है, अभिरक्षक ने संघ को सूचित कर दिया है कि वे इन मामलों पर विस्तृत अभ्यावेदन दे सकते हैं जिस पर यथासमय विचार किया जायगा ।

इन्डिया बैंक के सम्बन्ध में एक तमिल समाचार पत्र में लिखे गए लेख

9146. श्री किरुत्तिनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान तमिल समाचार पत्र "विडुत्तम" में 7-3-70, 18-3-70, 4-4-70 और 8-4-70 को इन्डियन बैंक के सम्बन्ध में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सरकार को तमिल समाचार पत्र "विडुत्तलै" में इंन्डियन बैंक के सम्बन्ध में प्रकाशित लेखों की जानकारी है । किन्तु लेखों में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में कोई खास शिकायतें सरकार के पास नहीं आई हैं ।

चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षकों की आस्तियां और दायित्व

9147. श्री किरुत्तिनन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्तमान संरक्षकों के नाम क्या हैं और सामाजिक नियन्त्रण से पहले तथा बाद को उनका रुतबा क्या था तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनका रुतबा क्या है ;

(ख) संरक्षकों, उनकी पत्नियों तथा बच्चों की यदि कोई आस्तियां तथा दायित्व हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या उनकी विदेशों में भी कोई आस्तियां हैं और यदि हां, तो उनके आय के साधन तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । बैंक समदाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भूतपूर्व बैंकों के अध्यक्ष, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षक बन गये ।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की ओर से अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की पूरी सम्पत्ति के बारे में योषणा किये जाने की जिम्मेदारी उस आचरण नियमावली का अंग होगी, जो अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में निहित नियम बनाने के अधिकारों के अन्तर्गत तैयार की जायगी । राष्ट्रीयकृत बैंकों के पहले निदेशक-मण्डलों की नियुक्ति शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है ।

विवरण

बैंक का नाम	वर्तमान अभिरक्षक का नाम	सामाजिक नियंत्रण के पहले की हैसियत	सामाजिक नियंत्रण के बाद की हैसियत
1. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	श्री वी० सी० पटेल	महाप्रबन्धक	पूर्णकालिक अध्यक्ष
2. बैंक आफ इण्डिया	श्री टी० डी० कंसारा	–तदेव–	–तदेव–
3. पंजाब नेशनल बैंक	श्री एस० सी० लिखा	–तदेव–	–तदेव–
4. बैंक आफ बड़ौदा	श्री एम० जी० पारीख	उप महाप्रबन्धक	महाप्रबन्धक और बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष
5. युनाइटेड कमर्शल बैंक	श्री आर० बी० शाह	महाप्रबन्धक	पूर्णकालिक अध्यक्ष

बैंक का नाम	वर्तमान अभिरक्षक का नाम	सामाजिक नियंत्रण के पहले की हैसियत	सामाजिक नियंत्रण के बाद की हैसियत
6. कनारा बैंक	श्री के० पी० जे० प्रभु	निदेशक मण्डल का अध्यक्ष (अंश-कालिक)	पूर्णकालिक अध्यक्ष
7. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	श्री बी० के० दत्त	महा निदेशक	–तदेव–
8. देना बैंक	श्री पी० वी० गांधी	–तदेव–	–तदेव–
9. सिन्डीकेट बैंक	श्री के० के० पै†	मुख्य अधिकारी	महाप्रबन्धक
10. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	श्री एफ० के० एफ० नरीमन	प्रबन्धक निदेशक	पूर्णकालिक अध्यक्ष
11. इलाहाबाद बैंक	श्री के० एम० नंजप्पा*	इण्डियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड के सेवा-निवृत्त महाप्रबन्धक	–तदेव–
12. इण्डियन बैंक	श्री जी० लक्ष्मीनारायणन**	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड के महाप्रबन्धक	–तदेव–
13 बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री सी० वी० जोग	महाप्रबन्धक	–तदेव–
14. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक	श्री आर० एन० चेत्तूर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सेवा-निवृत्त महानिदेशक	–तदेव–

† श्री के० के० पै० 28 फरवरी, 1970 को श्री टी० ए० पै० के स्थान पर अभिरक्षक नियुक्त किये गये, जो 2 मार्च, 1970 से जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष नियुक्त कर दिये गये हैं। श्री टी० ए० पै०, जो सामाजिक नियन्त्रण से पहले बैंक के प्रबन्ध निदेशक थे, सामाजिक नियन्त्रण के बाद पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर दिये गये और बाद में जब 19 जुलाई, 1969 को बैंक का अभिग्रहण कर लिया गया तो वे अभिरक्षक बन गये ।

* बैंक में प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त ।

** बैंक में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त ।

कैंसर का पता लगाना

9148. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्सर पर काबू पाने के लिए उसका प्राथमिक अवस्था पर ही पता लगाना आवश्यक समझा जाता है ;

(ख) क्या कैन्सर डिटेक्शन सेन्टर में, जिसकी सेवायें निःशुल्क हैं, ऐसी विधि का विकास किया जा रहा था जिनका जनसाधारण में कैन्सर का प्राथमिक अवस्था में पता लगाने के बारे में प्रचार हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मूल्यवान सेवा की तुलना चित्तरंजन कैन्सर अस्पताल द्वारा कैन्सर का पता लगाने तथा उपचार के लिए आम तौर पर रोग बढ़ने पर भुगतान की जाने वाली सेवाओं से की जा सकती है ?

स्वास्थ तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता

9149. श्री इंद्रजीत गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन राष्ट्रीय कैन्सर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता, के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिये एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि समिति में केवल चिकित्सा वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है और गैर-चिकित्सा वैज्ञानिकों को नहीं, जोकि उनके साथ-साथ ही, कैन्सर अनुसन्धान के लिए उपयोगी हैं ;

(घ) क्या पुनरीक्षण समिति के गैर-वैज्ञानिक सदस्य कैन्सर का पता लगाने सम्बन्धी केन्द्र को बन्द करने के कार्य में शामिल हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनको नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1—डा० जे० बी० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवाओं का अपर-महानिदेशक	अध्यक्ष
2—डा० जे० सी० पेमास्टर, टाटा मैमोरियल अस्पताल, बम्बई ।	सदस्य (समिति की सेवा करने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया है)
3—डा० पी० एन० वाही, महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, अंसारी नगर, नई दिल्ली ।	सदस्य
4—डा० एस० श्री रामचारी, निदेशक, ट्यूमर रजिस्ट्री भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।	सदस्य

5—श्री नर नारायण गुप्तू, सदस्य
देशबन्धु मैमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि,
कलकत्ता ।

6—श्री ज्योतिर्मय बसु, सदस्य
संसद् सदस्य,
देशबन्धु मैमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि,
कलकत्ता ।

7—वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का एक
प्रतिनिधि सदस्य

8—स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, सदस्य
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।

9—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण,
आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य
विभाग), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि । सदस्य

(ग) जी हां । समिति में उन वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया है जिन का कैन्सर संबंधी कार्य से सन्बध रहा है और जो अनुसंधान क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं ।

(घ) और (ङ) : कैन्सर का पता लगाने सम्बन्धी केन्द्र को बन्द करने का निर्णय चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के शासी निकाय द्वारा लिया गया था । उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में क्रम संख्या 5 और 6 पर उल्लिखित सदस्य अर्थात् श्री नर नारायण गुप्तू और श्री ज्योतिर्मय बसु उक्त शासी निकाय के सदस्य हैं। इन दोनों व्यक्तियों को देशबन्धु मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा पुनरीक्षण समिति में भी मनोनीत किया गया है ।

दिल्ली में सरकारी तथा स्थानीय निकायों की इमारतों में नागरिक सुविधाएं

9150. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री शारदा नन्द :

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी तथा स्थानीय निकायों की अनेक इमारतों में उचित नागरिक सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी इमारतों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन इमारतों में सुविधाओं की व्यवस्था कब की जायगी ;

(घ) इन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ङ) क्या सरकार इन इमारतों को उन किरायेदारों को देने पर विचार कर रही है जो चौदह वर्ष किराया दे चुके हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख) : पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित की गई लग-भग 3000

सम्पत्तियों में उचित नागरिक सुविधाओं की कमी की सूचना मिली है । इसके अतिरिक्त तिमारपुर के सरकार के कुछ पुराने 432 क्वार्टरों में फ्लश की टट्टियों की व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम अगले दो वर्षों में अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने की आशा करता है । क्योंकि तिमारपुर के क्वार्टरों को पुनर्विकास के लिये शीघ्र ही गिराया जाना है, अतएव वर्तमान ड्राई-टट्टियों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) दिल्ली नगर निगम का अनुमान है कि सुविधाओं की व्यवस्था पर लगभग 25·00 लाख रुपये लागत आयेगी ।

(ङ) जी, नहीं ।

बुल्सर के निकट विदेशी माल का पकड़ा जाना

9151. श्री मयाबन :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री दंडपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुल्सर के निकट, अप्रैल, 1970 को सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने विदेशी कपड़े सहित कई निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये वस्तुएं लायी गयी थीं ; और

(घ) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के सीमाशुल्क अधिकारियों ने बुल्सर के पास स्थित समुद्रतट से दूर 9 अप्रैल, 1970 को, विदेश में बना कपड़ा आदि मिला कर 4·88 लाख रुपये का निषिद्ध माल और एक यंत्र-चालित जलयान पकड़ा ।

(ख) इस सम्बन्ध में 12 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई ।

(ग) पकड़ा गया माल जापान और पाकिस्तान में बना हुआ है ।

(घ) पकड़े गये बारह व्यक्तियों में से ग्यारह व्यक्तियों को प्रत्येक से 4000·00 रु० की जमानत लेकर जांच पूरी होने तक के लिये छोड़ दिया गया है ।

स्थानीय अस्पताल में खुला पड़ा एक्सरे का संयंत्र

9152. श्री मयाबन :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री नि० रें० लास्कर :

श्री दण्डपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक एक्सरे संयंत्र जिसकी लागत एक लाख रुपयों से अधिक है एक स्थानीय अस्पताल में एक वर्ष से भी अधिक की अवधि से खुला हुआ पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस की जांच की है ; और

(ग) इसके काफी समय से बेकार पड़े रहने के क्या कारण हैं और इसका उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) अब तक एकत्र की गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई एक्सरे संयंत्र किसी सरकारी अस्पताल में खुला पड़ा नहीं बतलाया गया है ।

(ख) और (ग): ये प्रश्न नहीं उठते ।

जवाहर ज्योति

9153. श्री जय सिंह :

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 6 अप्रैल, 1970 के जवाहर ज्योति के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्ति पूजा अथवा व्यक्ति को देवत्व प्रदान करने की प्रक्रिया प्रजातन्त्र प्रणाली और समाजवाद के अनुकूल नहीं है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि इस पर भारी खर्च होता है क्या सरकार का विचार जवाहर ज्योति प्रज्वलित रखने के कार्य को बन्द करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख): जी नहीं । तथापि, वर्तमान ज्योति, जिसे मरगों के तेल, बिनोले और कपूर के मिश्रण से प्रज्वलित की जाती है के व्यय को केवल लगभग 900 रुपये प्रति माह घटाकर स्थायी गैस ज्योति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलकटरी, कानपुर के फर्रुखाबाद डिवीज़न में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण

9154. श्री जय सिंह :

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यकारी कर्मचारी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी कानपुर के फर्रुखाबाद डिवीजन में की जाने वाली नियुक्ति को विभिन्न कारणों से कठिन और दुरी नियुक्ति समझता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि इस डिवीजन में किसी अधिकारी को दो वर्ष से तीन वर्ष तक की अवधि से अधिक न रहने दिया जाये ;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उस कलक्टरी के कुछ प्रभावशाली इंसपैक्टर अपने पूर्ण सेवा काल में उस डिवीजन में नियुक्त न किये जाने के प्रयत्नों में सफल रहे हैं जबकि

अन्य व्यक्तियों को वहां एक से अधिक बार नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? और

(ग) क्या सरकार फर्रुखाबाद डिवीजन में ऐसे लोगों को शीघ्र स्थानान्तरित करने के बारे में विचार करेगी जिससे वहां तीन वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य करने वाले व्यक्तियों को वहां से स्थानान्तरित किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टरी कानपुर के कार्यकारी कर्मचारी फर्रुखाबाद डिवीजन में की जाने वाली नियुक्ति को पसंद नहीं करते । सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि वहां किसी अधिकारी को 2 से 3 वर्ष तक ठहराने की सीमा निर्धारित करे;

(ख) जी नही;

(ग) सामान्य स्थानान्तरण के समय सरकार सदा इस बात का ध्यान रखती है कि अधिकारियों को बारी-बारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जाये ।

कलकत्ता के विकास के लिए कलकत्ता लाटरी और महानगरीय बचत बांड आरम्भ करना

9155. श्री समर गुह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी साधनों से कलकत्ता के विकास के लिये वित्त में वृद्धि करने हेतु दिल्ली लाटरी की भांति (i) कलकत्ता लाटरी, (ii) कलकत्ता महानगरीय बचत बांड, (iii) चुंगी, (iv) अन्तर्राज्यीय परिवहन कर, (v) विलास सामग्री पर विशेष कर तथा अन्य इसी प्रकार के कर आरम्भ करेगी;

(ख) क्या कलकत्ता के विकास के लिये अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करने हेतु उपर्युक्त अतिरिक्त करों को लागु करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये किसी विशेष समिति का गठन करेगी; और

(ग) क्या कलकत्ता के विकास की समस्या को ऐसी "विशिष्ट राष्ट्रीय समस्या" के रूप में लिया जायेगा जिसका स्वर्गीय पंडित नेहरू ने उल्लेख किया था तथा केन्द्र सरकार के अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने जिसकी पुष्टि की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस वचन का कैसे पालन किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में पूर्ति मंत्री और राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : कलकत्ता की विकास सम्बन्धी जो अविलम्ब समस्याएं हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को उन की पूरी-पूरी जानकारी है । सरकार, सभी स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले धन की मौजूदा और सम्भावित उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को तैयार करने और उन्हें अमल में लाने के लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है । लेकिन अतिरिक्त कर लगाने के प्रश्न की जांच करने के प्रयोजन के लिये इस समय कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना जरूरी नहीं समझा जाता ।

भारतीय धातु निगम को दिया जाने वाला मुआवजा

9156. श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय धातु निगम को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो कितना मुआवजा दिया जाना है ।

(ग) यदि नहीं, तो मुआवजे की रकम के बारे में अन्तिम निर्णय करने में लम्बा समय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय धातु निगम द्वारा दायर किए गए मुकदमे के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण निगम को मुआवजे की रकम के बारे में सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय करना आवश्यक हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (च) तक। मैटल कार्पोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 के अधीन सरकार द्वारा अर्जित मैटल कार्पोरेशन आफ इंडिया के उपक्रम के लिए क्षतिपूर्ति देने का स्वीकृत प्रस्ताव जून, 1968 में कार्पोरेशन को किया गया था। उनकी ओर से प्रत्युत्तर के अभाव में यह प्रस्ताव मार्च, 1969 में वापस ले लिया गया था।

मैटल कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा कई मुकदमों दायर कर दिया जाना ही मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति की अदायगी में देरी का कारण है। कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष समादेश-याचिका द्वारा इसका अन्त हुआ, जिसे अप्रैल 1969 में न्यायालय द्वारा रद किया गया था।

क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर अन्य न्यायिक निर्णयों को भी दृष्टि में रखते हुए सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से, कार्पोरेशन को देय क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर कलकत्ता हाई कोर्ट से निर्णय में अन्तर्विष्ट संप्रेषणों के निहितार्थों की इस समय जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वेतन आयोग का प्रतिवेदन

9157. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में विलम्ब का क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन की कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(ङ) सरकार उन्हें कब तक कार्यान्वित करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख)। आयोग की रिपोर्ट मुद्रित हो रही है और जैसे ही मुद्रित प्रतियां तैयार होंगी उसे राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) से (ङ) : आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Progress in States of Family Planning Programmes

9158. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the States in which satisfactory progress has not been achieved in the family planning programme;

(b) the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to make family planning programme a success in those States ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Performance has not been satisfactory in the States of Assam, Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan.

(b) Amongst the main reasons are inadequate, infrastructure lack of requisite trained staff and general backwardness of these States in other socio-economic fields.

(c) Special efforts are being directed to help these States to implement the programme vigorously by (i) expediting the building up of the infrastructure required and augmenting the service facilties to make services and supplies available to the people nearest to their homes.

(ii) increasing the educational and motivational efforts among the masses.

(iii) increasing training facilities and training the key personnel so that they can offer better services.

(iv) through intensive inputs in popular organised sectors and in hospitals districts, where large number of cases come for maternity.

Besides, guidance and effective assistance from the centre is being given through visits of senior officers.

सहकारी बैंकों के बारे में महाराष्ट्र सहकारी बैंक के चेयरमैन द्वारा व्यक्त किया गया मत

9160. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1970 के "फिनानशियल एक्सप्रेस" के "प्लीज काउंट युअर चिकिन्स" के शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के ये चेयरमैन श्री वसन्त राव पाटिल के अनुसार महाराष्ट्र में जिला सहकारी बैंकों में हठधर्मी, अकुशल प्रबन्ध, गबन आदि के कारण 1968-69 में कुल अदा की गई राशियां 26 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गईं;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री पाटिल के अनुसार राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक लक्ष्यों को प्राप्त करने की चिन्ता में दोषी सहकारी बैंकों को भी वित्त दे रही है, और यदि हां, तो क्या यह बात ठीक है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक देहातों में ऋण देने की धुन में अधिक ऋण न देकर जनता के धन से खिलवाड़ न करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जिस सम्पादकीय का हवाला दिया गया है उसमें श्री वसन्त राव पाटिल द्वारा दिये गये इस प्रकार के वक्तव्य का उल्लेख किया गया है । यद्यपि यह बात सही है कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की वकाया रकमें जो 1965-66 में 25 प्रतिशत थीं, बढ़कर 1968-69 में 36 प्रतिशत हो गयीं, किन्तु सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि जिन विशेष बातों का उल्लेख किया गया है, उनके कारण इन वकाया रकमों में कितनी वृद्धि हुई है ।

(ग) उक्त सम्पादकीय में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि वाणिज्यिक बैंक, दोषी सहकारी बैंकों के लिये वित्त प्रबन्ध कर रहे हैं। सम्पादकीय में यह बताया गया था कि श्री वसन्त राव पाटिल ने यह कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, ऋण देने के सम्बन्ध में, अपने लक्ष्य को पूरा करने की चिन्ता में, उन ऋण-कर्त्ताओ के लिये भी वित्त प्रबन्ध किया है जिन्होंने सहकारी बैंकों के ऋण नहीं चुकाये हैं। रिज़र्व बैंक के सामने इस प्रकार का कोई विशेष मामला नहीं आया है, जिस में बैंकों ने उन ऋण-कर्त्ताओं के लिये वित्त प्रबन्ध किया हो, जिन्होंने सहकारी समितियों के ऋण न चुकाये हों। फिर भी रिज़र्व बैंक स्थिति पर नजर रख रहा है।

(घ) बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण देने के सम्बन्ध में सामान्य बैंककारी सूझ-बूझ से काम लेंगे। ऋण की रकम ऋण-कर्त्ता की वास्तिवक आवश्यकताओं और उसकी ऋण-शोधन संबंधी क्षमता को ध्यान में रख कर ही निर्धारित की जानी चाहिये। इस बात की जांच करने के लिये कि ऋणों का उपयोग उचित ढंग से किया जाय तथा जिस प्रयोजन के लिये ऋण दिये जायें वे उसी पर खर्च किये जायें, बैंक, पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षी कर्मचारी भी नियुक्त करेंगे। इसलिये इस सम्बन्ध में इस प्रकार की आशंका का कोई कारण नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रकमें बढ़ जायेंगी या वे जनता के धन का दुरुपयोग करेंगे।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड का घाटा

9161. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड की वर्ष 1968-69 की रिपोर्ट के अनुसार उसे वर्ष 1968-69 में 1·05 करोड़ रुपये की बिक्री पर 9·1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) क्या इस रिपोर्ट से पता लगा है कि बिक्री से प्राप्त इस उपक्रम की कुल आय की लगभग एक-तिहाई राशि उसके तीन संयंत्रों से सम्बद्ध रूसी विशेषज्ञों के वेतनों पर खर्च हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने वर्ष 1968-69 में लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियां तथा औजार तैयार किये लेकिन उसका कुल तिहाई भाग बाजार में बिका और कम्पनी के अनुसार ऐसा "कड़ी प्रतिस्पर्धा' के कारण हुआ;

(घ) क्या औषधि मूल्यों में आसन्न कटौतियों को देखते हुए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के लिये प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना और ज्यादा कठिन हो जायेगा; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इण्डियन फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड का कार्य सन्तोषजनक न रहने के क्या कारण हैं, जबकि देश में फार्मेस्यूटिकल्स उद्योग में विभिन्न एककों का काम काफी हद तक अच्छा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। 1968-69 में रूसी विशेषज्ञों को वेतनों तथा निर्वाह भत्ते के रूप में दी गई रकम 29·05 लाख रुपये थी जबकि इस वर्ष की कुल बिक्री 105·59 लाख रुपये थी।

(ग) जी हां। कम्पनी 1968-69 के अपने समूचे उत्पादन को उसी वर्ष के दौरान नहीं बेच सकी, उन हालतों के कारण जो इसके वश में नहीं थे जैसे पहले जारी किये गये लाइसैन्सों द्वारा

आयात से देश में पदार्थों का मिलना । पर कम्पनी का वर्ष 1969-70 के दौरान माल बेचा गया ।

(घ) इस कम्पनी के कार्य परिणामों पर संशोधित मूल्यों से पड़ने वाले प्रभाव मूल्यांकन इतना समय पहले नहीं किया जा सकता ।

(ङ) 1968-69 में हानि होने का मुख्य कारण यह है कि उस वर्ष के दौरान ऋषिकेश के एण्टीबायोटिक्स प्लांट तथा हैदराबाद का सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट कार्यान्वयन तथा स्थिरीकरण अवस्था में थे । रसायन परिचालनों तथा प्रक्रियाओं की जटिलता पर निर्भर करते हुए सहयोगियों द्वारा दी गई दक्षताओं तथा सिद्धान्तों को प्राप्त करने के लिये 2 से 3 वर्ष लगते हैं । दोनों ऋषिकेश का एण्टी-बायोटिक्स प्लांट और हैदराबाद का सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट 1971 के पहले चतुर्थांश में उस अवस्था-तक पहुंचेंगे । 1969-70 में 489·79 लाख रुपये की बिक्री से. यह स्पष्ट है कि कम्पनी के कार्यक्रम में सुधार हो चुका है । कम्पनी की देश के किसी अन्य औषध यूनिट के साथ तुलना करना भी ठीक नहीं है । आई० डी० पी० एल० की तरह मूल अवस्था से बहुत प्रकार की औषधियां उत्पादित करने वाला कोई और यूनिट नहीं है ।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रकाशित श्री पी० डी० ओझा द्वारा निकाले गए निष्कर्षों तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया

9162. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत के रिजर्व बैंक के जनवरी, 1970 के अंक के एक पत्र में 'ए कनफिगरेशन ऑफ इंडियन पावर्टी ऐण्ड जेवलन ऑफ लिविंग' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित श्री पी० डी० ओझा के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उनके इस आशय के एक निष्कर्ष से सहमत हैं कि देश में पूर्ण निर्धनता की रेखा के नीचे के व्यक्तियों की संख्या 52 प्रतिशत से 70 प्रतिशत हो गई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार के विचार से श्री पी० डी० ओझा ने जिन आंकड़ों का उपयोग किया है उनकी कई सीमितताएं हैं और केवल उनके ही आधार पर आमदनियों के वितरण के स्वरूप अथवा आमद-नियों के परिवर्तनों के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ग) सरकारी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना है और यह उद्देश्य सुनियोजित आर्थिक विकास और आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को कम करने वाले विभिन्न राजस्व-सम्बन्धी और इनसे भिन्न उपायों द्वारा पूरा किया जायेगा ।

राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी के साथ हुए करार का पुनरीक्षण

9163. **श्री रवि राय :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी जो मद्रास तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई कर रही है, के साथ करार का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने

के लिये सर्वोच्च स्तर का एक तीन सदस्यीय भारतीय तेल दल हाल में अगले महीने तेहरान जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख)। चार सदस्यों का एक दल ईरान गया था और वापिस आ गया है । इस दल के फिर से जाने का विचार नहीं है। इस समय उस वार्ता को बताना जन हित में नहीं है।

लौह अयस्क के उत्पादन तथा विश्व बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति में सुधार करने के लिए अध्ययन दल की सिफारिशें

9164. **श्री रवि राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खान तथा धातु विकास निगम द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय अध्ययन दल ने लौह अयस्क के उत्पादन तथा विश्व बाजार में प्रतियोगिताओं की स्थिति में सुधार करने के लिये कई दूर-गामी सिफारिशें की हैं;

(ख) इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग)। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्ययन दल ने लौह अयस्क उद्योग के पूर्वेक्षण, समन्वेषण, समुपयोजन, परिवहन, पत्तन सुविधाओं, प्रबन्ध एवं वित्तीय पहलुओं से सम्बन्धित विषयों पर कई सुझाव दिये हैं । अध्ययन दल की सिफारिशों, जिनकी प्रतीक्षा है, के सन्दर्भ में, निगम से यह अनुरोध किया गया है कि वह विनिर्दिष्ट प्रस्तावों को सूत्रबद्ध करे ।

मदुरै में गुप्त रोग

9165. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में कोडालपनाल के निकट मन्नावानूर गांव में गुप्त रोग से अप्रैल, 1970 में ग्यारह बच्चों की जानें गई हैं;

(ख) क्या मामले की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) से (ग)। सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में काम करने वाले कम्पाऊंडरों आदि द्वारा किया गया प्रदर्शन

9166. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में काम करने वाले कम्पाऊण्डरों ने उनके संघ के प्रशासन के साथ एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा की गई मारपीट के विरोध में 7 अप्रैल, 1970 को कोई प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण थे ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : 7 अप्रैल, 1970 को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के कुछ फार्मासिस्टों ने एक मीटिंग की तथा एक संकल्प पारित किया जिसमें यह मांग की गई कि स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना) के अधिकांश केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के स्टाफ के साथ कथित दुर्व्यवहार के कारण या तो स्थानान्तरित किया जाय अथवा कथित दुर्व्यवहार की जांच होने तक निलम्बित किया जाय । जांच करने के उपरान्त यह पाया गया कि संकल्प में की गई मांग स्वीकार्य नहीं तथापि सम्बन्धित अधिकारी को स्टाफ के साथ अपने व्यवहार में और अधिक नियंत्रित रहने का परामर्श दिया गया है ।

कोयले के विकास के लिए समिति का गठन

9167. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले का एक समान विकास के लिए एक राष्ट्रीय ईंधन नीति बनाने के लिए इस बीच एक समिति स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका गठन क्या है, उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके विचारणीय विषय क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अभी नहीं जी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोहे की तिजोरियों पर उत्पादन-शुल्क

9168. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री भगवान दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेस्ट हैण्ड मेड आयरन सेफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था द्वारा की गई मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हाथ की बनी तथा बिना बिजली के काम करने वाली लोहे की तिजोरी को उत्पादन-शुल्क से छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : जी हां, पश्चिम बंगाल हस्त-निर्मित तिजोरी निर्माता संघ (वेस्ट बंगाल हैंड-मेड आयरन सेफ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन), कलकत्ता ने बिना बिजली की सहायता से बनी लोहे की तिजोरियों पर उत्पादन-शुल्क से छूट चाही थी ।

(ग) तथा (घ) लोहे की जिन तिजोरियों के निर्माण में अथवा जिनके निर्माण के सम्बन्ध में बिजली की सहायता से आमतौर पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती, उनको 1 मई, 1970 से उत्पादन-शुल्क की अदायगी से पहले ही छूट दी जा चुकी है ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के आवास के लिए दिया जाने वाला वार्षिक किराया

9169. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिये किराये पर लिये गये आवास के लिए प्रति वर्ष कुल कितना किराया दिया जाता है; और

(ख) पिछले वर्ष कितनी इमारतें बनाई गईं ताकि किराये पर ली गई इमारतों को छोड़ा जा सके तथा उन पर कितनी लागत आई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किराए पर ली इमारतों का वार्षिक किराया

9170. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यालयों के लिये किराये पर ली गई जगह का कुल कितना वार्षिक किराया दिया जाता है; और

(ख) किराये पर ली गई इमारतों का स्थान लेने के लिये गत वर्ष कितनी इमारतें बनाई गई तथा उन पर कितनी लागत आई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी उद्यमों द्वारा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में 1968 में, कार्यालयों के लिए किराए पर ली गयी इमारतों के किराए के रूप में देय कुल रकम 293 लाख रुपये थी । इन चार शहरों के अलावा अन्य स्थानों पर कार्यालय के लिए किराये पर ली गई इमारतों के किराए के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वह वांछित परिणाम की तुलना में कहीं अधिक होगी ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Survey for Petroleum products in Madhya Pradesh

9172. Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state whether Government have considered the question of having a survey conducted by experts in Madhya Pradesh with a view to exploring petroleum prospects there ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : Geological conditions in Madhya Pradesh are not considered favourable for oil and gas accumulations in that State. There is, therefore, no proposal for carring out oil exploration surveys in Madhya Pradesh.

इंडियन ओवरसीज़ बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का वेतन

9173. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन ओवरसीज बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते इंडियन बैंक लिमिटेड के बराबर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12(2) के अनुसार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी उस बैंक में, उन्हीं शर्तों के अनुसार जो उस पर भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनी के अन्तर्गत लागू होती थीं, तब तक अपना काम करता रहेगा या सेवा करता रहेगा जब तक सम्बद्ध नया बैंक, उसके पारिश्रमिक तथा उसकी सेवा सम्बन्धी शर्तों में पविर्तन नहीं कर देता ।

अधिनियम की धारा 19(2) (घ) के अनुसार अब इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक-मण्डल को, जिसका गठन शीघ्र किया जाने वाला है, रिजर्व बैंक से परामर्श करने तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद नियम बनाने और उन नियमों में सेवा सम्बन्धी ऐसी शर्तों और सीमाओं की व्यवस्था करने का अधिकार होगा जिनके अनुसार बैंक, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है तथा उनका पारिश्रमिक और सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें निर्धारित कर सकता है । इन विनियमों के अन्तर्गत, परिवीक्षाधीन अधिकारियों का पारिश्रमिक और उनकी सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार निदेशक-मण्डल को है ।

केरल में खनिज उत्पादन में कमी

9174. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1969-70 में खनिज पदार्थों का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार इस राज्य में कुल कितना खनिज उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या केरल राज्य में खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उस राज्य को कोई वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में खनिज उत्पादन को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों को, विनिर्दिष्ट रूप से खनिज उत्पादन के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है तथापि, एकमुश्त अनुदानों या ऋणों के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग खनिज उत्पादन के लिये भी किया जा सकता है।

विवरण

1967—69 के दौरान केरल राज्य में खनिज उत्पादन के मूल्य* को दर्शित करने वाला विवरण

वर्ष	मुख्य खनिज	गौण खनिज	जोड़ (हजार रुपयों में)
1	2	3	4
1967	5,558	9,091	14,649
1968	4,316	6,466(अ)	10,782
1969	4,068	उपलब्ध नहीं	**4,068

(अ) —अनन्तिम

(*) —आणविक खनिजों एवं घरेलू नमक का उपवर्जन करके ।

(**) —गौण खनिजों का उपवर्जन करके ।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को क्रयादेश देने से सम्बन्धित भारतीय तेल निगम के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

9175. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मेनुफैक्चरिंग कम्पनी को सरकार द्वारा उसका नाम काली सूची में दर्ज किये जाने के बाद भी बैरलों की सप्लाई के लिये क्रयादेश देने वाले अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिकारी का नाम क्या है तथा उसके विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग के मैटिरियल विभाग में उस समय काम करने वाले दो कर्मचारी अर्थात् (1) श्री बी० एम० दिगम्बर; (2) श्री वी० एन० गंगाधरण मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनूफैक्चरिंग कं० (प्राइवेट) लि० को बैरलों की सप्लाई के क्रयादेश देने से संबंधित, किन्तु जिम्मेवार नहीं थे । उन्हों ने निगम की सेवाओं से त्याग-पत्र निम्नप्रकार दिया :—

श्री बी० एम दिगम्बर 31-7-1964 से ।

श्री वी० एम० गंगधरण 5-10-1964 से ।

फर्म के काली सूची में डाले जाने की सूचना सरकार दिनांक 21-5-64 के पत्र में दी गई थी । क्रयादेश 12-9-64 को दिया गया था । उस समय के प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार, सरकार के परामर्श से और विलोमतः सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों द्वारा पार्टियों को काली सूची में डालने पारस्परिक प्रबन्ध लागू नहीं थे।

(ख) प्रश्न के पैरा (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स यूनाइटिड एजेंसीस, मैसर्स राधाकिसन बिमल कुमार और मैसर्स बाल किसन लाल पोद्दार के पैट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल और इण्डियन गैस की एजेंसियां

9176. श्री स० कुन्दू : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री भारतीय तेल निगम बिक्री विभाग में कथित भ्रष्टाचार के बारे में 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) मैसर्स यूनाइटिड एजेंसीज, मैसर्स राधाकिसन बिमल कुमार और मैसर्स बालकिसन लाल पोद्दार के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में तथा अन्य स्थानों पर और बम्बई कोआपरेटिव सोसाइटी के ओर से गरीब दास के तथा सिधी वाणिज्य मंडल के बम्बई में कितने पैट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल और इण्डियन गैस एजेंसियां कितनी हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त फर्म तथा व्यक्तियों ने अपने परिवार के सदस्यों तथा सम्बन्धियों के नाम पर कई फर्में बना रखी हैं और पैट्रोलिमय पदार्थों के वितरण पर काफी हद तक अपना नियन्त्रण रखा हुआ है;

(ग) क्या बिमल कुमार और विनोद कुमार मैसर्स यूनाइटिड एजेंसी मैसर्स राधाकिसन विमल कुमार मैसर्स किसन लाल पोद्दार नामक फर्मों के मालिक हैं और क्या वे सम्बन्धी है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पैट्रोलियम पदार्थों के वितरण में ऐसे निहित स्वार्थों को हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

संसद् सदस्यों द्वारा आय-कर सम्बन्धी विवरण का दिया जाना

9177. श्री स० कुन्दू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस संसद् सदस्य को भी जिसकी आय-कर निर्धारण के अन्तर्गत नहीं आती, अनिवार्यतः आय-कर सम्बन्धी विवरण देना पड़ता है; और यदि हां, तो इस बारे में कानूनी क्या स्थिति है;

(ख) क्या आय-कर विभाग को कहा गया है कि उन संसद् सदस्यों के वेतन में कुछ कटौती की जाये जिनका वेतन आय-कर निर्धारण के अन्तर्गत नहीं आता ; और

(ग) यदि हां, तो व्यय के उन मदों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यदि किसी व्यक्ति के पास कर निर्धारण-योग्य आय नहीं है तो आय-कर अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत उसके लिये अनिवार्यरूप से आय की विवरणी दाखिल करना आवश्यक नहीं है किन्तु, यदि आय-कर अधिकारी द्वारा धारा 139(2) अथवा 148 के आधीन उसको नोटिस जारी किया गया हो तो उसे अपनी आय की विवरणी दाखिल करनी होती है, चाहे उसके पास कर-निर्धारण योग्य आय हो अथवा नहीं हो ।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अन्तर्गत, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी पूर्ववर्ती वर्ष में कुल आय, आय-कर नहीं लगने योग्य अधिकतम रकम की सीमा से अधिक थी, निर्धारित तिथि के अन्दर अपनी आय की विवरणी दाखिल करनी होती है । जिन व्यक्तियों की आय वेतन के रूप में होती है, उनके मामले में यह (निर्धारित) तिथि कर-निर्धारण-वर्ष की 30 जून होती है।

31 मार्च 1968 तक, संसद् सदस्यों को 500 रु० प्रति मास के हिसाब से प्राप्त नियत पारिश्रमिक 'वेतन' के रूप में माना जाता था तथा उसमें से स्रोत पर कर की कटौती की जाती थी । किन्तु, विधि मंत्रालय तथा महान्यायवादी की राय पर 1 अप्रैल 1968 से, इस पारिश्रमिक को अन्य स्रोत से हुई आय के रूप में माना जाता है जिससे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाती है। अतः, कर-निर्धारण-वर्ष 1968-69 तक, प्रत्येक संसद् सदस्य को निर्धारित तिथि के अन्दर अपनी आय की विवरणी दाखिल करनी होती थी । कर-निर्धारण-वर्ष 1969-70 से यह व्यवस्था है कि यदि आय में से कटौती-योग्य व्यय को घटाने के बाद संसद् सदस्य की आय-कर लगने योग्य सीमा से नीचे है तो उसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अन्तर्गत आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : जी हां,। आय-कर विभाग को सलाह दी गयी है कि व्यय की निम्नलिखित मदों को संसद् सदस्यों के नियत पारिश्रमिक में से कटौती करने योग्य माना जा सकता है :—

(i) दिल्ली में एक कार्यालय रखने का व्यय;

(ii) अपने निर्वाचन-क्षेत्र में एक कार्यालय रखने का व्यय; और

(iii) दिल्ली में अथवा अपने निर्वाचन-क्षेत्र में डाक-व्यय, लेखन-सामग्री, वाहन, टेलीफोन, आशुलिपिक की सहायता आदि पर किया जाने वाला व्यय।

माननीय संसद् सदस्यों के वेतन में से छूट देने योग्य व्यय की सीमा का प्रश्न लोक-सभा के माननीय अध्यक्ष के पास, उप-विधि निर्माण समिति का मंतव्य प्राप्त करने के लिये भेजा गया था । समिति ने सलाह दी है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 57(III) के अन्तर्गत न्यूनतम छूट सीमा 100 रुपये प्रतिमास निर्धारित की जाय । हम समिति की इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

मैसूर में ग्रामीण सेवा के लिए इच्छुक डाक्टरों को अधिक भत्ता

9178. श्री रा० की० अमीन :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की इच्छा व्यक्त करने वाले डाक्टरों के लिये भत्ता दुगना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार समुचे देश में ऐसे ही प्रोत्साहन देने की योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर फास्फेट उर्वरक की मांग का न होना तथा उसके उत्पादन में कमी

9179. श्री मणि भाई जे० पटेल :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकार्बनिक रसायन उद्योग विकास परिषद से सुपरफास्फेट उर्वरक की मांग न होने तथा परिणामस्वरूप उसके उत्पादन में कमी की समस्या पर विचार करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो वह संभवतः कब तक प्रतिवेदन दे देगी;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक संस्था से भी नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक पदार्थों के मूल्यों में रियायतें निर्धारित करने के लिये तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ): अकार्बनिक रसायन उद्योग विकास परिषद ने 18-3-1970 को अपनी बैठक में सुपरफास्फेट उर्वरक उद्योग को पेश हो रही समस्याओं पर विचार किया था लेकिन कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी। भारतीय उर्वरक संस्था ने सुपरफास्फेट उद्योग की समस्याओं का तकनीकी आर्थिक अध्ययन शुरू किया है। अध्ययन के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

देश में पशुओं से (यूनोटिक) होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में सर्वेक्षण

9181. श्री मणि भाई जे० पटेल :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पशुओं से (यूनोटिक) होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराने का है अथवा कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रोगों को दूर करने के लिये सरकार ने कोई योजनाऐं बनाई हैं;

(घ) यदि हो, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष में इसपर कितना व्यय होने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । सरकार ने कुछ सर्वेक्षण किये हैं ।

(ख) विश्व में 150 से अधिक यूनोटिक बीमारियां हैं। इनमें से भारत में पाये जाने वाले प्रमुख रोग आलर्क, प्लेग, अपिगोलाणुरुजा, अतिकुन्तलाणुरुजा, उदकोष्ट तथा महत्तम एक्तश्चूषाभ हैं।

अब तक किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर एकत्र हुए आंकड़ों के अनुसार वस्तु स्थिति इस प्रकार है :

आलर्क : 1969 में केवल दिल्ली के संक्रामक रोगों के अस्पताल में ही हाइड्रोफोबिया के 54 रोगियों का उपचार किया गया । 1969 में पास्च्यूर संस्थान कूनूर में 94,788 रोगियों का आलर्क निरोधी उपचार किया गया ।

प्लेग : मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत संभवतः डी० डी० टी० के छिड़काव से मिली राहत की अवधि के पश्चात मैसूर राज्य के कोलार जिले के एक ताल्लुक में 1959 में मानव प्लेग की दो घटनाएं हुई । रोगियों की संख्या धीरे-धीरे वर्षवार बढ़ती गई और 1962 में 103 ग्रामों में रोगियों की संख्या 585 तक पहुंच गई ।

15 से 20 वर्षों के बाद कुछ क्षेत्रों में रोग पुनः हो गया । इससे स्पष्ट हुआ है कि मनुष्यों में यह रोग न होने से यह निष्कर्ष सिद्ध नहीं होता कि प्लेग समाप्त हो गया । पिछले तीन वर्षों में देश के किसी भाग में मनुष्यों के प्लेग से पीड़ित होने की कोई सूचना नहीं मिली हैं। मनुष्य और चूहों में प्लेग कम होने संबंधी महामारी विज्ञान प्लेग संचारण नियंत्रण के लिए कीटनाशकों और चूहों एवं पिस्सुओं के जीव विज्ञान सबंधी अध्ययन इस क्षेत्र में किये जा रहे हैं।

अपिगोलाणुरुजा : यह रोग देश के लगभग सभी राज्यों में पशुओं को होने की खबर मिली है । हरियाणा राज्य के करनाल जिले के चरवाहों को इस रोग से पीड़ित पाया गया है । औरंगाबाद में भेड़ों में गर्भपात के कारण एक परिवार में अपिगोलाणुरुजा रोग फैल गया । विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए एकत्र किये गये मानव सीरा के नमूनों में से 3,282 मानव सीरा नमूनों का परीक्षण दिल्ली में किया गया और उनमें से 0.9 प्रतिशत में नैदानिक अनुमापनांक प्रकट हुई ।

अतिकुन्तलाणुरुजा : पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सीरम संबंधी प्रमाण संचित किये गये हैं जिससे पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, अण्डमान, केरल, तामिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश में पशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों, सुअरों, घोड़ों, कुत्तों तथा मनुष्यों में अतिकुन्तलाणुरुजा का संक्रमण हो जाता है ।

उदकोष्ठ रोग : देश के अनेक राज्यों में मनुष्यों में उदकोष्ठ रोग होने के बारे में सूचना मिली है। दिल्ली के अस्पतालों से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति दस हजार भरती किए गए रोगियों में से तीन व्यक्ति उदकोष्ठ रोग से पीड़ित पाये गये।

महत्तम एक्तश्चूषाभ : 1953 में बिहार में तथा 1967 में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इस रोग का संक्रमण पाया गया।

(ग) और (घ) : इन रोगों के उन्मूलन के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं :

मनुष्य नें कुछ रोगों (यूनोटिस) पैदा करने में पशुओं द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा करने के बारे में बल दिया जा रहा है और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता को देश में महत्व दिया जाता है। अक्तूबर 1968 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में यूनोटिस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जो अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से अपिगोलाणुरुजा एवं आलर्क पर एक सम्मेलन आयोजित किया जिससे इन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में जुलाई 1970 से वटेरिनरी पब्लिक हैल्थ का एक दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है।

कुछ प्रमुख रोगों को नियंत्रित करने के उपायों को महसूस करते हुए खाद्य पदार्थों और दूध की सफाई के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है ताकि खाद्य/दूध से उत्पन्न होने वाले यूनोटिस पर नियंत्रण किया जा सके।

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष धन राशि नियत नहीं की गई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी धन का निवेश

9182. श्री मणि भाई जे० पटेल :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में अमरीकी राजदूत श्री केन्नेथ बी० कीटिंगंज द्वारा 7 अप्रैल, 1970 को पटना में दिए इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाये तो भारत आर्थिक विकास में पर्याप्त दर से विकास कर सकता है और सरकारी ऋण से गैर-सरकारी पूंजी निवेश कहीं अधिक अच्छा है जिसका अन्ततः वापस भुगतान हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) शोधन शेष की दृष्टि से, विदेशी सरकारों से मिलने वाले ऋणों और गैर-सरकारी विदेशी निवेश में से किसी एक का चुनाव करना बहुत कठिन है क्योंकि एक ओर विदेशी सरकारों से मिलने वाले ऋणों के संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी करनी होती है, जबकि दूसरी ओर गेर-सरकारी विदेशी निवेश के लाभ की रकम विदेशों को चली जाती है और लगी पूंजी भी विदेशों को वापस करनी

होती है । इसके अतिरिक्त, जबकि सरकारी ऋणों की देनदारियां कुछ समय बाद समाप्त हो जाती हैं, गैर-सरकारी विदेशी निवेश का दायित्व स्थायी और वृद्धिशील हो सकता है । इस बात को देखते हुए, कि विकास के लिये आवश्यक विदेशी सहायता की आवश्यकताओं के मुकाबले भारत में किये गये गैर-सरकारी विदेशी निवेश की मात्रा बहुत कम रही है, यह कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी विदेशी निवेश का योगदान मुख्यत: विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाले ऋणों की प्रतिपूर्ति करना ही रहा है न कि उनका स्थान लेना ।

कैलाश बूस्टर पम्पिग स्टेशन योजना, दिल्ली

9183. श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री मणि भाई जे० पटेल :

श्री देविन्दर सिह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाश बूस्टर पम्पिग स्टेशन योजना का कार्य जिसके अन्तर्गत भूमिगत टंकियां और भूमि के उपर चार टंकियां भी शामिल हैं सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या ब्यौरा है;

(ग) नजफगढ़ नाले में बहने वाली गन्दगी को साफ करने के लिये दिल्ली जल प्रदाय और मल निष्कासन समिति के आक्सी करण सन्यन्त्र का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) सन्यंत्र की अनुमानिक लागत क्या है; और

(ङ) अन्य विभिन्न स्थानों के बूस्टर स्टेशनों के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) भूमिगत टंकियों के निर्माण का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । श्रीनिवासपुरी तथा पंचशील में भूमि के ऊपर टंकियां बनाने का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । मालवीय नगर में भूमि के ऊपर की टंकियां बनाने का काम 90 प्रतिशत और भारतीय तकनीकी संस्थान के समीप 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

(ग) सन्यन्त्र जून के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा है । पम्पिग के लिए अस्थायी तौर पर प्रबन्ध होगा । पम्पिग के लिये स्थाई प्रबन्ध अक्टूबर, 1970 तक पूरे होंगे।

(घ) सन्यन्त्र की अनुमानित लागत 3.97 लाख रुपये है ।

(ङ) मालवीय नगर तथा रामकृष्णपुरम् में स्थित बूस्टर पम्पिंग स्टेशन पर मशीनी तथा बिजली के उपकरण लगाने का काम प्रगति पर है तथा आशा है कि ये काम महीने के अंत तक पूरे हो जायेंगे । मूलचन्द अस्पताल के समीप एक अस्थायी बूस्टर पम्पिग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है तथा यह काम महीने के मध्य तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

पेट्रोलियम उत्पादों में कमी

9184. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्रत्येक वस्तु में कितनी कमी

दिखाई गई है और भारतीय तेल निगम द्वारा इस कमी के क्या कारण थे और इन तीन वर्षों में यह कमी कुल कितने मूल्य की थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : टपकन और वाष्पीकरण आदि के कारण पैट्रोलियम उत्पादों के सामान्य रूप से उतारने एवं चढ़ाने में होने वाली कमियां, उनके परिवर्तनशील गुण के कारण स्वाभाविक है । ऐसी कमियों की मात्राओं एवं गुण के बारे में सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है ।

गृह निर्माण के लिए ऋण

9185. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967 से 1970 तक गृह निर्माण के लिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये और इससे अधिक के कुल कितने ऋण मंजूर किये गए ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग द्वारा आरंभ की गई निम्न तीन आवास योजनाओं में लोगों को उनके अपने लिए भवन निर्माण के लिए ऋण देने की व्यवस्था है :—

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।

(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना ।

(iii) मध्यम आय वर्ग आवास योजना ।

इन योजनाओं के अंतर्गत, अधिकतम देय ऋण क्रमश: 3,000 रुपये, 12,500 रुपये तथा 25,000 रुपये है ।

यद्यपि ये योजनाएं इस विभाग द्वारा आरंभ की गई हैं, इनका कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक आवेदन की परिस्थितियों के अनुसार, योजनाओं के अन्तर्गत, मकानों के निर्माण के लिए पात्र उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता देती हैं । ऋणों में दी गई वास्तविक अग्रिम राशि; आवास निर्माण के उद्देश्यों के बारे में सूचना इस विभाग में उपलब्ध् नहीं है, और सारे देश से अपेक्षित ब्यौरे को एकत्रित करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह सूचना की उपयोगिता के अनुरूप नहीं होगा ।

भारत को प्रति व्यक्ति विदेशी सहायता

9186. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी पियर्सन आयोग ने हाल के अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत को मिलने वाली प्रति व्यक्ति विदेशी सहायता विश्व में सबसे कम है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के बारे में आयोग के अन्य निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के बारे में दिये गये आंकड़ों के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में आयोग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया एक अध्याय भी है, जो अनुबन्ध 1 में विकास सम्बन्धी स्थिति शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है । रिपोर्ट की एक प्रति, संसद् के पुस्तकालय में पहले ही से रख दी गयी है ।

छोटी आयों पर आय-कर वसूल करने पर आने वाली लागत

9187. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी आयों पर कर-निर्धारण करने से राजस्व घटता है अथवा इसे घाटा ही होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न आय-समूह पर आय-निर्धारण और कर वसूल करने पर आने वाली लागत और वसूल की गई कर-राशि सम्बन्धी विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अल्प आय के मामलों के बारे में हुई राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले, कर-निर्धारण तथा वसूली की लागत का अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया । किन्तु, 15,000 रुपये से अनधिक आय के व्यापार सम्बन्धी मामलों तथा अन्य सभी गैर-व्यापार सम्बन्धी मामलों के बारे में, कर की प्राप्ति तथा वसूली की लागत के, कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 तक, कुछ अनुमान लगाये गये हैं तथा सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	वर्ग III, IV तथा V के मामलों में कर की अनुमानित प्राप्ति (कुल निर्धारित कर का 8 प्रतिशत)	वर्ग III, IV तथा V के मामलों में वसूली की लागत
1	2	3
1965-66 . . .	29	5.32
1966-67 . .	40	4.97
1967-68	46	5.58

यह जाहिर है कि इस प्रकार के मामलों के कर-निर्धारण से कोई हानि नहीं होती।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की राजस्थान में खोली गई शाखाएं

9188. श्री रा० कृ० विड़ला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने में राजस्थान में भारत के स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिलेवार कितनी शाखाएं खोली गयी हैं;

(ख) गत छः महीने में राजस्थान में भारत के स्टेट बैंक द्वारा कृषकों को कितनी राशि का ऋण दिया गया है; और

(ग) चालू वर्ष में राजस्थान में कृषकों को कितनी धन-राशि देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 30 अप्रैल 1970 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के एक सहायक बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली छः माही में 26 कार्यालय खोले गये थे । उपर्युक्त अवधि में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजस्थान में कोई नया कार्यालय नहीं खोला गया था । इस अवधि में खोले गये कार्यालयों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बकों द्वारा राजस्थान में किसानों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम में और किसानों के ऋण-खातों की संख्या में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली छः माही में जो वृद्धि हुई, वह इस प्रकार है :—

मार्च 1970 को समाप्त होने वाली छः माही में हुई वृद्धि	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
1	2	3
खातों की संख्या	1,010	3,490
स्वीकृत ऋण-सीमा	0.52 करोड़ रु०	1.64 करोड़ रु०
बकाया रकम	0.34 करोड़ रु०	1.08 करोड़ रु०

(ग) इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी है । फिर भी बैंक द्वारा, अपने साधनों को देखते हुए, राजस्थान के किसानों को यथासम्भव अधिक सहायता देने की भरसक कोशिश की जायेगी ।

विवरण

31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली छः माही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राजस्थान में खोली गई शाखाएं

जिले का नाम	कार्यालयों की संख्या
1	2
अजमेर	1
अलवर	1
बाड़मेर	3
भीलवाड़ा	1
बीकानेर	2
गंगानगर	3
जयपुर	2
जालौर	1
झालावाड़	3
जोधपुर	1
कोटा	1
नागौर	1
पाली	1
टौंक	1
उदयपुर	4
	26

Shares of Government in Voltas Limited

9189. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have 22.5 per cent shares in Messrs Voltas Limited;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have not appointed any Director on their behalf; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Government have no shareholding in the Company but the Life Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India together hold 25.6% of the Company's equity capital.

(b) & (c) : The question of the Government appointing a Director on the Board of the Company does not arise. The Life Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India also do not have a Director in the Company's Board. This is presumably because until recently the policy of the Government was to let these institutions participate

only in exceptional cases in the management of the companies in which they hold shares as investors. This policy is in the process of being changed. The question whether M/s. Voltas Limited would be the kind of company in which the two investors together, on the basis of their existing shareholding in the Company, should endeavour to secure some representation in the Board of the Company will get clarified once the details of the new policy are finalised.

पूर्ण रूप से तेल पर आधारित उर्वरक कारखानों का विरोध

9190. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक इंजीनियरिंग संगठनों तथा उर्वरक सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञों ने देश में पूर्ण रूप से तेल पर आधारित उर्वरक कारखाने लगाने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने का किस आधार पर विरोध किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of Houses to Teachers of Delhi Administration

9191. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that houses are allotted to the teachers of the Education Department of the Delhi Administration;

(b) if so, the details of the houses allotted so far to the teachers; and

(c) the details of the applications for allotment of the houses which are at present pending?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The Teachers of the Government Schools under the Education Department of the Delhi Administration, who are working in Schools located withing the prescribed eligibility zones, are entitled to the allotment of accommodation from the general pool in Delhi/New Delhi, on the basis of their position on the waiting lists prepared with reference to their dates of priority.

(b) and (c) : No separate statistical data in regard to the allotments made to teachers working in Government Schools or in respect of applications pending are maintained in the Directorate of Estates. Their compilation will require time and labour that will not be commensurate with the benefit to be gained.

भारत में तीन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी

9192. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐस्सो, कालटैक्स और बर्मा शैल ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से बाद की अवधि में लाभ, ब्याज, वेतन आदि के रूप में विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा में, कुल कितनी राशि अर्जित की है, और

(ख) उपर्युक्त तीन कम्पनियों ने कुल कितनी पूंजी लगाई थी और इसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना था ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : विदेशी तेल कम्पनियों (विपणन एवं शोधनशालाएं) अर्थात् बर्मा शैल, एस्सो और कालटैक्स द्वारा लगाई गई पूंजी, तथा उनका ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ निम्न प्रकार है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3461/70] ।

स्नातकोत्तर संस्था के कर्मचारियों को पंजाब सरकार के वेतनमान देना

9193. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ ने इस संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार के वेतनमान देने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने उन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां;

(ख) और (ग) : भारत सरकार के सामान्य निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि 6-3-1970 से सभी संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र के वेतनमान अपनाये जायेंगे, संस्थान द्वारा केन्द्रीय वेतनमान अपनाने की सलाह दी गई है।

Complaint Against Excise Officials By 'Hukka Tobacco' Cultivators in Uttar Pradesh

9194. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 'Hukka tobacco' cultivators of Machhali Shahr, Jaunpur, Uttar Pradesh have lodged a complaint against the officers and staff of the excise department and if so, the action taken thereon and the outcome thereof;

(b) whether it is also a fact that 'hukka tobacco' cultivators have stopped cultivating it from last year as a result of harassment by the staff of the excise department, if so, the measure being adopted to encourage cultivation of 'hukka tobacco'; and

(c) the revenue earned by Government every year from the production of 'hukka tobacco' in the said area and the extent of loss being sustained by Government every year on account of stopping production of 'hukka tobacco' from last year?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Production of Triple Superphosphate in Hindustan Zinc Ltd.

9195. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the progress made so far in respect of producing triple superphosphate instead of single superphosphate in the Hindustan Zinc Ltd.?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : The Hindustan Zinc Limited have taken up the question of production of Triple Superphosphate, instead of Single Superphosphate, with their French Technical Consultants and FEDO, the design organisation of FACT. It is proposed to take up the manufacture of Triple Superphosphate along with the expansion of the Zinc Smelter of the Company for which a Detailed Project Report is presently under preparation.

Representation by Employees Union of Barauni Fertilizer Factory

9196. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Employees Union of Barauni Fertilizer Factory has submitted memorandum to the management of the factory and to him in connection with the demands of the workers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) A copy of the charter of demands submitted by the Union is attached. [Placed in the library. *See No. L. T.* 3462/70]

(c) The demands are generally on matters the settlement of which is within the competence of the Corporation's management. It is understood that a bipartite meeting between the representatives of the State Labour Department and the representatives of the Fertilizer Corporation of India took place during the first week of April, at which the Corporation's view point was explained in respect of each demand. The Joint Labour Commissioner, Patna, will be having another meeting with the Fertilizer Corporation of India management shortly after discussions with the representatives of the workmen in this connection.

Refund of Unutilised Amount by Bihar

9197. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Bihar have refunded certain unutilised amount to the Central Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government of Bihar have also stated the reasons for not utilising the said amount; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (d) : According to information received from the Government of Bihar,

they refunded an amount of Rs. 12.41 lakhs to the Government of India in August, 1969 in respect of the Central assistance received for the programme of permanent improvement of scarcity areas for the years 1959-60 and 1960-61. The refund became necessary since the expenditure incurred by the State Government on this programme was only Rs. 7.94 lakhs as compared to the amount of Rs. 20.35 lakhs received from the Government of India

कोयला खान मालिकों द्वारा गन्तव्य स्थानों पर वैगनों में लदे कोयले का संयुक्त विश्लेषण करने का विरोध

9198. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गन्तव्य स्थान पर वैगनों में लदे कोयले का संयुक्त विश्लेषण करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कोयला खान मालिक इसके लिए तैयार नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो मालिकों ने इसके लिए क्या कारण दिए हैं; और

(घ) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) : 1968 में भारत सरकार ने कोयला खनन सलाहकार के नेतृत्व में कोयले के नमूना लेने संबंधी समस्याओं पर विचार करने और इस प्रकार नमूना बनाने की एक समुचित प्रणाली जो कोयला और इस्पात उद्योगों दोनों को स्वीकार्य हो तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया।

समिति ने कार्यप्रणाली संबंधी जो सिफारिश की थी, जिस को सरकार ने स्वीकार किया था, वह यह थी कि सरकार द्वारा नियुक्त विश्लेषक कोयला लादने के स्थान और गंतव्य स्थान दोनों पर नमूना ले सकते हैं । कोयला उत्पादक और उपभोक्ता इस प्रकार नमूना लेते समय उपस्थित हो सकते हैं और नमूने के लिए लिये गए कोयले का अंश जांच के लिए अपने पास रखा जा सकता है। भुगतान कोयला लादने के स्थान और गंतव्य स्थान पर किये जाने वाले विश्लेषण के औसत परिणाम के आधार पर, निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

हिंदुस्तान स्टील लि० कशनचन्द थापार, वर्ड्स आदि के प्रबन्ध अभिकरणों के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास निगम आदि बड़े कोयला उत्पादकों से करार कर चुका है।

अन्य उत्पादकों से भी करार किया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने सप्लाई की किस्म के आधार पर उचित अधिलाभांश-दंड की व्यवस्था के साथ करार में मूल्य वृद्धि करने से सहमति व्यक्त की है।

आशा की जाती है अविलंब अन्य कोयला खानें भी इस प्रकार करार के लिए आगे आएंगी।

Development of Public Health Centres in Madhya Pradesh During 1969-70.

9199. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any scheme for development of public health facilities like hospitals and dispensaries including first-aid posts in Madhya Pradesh during the year 1969-70,

during Fourth Five-Year Plan had been submitted to Government and if so, the total amount involved and the extent of aid demanded by the State;

(b) the number of beds provided per 1000 persons in the hospitals, sanatoria and medical institutes in Madhya Pradesh at present *vis-a-vis* other States and Union Territories;

(c) the number of additional hospitals and dispensaries proposed to be set up in Madhya Pradesh under the said scheme during the year 1970-71 and during the Fourth Plan period and the number of beds likely to be provided therein;

(d) the number of additional beds likely to be provided by expanding the existing hospitals; and

(e) whether Government have accepted the said scheme and if so, with what modifications?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The Madhya Pradesh Government had made out proposals costing Rs. 238.00 lakhs for the year 1969-70 for the development of facilities for public health including Hospitals, Dispensaries. The Planning Commission fixed a tentative ceiling of Rs. 120.00 lakhs. The final approved outlay for 1969-70 was Rs. 121.75 lakhs against which the State Govt. anticipate an expenditure of Rs. 134.28 lakhs. For the Fourth Five-Year Plan period the State's proposals are for an outlay of Rs. 1060.00 lakhs. The Planning Commission have agreed to the revised proposals. Central assistance for State Plans is given in the form of block grants for al lheads of development including "Health".

(b) A statement showing the number of beds provided per thousand persons in hospitals, sanatoria and medical institutes in Madhya Pradesh at present *vis-a-vis* other States and Union Territories is attached. [Placed in the Library. *See No.* 3463/70]

(c) No additional Allopathic Hospitals/Dispensaries are proposed to be set up in Madhya Pradesh during the Fourth Five-Year Plan which includes the year 1970-71 also. However, 350 Ayurvedic Dispensaries in rural areas are proposed to be established during the 4th Plan.

(d) 2838 additional beds are likely to be provided by expanding the existing hospitals.

(e) The Planning Commission have accepted the outlay of Rs. 1060 lakhs proposed by the State Government.

Central Aid to Madhya Pradesh for Housing Programmes

9200. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of Central aid granted to the Government of Madhya Pradesh during the last three years for housing purposes;

(b) in case no aid has been granted, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the State Government have spent the said amount for other purposes; and

(d) if so, the reaction of Central Government thereto?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) (a) to (d) : Before the commencement of the Fourth Five-Year Plan, Central assistance was drawn by the States (out of the total assistance allocated for

housing schemes for each year) on the basis of the expenditure reported by them. The amounts allocated by the Centre and drawn by the Government of Madhya Pradesh during 1967-68 and 1968-69 for the various housing schemes were as follows :

Central Assistance

Year	Allocated	Drawn
	(Rs. in lakhs)	
1967-68	29·75	29·75
1968-69	37·88	34·79

The difference between the Central allocation and the aetual drawal by the State Government for 1968-69 is small and no diversion of funds from Housing appears to have taken place.

Central assistance from 1969-70 onwards is given to Madhya Pradesh (as to other States) in the form of "block loans" and "block grants" for all State plan schemes (including housing schemes) without their being tied to any particular scheme or head of development. Information regarding the precise amount utilised by the State Government under 'Housing' during 1969-70 has not so far been received.

मध्य प्रदेश में तपेदिक के रोगी

9201. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में तपेदिक के सबसे अधिक मामले बुरहानपुर नगर तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में बताये जाते हैं; और

(ख) यदी हां, तो मध्य प्रदेश को वहां एक बहुत अच्छा पृथक अस्पताल बनाने के लिए केन्द्र ने सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पूर्वी निमार जिले में जिसमें बुरहानपुर शहर स्थित है 1963 में केन्द्र की सहायता से **तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम** को चलाने के लिये एक **जिला तपेदिक केन्द्र** की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में अबतक ऐसे 19 अन्य **जिला तपेदिक केन्द्र** खोले जा चुके हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे राज्य में क्षय की निरोधी, नैदानिक तथा उपचार सम्बन्धी गतिविधियों को चलाने के लिये राज्य के शेष 23 जिलों में से प्रत्येक में एक-एक **जिला तपेदिक केन्द्र** खोलने का प्रस्ताव है। क्योंकि तपेदिक के रोगियों का उपचार उनके अपने घरों पर भी उतने ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जितना कि किसी तपेदिक अस्पताल में। इसलिये जिला तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांश रोगियों के घरों पर ही उनका इलाज किया जा सकता है।

Loan Advanced to People of Delhi from Nationalised Banks

9202. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the nationalised banks have advanced loans to the people in Delhi for investment in private business; and

(b) if so, the names of the banks, which advanced the loans and the number of persons to whom loans were advanced and the amount of loan given to each of them indicating the purpose for which it was given?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) & (b) : The import of the Question is not clear. It is presumed that the Hon'ble Member desires to know the amount of advances of the nationalised banks to retail traders and others engaged in non-agricultural and non-industrial business activities. A statement showing advances granted by the nationalised banks in Delhi/New Delhi to such persons as at the end of March 1970 is attached. [Placed in the Library. *See* No. L. T. 3464/70].

Figures of loans given to each person and the purpose for which they were given cannot be disclosed by the banks under the law individually apart from the fact that such a statement would run into too many pages.

जीवन बीमा निगम के ऐजेंट

9203. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के गठन के समय ऐजेंटों की संख्या कितनी थी;

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 तक, वर्षवार, कितने नये ऐजेंट भर्ती किये गये; और

(ग) 1 जनवरी, 1970 को इन ऐजेंटों की संख्या कितनी थी ?

पूर्ति तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) 1,89,107

(ख) नई भर्ती ।

	भर्ती किये गए ऐजेंटों की संख्या
1	2
1957	37,924
1958	36,267
1959	39,646
1960	43,798
1961	59,656
1962	70,572
1963	64,464
1964	51,398
1965	46,757
1966	41,270
1967	43,699
1968	37,434
1969	अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 1 जनवरी 1970 को ऐजेंटों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । निगम की सूची में 31-3-1969 को ऐजेंटों की संख्या 1,54,151 थी ।

प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास स्थान का बाजार की दर से किराया

9204. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के निवास स्थान का इस समय के बाजार दर से कितना किराया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : प्रधान मंत्री जी नं० 1, सफदरजंग रोड में रह रही हैं । यह टाइप VIII का एक बंगला है। सामान्यता, टाइप VIII की कोठी का बाजार-दर किराया 1,484 रुपये से ले कर 2,019 रुपये के बीच है । मंत्रियों द्वारा दखल में लिए गए इसी टाइप के निवास स्थानों के मामले में अतिरिक्त कार्यालय वास, मिलने वालों के लिए कमरा, आदि होने के कारण, किराया 2,826 रुपये से लेकर 3,489 रुपये तक है । प्रधान मंत्री के सरकारी निवास स्थान में एक अतिरिक्त शयन-कक्ष, अतिरिक्त कार्यालय वास, स्वागत-कक्ष और मुलाकातियों के लिए कमरे, सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तथा इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए कुछ परिवर्धन तथा परिवर्तन किये गये हैं । इसका मासिक बाज़ार-दर किराया 3.765.85 रुपये है ।

कुछ असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए कारगर सिद्ध हुई भारतीय जड़ी-बूटियां

9205. श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जड़ी-बूटियां जिनका उपयोग अब तक आयुर्वेदिक वैद्य तथा कविराज अशोधित रूप में करते चले आ रहे हैं।

आधुनिक दृष्टि से अनुसन्धान करने पर अब तक असाध्य समझे गये कुछ रोगों के लिए बहुत कारगार सिद्ध हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जड़ी-बूटियों के नाम क्या हैं और उनसे कौनसी औषधियां बनाई जाती हैं;

(ग) क्या सरकार ने सुप्रसिद्ध जड़ी-बूटियों पर अनुसन्धान करने के लिये कोई अलग अनुसन्धान संस्था स्थापित की है, यदि हां, तो इस संस्था का नाम क्या है; और

(घ) क्या आयुर्वेदिक वैद्यों अथवा कविराजों को इन संस्थाओं के साथ सम्बद्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) मिश्रित औषध अनुसन्धान योजना के अन्तर्गत अध्ययन किये गये 58 पौधों में से 18 पौधों से उत्साहजनक संकेत प्राप्त हुए हैं और उनमें से 8 पर आगे काफी अन्वेषण हो चला है।

(ख) औषधियों के नामों का विवरण संलग्न है । अनुसन्धान फिलहाल एकौषधियों तक ही सीमित है तथा अन्वेषण का कार्य पूरा हो जाने के बाद औषधि-योग तैयार करने का निश्चय किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं । तथापि विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों, विश्वविद्यालयों के विभागों तथा चिकित्सा कालेजों के विभागों को उनके सामान्य कार्यों के अतिरिक्त इन औषधियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

(घ) जब कभी आवश्यक समझा जाता है आयुर्वेदिक चिकित्सकों अथवा विद्वानों को इन अनुसन्धान एककों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	वनस्पति का नाम	संस्कृत नाम	जिन रोगों में प्रयोग किया जाता है
1	2	3	4
1.	साराका इण्डिका	अशोक	प्रदर
2.	आस्पारागुस रासेमोसुस	शतावरी	शूल
3.	थेवेटिआ नेरिफोलिआ	करवीर	हृद्रोग
4.	कोम्मीफोरा मुकुल .	गुग्गुल	मेदोरोग
5.	क्लेरोडेण्ड्रोन सेटातुम	भारंगी	श्वास
6.	नार्डोस्टाचीस	जटामांसी	मनोरोग
7.	पिपेर लौन्गुम . .	पिप्पली	राजयक्ष्मा
8.	(क) प्लुच्चेआ लान्सेओलाटा	रास्ना	आमवात
	(ख) वान्दा रौक्सबुर्गिई		वातव्याधि

लाजपत नगर में पार्क का विकास

9206. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली, के पीछे की ओर कुछ ऊंची भूमि है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण उस भूमि को स्थानीय जनता के लाभ के लिये तल्लेदार बाग के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के मार्ग में भूमि तथा विकास कार्यालय बाधा उत्पन्न कर रहा है;

(घ) क्या सरकार उक्त भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगी ताकि पार्क के रूप में उसके विकास का कार्य किया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि प्रश्नाधीन भूमि को एक "हैंगिग गार्डन" के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु डा० रामलाल वर्मा, कार्यकारी पार्षद, दिल्ली प्रशासन द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पार्क के रूप में विकसित करने के लिए भूमि दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता; परन्तु डा० वर्मा का सुझाव विचाराधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्लाटों के मूल्यों में वृद्धि

9207. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कम आय वाले लोगों को अलाट करने के लिये विकसित प्लाटों के मूल्य हाल ही में बढ़ा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्लाटों के मूल्यों में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है ? और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां।

(ख) मूल्य में वृद्धि प्रत्येक योजना में भिन्न-भिन्न है, जो प्रमुखत: निम्न कारणों से है :—

(1) न्यायालयों द्वारा भूमि के मुआवजे में वृद्धि।

(2) विकास की लागत में वृद्धि, जिसमें दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग द्वारा मांगी गई विद्युतीकरण की लागत शामिल है; और

(3) अधिक संख्या में छोटे प्लाटों की व्यवस्था करने के लिए ले-आउट प्लानों में परिवर्तन।

विभिन्न योजनाओं में तथा निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग, दोनों में, वृद्धि 2 रुपये से कम से लेकर लगभग 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है।

Family Planning Under Threat

9208. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that undue advantage is being taken of the poverty of our people in as much as that they are offered various allurements such as monetary help, jobs in factories etc. and at times they are threatened with termination of service so as to compel them to take recourse to the family planning devices;

(b) whether Government propose to declare offering of such allurements and threats a penal offence to stop this sort of injustice being done to our poor people; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The Family Planning Programme is based on voluntary acceptance of the family planning methods. No coercion is employed or allurements given. Some money is given to the volunteer who offers himself/herself for sterilisation operation/IUCD insertion as part compensation for loss of wages, transport charges and other incidental expenses. No advantage is taken of the poverty of the people. On the other hand, the programme is intended for betterment of their living standard.

(b) and (c) : Do not arise.

Family Planning Programme

9209. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons operated upon for family planning purposes and that of the women who had loops inserted in 1969 in the various States;

(b) the total expenditure incurred on family planning during the said year;

(c) the amount, out of that expenditure, received from countries like America etc. during the operated year;

(d) the expenditure incurred on doctors and nurses during the aforesaid year; and

(e) the amount of money distributed among the persons who got themselves operated upon for the family planning during the aforesaid year as also the cost of the loops inserted?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) A statement containing the requisite information is enclosed.

(b) The estimated expenditure during the year 1969-70 is Rs. 4153.73 lakhs.

(c) to (e) : The information is being collected.

STATEMENT

Sterilisation and I.U.C.D. Figures during 1969

Sl. No.	State/Union Territory	I.U.C.D.	Sterilisation
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	9,884	2,04,949
2.	Assam	10,053	15,525
3.	Bihar	33,046	68,846
4.	Gujarat	10,689	91,915
5.	Haryana	30,071	17,509
6.	Jammu & Kashmir	5,068	9,572
7.	Kerala	36,702	59,855
8.	Madhya Pradesh	40,815	1,32,863
9.	Madras (Tamil Nadu)	37,940	1,17,334
10.	Maharashtra	10,437	2,26,395
11.	Mysore	14,101	47,777

Sl. No.	State/Union Territory	I.U.C.D.	Sterilisation
1	2	3	4
12.	Orissa	33,387	91,835
13.	Punjab	31,486	39,685
14.	Rajasthan	20,263	41,254
15.	Uttar Pradesh	75,763	78,473
16.	West Bengal	10,048	93,149
17.	Nagaland	—	—
18.	A. & N. Islands	75	141
19.	Chandigarh	520	452
20.	D. & N. Haveli	2	90
21.	Delhi	7,044	8,037
22.	Goa, Daman & Diu	596	1,367
23.	Himachal Pradesh	4,769	6,192
24.	L. M. & A. Islands	1	29
25.	Manipur	1,131	476
26.	N. E. F. A.	47	16
27.	Pondicherry	2,137	2,494
28.	Tripura	396	4,653
29.	Central Govt. Instts.	8,013	26,611
	TOTAL	4,34,484	13,87,494

Four-Rooms Flats for M. Ps. by D. D. A.

9210. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Development Authority has adopted a resolution and issued a circular to the effect that any Member of Parliament can purchase a four-roomed flat for Rs. 32,000; and

(b) if so, the actual position in this regard and the location of these flats and the details thereof?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

त्यौहार के लिए अग्रिम राशि

9211. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमानुसार निम्न आय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार त्यौहार के लिए अग्रिम राशि के रूप में सौ रुपये दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि 20 रुपये प्रतिमास की दर से पांच समान किस्तों में वसूल की जाती है;

(ग) क्या सरकार से मांग की गई है कि इस अग्रिम की राशि दस रुपये प्रतिमास की दस समान किस्तों में वसूल की जाए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हाँ । केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को जिनकी आय 485 रुपये प्रति मास से कम है वर्ष में एक बार ब्याज-मुक्त 100 रुपए का ऋण मिल सकता है;

(ख) जी हां;

(ग) और (घ) : सरकार को 10 रुपये प्रतिमास की 10 किस्तों में ऋण वसूल करने के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं । 3 दिसम्बर, 1969 के पूर्व त्यौहार के लिये केवल 75 रुपये अथवा एक मास का वेतन, का, जो भी कम हो, ऋण दिया जाता था जिसे चार समान किस्तों में वसूल किया जाता था । प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच करने के उपरांत तथा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की कर्मचारी पक्ष से सलाह करने के उपरांत 3 दिसम्बर, 1969 से ऋण की राशि बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई तथा वसूली की किस्तें 5 कर दी गई हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुये कि ऋण ब्याज-मुक्त है, इसकी वसूली की अवधि में इतना अधिक विस्तार करना सम्भव नहीं है ।

देश में कोढ़ के रोग की समाप्ति

9212. श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कोढ़ रोग के उन्मूलन पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ख) क्या हिन्द कुष्ठ निवारण संघ से कुष्ठ रोगियों की सहायता के लिये दान प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में कितनी सहायता प्राप्त हुई और चालू वर्ष में कितनी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) 1970-71 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें कुष्ठ नियंत्रण कार्य करने वाले स्वैच्छिक संस्थानों को दिया जाने वाला अनुदान सम्मिलित नहीं है ।

(ख) और (ग) : जी हां । 1969 के दौरान हिन्द कुष्ठ निवारण संघ ने 1,078.22 रुपये तथा 15,900 रुपये का दान क्रमशः अपने मुख्यालयों तथा राज्य की शाखाओं के लिये प्राप्त किया था । 1970 में (अद्यतन) 626.00 रुपये तथा 2,500.00 रुपये का दान क्रमशः उनके मुख्यालयों तथा दिल्ली राज्य शाखा के लिये प्राप्त हुआ है । चालू वर्ष में कितनी रकम दान में प्राप्त होगी इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है ।

राज्यों को सहायता

9213. श्री ए० श्रीधरन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन कुछ राज्यों को गैर-योजना सहायता तदर्थ आधार पर देने का है जो 1970-71 के लिए अपने आप को पहले ही कमी वाले राज्य घोषित कर चुके हैं ;

(ख) कमी वाले राज्यों द्वारा मांगी जाने वाली संभावित विशेष सहायता को देने से बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या किसी उच्च स्तर पर अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस पहलू पर विचार किया गया था?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : केवल बजट में घाटा दिखा देने से, किसी राज्य को विशेष सहायता पाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। फिर भी, सरकार ने सिद्धांत रूप से उन राज्यों को विशेष सहायता (ऋणों के रूप में) देना स्वीकार कर लिया है जिनके साधनों में, योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार अपरिहार्य रूप से कमी हो। 1970-71 के सम्बन्ध में अभी तक ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

काफी समय से पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन में वृद्धि

9214. श्री ए० श्रीधरन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी समय से पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन में गत तीन वर्ष/वर्षों में कितनी बार वृद्धि की गई; और

(ख) परिवार पेंशन पाने वाले लोगों को समय-समय पर अतिरिक्त क्या-क्या सुविधाएं दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उल्लिखित अवधि में, केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को मिलनेवाली पेंशनों में दिनांक 1-9-1969 से 10 रुपये प्रति माह प्रति पेंशनर के हिसाब से तदर्थ वृद्धियां की गयी थीं और दिनांक 1-3-1970 से पेंशनरों को, और साथ ही परिवार पेंशन पाने वालों को भी, न्यूनतम पेंशन के रूप में 40 रु० प्रति माह पाने का हक हो गया है, जिसमें, जिन पेंशनरों को तदर्थ वृद्धियां मिलती हैं वे भी शामिल हैं।

(ख) सरकारी कर्मचारियों की जिन विधवाओं को, परिवार पेंशन मिलती हैं, और जो नई दिल्ली तथा दिल्ली के उन क्षेत्रों में रहती हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाएं उपलब्ध हैं, उनको, अपने तथा अपने परिवार के लिये, निर्धारित दर से अंश की अदायगी करने पर इस योजना के लाभ पाने की सुविधा का हक है।

अमझोर, बिहार में खानों से गन्धक निकालना

9215. श्री शिव चन्द झा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमझोर, बिहार में गंधक की खानों में काम आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) परियोजना के पूरा हो जाने पर गन्धक का वार्षिक उत्पादन कुल कितना हो जायेगा; और

(ङ) उक्त परियोजना के पूरा होने से प्रत्येक वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इस के साथ साथ विदेशों से गन्धक का आयात करने पर प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30–36 प्रतिशत गन्धक गुणों के साथ पाइराइट का खनन प्रारम्भ किया गया है । अमझोर में मौलिक गन्धक का खनन पृथकत: नहीं किया जाता है।

(ख) 800 मैट्रिक टन प्रति दिन तक की एक प्रायोजना तैयार की गई थी और कार्यान्वित की गई थी। 800 मैट्रिक टन/प्रति दिन के अन्ततः उत्पादन के लिये अपेक्षित 20,160 मीटरों के कुल विकास में से 17,650 मीटर चालन पहिले ही पूरा किया जा चुका है। 400 मैट्रिक टन/दैनिक उत्पादन, जो कि सिन्दरी एसिड संयंत्र की वर्तमान मांग है, के लिये वर्तमान विकास पर्याप्त है। अमझोर से पाइराइट का वास्तविक उत्पादन, इस एसिड संयंत्र की समयस-मय की मांग के अनुसार नियंत्रित किया जा रहा है।

(ग) यथापूर्वोक्त, वर्तमान मांग के लिये वर्तमान विकास पर्याप्त है।

(घ) वार्षिक उत्पादन लगभग 2·4 लाख मैट्रिक टन होगा।

(ङ) 400 मैट्रिक टन/दैनिक एसिड उत्पादन के लिये प्रति वर्ष 44,000 मैट्रिक टन गन्धक की आवश्यकता है, प्रचलित मूल्यों के अनुसार जिसकी लागत 95·92 लाख रुपये बैठती है।

साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय के सम्बन्ध में संसद् भवन में शिकायत अनुभाग

9216. श्री शिव चन्द झा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय के सम्बन्ध में संसद् भवन में स्थित शिकायत अनुभाग के कार्य-भारी को साउथ एवेन्यू स्थित पूछताछ कार्यालय में नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वहां कार्य का समन्वय नहीं है और सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने में विलम्ब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) संसद् भवन में स्थित केन्द्रीय शिकायत कक्ष के किसी स्टाफ को साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय में भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसद् भवन के केन्द्रीय शिकायत कक्ष का कोई कर्मचारी एकमात्र साउथ एवेन्यू के फ्लैटों के लिये नहीं है। केन्द्रीय शिकायत कक्ष संसद् सदस्यों के सभी मकानों में किये जाने वाले कार्य से संबंधित शिकायतें दर्ज करता है।

(घ) और (ङ) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी शिकायतों को तुरन्त ध्यान देने के सभी संभव प्रयत्न किये जाते हैं। समन्वय में कोई कमी नहीं है, किन्तु कभी-कभी, सामग्री की कमी या किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण देर हो जाती है। के० लो० नि० वि० को संसद् सदस्यों की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देने के लिये पुनः निर्देश जारी कर दिये हैं।

वायदा बाजार सौदों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए समिति

9217. श्री शिव चन्द झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार सौदों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त अंजारिया समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : समिति संभवतः इसी महीने के अन्त तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। रिपोर्ट पेश करने में देर का कारण यह है कि 10 अप्रैल, 1970 को, समिति के अध्यक्ष श्री अंजारिया की अचानक मृत्यु हो गयी।

अशोक होटल और सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट भारतीय तेल निगम के पेट्रोल पम्प

9218. श्री यशपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा अशोक होटल और सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट स्थापित पेट्रोल पम्प बेकार पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो वे कब से बेकार पड़े हैं ; और

(ग) उनको कब चालू किया जायेगा?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) अशोक होटल के पास पेट्रोल पम्प तथा सफदरजंग हवाई अड्डे के पास एक पेट्रोल पम्प के परिचालन की क्रमशः दिसम्बर, 1969 तथा फरवरी, 1970 से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) ज्योंहि पानी और बिजली कनेक्शन मिलेंगे और उपयुक्त व्यापारियों का चयन हो जायेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याज की दरें

9219. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सही है कि एक बैंक ने सुरक्षित आधार पर कम समय के लिये ऋण देने की ब्याज की दर बढ़ा कर ग्यारह प्रतिशत कर दी है और यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रीयकरण से पूर्व ब्याज की दरें क्या थीं और इस समय क्या हैं ;

(ख) क्या सामान्य अग्रिमों की दरों में हाल ही में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) अन्तर बैंक काल की दरें इतनी अधिक अर्थात् मद्रास में 8 प्रतिशत और बम्बई में 7 प्रतिशत होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण वापस न मिलने पर चूंकि अर्थ व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है अतः सरकार का विचार उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के पूंजीगत तथा कार्यकारी व्यय के लिये बैंक दरों में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रश्न का सम्बन्ध संभवतः रिजर्व बैंक द्वारा हाल में वाणिज्यिक बैंकों के नाम जारी किये गये उस निदेश से है जिसमें अन्न, तेलहनों, वनस्पति तेलों और देशी रुई के एवज में दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की न्यूनतम दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर

12 प्रतिशत करके 2 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए कहा गया है। 20 जनवरी, 1970 से पहले बैंकों को इन ऋणों पर किसी भी दर से ब्याज लेने की छूट थी, लेकिन अपेक्षाकृत बड़े बैंकों के मामले में (अर्थात् वे बैंक जिनमें 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक रकम जमा थी, और विदेशी बैंक) ब्याज की उच्चतम दर 9½ प्रतिशत थी। 20 जनवरी, 1970 को रिजर्व बैंक ने अपेक्षाकृत बड़े बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की इस उच्चतम दर को समाप्त कर दिया और ऊपर जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, उनके एवज में दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत कि न्यूनतम दर निर्धारित कर दी। बाद में 28 अप्रैल, 1970 से इसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया। सट्टेबाजी के प्रयोजन से इन वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए ऋण की मांग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, ब्याज की न्यूनतम दर निर्धारित करना और बाद में इस न्यूनतम दर में वृद्धि करना जरूरी समझा गया।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) फरवरी, 1970 में रिजर्व बैंक ने गल्ला-वसूली, निर्यात, छोटे पैमाने के उद्योग और कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में बैंक-दर पर अथवा उससे कम दर पर पुनर्वित व्यवस्था करने की सुविधा में कमी कर दी। इसके साथ-साथ, नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति के न्यूनतम शुद्ध अनुपात में वृद्धि कर दी, जिसको बनाये रखना बैंकों के लिए इसलिए जरूरी था कि वे बैंक-दर पर पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र बन सकें, इसका परिणाम यह हुआ कि यदि बैंकों की नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात अपेक्षित स्तर से नीचे हो जाता था, तो उन्हें दण्डात्मक दरों पर ब्याज देना पड़ता था। इन उपायों के परिणामस्वरूप बैंक रिजर्व-बैंक से लिये जाने वाले ऋणों पर ऊंची दण्डात्मक दरों पर ब्याज देने के विकल्प के रूप में मांग-धन बाजारों (काल मनी मार्केट) का अपेक्षाकृत अधिक सहारा लेने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि मुद्रा की तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गयी और इन बाजारों में अन्तर्बैंक मांग-धन दरों (इन्टर बैंक काल मनीरेट्स) में वृद्धि हो गयी। लेकिन इस बीच यह दर कम हो कर बम्बई में 6½ प्रतिशत और मद्रास में 7 प्रतिशत हो गयी है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में जिन उपायों का उल्लेख है वे रिजर्व बैंक द्वारा, बैंकों को दिय जाने वाले ऋणों में हुई भारी वृद्धि और रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों में हुई वृद्धि को देखते हुए किये गये थे। थोक मूल्यों के सूचक-अंक में भी एक वर्ष पहले के स्तर की तुलना में वृद्धि हो गयी थी। इस स्थिति में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा यह जरूरी समझा गया कि ऋण को मंहगा कर दिया जाय लेकिन इसके साथ-साथ इस बात की भी सुनिश्चित व्यवस्था की जाय कि ऋण की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हों। रिजर्व बैंक ऋण सम्बन्धी स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं और वह सरकार के साथ परामर्श करके ऐसे उपयुक्त उपाय करेगा, जो जरूरी होंगे।

निपटाए जाने के लिए अनिर्णीत दावे

†**9220. श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष द्वारा 18 अप्रैल 1970 को मद्रास में दिए गए वक्तव्य के सदर्भ में 1,20,000 अनिर्णीत पड़े दावों को निपटाने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जाएगी;

(ख) क्या अस्पष्टता तथा अन्य कारणों को दूर करने के लिए जो दावों के मूल कारण हैं; नियमों की जांच की जाएगी; और

(ग) निर्धारित तिथि से पूर्व दावों को निपटाने के लिए कर्मचारी वर्ग को प्रोत्साहन बोनस न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) निगम ने इस दिशा में जो कार्यवाही की है उसमें आयु के प्रमाण को हटाना, कुछ सीमा तक पालिसियों का धन निर्धारित करने के लिए गवाही की सीमा बांधना, खोई हुई पालिसियों के बारे में जमानत की दरों को बढाना और मंडल प्रबन्धकों को घोषित कोटि के लोगों की अपेक्षा अन्य लोगों के साक्षीकरण, क्लेम की जमानतें और डिस्चार्ज फार्म आदि लेने के अधिकार सौंपने की कार्यवाही को लिया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दरों से सम्बद्ध कार्यों के लिए काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन बोनस योजना की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। हां, जो लोग निर्धारित कार्य भार से कुछ अधिक कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहन दिये जाने के लिए निगम और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में बातचीत चल रही है।

केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय में लेखा अधिकारियों की पदोन्नति

9221. श्री सी० के० चक्रपाणि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय में लेखा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति करते समय स्वीकृत सूची में उल्लिखित कुछ वरिष्ठ उन लोगों की, जो लोक हित में अन्य कार्यालयों में काम कर रहे थे, उपेक्षा की गई थी और कनिष्ठ लोगों को पदोन्नत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) वरिष्ठ लोगों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वेतन तथा वरिष्ठता के मामले में कनिष्ठ लोगों की तुलना में उन्हें हानि न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर गये/विभाग बाह्य सेवा में नियोजित वरिष्ठ व्यक्तियों की वरिष्ठता पर, कार्यालय में उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को तरक्की मिलने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी वरिष्ठता अपरिवर्तित रहती है। भले ही वे अपने मूल कार्यालय में काम कर रहे हों अथवा प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हों।

जहां तक वेतन का प्रश्न है नियमों में यह व्यवस्था मौजूद है कि जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाने/विभाग बाह्य सेवा में नियोजित होने के कारण अपने मूल कार्यालय से बाहर हों उनके हितों की रक्षा के लिए, तत्काल 'निम्नवर्ती' व्यक्ति को तरक्की मिलने के नियम (next below rule) के अधीन, जब हक बने तरक्की दी जाय तथा मूलभूत नियम 22 के परन्तुक- (1) के अधीन वेतन को संरक्षण दिया जाय।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के सांख्यिकीय अनुभाग

9222. श्री दे० अमात : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के सांख्यिकीय अनुभाग में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे;

(ख) विभागी पदोन्नति प्राप्त और बाहर से भर्ती किये गये उम्मीदवारों का अनुपात क्या था; और

(ग) बाहर से भर्ती किये गये अयोग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी और इसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के सांख्यिकीय अनुभाग में 7 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है इनमें से 5 व्यक्तियों की नियुक्ति सीधी भरती द्वारा तथा दो की पदोन्नति द्वारा की गई।

(ग) किसी अनर्हता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में आई० बी० एम० 602 गणना तथा छिद्रण (केलक्यूलेटिंग पंच) मशीन

9223. श्री सी० मुत्तूस्वामी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आई० बी० एम० 602 गणना तथा छिद्रण मशीन को किराये पर लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिये किराये के रूप में बड़ी धनराशि दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञता के अभाव में मशीन का उचित प्रयोग नहीं किया गया; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इस मशीन को किराये पर लिया, जिसका कोई उपयोग नहीं है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) मशीन के किराये के रूप में 22,296 रु० की राशि का भुगतान किया गया था।

(ग) मशीन से उपयुक्त ढंग से पूरा काम लिया गया। पैनलों की प्रक्रिया तथा तार लगाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञता आई० बी० एम० द्वारा प्रदान की गई।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विकास

9224. श्री धी० ना० देव : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के कार्य अध्ययन दल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में विस्तार करने के विरुद्ध सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्य अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद कितनी नियुक्तियां की गई; और

(घ) क्या कार्य अध्ययन दल की सिफारिशों के विरुद्ध नियुक्यिां करने के बारे में मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिषद् की गतिविधियों का विस्तार होने के कारण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में अतिरिक्त कार्य के निपटान के लिए, स्टाक निरीक्षण एकक द्वारा स्टाक को निर्धारित संख्या के अलावा आठ और व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् एक स्वशासी संगठन है। अतः परिषद् में पदों का सृजन करने के बारे से मंत्रालय में मंजूरी लेने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में मुख्य सांख्यिकी विद् की नियुक्ति

9225. श्री एन० शिवप्पा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में मुख्य सांख्यिकी विद् के वरिष्ठ पद पर नियुक्ति की जायगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जायगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् सोसायटी संस्था पंजीकरण अधिनियम के 1860 के 21 के अधीन एक पंजीकृत संस्था है। परिषद् ने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपने नियम बनाये हैं। इन नियमों के अनुसार परिषद् के अन्तर्गत 350–680 रु० के वेतन मान वाले सहायक अनुसंधान अधिकारी तथा इस वेतन मान से ऊंचे वेतनमान वाले पदों को सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जाता है । विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों की जांच की जाती है तथा उपयुक्त समझे गये प्रार्थियों का एक चयन समिति द्वारा इन्टरव्यू लिया जाता है। 700–1,250 रु० वेतनमान वाले वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की श्रेणी के तथा इससे ऊंचे पद की नियुक्ति कार्यकारी समिति अथवा शासी निकाय की मंजूरी से की जाती है।

1,300-60-1,600 रु० के वेतनमान वाले मुख्य सांख्यिकी शास्त्री के पद का विज्ञापन 13 समाचार पत्रों में भेज दिया गया है।

आयकर कार्यालय, चण्डीगढ़

9226. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर सर्किल, चण्डीगढ़ ने अधिक कर्मचारियों, अधिक आयकर अधिकारियों तथा अधिक लेखन सामग्री के लिए मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पूरी करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब आयकर अधिकारी जिलों और उप-प्रभागीय मुख्यालयों के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें सरकारी विश्राम-गृहों में नहीं ठहराया जाता है और इससे उन्हें अपना कर्त्तव्य पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चन्डीगढ़ के आयकर कार्यालयों की ओर से और अधिक आयकर अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मांग नहीं की गई है। लेखन-सामग्री सप्लाई करने के मामले में कुछ कठिनाइयां थीं। आयकर-आयुक्त ने प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कार्यवाही करके इन कठिनाइयों को दूर कर दिया है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) सामान्यतः जब आयकर अधिकारी दौरे पर होते हैं तो वे सरकारी विश्राम गृहों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

बीमा कम्पनियों को हुए लाभ की राशि

9227. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि सामान्य बीमा कम्पनियों को कुल कितनी राशि का लाभ होता है; और

(ख) सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार को कुल कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) भारतीय बीमा-कर्ताओं (जीवन बीमा निगम को छोड़ कर) के बारे में 1965 से 1968 तक के वर्षों के लिये लाभ तथा हानि विनियोजन लेखे के लिए किये गये अन्तरण, अर्थात् विविध आरक्षित निधियों, वसूल न हो सकने योग्य तथा संदेहपूर्ण ऋणों एवं कर आदि के लिए व्यवस्था करने से पूर्व के लाभ की रकमें नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष	लाभ (लाख रुपयों में)
1965	350
1966	311
1967	300
1968	457

यह सूचना, बीमा नियंत्रक को प्रस्तुत की गई विवरणियों पर आधारित है और बीमा नियंत्रक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली भारतीय बीमा वार्षिक रिपोर्ट (year book) के उन-उन वर्षों के अंकों में दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट (year book) की प्रतियां नियमित रूप से संसद् के पुस्तकालय में रखी जाती हैं । गैर-भारतीय बीमाकर्ताओं के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन बीमा-कर्ताओं के लिए सम्बन्धित हिसाब प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(ख) बीमा (संशोधन) विधेयक 1968 के वित्तीय ज्ञापन में यह कहा गया था कि "according to tentative estimates based on available information relating to the existing Indian insurers, the total amount of compensation payable in accordance with the principles set out in the Schedule in the event of all these insurers being taken over will be approximately rupees 30 crores" मुआवजे की रकम, राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सिद्धांतों पर निर्भर होगी।

एक फर्म द्वारा नालाबदी से कथित अवैध रूप से जिप्सम प्राप्त करना

9228. श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की एक फर्म ने नालाबदी से भारी मात्रा में जिप्सन अवैध रूप से प्राप्त किया था और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ख) क्या उक्त फर्म खान विभाग के कर्मचारियों की सांठगांठ से ऐसा कर रही थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी और उक्त हानि के लिये दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : राज्य सरकार प्राधिकारियों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सम्यक अनुक्रम में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फिल्म कलाकारों को जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान

9229. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया" द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर इस बीच विचार किया है जिसमें काले धन की बुराई को कम से कम करने के लिये फिल्म कलाकारों को जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से आस्थगित भुगतान की प्रणाली का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा ख) मामला अभी भी विचाराधीन है।

फिल्म उद्योग से उत्पादन शुल्क की वसूली

†9230. श्री जुगल मंडल :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोरी फिल्मों पर लगे उत्पादन शुल्क से प्रतिवर्ष कितनी राशि एकत्र की गई और फिल्म उद्योग को कितनी फोटो सामग्री की आवश्यकता होती है ;

(ख) भारतीय फिल्म उद्योग को सरकार ने उक्त अवधि में वित्तपोषण अथवा उत्पादन-शुल्क में छूट के रूप में क्या सहायता दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रथम बार पहली मार्च 1969 में कच्ची फिल्मों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया। इससे मार्च 1969 में 59,000 रुपये का उत्पादन शुल्क प्राप्त हुआ और 1969-70 के वित्तीय वर्ष में 9,69,000 रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ। "फिल्मी उद्योग के लिए अपेक्षित फोटो समान" यह अपने आप में एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका विषय बहुत व्यापक है और इसका एक सुनिश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ख) मार्च 1960 में स्थापित किये गये फिल्म वित्त आयोग ने दिसम्बर 1969 तक 75 फिल्मों के निर्माताओं को 170.68 लाख रुपये का ऋण दिया।

"कम खर्च वाली भाषा फिल्मों की विशेष रूप से तथा साथ ही फिल्म उद्योग को कुछ राहत देने के लिए एक मार्च, 1969 से शुल्क दर को संशोधित किया गया। सादी फिल्म के प्रथम बारह प्रिंटों को प्रमाणीकरण माह के तुरन्त बाद 12 महीने में ही उत्पादन कर से मुक्त कर दिया जाता था। इससे ऊंचे सलेब की फिल्मों के लिए 1.2 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति मीटर की दर से राहत दी जाती थी। प्रमाणीकरण वाले महीने के 12 महीने बाद अन्य सभी प्रिन्टों को उत्पादन शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाता था। परन्तु रंगीन फिल्मों में यह दरें बढ़ा दी गईं फिर भी प्रत्येक फिल्म के प्रथम आठ प्रिंटों पर 2.4 पैसे से लेकर 6 पैसे प्रति मीटर तक की राहत दी जाती थी। 27 जून 1969 से 6 पैसे से लेकर 60 पैसे प्रति मीटर की राहत ऊंचे सलेब की फिल्मों को दी जाने लगी। प्रत्येक फिल्म के सभी प्रिंटों को प्रमाणीकरण के बारहवें महीने बाद उत्पादन शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाता था। प्रथम मार्च 1970 से लेकर आज तक की दिखाई गई फिल्मों के शुल्क दर से सम्बद्ध दो विवरण सभा पटल की मेज़ पर रख दिये गये हैं।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3465/70)।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में तम्बाकू की खेती

†**9231. श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में गुजरात राज्य में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गई थी;

(ख) उक्त भूमि में तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ और उससे उत्पादन-शुल्क की कितनी धन-राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1969 में गुजरात की 97,666 हैक्टर भूमि पर तम्बाकू की खेती की गई।

(ख) गुजरात राज्य में तम्बाकू का उत्पादन 1969 में 13,89,61,550 किलोग्राम था जिससे 5,22,03,018 रुपए उत्पादन-शुल्क के रूप में प्राप्त हुए।

राज्यों में मानसिक रोग के अस्पताल

†**9232. श्री काशी नाथ पाण्डेय :**

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) देश में मानसिक रोगियों के उपचार के लिए राज्यवार कुल कितने अस्पताल हैं ; और

(ख) देश में अनुमानतः कितने मानसिक रोगी हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) देश में मानसिक रोगियों की संख्या के बारे कोई निश्चित सूचना नही दी जा सकती।

विवरण

राज्य का नाम	मानसिक हस्पतालों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	2
2. आसाम	1
3. बिहार	2
4. गुजरात	4
5. जम्मू और कश्मीर	2
6. केरल	3
7. मध्य प्रदेश	2
8. महाराष्ट्र	5
9. मद्रास	1
10. मैसूर	2
11. उड़ीसा	1
12. पंजाब	1
13. राजस्थान	2
14. उत्तर प्रदेश	3
15. पश्चिमी बंगाल	4
16. दिल्ली	2
17. गोवा	1
जोड़	38

देश में अशोधित तेल का उत्पादन

9233. श्री जुगल मंडल : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत तीन वर्षों में अशोधित तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसकी कीमत कितनी थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) पिछले तीन वर्षों में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन ('000 मीटरी टनों में आंकड़े)
1967	5,667
1968	5,853
1969	6,723

कच्चे तेल का मूल्य लगभग 100 रुपए प्रति मीटरी टन है।

Cleanliness Near Religious Places in Paharganj, New Delhi

9234. Shri Ramesh Chandra Vyas : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chitragupta Temple, Shiva Temple and Gurudwara in Paharganj, New Delhi are always surrounded by heaps of garbage;

(b) whether it is also a fact that local citizens have drawn the attention of the Health authorities and officers of the Corporation many times of this state of affairs; and

(c) if so, the action Government propose to take to ensure the cleanliness near the religious places?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No, Sir.

(b) The Delhi Municipal Corporation has informed that no such complaint was received from the local citizens.

(c) Does not arise. However, every effort is made by the Delhi Municipal Corporation to keep the surroundings of religious places neat and clean.

हथकरघा उद्योग के लिए ऋण प्रत्याभूति की योजनाएं

9235. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के लिए कुछ ऋण प्रत्याभूति योजनाओं की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय सरकार की ओर से जुलाई, 1960 से छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी योजना का प्रबन्ध कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सम्भाव्य हानि के सम्बन्ध में गारंटी देकर छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले संस्थात्मक ऋण की पूर्ति में वृद्धि करना है।

वस्तुओं के निर्माण, संसाधन अथवा परिरक्षण का काम करने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों को निर्धारित ऋण संस्थाओं द्वारा, जिनमें अधिकतर वाणिज्यिक बैंक भी शामिल हैं, दिए जाने वाले सभी ऋणों को गारंटी प्राप्त हो सकती है। इस योजना के प्रयोजन से, छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक की जो परिभाषा की गई है, उसके अनुसार यह एक ऐसा एकक है जिसके द्वारा संयंत्र और मशीनों में किए गए निवेश की मूल लागत 7·50 लाख रुपए से अधिक न हो।

इस योजना के अन्तर्गत न चुकाई गई रकम के 75 प्रतिशत तक के बराबर निर्धारित सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन वह प्रत्येक ऋणकर्ता एकक के मामले में कार्यचालन पूंजी के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 7·50 लाख रुपए और मियादी ऋण के मामले में 2·50 लाख रुपए तक होती है। जो बैंक इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हों उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए अपने ऋणों की सारी रकम के सम्बन्ध में ऋण गारंटी संगठन (क्रेडिट गारंटी आर्गेनाइज़ेशन) के साथ करार करें। स्वीकृत ऋण-सीमा और बकाया रकम में से जो भी रकम अधिक हो, उसके 1/10 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाता है।

जो हथकरघा एकक छोटे पैमाने के उद्योग की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पूरा उतरते हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत गारंटी प्राप्त हो सकती है।

स्वायत्तशासी निकायों से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तबादले होने पर कर्मचारियों के वेतन का संरक्षण

9236. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब विश्वविद्यालय जैसे स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों का केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में स्थानान्तरण होता है तो उनके वेतन को संरक्षित नहीं रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय आदि स्वायत्त-शासी निकायों के कर्मचारियों का वेतन उनके केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में स्थानान्तरित होने पर निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित किया जाता है :—

(i) यदि स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति के आधार पर है तो समय-समय पर मूल निकाय में मिलने वाले ग्रेड का वेतन (घन) सामान्य आदेशों के अन्तर्गत मिलने वाला प्रतिनियुक्ति भत्ता,

अथवा

केन्द्रीय वेतनमान में वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि हानि न रहे, अर्थात् मामले के अनुरूप एफ० आर० 22-ग, अथवा एफ० आर० 22 (क) (i) अथवा 22(क) (ii) को लागू किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय आदि स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के मामले में जब उनको केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उनके आवेदन-पत्रों के आधार पर नियुक्ति दी जाती है तो उनको अपने वेतन की सुरक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि केन्द्र सरकार में उनका किसी भी पद पर कोई स्थाई लियन (पूर्वाधिकार) नहीं होता, अतः उनकी बाहर से आने वाले व्यक्तियों की तरह ही नई भर्ती मानी जाती है, तथापि प्रशासी मंत्रालय उम्मीदवार की आयु, अनुभव, योग्यता उसे पहले प्राप्त होने वाली उपलब्धियों आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों के अन्तर्गत अग्रिम वेतन-वृद्धि देने में सक्षम हैं।

वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अन्य स्थानों का दौरा

9237. श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में अन्य स्थानों को किए गए गैर-सरकारी दौरे बाद में सरकारी दौरों में परिवर्तित कर दिए गए थे; और

(ख) किन-किन परिस्थितियोंवश उक्त अधिकारियों के गैर-सरकारी दौरों को सरकारी दौरों में परिवर्तित किया गया और प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० च० सेठी :) (क) वित्त मंत्रालय के खास सचिवालय में, पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई मामला नहीं था, परन्तु ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें छुट्टी पर गए अधि-कारियों को सरकारी काम पर लगाया गया हो और बाद में यात्रा भत्तों का भुगतान किया गया हो।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

वित्त मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी के कर्त्तव्य

9238. श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) में प्रथम श्रेणी के हिन्दी अधिकारी के कर्त्तव्य क्या-क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में नगर से बाहर के स्थानों में की जाने वाली जांच के मामलों में प्रवर्त्तन निदेशालय के हिन्दी अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कितने अवसरों पर किया, उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया, उनके दौरे की अवधि कितनी थी और प्रत्येक अवसर पर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते आदि के रूप में कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) क्या यह सच है कि राजस्व तथा बीमा विभाग के सचिवालय में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति से पूर्व प्रवर्तन निदेशालय का यह कार्य राजस्व गुप्तचर निदेशालय के हिन्दी अधिकारी द्वारा किया जाता था और यदि हां, तो उक्त अवधि में निदेशालय के हिन्दी अधिकारी की सेवाओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग में प्रथम श्रेणी के हिन्दी अधिकारी के कर्त्तव्य का विवरण संबंधित किए गए वक्तव्य में दिया गया है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 3466/70)**

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के लिए हिन्दी अधिकारी की सेवा का उपयोग नहीं किया, केवल दस्तावेज़ों के अनुवाद में उपयोग किया है। प्रवर्त्तन निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार अनुवाद कार्य के लिए उन्हें 1967 में तीन बार और 1968 में सात बार कलकत्ता में और एक बार बम्बई में भेजा गया। उनके दौरों के अवसर में दिए गए यात्रा भत्ते आदि में किए गए व्यय का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और मिलने पर सभा-पटल पर रखा जाएगा।

(ग) राजस्व गुप्तचर निदेशालय के हिन्दी अधिकारी की सेवाओं का प्रवर्त्तन निदेशालय और राजस्व तथा बीमा विभाग के अन्य निदेशालय अनुवाद कार्य के लिए उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उस समय राजस्व और बीमा विभाग के अन्तर्गत हिन्दी अधिकारी का पद केवल राजस्व गुप्तचर निदेशालय में था। राजस्व और बीमा विभाग में जब एक हिन्दी अधिकारी को नियुक्त किया गया, उसके बाद प्रवर्त्तन निदेशालय, चूंकि उसमें अपने लिए कोई अलग हिन्दी अधिकारी नहीं है, जब आवश्यक होता है, उनकी सेवा का उपयोग करता आ रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्व तथा बीमा विभाग के हिन्दी अधिकारी को भेजे गये मामले

9239. श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्व तथा बीमा विभाग के हिन्दी अधिकारियों को अनुवाद के लिए कितने मामले भेजे थे;

(ख) प्रवर्तन निदेशालय में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि उक्त अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से उन पार्टियों से, जिनके मामलों का वह कार्यालय में अनुवाद कर रहा था, सम्पर्क स्थापित किया था; और

(ग) इन शिकायतों की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने, राजस्व तथा बीमा विभाग में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की तारीख अर्थात् 19-7-1965 के दोपहरबाद में, 16 मामलों से सम्बन्धित कागज़ों के अनुवाद के लिए उसकी (हिन्दी अधिकारी की) सेवाओं का उपयोग किया।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेश यात्रा के लिये प्रमाण-पत्र

9240. श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व तथा बीमा विभाग के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारत से विदेश जाने से पूर्व सरकार से इस आशय के प्रमाण-पत्र मांगे थे कि वे राजस्व और बीमा अथवा केन्द्रीय सीमा-शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सचिवालय संगठन में प्रथम श्रेणी के पदों पर कार्य करते हैं;

(ख) कितने मामलों में प्रमाण-पत्र दिए गए तथा कितने मामलों में अस्वीकृत कर दिए गए; और

(ग) उक्त अधिकारियों ने ये प्रमाण-पत्र किन प्रयोजनों के लिए मांगे थे तथा सरकार ने ये प्रमाण-पत्र किन बातों को ध्यान में रख कर दिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक।

(ख) पैराग्राफ (क) में उल्लिखित मामले में मांगा गया प्रमाण-पत्र दिया गया था। राजस्व विभाग में पिछले तीन वर्षों में ऐसा अन्य कोई मामला नहीं है जिसमें ऐसा प्रमाण-पत्र मांगा गया हो और जो दिया गया हो अथवा नामंजूर किया गया हो।

(ग) यह प्रमाण-पत्र, नेपाल यात्रा के लिए एक यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज़ (Travel document) के रूप में इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजन से मांगा गया था। अन्ततः यह प्रमाण-पत्र काम में नहीं लाया गया, क्योंकि अभीष्ट यात्रा नहीं की गई। सरकार किसी अधिकारी की सेवा से सम्बन्धित कोई वास्तविक प्रमाण-पत्र जारी करने से सामान्यतः इन्कार नहीं करती।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये सार्वजनिक न्यास

9241. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकार ने कितने सार्वजनिक न्यास अपने नियन्त्रण में लिए हैं;

(ख) टाटा-बन्धुओं, बिरला-बन्धुओं और डालमिया-बन्धुओं के नियन्त्रणाधीन ऐसे कितने न्यास हैं; और

(ग) क्या किसी उच्च-शक्ति प्राप्त समिति ने इन सार्वजनिक न्यासों के कार्य संचालन का अध्ययन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध, न्यासों की आय को आयकर से छूट देने अथवा नहीं देने मात्र से है। न्यासों के प्रशासन का कार्य, राज्य सरकारों का विषय है और इसलिए यह सूचना सभी राज्य सरकारों तथा प्रशासनों से इकट्ठी करनी पड़ेगी। इस सूचना को इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त हो सकने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

लाजपत नगर--1, नई दिल्ली में मकानों के सम्बन्ध में नामान्तरण के लिए आवेदन

9242. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाजपत नगर-1, नई दिल्ली, में मकानों के सम्बन्ध में नामान्तरण के लिए दिए गए कितने आवेदन 1968-69 में अस्वीकार किए गए और प्रत्येक मामले में अस्वीकृति के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कारण खरीदारों को स्पष्ट रूप से बता दिए गए थे;

(ग) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों की जिन्होंने मकान की कीमत लेने के बदले में खरीदारों के सम्बन्धियों को अपरिवर्तनीय मुख्तयरनामा दे रखा था, आपत्तियों को एक पक्षीय रूप से स्वीकार करने का क्या आधार है; और

(घ) क्या इन मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा; यदि हां, तो कब और यदि उन पर पुनर्विचार कर लिया गया है, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) तक : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Amount of Teh Bazaari Charged by N.D.M.C. from Pavement Pen-Repairers

9243. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that New Delhi Municipal Committee charges Rs. 25 per month in the form of "Teh Bazaari", from the persons repairing pens sitting on the pavements;

(b) whether the rate of "Teh Bazaari" charged per month from persons who have been provided with covered and raised platforms, is only rupees ten;

(c) whether pen-repairers on pavement are challaned by Police even after payment of "Teh Bazaari" by them;

(d) if so, the reasons for harassment to them by police and for charging less rent from the persons, who have been provided with covered and raised platforms; and

(e) whether Government also propose to provide covered and raised platforms to the persons who are repairing pens and are paying "Teh Bazaari"?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The New Delhi Municipal Committee charges teh-bazaari according to the classification of area. The rates for pen repairing which falls under the trade of general merchandise are as follows :—

Classification of area	*Rate per mensem*
A (Connaught Place and Janpath area)	Rs. 25
B (Gole Market, Babar Road and Lodi Road area)	Rs. 15
C (Other areas)	Rs. 10

(b) The rate of monthly licence fee and not of teh bazaari of the covered and raised platforms is Rs. 15 per month.

(c) and (d). We have no information with regard to the harassment of the pen-repairers by the Police. The rates for teh bazaari and licence fee have been fixed by the New Delhi Municipal Committee taking into consideration all the relevant facts.

(e) The New Delhi Municipal Committee proposes to provide platforms to all the verified squatters in its area in due course.

चौथी योजना के दौरान कोयले के उत्पादन कार्यक्रम के बारे में भारतीय कोयला व्यापारी संघ, बम्बई के अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य

9244. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16' अप्रैल, 1970 के 'इकनौमिक टाइम्स' में प्रकाशित भारतीय कोयला व्यापारी सेवा संघ, बम्बई के अध्यक्ष श्री प्रताप जोशी के उस वक्तव्य की ओर दिया गया है, जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन कार्यक्रम में पुनरीक्षण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन कार्यक्रम उस कोयला विषयक आयोजना दल द्वारा किए गए निर्धारण पर आधारित है, जिसमें अन्य के साथ, गैर-सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था। मांग में वृद्धि तथा आयोजित उत्पादन में साम्य सुनिश्चित करने के लिए कोयला विकास परिषद् की मांग निर्धारण विषयक समिति द्वारा समय-समय पर इस निर्धारण का पुनः विलोकन किया जाएगा।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करना

9246. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय उर्वरक निगम के हाल ही के एक विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिसमें एक दरिद्र परिवार को अपनी रोज़ की रोटी मांगते हुए दिखाया गया है;

(ख) क्या वह भारतीय उर्वरक निगम को भारत की गरीबी का ऐसा वीभत्स प्रदर्शन न करने का आदेश देंगे;

(ग) इस विज्ञापन का क्या उद्देश्य है; और

(घ) क्या अपने उत्पादों को बेचने के लिए भारतीय उर्वरक निगम का विज्ञापन करना वह आवश्यक समझते हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दिए गए विज्ञापन में निर्देश-चित्र में एक प्रतिरूपी (टिपिकल) ग्रामीण औरत अपने तीन बच्चों सहित, जो सारे ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए और औरत गहने पहने हुए थी, दिखाई गई है। इस चित्र को एक दरिद्र परिवार का चित्र बताना ठीक नहीं होगा। विज्ञापन में उद्धरण बाइबल में से था—"गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रैड (इस दिन हमारी रोज़ की रोटी दो)।" अधिक अन्न बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना उत्पादन का उद्देश्य था।

(ख) इस विज्ञापन में भारत की दरिद्रता का कोई वीभत्स प्रदर्शन नहीं है और भारतीय उर्वरक निगम को ऐसे प्रदर्शन बन्द करने के लिए कथन के बारे में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विज्ञापन का उद्देश्य, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारतीय उर्वरक निगम के रसायन उर्वरकों के एक उत्पादनकर्त्ता के रूप में कार्यों को बताना था।

(घ) दूसरे उर्वरक निर्माता की तरह भारतीय उर्वरक निगम के अपने विक्रय बढ़ाने के लिए अपने उत्पादों का विज्ञापन करना आवश्यक है।

कर अपवंचन तथा काले धन के सम्बन्ध में कानपुर और लखनऊ के आयकर आयुक्त को प्राप्त शिकायतें

9247. श्री प० मु० सईद :

श्री क० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर और लखनऊ के आयकर आयुक्त को चिकित्सकों के बहुत अधिक लेखाबाह्य धन और कर-अपवंचन की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) क्या कोई जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और क्या ऐसे मामलों में कार्यवाही करने में तेज़ी नहीं बरती गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : **(क) तथा (ख)** : डाक्टरी प्रैक्टिस करने वाले 24 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें आयकर आयुक्त, लखनऊ तथा आयकर आयुक्त कानपुर को मिली थीं कि वे डाक्टर कर अपवंचन करते हैं।

(ग) तथा (घ). जांच-पड़ताल को शीघ्र पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। परिणाम तो कर निर्धारणों की कार्यवाही पूरी पूरी होने पर ही जाने जा सकते हैं।

डेरा इस्माइलखां सहकारी भवन निर्माण समिति नई दिल्ली के ले आउट योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

9248. श्री क० लकप्पा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा इस्माइल खां सहकारी भवन निर्माण समिति की ले आउट योजना को अन्तिम रूप देने तथा भूमि का विकास होने में विलम्ब होने का एक मुख्य कारण यह है कि उसके अधिकतर प्रबन्धकों के अपने मकान और प्लाट हैं तथा वे नए प्लाट लेने के हकदार नहीं हैं और इसलिए वे कालोनी की समस्त परियोजना को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब करवा रहे हैं; और

(ख) भूमि आदि के विकास की समस्त परियोजना में तेज़ी लाने, 18 वर्षों से तंग किए जा रहे सामान्य हिस्सेदारों के हित की भली प्रकार रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय में अपने प्लाट दिलाने के लिए सरकार का क्या तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, नहीं। डेरा इस्माइल खां सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी की भूमि का लेआउट प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

(ख) लेआउट प्लान के अनुमोदित होते ही इस सोसाइटी को आवंटित की गई भूमि के विकास का कार्य आरम्भ किए जाने की आशा है।

Deaths due to Cold and other Diseases

9249. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons who died of various diseases and as a result of cold wave in the entire country during this year and the last year;

(b) whether Government have issued directions to the State Governments to construct night shelters in their capitals to save persons from death due to cold wave; and

(c) the names of the States where night shelters have been constructed for orphans and other persons and the number thereof, State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) During 1969, 8,511 persons were reported to have died in the country of small-pox, cholera, enteric fever, dysentry, measles, whooping cough, poliomyelitis, diphtheria, infective hepatitis and chicken-pox. Figures for 1970 are not available. Information regarding deaths due to cold is not available as this is not a notifiable disease.

(b) The Slum Clearance/Improvement scheme (copies of this scheme have been forwarded to all State Governments/Union Administrations) provides for construction of night shelters wherever necessary.

(c) The information is being collected and will be laid on the table of the house as soon as possible.

Persons Trained in Medical Colleges

9250. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the number of persons who received training in the Medical Colleges during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : The information in regard to the persons who received training in the Medical Colleges during last two years is not available. However, the number of students who passed the final MBBS Examination during 1967 and 1968 is given below :

1967	7,628
1968	8,916

Information for the year 1969 is not readily available.

Drowing of Pay and Allhwances by a person from two or more Institutions

9251. Shri P. L. Barupal :
Shri Achal Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether drawing of pay, allowances and provident fund by a person simultaneously from two or more registered institutions, which receive grants from Government, is a legal offence; and

(b) if so, the Act and the Section thereof under which action could be taken against such persons?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The salary and other conditions of service of persons employed in non-Government institutions, whether they receive grants from Government or otherwise, are matters which are regulated by the terms of their employment and no legal issue seems to be involved.

(b) Does not arise.

अंशादायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने की अनिच्छा

9252. श्री अचल सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने की अनिच्छा के बारे में 13 अप्रैल, 1070 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 6202 के भाग (ख) में उल्लिखित डाक्टरों के नामों की सूची पूरी तैयार है और क्या उसमें से उस एक अनिच्छुक मुअत्तिल डाक्टर का नाम भी शामिल है, जिसे अभी तक आज तक का भुगतान नहीं किया गया है और उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के अनुसार उसे अपने मूल पद पर कार्य के लिए आने को कहा गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक अनिच्छुक डाक्टर के मारे मामले को पिछली तारीख से ठीक कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न संख्या 6202 के भाग (ख) में उल्लिखित डाक्टरों के नामों की सूची केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना एसोसियेशन द्वारा 1965 में भेजी गई सूची की एक पूर्ण प्रतिलिपि है। इस सूची में उस डाक्टर का नाम सम्मिलित नहीं किया गया था जिसे बाद में अल्पावधि के लिए निलंबित किया गया था। इस डाक्टर को स्थानान्तरण आदेशों की अवज्ञा करने पर 28 फरवरी, 1967 को मुअत्तिल किया गया था। मुअत्तिली के आदेशों को 21 जुलाई, 1967 से रद्द कर दिया गया था। इस डाक्टर को 29 अगस्त, 1967 के एक आदेश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित किया गया, किन्तु वह वहां भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। इस मामले की केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अधीन जांच पड़ताल की जा चुकी है और जांच अधिकारी (इन्क्वारी अफसर) की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

आयकर विभाग में निर्णयाधीन आयकर वापसी के दावे

9253. श्री ए० श्रीधरन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में मार्च, 1969 से आय-कर की वापसी के कितने दावे (व्यक्तिगत तथा अन्य) निर्णयाधीन पड़े हैं;

(ख) अब तक कितने मामले तय किए गए हैं; और

(ग) क्या अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का विनियोजन करने वाली कुछ संस्थाओं से कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : **(क) से (ग).** सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

Provision of Ceiling Fans in Servants Quarters of M.Ps. Flats in North and South Avenue, New Delhi

9254. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6708 on the 20th April, 1970 regarding the provision of ceiling fans in servants quarters of M.Ps. flats in North and South Avenues, New Delhi and state :

(a) the date when the work of providing hooks for the fans and of putting electric fans was started in the servant quarters of the Members of Parliament situated in the North and South Avenues;

(b) whether Government are also going to make similar arrangements in the servant quarters attached to the bungalows allotted to the Members of Parliament; and

(c) if so, the time by which the work will be completed in the servant quarters (attached to the bungalows) allotted to the Members of Parliament?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The work of providing ceiling fan points and fan hooks was taken up on the 16th March, 1970. There is no proposal to provide ceiling fans in these quarters at Government cost.

(b) Yes, Sir.

(c) The work is expected to be completed in the servants quarters attached to the M.Ps. bungalows by the end of August, 1970.

दक्षिण दिल्ली में संसद् सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

9255. श्री लोबो प्रभु : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण दिल्ली में 200 से अधिक प्लाट आवंटित नहीं किए जा सकते, सरकार ने दक्षिण दिल्ली में संसद्-सदस्यों के लिए रिहायशी प्लाटों की व्यवस्था करने के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) इस बारे में नियम न बनाए जाने के क्या कारण हैं कि यदि कोई संसद्-सदस्य जिसे प्लाट आवंटित किया गया है एक वर्ष के अन्दर निर्माण-कार्य शुरू नहीं करता तो उसे अन्य सदस्यों को आवंटित कर दिया जाएगा और यदि सदस्य फिर से निर्वाचित नहीं होता तो किसी भी मामले में उपयुक्त प्लाट का आवंटन उसके नाम नहीं रहेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) न केवल दिल्ली के क्षेत्रों में अपितु दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी रिहायशी योजनाओं में से संसद्-सदस्यों के लिए और कुछ अन्य आवेदकों के वर्गों के लिए सुरक्षित 5 प्रतिशत कोटा में से उन संसद्-सदस्यों को रिहायशी प्लाटों का आवंटन प्रस्तावित है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। यह आवंटन प्राधिकरण की मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित दरों पर किए जाएंगे।

(ख) आवंटन की एक शर्त यह है कि आवंटी भूमि के आवंटन के दो वर्षों के भीतर मकान का निर्माण करेगा।

होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में परियोजना भत्ते बन्द किया जाना

9256. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के मध्य में होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल के परियोजना भत्ते को बन्द करने के कारण क्या हैं;

(ख) अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के कारण सिक्योरिटी पेपर मिल्स से बाहर रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल के कर्मचारियों को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यातायात किराया देना पड़ता है तथा सिक्योरिटी पेपर मिल एम्बुलैंस से अस्पताल जाने के लिए 5 रुपए प्रति चक्कर देना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल के कर्मचारियों को प्रायोजना भत्ते की अदायगी प्रायोजना के निर्माण के दौरान वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में की जाती थीं। चूंकि इन सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने के बाद इस भत्ते का कोई औचित्य नहीं रह जाता था इसलिए इसे पहली जुलाई 1969 से बन्द कर दिया गया।

(ख) और (ग) होशंगाबाद में काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता नहीं मिलता।

(घ) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल भेजने और वापस लाने के लिए विभागीय गाड़ी का इस्तेमाल करने पर 3.60 रूपया प्रति बच्चा प्रति मास की रियायती दर पर अदायगी करनी पड़ती है। अगर मिल का चिकित्सा अधिकारी अस्पताल की गाड़ी के इस्तेमाल की अनिवार्यता को प्रमाणित कर दे, तो गाड़ी के इस्तेमाल के लिए कोई रकम नहीं ली जाती। पर अगर मिल के चिकित्सा अधिकारी की सलाह के विरुद्ध कोई कर्मचारी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहे, तो उससे सिविल अस्पताल, होशंगाबाद तक जाने और वापस आने के लिए 5 रुपए लिए जाते हैं।

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों की पदोन्नति

9257. श्री बाल्मीकि चौधरी :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री देविन्द्र सिंह गार्ची : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंगडन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में पिछले तीन वर्षों में 210–320 रुपए के वेतनमान से कितनी पदोन्नतियां हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि में सेवा और योग्यताओं में वरिष्ठ नर्सों के मामलों में कितनी बार अधिक्रमण किया गया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में वरिष्ठ और अर्हता-प्राप्त नर्सों की कितनी बार उपेक्षा की गई तथा भारत और विदेश में छात्रवृत्ति के लिए कनिष्ट नर्सों का चयन किया गया था; और

(घ) प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) विलिंगड्न अस्पताल में दो तथा सफदरजंग अस्पताल में तीन।

(ख) विलिंगडन अस्पताल में कोई अधिक्रमण नहीं किया गया है जबकि सफदरजंग अस्पताल में अधिक्रमण दो बार किया गया। 210–320 के ग्रेड से उच्च पदों पर पदोन्नति चयन के आधार पर की जाती है जिसमें अर्हता, योग्यता, प्रशिक्षण, वरिष्ठता तथा वार्षिक रिपोर्ट चयन का आधार होती हैं।

(ग) सफदरजंग अस्पताल के तीन कर्मचारियों ने विदेश में छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन किया था और उनके आवेदन-पत्र भेज दिए गए थे। अभी तक कोई चयन नहीं किया गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में कल्याण मण्डप बारात-घर का निर्माण

9258. श्री बलराज मधोक : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम सरकारी कर्मचारियों की भारत में सबसे बड़ी कालोनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वह इस समय डेढ़ लाख से अधिक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सारी कालोनी में कोई भी कल्याण-मण्डप या बारात-घर नहीं है जहां कि विवाहों आदि का आयोजन किया जा सके;

(घ) क्या यह भी सच है कि पूर्ण रुप से सरकारी कालोनी होने के कारण वहां कोई गैर-सरकारी धर्मशालाएं या इमारतें नहीं हैं, जिनका कि इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में लोगों के सामाजिक उद्देश्यों के उपयोग के लिए कुछ कल्याण-मण्डप या ऐसी अन्य इमारतें बनाने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के शाह): (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य है कि नए निर्मित मकानों का दखल दिए जाने से इस कालोनी के निवासियों की कुल संख्या बढ़ रही है। किन्तु वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े मालूम नहीं हैं।

(ग) और (घ) : जी, हां।

(ङ) जी नहीं, किन्तु वे क्वाटंर जो आवंटन की प्रक्रिया में हैं, इस अवधि के लिए जो एक सप्ताह से अधिक न हो, के लिए, सामान्य पूल वास के दखलकार सरकारी कर्मचारियों को या उनके साथ वास के सहभागियों को विवाह के उद्देश्य के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। कालोनी में सामुदायिक हाल का विवाह के लिए प्रयोग करने की अनुमति का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

उर्वरकों के लिए भारी पेट्रोलियम प्रभाग (फ्रेक्शन्स) को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाना

9259. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के लिए भारी पेट्रोलियम प्रभाग को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाने की सम्भावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) : एल० एस० एच० एस०/एच० एस० एच० एस०/ईंधन तेल आदि भारी पेट्रोलियम प्रभागों (फ्रेक्शन्स) पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। विचाराधीन कुछ स्थान जहां संभरण सामग्री के रूप में शायद ऐसे प्रभागों का प्रयोग किया जाए, हल्दिया और नांगल (विस्तार) है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दालों, तिलहनों के तेलों तथा अनाज पर ऋण देना

9260. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंक दालों, तिलहनों, तेलों, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों पर ऋण देते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1969 में मध्य प्रदेश में दालों, तेलों, तिलहनों तथा अन्य उत्पादों पर कितना ऋण दिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि-उत्पादनों को गिरवी रख कर दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में जितनी सूचना उपलब्ध हो सकी है, उतनी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(बकाया ऋण)

(लाख रुपयों में)

ज़मानत	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
I. अन्न						
क. धान और चावल . . .	1,31	1,81	2,01	1,97	1,31	1 29
ख. गेहूं	20	27	26	31	51	81
ग. अन्य अनाज और दालें (ज्वार, बाजरा, चना और मक्का समेत) . .	1,56	2,56	2,95	3,10	4,79	5,26
घ. चीनी (खडसारी समेत)	36	67	1,02	1,15	1,11	94
ङ. गुड़	7	10	17	17	16	10
च. वनस्पति तेल (वनस्पति समेत)	81	1,17	1,22	1,08	1,08	1 16
II. तिलहन . . .	1,63	1,51	1,82	2,55	2,70	2,21
III. रुई और कपास . . .	8,38	8,95	8,50	6,95	6,00	4,95

मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं

9261. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं और गत वर्ष अर्थात् 1969 में इन बैंकों में उस राज्य के लोगों का कितना धन जमा था तथा उन बैंकों ने कितनी राशि का ऋण दिया था;

(ख) दिए गए ऋणों में से किसानों, कृषि पर आधारित उद्योगों, अन्य उद्योगों, व्यापारियों आदि को क्रमश: कितना ऋण दिया गया; और

(ग) ऋण प्राप्त करने वालों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है जिनको तीन लाख, तीन से पांच लाख, पांच से दस लाख और दस लाख से अधिक ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदा शाखाओं की संख्या दी गई है।

मध्य प्रदेश में इन बैंकों की शाखाओं में 1969 में जमा कराई गई रकमों और इन शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों की रकमों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) : ये आंकड़े भी तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और इकट्ठे किए जा रहे हैं तथा जितने प्राप्त हो सकेंगे उतने सभा की मेज़ पर रख दिए जाएंगे।

विवरण

मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदा शाखाओं का विवरण

बैंक का नाम	कार्यालयों की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	122
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
स्टेट बैंक आफ इंदौर	57
सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	31
बैंक आफ इण्डिया	20
पंजाब नेशनल बैंक	42
बैंक आफ़ बड़ौदा	11
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	30
कनारा बैंक	1
देना बैंक	12
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	16
इलाहाबाद बैंक	8
बैंक आफ महाराष्ट्र	6
आंध्र बैंक लिमिटेड	1
बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड	6
हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड	2
कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड	5
जोड़	371

टिप्पणी :—ये आंकड़े मार्च, 1970 के अन्त तक प्राप्त सूचना पर आधारित हैं।

मध्य प्रदेश में कमर्शियल बैंकों की शाखायें

9262. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पांच हज़ार तक, पांच से दस हज़ार तक, दस हज़ार से बीस हज़ार तक और बीस हजार से भी अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर कमर्शियल बैंकों की कितनी-कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) प्रस्तावित विस्तार योजनाएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मार्च, 1970 के अन्त तक प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	कार्यालयों की संख्या
5,000 तक की जनसंख्या वाले केन्द्र	41
5,001 से 10,000 तक की जनसंख्या वाले केन्द्र	55
10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या वाले केन्द्र	60
20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्र	215
जोड़	371

(ख) रिज़र्व बक ने मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों में 141 और नए कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दे दी है। इसके अलावा, 'बैंक नेतृत्व' योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश केस भी जिले सरकारी क्षेत्र के सात बैंकों के नाम निर्धारित कर दिए गए हैं। 'नेता बैंक' क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से उनके नाम निर्धारित किए गए ज़िलों का शाखा-विस्तार कार्यक्रम और उन क्षेत्रों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से सर्वेक्षण करेंगे। आशा है 'नेता बैंकों' के योगदान के परिणामस्वरूप, कुछ समय बाद, राज्य के उन सभी स्थानों पर बैंकों के कार्यालय खुल जाएंगे, जहां बैंक सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता है।

जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण

9263. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956 में जीवन बीमा निगम के अस्तित्व में आने के समय से अब तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है और समय-समय पर केवल कुछ समायोजन ही किया गया है;

(ख) क्या सरकार अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन को मान्यता देती है और एसोसिएशन तथा जीवन बीमा निगम के बीच उद्देश्यपूर्ण बातचीत कराने की व्यवस्था करेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कर्मचारियों की वित्तीय मांग रखने से पूर्व ही जीवन बीमा निगम ने अस्थायी महंगाई भत्ता समाप्त कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का कर्मचारियों को कार्य-सुविधाएं पुनः देने के लिए जीवन बीमा निगम से कहने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीप्र० चं० सेठी) : (क), (ग) और (घ) : जी, नहीं। जनवरी, 1963 में जीवन बीमा निगम और उसके तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मध्य वेतनमानों तथा महंगाई भत्ते के बारे में 1-1-1962 से लेकर 5 साल के लिए एक समझौता हो गया था। परन्तु जब 31-12-66 को समझौते की अवधि समाप्त हो गई, 1967 और 1968 में बीमा निगम ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की परन्तु बातचीत के उपरान्त भी कोई समझौता न हो सका और 26-11-1968 को मामला राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया।

जनवरी 1963 के मुख्य समझौते के बाद जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों में एक अन्य समझौता हुआ जो 1-8-1964 से लागू समझा गया। इस समझौते के अन्तर्गत लोगों को 31-12-66 तक के लिए या 1960 तक के सूचकांक आंकड़ों के मिलने तक, दोनों में से जो भी जल्दी हो, उस समय तक के लिए कर्मचारियों को अस्थाई अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। वास्तव में यह अस्थाई महंगाई भत्ता 31-12-66 के बाद भी अक्तूबर 1968 तक जब तक कि 1960 के आधार सूचकांक आंकड़े उपलब्ध हुए, मिलता रहा। फिर भी न्यायाधिकरण ने आन्तरिम राहत के रूप में कर्मचारियों को लगभग अस्थाई महंगाई भत्ते के बराबर राहत, जिसे वापिस ले लिया गया था, पुनः दे दिया गया।

(ख) जीवन बीमा निगम ने भारतीय बीमा कर्मचारियों के संगठन को फरवरी 1967 की अनुशासन नियमावली के अन्तर्गत मान्यता दे दी। इसके बाद इस संगठन ने अनुशासन नियमावली के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया जिसके फलस्वरूप इसे जीवन बीमा निगम ने 1968 में अमान्य घोषित कर दिया।

अब जीवन बीमा निगम न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन तथा तीन अन्य ऐसे संघों के साथ जो कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्विपक्षीय बातचीत कर रहा है।

केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये व्यक्ति

9264. श्री गणेश घोष : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल, नई दिल्ली के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले व्यक्तियों के साथ लाभ आदि देने के मामले में भेदभाव बरता जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1966 से 1970 तक की अवधि में की जाने वाली पदोन्नतियों में ऐसे लिपिकों और लेखापालों की उपेक्षा की गई थी जो कि तालिका में वरीय थे और कि पदोन्नतियां नई तालिका में से की गई थीं और इसमें भी पहले वाली तालिका में से प्रतिनियुक्ति पर गए हुए व्यक्तियों की उपेक्षा की गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि राजस्व लेखा परीक्षा की परीक्षा में सभी पात्र व्यक्ति बैठ सकते हैं परन्तु प्रतिनियुक्ति पर गए हुए व्यक्तियों को इसके लिए अपेक्षित सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यह बात सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि उन व्यक्तियों के हितों की, जिनकी पदोन्नति के मामले में उपेक्षा की गई थी, रक्षा की जाएगी तथा कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में उनको वित्तीय या अन्य प्रकार के मामलों में कोई हानि नहीं होने दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तकों की उपलब्धता तथा अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासनिक समस्याओं जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए चरणवार कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरम्भ में कार्यालय में उपलब्ध अधिकारियों को ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(घ) भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नायलोन का धागा पकड़ा जाना

9265. श्री चित्तिबाबू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निरोधक अधिकारियों ने वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में कितना नायलोन का धागा तथा धात्विक धागा पकड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

आसाम और नेफा के अतिरिक्त क्षेत्र के लिये आयल इंडिया लिमिटेड को समन्वेषी लाइसेंस देना

9266. श्री राजदेव सिंह :

श्री लोबो प्रभु :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में आयल इंडिया लिमिटेड को आसाम और नेफा में 1886 वर्ग मील के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए एक समन्वेषी लाइसेन्स देने में क्या औचित्य था जबकि प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग अस्तित्व में आ गया था और उन्हें पर्याप्त जानकारी तथा अनुभव हो गया था; और

(ख) अपरिष्कृत तेल की मांग और पूर्ति में भारी अन्तर को देखते हुए उन 1415 वर्गमील के नए क्षेत्रों में तेल खोज निकालने के लिए गम्भीर प्रयत्न क्यों नहीं किए गए जिसका आयल इंडिया लिमिटेड ने 1967 में समर्पण कर दिया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) आयल इंडिया लि० को 1886 वर्गमील के अतिरिक्त क्षेत्र में समन्वेषी लाइसेन्स की मंजूरी, सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के बीच हुए द्वितीय अनुपूरक करार की शर्तों के अनुसार थी।

(ख) समर्पित क्षेत्र में जैसा कि इससे सम्बन्धित और संलग्न क्षेत्रों के दित्ता से अनुमान लगाया गया है, भूगर्भीय परिस्थितियों ने तेल और गैस संचयों के लिए उपयुक्त आकर्षक अवस्थाओं की विद्यमानता को सूचित नहीं किया और इसलिए इस समर्पित क्षेत्र का और समन्वेषण नहीं किया गया।

फिल्म निर्माताओं के यहां छापे

9267. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966 से मार्च 1970 तक देश में फिल्म निर्माताओं के यहां छापे मारे हैं ;

(ख) क्या कुछ ज़ब्त किए गए कागज़ात फिल्मी कलाकारों को दिए गए काले धन के बारे में थे; और

(ग) यदि हां, तो उन फिल्मी कलाकारों के क्या नाम हैं जिनको फिल्म निर्माताओं ने काला धन दिया था और उन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। उक्त अवधि में आयकर विभाग ने फिल्म निर्माताओं के मामलों में दो तलाशियां ली थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) फिल्म निर्माताओं के नाम हैं :—

(1) मेसर्स के० प्रोडक्शन्स।

(2) मेसर्स आर० आर० पिक्चर्स।

पकड़े गए दस्तावेज़ों से पता चला कि अनेक फिल्म कलाकारों को काले धन की अदायगी की गई है। सम्बन्धित रकम पर कर लगा दिया गया है अथवा अप्रकट आय को स्वेच्छा से प्रकट करने की योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित फिल्म कलाकारों द्वारा उसे पहले ही प्रकट कर दिया गया था :

(1) श्री दिलीप कुमार
(2) श्री प्राण
(3) कुमारी वहीदा रहमान
(4) श्री एम० आर० राधा
(5) श्री एम० जी० रामचन्द्रन
(6) श्रीमती बी० सरोजा
(7) श्री टी० आर० रामचन्द्रन्

पकड़े गए लेखाओं से पता चला है कि निम्नलिखित दस कलाकारों को भी काले धन की अदायगी की गई थी। लेखाओं की छानबीन की जा रही है और कर-निर्धारणों पर विचार किया जा रहा है।

(1) श्री जानी वाकर
(2) श्री एस० रहमान
(3) श्रीमती श्यामा

(4) श्री नौशाद अली
(5) श्री मुहम्मद रफी
(6) कुमारी लता मंगेश्कर
(7) श्रीमती आशा भोंसले
(8) श्री पीताम्बरम्
(9) श्री कल्याण कुमार
(10) श्री रहमान

श्रीनिवासपुरी (नई दिल्ली) में चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जाधारी

9268. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनिवासपुरी (नई दिल्ली) में चतुर्थ श्रेणी के अधिकांश क्वार्टर गैर-एलाटी व्यक्तियों के कब्ज़े में हैं जो किराए के रूप में बड़ी राशि का भुगतान कर रहे हैं, जिसके कारण जो थोड़े वास्तविक एलाटी अपने क्वार्टरों में रह रहे हैं उन्हें ये किराएदार बहुत तंग कर रहे हैं;

(ख) क्या इन अनियमितताओं के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो 1969-70 में सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं और प्रत्येक दोषी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसके क्वार्टर का नम्बर क्या है;

(घ) क्या उक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार समूची कालोनी और विशेष रूप से क्वार्टर संख्या एच० 27 से 40, एच० 307 से 322 और एच० 59 से 103 तक की जांच करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रीनिवासपुरी में सरकारी क्वार्टरों के उप-किराएदारी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) 1969 और 1970 (31 मार्च, 1970 तक) के वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	शिकायत का स्वरूप और की गई कार्यवाही	शिकायतों की संख्या	
		1969	1970 (31 मार्च, 1970 तक)
1.	उप-किराएदारी के लिए दोषी पाए गए और सरकारी वास/किराएदार साथ रखने (शेयरिंग) से वंचित कर दिए गए और दण्डात्मक किराया लिया गया।	14	—
2.	उप-किराएदारी सिद्ध नहीं हुई	21	—
3.	गुमनाम तथा छद्मनाम सिद्ध हुई और कोई कार्यवाही नहीं की गई .	11	34
4.	अभी जांचाधीन	23	38
	जोड़ .	69	72

(1) में उल्लिखित 14 मामलों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3467/70]**

(घ) तथा (ङ) : भाग (क) और (ग) के दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि अनधिकृत उप-किराएदारी केवल एक छोटे पैमाने पर ही है। इस मामले में लगातार सतर्कता बर्ती जा रही है, और 548 टाइप-I के क्वार्टरों की सारी कालोनी का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं है। परन्तु, प्रश्न में विशेष रूप से उल्लिखित क्वार्टरों के बारे में जांच की जाएगी।

विवरण

उन क्वार्टरों का ब्यौरा, जिनमें आवांटियों को उप-किरायेदारी/अनधिकृत रूप से साथ रखने (शेयरग) क लिए दोषी पाया गया और दण्ड दिया गया

क्रम सं०	क्वार्टर नं०	दण्ड दिया गया
1.	एच–2	सरकारी वास से वंचित किया गया और दण्डात्मक किराया भी लिया गया।
2.	एच–4	—वही—
3.	एच–15	—वही—
4.	एच–20	—वही—
5.	एच–59	—वही—
6.	एच–70	—वही—
7.	एच–331	—वही—
8.	एच–332	—वही—
9.	एच–368	—वही—
10.	एच–103	किराएदार रखने की अनुमति से वंचित किया गया और दण्डात्मक किराया लिया गया।
11.	एच–131	—वही—
12.	एच–329	—वही—
13.	एच–339	—वही—
14.	जी–325	—वही—

एल्यूमिनियम उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क

9269. श्री रमेश चन्द व्यास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले धातु-पिंडों और बिलेटों पर चुकाए गए शुल्क का प्रमाण दिखाने में वास्तविक कठिनाई होने के कारण एल्यूमीनियम के लघु निर्माताओं को अपने उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समंजन द्वारा देने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निर्माताओं के पास 28 फरवरी, 1970/1 मार्च, 1970 की मध्य-रात्रि का रद्दी माल के अतिरिक्त धातु-पिंड़ों तथा बिलेटों के भण्डार के बारे में यह नहीं बताया गया था कि प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 1,020 रुपये का पूरा उत्पादन-शुल्क चुका दिया गया है, जैसा कि 1967 की बजट की पूर्व संध्या के अवसर पर किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि 28 फरवरी, 1970 तक लघु निर्माताओं के उत्पादित माल पर शुल्क का भार, जो शुल्क समंजन द्वारा चुकाया जाता है, बड़े उद्योगपतियों द्वारा उसी तरह के उत्पादों पर

दिए जाने वाले शुल्क से कम है, परन्तु 1 मार्च, 1970 से लघु निर्माताओं को अपने उत्सादित उत्पादों पर प्रति मीट्रिक टन लगभग 430 रुपये अधिक देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए तथा ऐसे लघु निर्माताओं को राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। ऐसे निर्माताओं के मामले में जो कच्चे एल्यूमीनियम पर लगने योग्य शुल्कांश को मुजरा पाने का दावा करने के बाद अपने उत्पादों पर शुल्क की अदायगी करते हैं, शुल्क-अदायगी का प्रमाण पेश करने की आवश्यकता में ढील केवल पुराने, रद्दी एल्यूमीनियम के सम्बन्ध में ही दी गई है। उसकी सिल्लियों (ingots) तथा छड़ों (billets) के मामलों में यह ढील नहीं दी गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) तथा (घ). जी, हां। 1 मार्च, 1970 से सभी निर्माताओं द्वारा उत्पादित एल्यमीनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है; शुल्क में वृद्धि की वास्तविक सीमा, प्रत्येक निर्माता के मामले में, उसके उत्पादों के बिक्री-मूल्य पर निर्भर करेगी, क्योंकि अब शुल्क मूल्यानुसार आधार पर लगाया जाता है।

लौह अयस्क पर रायल्टी बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार की मांग

9270. श्री के० आमात :

श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य में लौह अयस्क पर रायल्टी बढ़ाने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी ठीक-ठीक मांग क्या थी; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) लौह अयस्क पर स्वामिस्व की विद्यमान दरें और उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित दरें नीचे उपदर्शित की गई हैं :—

लौह अयस्क की श्रेणी	प्रति मैट्रिक टन वर्तमान दर	राज्य सरकार द्वारा अभिस्तावित दरें
1. पिण्ड		
(1) 62 प्रतिशत से अधिक लोहांश अन्तर्विष्ट करने वाला अयस्क	1.50 रुपये	उड़ीसा 2.50 रुपये
(2) 62 प्रतिशत तक लोहांश अन्तर्विष्ट करने वाला अयस्क	1.00 रुपये	उड़ीसा 1.50 रुपये
2. सूक्ष्म अयस्क . . .	0.25 रुपये (सभी वर्गों के लिए)	राज्य सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ग) राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्वामिस्व-वृद्धि को इस समय स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इसने महसूस किया कि तत्समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

बच्चों में 'मृत्यु और बीमारी' के कारणों की जांच करने के लिए अनुसंधान योजना

9271. श्री सी० मुत्तुस्वामी :

श्री रा० वें० नायक :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने बच्चों में 'मृत्यु और बीमारी' के कारणों की जांच करने के लिए एक अनुसंधान योजना की मंजूरी दी थी;

(ख) यह योजना कितनी अवधि के लिए मंजूर की गई थी;

(ग) क्या विशेषज्ञ दल ने, जिसने इसकी मंजूर की हुई अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसका पुनर्विलोकन किया था, यह सिफारिश की थी कि इसको बन्द कर दिया जाए;

(घ) क्या यह सच है कि मंत्री के वैयक्तिक प्रभाव के कारण इस योजना के लिए अतिरिक्त धन की मंजूरी दी गई थी; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का विचार इस योजना को कब तक चलाने का है, जिसका कि उद्देश्य पूरा हो गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख): दिल्ली में 0—5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में रुग्णता और मृत्यु-दर के सर्वेक्षण की एक योजना 1963 में शुरू की गई थी और वह 1968 में समाप्त कर दी गई।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। क्योंकि यह परियोजना 1968 के अन्त में तर्कसंगत रूप से (अर्थात् पांच वर्ष की अवधि के बाद) समाप्त हो गई। अतः अतिरिक्त धन मंजूर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में उपनिदेशक (तकनीकी) तथा सहायक सम्पादक के चयन की पद्धति

9272. श्री नंजा गौडर :

श्री मीठालाल मीना :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में उपनिदेशक (तकनीकी) तथा सहायक सम्पादक (यू० जे० एम० आर०) के चयन की पद्धति क्या है;

(ख) दोनों मामलों में चयन समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) कितने उम्मीदवारों ने आवेदन दिये, कितनों का इन्टर्व्यू लिया गया और अन्ततः कितनों का चयन किया गया और कितनों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया; और

(घ) क्या इन नियुक्तियों के मामले में पक्षपात के आरोप लगाये गये हैं और यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) उप-निदेशक (तकनीकी) के दो पदों और सहायक सम्पादक

(आई० जे० एम० आर०) के एक पदके लिए चयन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया था। इन तीनों पदों को प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया गया था।

प्रजनन जीव विज्ञान एवं उर्वरता नियन्त्रण, पोषण तथा प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य के उप-निदेशक (तकनीकी) के पद के लिए, परिवार नियोजन के वैज्ञानिक पहलुओं सम्बन्धी विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के चिकित्सा कालेजों एवं अनुसंधान संस्थानों से भी इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के नाम सुझाने का अनुरोध किया गया था।

उप-निदेशक (तकनीकी) नैदानिक अनुसंधान के पद के लिए, वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्षों, चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्यों तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय से भी योग्य उम्मीदवारों को मनोनीत करने के लिए अनुरोध किया गया था।

सहायक सम्पादक (आई० जे० एम० आर०) के पद में भरती के लिए विज्ञापन की एक प्रतिलिपि भारत के प्रमुख मेडिकल जर्नलों में भी प्रकाशनार्थ भेजी गई थी।

इन पदों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर संबंधित चयन समितियों द्वारा विचार किया गया और उन्होंने उम्मीदवारों से साक्षात्कार भी किया। चयन समितियों की सिफारिशों का कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय द्वारा उनकी पुष्टि की गई।

(ख) और (ग): अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3468/70]**

(घ) ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। नियुक्तियां पूर्णतः गुणावगुण के आधार पर की गई थीं। किसी तरह की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा पेरुवोसाइड औषधि की जांच

9273. श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेरूवोसाइड नाम की एक हृदीय औषधि सरकार द्वारा अनुमोदन करने से पूर्व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के पास जांच के लिए भेजी गयी थी;

(ख) यह औषधि किस तिथि को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को दी गई थी;

(ग) उन विशेषज्ञों के नाम क्या हैं जो इस औषधि की जांच कर रहे हैं;

(घ) इन विशेषज्ञों को इस कार्य के लिए कितने कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है; और

(ङ) कितने रोगियों को यह औषधि दी गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) 23 जुलाई, 1968।

(ग) छः।

(घ) 2 हृदय रोग चिकित्सकों को एक सहायक अनुसन्धान अधिकारी तथा 3,000 रुपये की आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई थी। एक अन्य हृदय-रोग चिकित्सक को एक अवर श्रेणी लिपिक

तथा 2,000 रुपये की आकस्मिक निधि की मंजूरी दी गई थी। दूसरों ने अपने पास उपलब्ध स्टाफ की मदद से ही जांच कार्य किया।

(ङ) इस औषधि द्वारा नैदानिक परीक्षण लगभग 165 व्यक्तियों पर किये गये। ये परीक्षण 31-3-1970 अन्वेषक अब परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के भारत में तथा विदेशों के दौरे

9274. श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री पी० राममूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के गत एक वर्ष के दौरान देश तथा विदेशों में दौरों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या मंत्रालय ने इन दौरों की स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थय तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक के दौरों के ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०3469/70**

(ख) और (ग) : भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् एक स्वशासी संगठन है। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के महानिदेशक को देश के भीतर दौरों के लिये मन्त्रालय की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक ने विदेशों में अपने दौरों के लिये भारत सरकार की मंजूरी ली थी।

शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र में अनधिकृत बस्तियों को नियमित ठहराना

9275. श्री अ० सि० सहगल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने उन अनधिकृत बस्तियों को नियमित ठहराने का निर्णय किया है जिनको 1967 के बाद शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र ई०-8 और ई०-12 के आरक्षित क्षेत्र में बन जाने दिया गया था और जिन्हें ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियां को आवंटित करने का वचन दिया हुआ था ;

(ख) क्या मुख्य कार्यकारी पार्षद ने केवल इस समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दिल्ली प्रशासन की ओर से निर्णय की घोषणा की है;

(ग) क्या सलाहकार समिति उपराज्यपाल द्वारा किये गए निर्णय के विरुद्ध जा सकती है अथवा क्या उपराज्यपाल ने इन अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों को हटाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार ग्रुप चार की समितियों के वैध और नैतिकतापूर्ण दावों को अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के अवैध अभिग्रहण के साथ किस प्रकार सुलझाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

(ग) उप-राज्यपाल, दिल्ली, मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी है।

(घ) वर्तमान नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार, केवल उन अनधिकृत बस्तियों के नियमितिकरण के लिए विचार कुछ शर्तों पर किया जाना अभिष्ट है, जो फरवरी, 1967 से पूर्व बन चुकी थी।

शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र में अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को हटाना

9276. श्री अ० सि० सहगल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगराय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उप-राज्यपाल ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा, जिसका 1967 के पश्चात् काफी विस्तार हुआ है, करने वाले व्यक्तियों को हटाने का आदेश दिया है, जिन्होंने कि शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र ई०-8 और ई०-12 के काफी बड़े भाग पर कब्जा किया हुआ है, ताकि भूमि का कब्जा ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिया जा सके जो कि भूमि के अधिकृत दावेदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को अब तक न हटाये जाने और उनका झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत पुनर्वास न किये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) उप-राज्यपाल द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये क्योंकि अवैध अनधिवास और अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिये दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्रमशः अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्यवाही की जाती है।

(ख) कुछ क्षेत्रों में अर्जन की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है और आगे कार्यवाही सहकारी समितियों को भूमि का हस्तान्तरण करने से पहले की जायेगी।

शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र की ग्रुप चार की सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन

9277. श्री अ० सि० सहगल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा (दिल्ली) क्षेत्र ई०-8 और ई०-12 की भूमि 1964 में आवंटन के लिए दी गई थी और यदि हां, तो क्या जुलाई 1966 में 50 प्रतिशत प्रीमियम वसूल करके इन समितियों को यह भूमि आवंटित करने का वचन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन समितियों को भूमि का कब्जा न सौंपने के क्या कारण हैं जब कि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में कानूनी कठिनाइयां फरवरी, 1968 में दूर कर दी गई थीं और प्रीमियम का पूरा भुगतान मार्च, 1968 में कर दिया गया था?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। जिन समितियों ने पेशकश मंजूर कर ली थी, उन्हें भूमि का प्रीमियम दो बराबर की किश्तों में अदा करना अपेक्षित था; पहली किश्त के लिए 31 जुलाई, 1966 निश्चित थी।

(ख) शाहदरा क्षेत्र के पूर्वी ज़ोन में सहकारी समितियों को आवंटन किये जाने वाले प्रस्तावित सारे क्षेत्र के बारे में अर्जन की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। परन्तु क्षेत्र के सामान्य विकास प्लान को

सहकारी समितियों द्वारा टिप्पणियों/आपत्तियों के लिए जारी कर दिया गया है। प्लान को अन्तिम रूप दिए जाने तथा अर्जन संबंधी कार्यवाही पूरी होने पर ही, भूमि का सीमांकन तथा उसके समितियों को वस्तुतः दख़ल देने की कार्यवाही की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण

9278. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के मेडिकल कालेजों में उन विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यह योजना किस तिथि से लागू की गई है; और

(घ) क्या इस योजना से डाक्टरों की संख्या में वृद्धि होने में सहायता मिली है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में रिक्त पड़ा हुआ वित्तीय नियंत्रक का पद

9279. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में वित्तीय नियंत्रक का पद गत दो वर्षों से रिक्त है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि इस पद के लिए उपयुक्त अर्हताप्राप्त व्यक्ति नहीं मिलता है; और

(ग) इस पद को शीघ्र भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 24-11-1969 से पद रिक्त है।

(ख) और (ग) : पद का विज्ञापन दिया गया था। पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति के चयन के लिये 7-5-1970 को इन्टरव्यू हुआ है।

प्रीत नगर तथा सरकारी अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समितियां, दिल्ली

9280. श्री बालगोविन्द वर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 6 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीत नगर समिति को ग्रुप दो में शामिल करने के क्या कारण हैं जबकि इस समिति ने एक सहकारी समिति के रूप में 1959 से पहले अथवा बाद में कभी कोई भूमि नहीं खरीदी थी जो ग्रुप दो में शामिल करने के लिये एक अनिवार्य शर्त थी;

(ख) प्रीत नगर समिति के 1959 से पहले कितने सदस्य थे और उनमें से कितनों ने व्यक्तिगत रूप से प्लाट खरीदे थे, इनका अलग-अलग क्षेत्रफल कितना था तथा ये कब खरीदे गये थे;

(ग) जुलाई, 1966 तक, 1969 तक तथा आज तक इसके कितने सदस्य हैं;

(घ) इस समय कितने प्लाट-धारी इस समिति के सदस्य हैं और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने शाहदरा क्षेत्र में कभी कोई प्लाट नहीं खरीदा है किन्तु वे इस समिति के सदस्य बन गये हैं; और

(ङ) इस समिति को कौन-सा क्षेत्र अलाट किया गया है; वह किस आधार पर अलाट किया गया है, सरकार ने भूमि की कितनी कीमत मांगी थी और समिति ने आज तक किस-किस तारीख को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जहां लोगों ने 13 नवम्बर, 1959 से पहले भूमि खरीद कर आपस में सहकारी सोसाइटी बना ली थी, ऐसी सोसाइटी को भी वर्ग-II सोसाइटी माना जाता है। प्रीत नगर सहकारी आवास निर्माण सोसाइटी इस शर्त को पूरा करती है।

(ख) 13 नवम्बर, 1959 को 818 सदस्य थे, प्रश्न के अवरोक्त भाग में मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 30 जून, 1966 को 1090 सदस्य थे और 3 अगस्त, 1967 तक 1421 सदस्य थे। अगस्त 1967 के बाद नये सदस्य बनाना अनुमेय नहीं है।

(घ) मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वर्ग-II की सोसाइटी होने के नाते यह उतनी ही भूमि के आवंटन की पात्र है जो इससे अर्जित किये गये क्षेत्र के लगभग बराबर हो। तदनुसार, सोसाइटी को लगभग 174 एकड़ भूमि आरंभ में आवंटित की गई, परन्तु 15 प्रतिशत की आम कटौती के बाद अब यह क्षेत्र कम होकर लगभग 148 एकड़ रह गया है।

सोसाइटी को आरंभ में 46,61,827 रुपये जमा करने के लिए कहा गया था, परन्तु उपर्युक्त कटौती के कारण 39,21,194.50 रुपये की पुनरीक्षित मांग के विपरीत सोसाइटी ने नीचे दी गई तारीखों पर 30.50 लाख रुपये अदा किये हैं :—

30-1-1968	. .	7,00,000 रुपये
8-1-1970	. .	10,00,000 रुपये
10-1-1970	. .	3,00,000 रुपये
14-3-1970	. .	5,00,000 रुपये
21-3-1970	. .	5,50,000 रुपये
जोड़	.	30,50,000 रुपये

आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन

9281. श्री स० कुण्डु: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न मेडिकल कालेजों में वर्तमान चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन के पाठ्यक्रम में आयुर्वेदिक औषधियों के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं का और आधुनिक ऐलोपेथी की औषधियों के साथ उनके संगत होने का अध्ययन आरम्भ करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) से (ग): भारतीय चिकित्सा परिष्द ने जिसे चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने की वैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, 10 मार्च, 1968 को हुई बैठक में अपनी कार्यकारी समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को मंजूर किया :

(1) देशी चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए चिकित्सा इतिहास का एक सीमित मात्रा में शिक्षण उप-स्नातक स्तर पर वांछनीय है। यह कार्य विभिन्न विषयों के अध्यापकों को करना चाहिये जब वे अपनी कक्षाओं में अपने-अपने विषयों पर प्रस्तावना के रूप में प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक चिकित्सा के प्रारम्भिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण के रूप में ऐतिहासिक पहलुओं का परिचय देते हों। इस शिक्षण की सुविधायें पाठ्येतर कार्यक्रमों तथा इलैक्टिव विषयों द्वारा की जाय।

(2) इस शिक्षण के लिये न तो समय का कोई विशेष नियतन होना चाहिये और ना ही इसके लिये कोई पाठ्य-पुस्तक निर्धारित की जानी चाहिये। अध्यापकों को जैसा वे उचित समझें विषयों को उनके विवेकानुसार पढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(3) इस विषय की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिये।

(4) उप-स्नातक पाठ्यक्रम में चिकित्सा इतिहास को एक पृथक् विषय के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। सिवाय इसके कि चिकित्सा इतिहास को ठीक प्रकार से पढ़ाये जाने और उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विषयों के अध्ययन की भूमिका के रूप में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का विशेष ध्यान रखे जाने का उल्लेख किया जायेगा।

(5) वर्तमान साधनों को देखते हुए इस अवस्था में एक उप-स्नातक चिकित्सा कालेज में चिकित्सा इतिहास के लिए एक पद (चेयर) सृजित करना सम्भव नहीं प्रतीत होता। तथापि, स्नातकोत्तर स्तर पर, कुछ चुने हुए स्नातकोत्तर संस्थानों में शुरूआत के तौर पर चिकित्सा इतिहास के लिए पदों का सृजन करना वांछनीय होगा।

(6) चिकित्सा इतिहास में तथा साथ ही स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में अनुसन्धान स्नातकोत्तर स्तर पर वांछनीय होगा।

ये सिफारिशें भारत के सभी विश्वविद्यालयों, चिकित्सा कालेजों और राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के और राज्यों के संगठनों के बीच भूवैज्ञानिकों का आदान-प्रदान

9282. श्री स० कुण्डु: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और राज्य संगठनों के बीच भू वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) क्या इस आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) 23 दिसम्बर, 1967।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुड़ में प्रयुक्त रसायनों का हानिकारक प्रभाव

9283. श्री द० ब० राजू : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीयविकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गुड़ बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोस तथा कुछ अन्य रसायन अर्थात् धोने का सोडा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता है और ऐसा गुड़ जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) गुड़ बनाने की प्रक्रिया में धोने का सोडा प्रयोग किये जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। कुछ राज्यों में गुड़ बनाने के लिये हाइड्रोस को निरंजक कर्मक (बिलीचिंग एजेट) के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ने के रस में प्रति लिटर 0.25 ग्राम तक हाइड्रोस प्रयोग करना सम्भवतः हानिकारक नहीं होगा।

(ख) हाइड्रोस का प्रयोग करने से गुड़ में सल्फर डाइआक्साइड का एक अवशिष्ट रह जाता है। इसके प्रयोग को सीमित करने के हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत गुड़ (जगैरी) में सल्फर डाइआक्साइड की मात्रा प्रति दस लाख अंश गुड़ में अधिकतम 70 अंश विहित कर दी गई है। सल्फर डाइआक्साइड का इस सीमा से अधिक मात्रा में प्रयोग करना कानून के अन्तर्गत दण्डनीय है।

चट्टा लाल मियां योजना, देवनगर करोलबाग, नई दिल्ली, के बारे में पट्टा नामों का निष्पादन

9284. श्री म० सुदर्शनम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चट्टा लाल मियां योजना, देवनगर करोलबाग, नई दिल्ली के उन 19 क्वार्टरों के बारे में, जिनका अन्तरण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहली जनवरी, 1960 से दिल्ली नगर निगम को कर दिया था, पट्टा-नामों को न ही नगर निगम ने और न ही नगरीय विकास विभाग ने अभी तक निष्पादित किया है, हालांकि अलाटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण/निगम को निर्धारण की पूरी स्वीकृत राशि का भुगतान दस वर्ष पूर्व कर दिया था और कई बार अभ्यावेदन किये गये हैं;

(ख) यदि कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है, तो वह क्या है;

(ग) उक्त क्वार्टरों के बारे में पट्टा-नामों का निष्पादन कब तक पूरा हो जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी हां।

(ख) जी, हां। पट्टानामा को सीधे सरकार द्वारा निष्पादित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) आवंटियों द्वारा की गई अदायगियों और सम्बन्धित ब्यौरे के बारे में सूचना दिल्ली नगर निगम से मांगी गई है। इनके प्राप्त होते ही आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल कोई निश्चित समय अवधि नहीं बतायी जा सकती।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) कृपया उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखें।

छत्तीसगढ़ में बैंक ऋण

9285. श्री लोबो प्रभु: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 4 अप्रैल, के "करैंट" की इस रिपोर्ट की क्या जांच की गई है कि रिजर्व बैंक, छत्तीसगढ़ में फर्नीचर, फिजिडेयर्स तथा अन्य वस्तुओं को केवल नामनिर्दिष्ट दुकानों से खरीद के लिये दिये ऋणों के बारे में जांच कर रहा है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निजी हितों के लिये कार्य करने को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) छत्तीसगढ़ में ऐसी वस्तुओं के खरीदने के लिये कुल कितना ऋण दिया गया और क्या चुकाये न जाने वाले ऋणों के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जायगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 4 अप्रैल, 1970 के साप्ताहिक "दि करेण्ट" में प्रकाशित इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है कि उसने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बैंकों द्वारा केवल नामोद्दिष्ट दुकानों से फर्नीचर, फ्रिजिडेयर तथा अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए दिये गये ऋणों की जांच की है या उसने उस क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निर्देश देना आवश्यक समझा कि अगला आदेश जारी होने तक वे कृषि से भिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए कोई ऋण मंजूर न करें। फिर भी, रिजर्व बैंक, साप्ताहिक पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में सम्बद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों की जांच कर रहा है।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सतर्कता संगठन स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध किसी विशेष शिकायत या आरोप की जांच स्वयं बैंक या रिजर्व बैंक करता है और इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मंजूर किये गये ऐसे ऋणों की रकम के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी। यदि जांच से किन्हीं कर्मचारियों द्वारा किये गये अनाचार का पता चलेगा तो निस्सन्देह बैंक के प्रबन्धकों द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की स्थापना

9286. श्री कं० हाल्दर: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय होमियोपैथी चिकित्सा संघ की महापरिषद् ने हाल में मांग की है कि होमियोपैथी के विकास के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक अलग केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोगियों का इलाज करने के लिये प्रत्येक राज्य में राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होमियोपैथी का एक चल्-स्वास्थ्य यूनिट स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। ग्राम क्षेत्रों में ऐसे एककों को आयोजित करना तथा उनमें काम करने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति करना राज्य सरकारों का काम है।

Construction of Community Centre at Bagh Kare Khan in Delhi

9287. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has not constructed any such centre at Bagh Kare Khan in Delhi, where the residents of the locality could assemble and hold their functions etc.;

(b) If so, whether Government would issue order to the Delhi Development Authority to construct such centre there for this purpose; and

(c) if not, the reasons therefor, as the residents of the said locality experience great difficulty in the absence of such a centre?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) to (c): In the overall redevelopment scheme of Sarai Rohilla, a site has been earmarked for a labour welfare centre and a part of this site is intended to be utilised for the construction of a community centre to serve the needs of Bagh Kare Khan.

Renaming of Willingdon Hospital, New Delhi

9288. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to change the name of the Willingdon Hospital, New Delhi which has been given the name after British national and rename it after the name of some Indian leader;

(b) if so, the time by which the name is likely to be changed;

(c) whether Government would also consider to change the name of Victoria Zanana Hospital, Delhi; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No such proposal is under the consideration of the Government.

(b) Does not arise.

(c) The name of Victoria Zanana Hospital has already been changed and has been renamed as Kasturba Hospital by Delhi Municipal Corporation in May, 1969.

(d) Does not arise.

सेवा निवृत्ति वार्षिकी प्राप्त करने के लिये भुगतान

9289. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 ङ के अन्तर्गत व्यवसायी व्यक्तियों को सेवा निवृत्ति वार्षिकी के भुगतान के बारे में कटौती की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम ने उक्त धारा के अन्तर्गत व्यवसायी व्यक्तियों के लिए वार्षिकी ठेके उपलब्ध करने के लिए कोई नीति अथवा योजना बनाई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या जीवन बीमा निगम का कोई ऐसा ठेका अथवा योजना बनाने का विचार है, क्योंकि जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद किसी संस्था को कानूनी तौर पर ऐसी पालिसियों को निम्नांकित करने की अनुमति नहीं है; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम अथवा सरकार ने किसी और विकल्प पर विचार किया है?

वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख): जी, हां।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते।

Complaints against Diversion of Funds for Family Planning to other Items

9290. Shri Onkarlal Bohra : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount spent on the family planning during the last three years separately alongwith the names of the States where spent;

(b) whether it is also a fact that the amount allocated for family planning has been spent on other miscellaneous items also and some complaints have also been made to Government in this respect; and

(c) if so, the action taken by Government in this respect?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) A statement showing the estimated expenditure as reported by the State Governments during the years 1967-68, 1968-69 and provisional payments sanctioned for the year 1969-70 for which figures of expenditure have not yet been reported by the State Governments is attached. [*placed in the Library.* see *No. L.T.* 3470/70)].

(b) and (c): No, in a few cases amounts allocated for Family Planning Programme were wrongly utilised for certain allied activities. Such instances have been brought to the notice of the State Government and the Accountant General concerned for rectification.

अता० प्रश्न संख्या 6826 के 20 अप्रैल 1970 को दिये गये उत्तर में शुद्ध करने वाला वक्तव्य

CORRECTING STATEMENT TO USQ NO. 6826 dt. 20-4-1970

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : उपरोक्त प्रश्न के भाग (ङ) का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि "श्री एन० एस० राव के सेवा-निवृत होने से पहले जांच आयोग पर कोई व्यय नहीं किया गया था"। यह सही नहीं है। प्रतीत होता है कि श्री एन० एस० राव के सेवा-निवृत होने से पहले भी जांच आयोग पर 2,809·04 रुपये का खर्च हुआ था। तथापि, 28-2-70 तक कुल व्यय इतना ही रहा।

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि पूर्व उत्तर में, उपरोक्त कथन के अनुसार, संशोधन किया जाये

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

COLLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका के उप-राष्ट्रपति के ब्यान पर भारत का कथित विरोध

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं **वैदेशिक कार्य** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"संयुक्त राज्य अमरीका के उप-राष्ट्रपति के इस कथन, कि रूसी विरोध के कारण भारत कम्बोडिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के नाते कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका को भारत का कथित विरोध "

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत सरकार को यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि तीन मई को अपने टेलीवीजन भेंट में अमरीकी उप-राष्ट्रपति श्री स्पाइरो टी० एग्न्यू ने कम्बोडिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि "भारतीय, जो इस समय अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के प्रधान हैं, सोवियत अनुमति के बिना कोई कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं । इससे ऐसा लगा कि संयुक्त राज्य अमरीका के उप-राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के प्रधान के रूप में भारत के स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने पर लांछन लगा रहे हैं तथा साथ-ही-साथ भारत की स्वतंत्र नीतियों और उसके प्रभुसत्तात्मक दर्जे पर भी दोष लगा रहे हैं ।

इस मामले को तुरन्त ही नई दिल्ली-स्थित अमरीकी राजदूतावास के साथ और वाशिंगटन में विदेश विभाग के साथ उठाया गया । हमारे विदेश सचिव ने अमरीकी राजदूत को बुलाकर अमरीकी उप-राष्ट्रपति की आलोचनात्मक टिप्पणी पर अपनी खिन्नता प्रकट की थी । अमरीकी राजदूत ने हमारे विचारों को अपनी सरकार तक पहुंचाने का वायदा किया था । हमारे कार्यनायक भी अमरीकी विदेश विभाग में मिलने गए और समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उन्होंने हमारी भावनाएं व्यक्त कीं । विदेश विभाग के उप सहायक सचिव ने हमारे कार्यनायक को बताया कि अमरीकी उप-राष्ट्रपति की टिप्पणी को उससे पूर्व के वाक्यों से मिलाकर उन्ही के सन्दर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिनमें कि उप-राष्ट्रपति ने रूस की इस मन्शा का उल्लेख किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग को पुनः प्रारम्भ करने के किसी भी कदम के खिलाफ वह वीटो का प्रयोग करेंगे । उन्होने आगे यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका के विचार से भारत रूस अथवा पोलैंण्ड की सरकार के बिना अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग को नाममात्र को शायद फिर से शुरू कर ले लेकिन कारगर रूप से काम करने के लिए यह जरूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग सभी सम्बद्ध पक्षों की सहमति से पुनः प्रारंभ हो । जहां तक भारत की प्रभुसत्ता का प्रश्न है, अमरीकी विदेश विभाग के उप-सहायक सचिव ने कहा कि अमरीकी सरकार इस बात को स्वीकार करती है और इसकी सराहना भी करती है कि भारत अपनी विदेश नीति में बिना किसी बाहरी प्रभाव अथवा दबाव के स्वच्छन्द रूप से कार्य करता है । बाद में हमारे कार्यनायक को यह भी बताया गया कि विदेश विभाग ने उप-राष्ट्रपति से संपर्क स्थापित किया था और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के प्रभुसत्तात्मक अथवा स्वतंत्र रवैये या कार्रवाई पर किसी प्रकार का दोषारोपण करने का या लांछन लाने का उनका कोई इरादा नहीं था ।

अमरीकी प्राधिकारियों ने जो सफाई दी है भारत सरकार ने उस पर विचार किया है ।

अमरीकी सरकार भारत से यह आशा नहीं कर सकती कि कम्बोडिया में सशस्त्र हस्तक्षेप में भारत उनका समर्थन करेगा । भारत कभी इस बात को अच्छा नहीं समझ सकता कि कम्बोडिया की

प्रभुसत्ता का उल्लंघन करके अमरीकी फौजें कम्बोडिया में दाखिल हों । भारत सरकार का यह दृढ़ मत है कि विदेशी फौजों के आने से कम्बोडिया की समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा और न ही इससे हिन्द-चीन के किसी अन्य राज्य का समाधान निकल सकता है । इन मसलों को सुलझाने का एक ही तरीका है और वह यह कि सभी विदेशी फौजें हिन्द-चीन के प्रत्येक राज्य से वापस हट जाएं और इन मसलों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करने के लिये एक सम्मेलन करने का निश्चय करें जिस में सभी सम्बद्ध पक्ष भाग लें ताकि इस क्षेत्र के सभी देश, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकें ।

भारत सरकार निरंतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है और राजनयिक सूत्रों के माध्यम से संबद्ध सरकारों तथा पक्षों से संपर्क बनाए हुए है । भारत सरकार का विचार है कि अगर संयुक्त राज्य अमरीका और उसी तरह दूसरे पक्ष भारत सरकार तथा दूसरों के साथ मिलकर सैनिक गतिविधियों में उलझकर स्थिति को और विगाड़ने के बजाय विदेशी फौजों की वापसी के लिए काय करें तो उससे इस क्षेत्र में शान्ति स्थापना में सहायता मिलेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि अमरीका के उपराष्ट्रपति ने आखिर यह महसूस किया है कि भारत अमरीका के समाजवादियों का उपनिवेश नहीं और हमारी अपनी प्रभुसत्ता है **(व्यवधान)** वाशिंगटन तथा अमरीका के अन्य नगरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शन किये जा रहे हैं । हमारी सरकार ने अनुरोध भरे वक्तव्य देने के सिवाय और क्या किया है ? अमरीकी सरकार चाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग कार्य करे । परन्तु कुछ अन्य देश, जो इस आयोग के सदस्य हैं, सहयोग नहीं करना चाहते । अगले दिन मंत्री महोदय ने बताया था कि एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि वह सम्मेलन कब बुलाया जा रहा है और क्या उसके लिये यह शर्त रखी जायेगी कि जब तक अमरीकी सरकार अपनी सभी सेनाएं वापिस नहीं बुला लेती और बमबारी बन्द नहीं कर देती, तब तक कोई सम्मेलन नहीं बुलाया जायेगा । भारत की, यदि वह प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र है और वह वास्तव में अफ्रीकी-एशियाई देशों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो उसे यहीं पर घोषणा करनी चाहिये कि वे बमबारी के विरुध है । भारत को इस आक्रमण की निन्दा करनी चाहिये और अमरीका को आक्रामक कहना चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य सम्भवतः उत्तर वियतनाम पर अमरीकी बमबारी के विषय में कह रहे हैं । हम ने कुछ दिन पूर्व इस सभा में एक वक्तव्य दिया था । हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अमरीका द्वारा उत्तरवियतनाम पर पुनः बमबारी आरम्भ किये जाने का हमें कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । जहां तक सम्मेलन का सम्बन्ध है, हमने सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । अगले दिन उन्होंने कहा था कि वह एक सम्मेलन बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है । अब आप और क्या चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अमरीका के उप-राष्ट्रपति की निन्दाजनक बातों के विरुध भारत ने जो विरोध प्रकट किया था उसका बहुत प्रचार किया गया था और हमने अनुमान लगाया था कि शायद कोई औपचारिक टिप्पण (नोट) भेजा गया होगा परन्तु मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण से पता चला है कि किसी कनिष्ठ अधिकारी को बुलाकर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी गई थी । वर्ष 1961 में जब हमारी सेनाएं गोआ प्रदेश में गई थी तो इसी अमरीका सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमें आक्रामक बताने में कोई हिचकचाहट महसूस नहीं की थी और हमारी सेनाओं की वापसी की मांग की थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया और अमरीका को, जिसका दक्षिण पूर्व एशिया में कोई सम्बन्ध नहीं है, एक ही वर्ग

में रखना चाहेंगे । श्री गेलब्रेथ ने, जिनको हम सब जानते हैं, कम्बोडिया के आक्रमण के विरुध किये गये प्रदर्शनों में भाग लिया था । श्री मैंनसफ़ील्ड जैसे सेनेटरों ने इस आक्रमण का विरोध किया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त क्या एशिया का महान देश होने के नाते हमें यह घोषणा नहीं करनी चाहिये कि हम अमरीका के दक्षिण पूर्व एशिया में इस आक्रमण के विरुध हैं ? हम इस प्रकार क्यों हिचकचा रहे हैं और भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा रहे हैं ।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक आक्रमण का सम्बन्ध है, आक्रमण करना बुरी बात है चाहे आक्रमण करने वाली शक्ति कोई भी हो । यदि माननीय सदस्य सभा में दिये गये हमारे वक्तव्यों पर ध्यान दें तो उन्हें पता चलेगा कि हम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कम्बोडिया में अमरीका के सशस्त्र हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं **(व्यवधान)** हमने यह भी कहा कि वहां पर विदेशी सेनाओं की उपस्थिति ठीक नहीं है । यह एक खराब बात है । हमने कहा है कि सभी विदेशी सेनाएं, चाहे वे अमरीका की हों या अन्य किसी देश की हों, वापिस बुला ली जानी चाहियें ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने लिखित में कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा है । विरोध प्रकट करने के तरीके का महत्त्व नहीं है । महत्त्व इस बात का है कि हमने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं । जिसको माननीय सदस्य ने कनिष्ठ अधिकारी कहा है वह अमरीका के राजदूत स्वयं थे । उन्हें बुलाया गया था और उन से विरोध प्रकट किया गया था **(व्यवधान)**

Shri Janeshwar Misra (Phulpur): The views expressed by the Vice-President of U.S.A. should be condemned vehemently. It has been observed that there is lack of forsightedness in foreign policy of India and the result is that we cannot solve the problems. Pt. Jawahar Lal had stated that the culture of Combodia and Laos is quite similar to that of India. But the Government of India have never tried to get nearer to them. The deposed Prince Sihanouk has preferred to get to China instead of India.— In fact he knew as to what has happened to Dalai Lama in India. I would like to know as to whether our Government would invite Prince Sihanouk to India and being the head of International Control Commission arrange to have plebiscite in Combodia to know whether the people of Combodia favour Prince Sihanouk or Lou Nol **(Interruptions)**.

Shri Dinesh Singh : The hon'ble Member feels that India has been empowered to solve the problems of Combodia. The problem is not so simple. Many countries are involved and there are many complications. It has been pointed out that we lack farsightedness but I may state that the countries know many things in the international field but they cannot do any thing. The American forces will not leave Combodia at our instance. We have already expressed our opinion in this House that it is for the people of Combodia to settle these issues. For that matter foreign forces should quit Combodia. We are making efforts to achieve this purpose.

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नानि) : जब अमरीका के ये साम्राज्यवादी भारत की आलोचना करते हैं तो हम इसे अपना अपमान नहीं समझते हैं । मंत्री महोदय ने कहा है कि वह हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं । अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर कम्बोडिया की क्रान्तिकारी जनता का समर्थन करेगी और क्या भारत सरकार राजकुमार सिंहानूक की निर्वासित सरकार को मान्यता देगी ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य का 'क्रान्तिकारी जनता' से क्या अभिप्राय है । यदि उनका अभिप्राय प्रगतिशील जनता से है तो निश्चय ही हम प्रगतिशील आन्दोलनों का

समर्थन करते हैं इस देश में हमारा दल भी प्रगतिशील दल है । जहां तक मान्यता का सम्बन्ध है, कम्बोडिया की स्थिति काफ़ी अस्थिर है और हम कम्बोडिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । हम ने कम्बोडिया में हुए परिवर्तनों को मान्यता नहीं दी हैं ।

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : I welcome the condemnation of undesirable intervention of American forces in Combodia. But I have not liked the idea of hon'ble Members going to American Embassy like petitioners to protest against American intervention. They should have expressed their views in Parliament.

I agree with the hon'ble Minister that foreign forces in Combodia should withdraw. May I take it that U.S.A. has charged India that they are not convening the convention of I.C.C. just because Russia does not want it since Indian Government have stated that American forces should be withdrawn ?

Shri Dinesh Singh : It is perfectly correct that we have demanded withdrawal of all foreign forces. In fact the problem of Vietnam is still unsolved and the area of conflict is being extended. In view of this we have stated that all foreign forces in Indo-China should be withdrawn and we should solve the problems through peaceful means.

एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST A POLICE OFFICER

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : On the morning of 6th April an Inspector of the Crime Branch entered in my house without giving a bell and wanted to enquire about the incident occurred in Patel Chowk. I asked him as to why should he come to me in this manner. He replied that some officer by the name of Shri Awtar Singh has instructed him to contact all concerned people. We have come to know that he had gone to the houses of some other hon'ble Members also. Now I want to ask whether we should have no leave even one or one and a half hour free time for thinking before coming to this House. The inspector came at 9.30 A.M. when I was extremely busy in sending call Attention Notice on Combodia. I want this Shri Chairman to instruct the police authorities not to interrupt like this.

My second point is that the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi had declared that judicial inquiry will be held into that incidence. But that enquiry has not yet taken place. Instead of that an Inspector of Crime Branch is visiting the residences of hon'ble Members to intimidate them.

Mr. Speaker : It is observed that a sub-Inspector had come to you before the timings of session. I am looking into this matter. I have asked the hon'ble Minister of Home Affairs and I shall inform you on receipt of a reply.

Shri Janeshwar Misra : I wanted to point out that when there was ban on demonstrations near Patel Chowk Jagatguru Shankracharya had reached the gates of Parliament House. May I know whether the ban was not effective there ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध सभा के सदस्यों से है । मैं ने मंत्री महोदय से पूरी जानकारी मांगी है । उसका उत्तर मिलने पर मैं आप को बता दूंगा ।

Shri Janeshwar Misra : I raise the question of privilege against both the police officers and I want that this may be referred to the Privileges Committee under rule 222.

Mr. Speaker : I have already stated that I have referred it to the Minister of Home Affairs and I shall look into it on receipt of a relpy.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है कि क्या न्यायिक जांच का आदेश दिये जाने के बाद कुछ पूछ-ताछ की जा सकती है या नहीं । इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी यह है कि एक अधिकारी माननीय सदस्य के घर गया अवश्य था । परन्तु वह अपनी ड्यूटी पर गया था क्योंकि उसको जांच करने का आदेश दिया गया था और उसे कुछ जानकारी मिल भी गई थी । यदि माननीय सदस्य उसको जानकारी देने से इन्कार कर देते तो वह उन्हें विवश नहीं कर सकता था ।

Shri Janeshwar Misra : I had complained about his entering my house without my permission.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब वह उनको मिलने गया था तो वह बाहिर कैसे मिलता ? यदि माननीय सदस्य उसको बाहिर निकल जाने के लिये कहते तो वह वहां पर कैसे ठहर सकता था ?

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The point is that is it proper to enter in one's house without his permission or giving a bell ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं जानता, यदि किसी धमकी आदि की कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच करने के लिये तैयार हूं । परन्तु अब तो प्रश्न यह है कि क्या सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का विस्तार इतना अधिक हो सकता है कि सामान्य पुलिस जांच भी नहीं की जानी चाहिये ?

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : मैं केवल एक किन्तु विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि पुलिस मेरे घर भी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति नहीं देता । अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, तेल मूल्य आयोग का प्रतिवेदन और उन पर सरकार का संकल्प

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के 31 अगस्त, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का 31 अगस्त, 1969 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3451/70]**

(2) (एक) तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन—अक्तूबर, 1969 ।

(दो) सरकार का दिनांक 11 मई, 1970 का संकल्प संख्या 1/78/69-पी० पी० डी० जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय दर्ज हैं । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3452/70]**

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकार की समीक्षा

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1970 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स, कलकत्ता, का 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3453/70]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3454/70]**

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1968-69 के कार्य के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3455/70]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM THE RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 7 मई, 1970 को हुई बैठक में लोक-सभा द्वारा 4 दिसम्बर, 1969 को पास किये गये केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1969 को संशोधनों

सहित पास किया और विधेयक को लोक-सभा को यह निवेदन करते हुये लौटाया कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचना दी जाये ।

(दो) कि राज्य सभा ने 7 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1969 को पास किये गये चाय (संशोधन) विधेयक, 1969 को संशोधनों सहित पास किया और विधेयक को लोक-सभा को यह निवेदन करते हुए लौटाया कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति के बारे में राज्य सभा को सूचना दी जाये ।

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में लौटाये गये विधेयक

BILLS AS RETURNED BY RAJYA SABHA WITH AMENDMENTS

सचिव : श्रीमान, मैं राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गए निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1969 ।

(2) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969 ।

महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. COMMUNAL DISTURBANCES IN MAHARASHTRA

अध्यक्ष महोदय : अब गृह-कार्य मंत्री मद 7-क के अन्तर्गत वक्तव्य देंगे ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह समाचार देते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि ....

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, now I want to raise a point of order. Now the Home Minister is going to give a statement regarding communal disturbances in Maharashtra. An Adjournment Motion has already been given on this issue. We have given a notice of Calling Attention on this subject. I would like to know whether the Home Minister will give a statement about it tomorrow also.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है । इसलिए मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं तुरन्त एक वक्तव्य दूं । यदि ध्यानाकर्षक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा, तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : किन्तु आपने हमारा स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति क्यों नहीं दी ?

अध्यक्ष महोदय : आज सवेरे कुछ सदस्य मेरे पास आये थे और उन्होंने मांग की थी कि गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये । कुछ अन्य सदस्यों ने विभिन्न प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं । यदि मंत्री महोदय अब वक्तव्य दे देते हैं तो इससे क्या हानि होगी । किसी अन्य प्रस्ताव के आने पर वह उसका उत्तर भी देंगे । यह मैं मानता हूं कि यह मामला महत्त्वपूर्ण है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलंम) : हमने इस विषय पर एक प्रस्ताव की सूचना दी थी । यहां कुछ नियम भी हैं जिनके अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में आप हमारी बात तक भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । यदि आप ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उक्त प्रस्ताव अभी तक मेरे पास नहीं आया । वैसे आज के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Adjournment Motion should be given preference over Calling Attention Motion.

Mr. Speaker : I will see into it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : But the Lobby Assistant says that the adjournment motion has been disallowed.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Shri Patnaik is giving some indications to confirm that the said motion has been rejected. He always does like this. You should first command your officers.

अध्यक्ष महोदय : मुझे परामर्श देने का उन्हें पूरा हक है । यह उचित नहीं है कि आप ऐसी बात कहें ।

श्री नाथ पाई : एक ओर आप कह रहे हैं कि आपने स्थगन प्रस्ताव देखा ही नहीं । दूसरी ओर लाबी असिस्टेंट कहता है कि वह अस्वीकार कर दिया गया है । हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौनसी बात ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : आज लगभग 40 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये थे । हमने यह निर्णय किया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाये । अब चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है तो फिर स्थगन प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है । फिर भी मैं इस मामले को देखूंगा । यह परामर्श मैंने ही दिया था कि स्थगत प्रस्ताव की तुलना में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अच्छा रहेगा ।

श्री नाथ पाई : इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अच्छा नहीं रहेगा । क्योंकि इस पर हम चर्चा भी करना चाहते हैं ।

श्री क० ना० तिवाड़ी (बेतिया) : क्या गृह मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

श्री नाथ पाई : गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने का तो विरोध हम कर ही नहीं रहे हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

Shri Shashi Bushan : In respect of Ahmedabad riots it was decided that it was a State affair and no adjournment motion could be moved on that. Similarly, these riots in Maharashtra are the State affair and so this adjournment motion cannot be allowed.

अध्यक्ष महोदय : अब आप गृह मंत्री को अपना वक्तव्य देने दें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ आपको यह समाचार दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए । भिवंडी में शिव जयन्ती जुलूस के अवसर पर 7 मई को दंगे हुए । उनमें 43 व्यक्ति मारे गये और 278 घायल हुए । 706 लोग

इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये । लगभग 50 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई । भिवंडी के दंगों का समाचार पाकर जलगांव में 8 मई को दंगे भड़क उठे और वहां 34 व्यक्ति मारे गये, 55 व्यक्ति घायल हुए और 48 लोग पकड़े गये । यहां पर लगभग 15 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है । कोलावा जिले के महाड़ स्थान पर भी 8 मई को दंगे हुए थे । जिनमें 9 व्यक्ति घायल हुए । लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई । उपरोक्त आंकड़ों में वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो पुलिस की गोलियों से मरे या लाठियों आदि से घायल हुए । राज्यकीय गुप्तचर विभाग को जांच-पड़ताल का काम सौंप दिया गया है । राज्य सरकार ने एक आयोग भी नियुक्त कर दिया है । दंगों से प्रभावित लोगों को राहत दी जा रही है । मैं स्वयं 8 और 9 मई को भिवंडी और जलगांव गया था । मुझे उक्त दंगों पर बहुत अधिक दुःख हुआ है और मैं इनके लिए शर्मिन्दा हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Half past Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 34 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirtyfour Minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

कोयला खान (संरक्षण तथा) सुरक्षितता संशोधन विधेयक

COAL MINES (CONSERVATION AND SAFETY) AMENDMENT BILL

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षितता) अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to oppose the introduction of this Bill as its provisions are contrary to the spirit of the Directive Principles given in the Constitution of India. The Bill in its present form will help the concentration of wealth or means of production in private hands. So I oppose the introduction of this Bill.

श्री जगन्नाथ राव : इस विधेयक के माध्यम से मैं सरकार की नीति बदलने नहीं जा रहा हूं । देश में कुछ खानें सरकारी क्षेत्र में भी हैं । इस संशोधनकारी विधेयक के द्वारा 'विकास' शब्द मूल अधिनियम में जोड़ा जा रहा है । अब तक मूल अधिनियम में केवल संरक्षण का ही उल्लेख था अब मैं उसमें "खानों का विकास" यह उपवाक्य जोड़ना चाहता हूं ताकि खानों में विद्यमान खनिज-पदार्थों का संरक्षण और उनको निकाले जाने का काम वैज्ञानिक रीति से किया जा सके । इस विधेयक का गैर-सरकारी क्षेत्र पर किसी प्रकार की रोक लगाने का आशय नहीं है । हां, मैं एक ऐसा विधेयक लाने पर अवश्य विचार कर रहा हूं जो सरकार को यह अधिकार दे कि वह खानों का अधिग्रहण कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षितता) अधिनियम, 1952, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री जगन्नाथ राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर-पूर्व परिषद् विधेयक, 1969

THE NORTH-EASTERN COUNCIL BILL, 1969

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिये उत्तर-पूर्व परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयकों पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय देश में भिन्न-भिन्न राज्यों के ग्रुप बना कर आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थीं । अब जब आसाम राज्य को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, तो मेघालय नामक एक स्वायत्त राज्य बनाने का निर्णय करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक समझा गया कि इन क्षेत्रों के लिये कोई एकीकृत मंच हो जहां से इस समूचे पूर्वी क्षेत्र की एक समन्वित राय व्यक्त हो सके । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्व परिषद् नामक एक नया निकाय बनाया जा रहा है ।

यह तर्क दिया जा सकता है कि एक नयी परिषद् की स्थापना करने की बजाए यह जिम्मेवारी पूर्वी क्षेत्रों की वर्तमान आंचलिक परिषद् ही को सौंपी जा सकती थी । यह ठीक है कि उक्त आंचलिक परिषद् सभी समस्याओं पर विचार करती है, परन्तु ऐसा देखा गया है कि इस क्षेत्र की जो विशेष समस्यायें हैं, विशेषकर सुरक्षा सम्बन्धी पहलू, उनकी तुलना में प्रशासनिक तथा कुछ अन्य समस्याओं को प्राथमिकता देनी पड़ती है और इसलिये इस क्षेत्र की विशेष समस्याओं पर पूर्णतया विचार नहीं हो पाता है । इसलिये यह बहतर समझा गया कि एक अलग परिषद् बनाई जाए जिसमें इन राजनैतिक एककों के सदस्य मिलकर इस पहलू पर अपने दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक विचार कर सकें और अपनी समस्याओं को हल कर सकें । यह एक सलाहकार निकाय होगा । हम इसे निर्णय करने वाला निकाय इसलिये नहीं बनाना चाहते क्योंकि ऐसा करने से मामला और जटिल हो जायेगा । इस परिषद् की स्थापना करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इन ईकाइयों के राजनैतिक नेता अपनी समस्याओं पर एक मंच पर बैठ कर विचार कर सकें, उन्हें समझ सकें और यदि कोई सांझी परियोजनाएं हों तो उनके लिये संसाधन जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपना दृष्टिकोण रख सकें । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह होगी यदि देश के इस भाग की सुरक्षा के मूल प्रश्न पर इन विभिन्न राजनैतिक ईकाइयों में एक ही सूझबूझ हो जाये । अतः हमने यह निर्णय किया है कि आसाम तथा मेघालय और

त्रिपुरा और मनीपुर के मुख्यमंत्रियों को इस परिषद् का सदस्य बनाया जाये । आसाम के राज्यपाल इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे । नागालैंड को फिलहाल इस परिषद् का सदस्य नहीं बनाया गया है परन्तु हम ऐसा उपबन्ध कर रहे हैं जिस से नागालैंड बाद में इस परिषद् का सदस्य बन सके ।

श्री धिरेश्वर कलिता (गौहाटी) : नागालैंड ने इस परिषद् में शामिल होने से क्यों इन्कार कर दिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हां, अभी वह इस में शामिल होने के लिये तैयार नहीं है । परन्तु हो सकता है कि जब यह परिषद् अपना कार्य आरम्भ करेगी तब वह भी यह सोचने लगेगा कि उस के लिये इस परिषद् में शामिल होना अच्छा होगा क्योंकि इस में शामिल होने से इस के सदस्यों को कोई हानि नहीं होगी । नेफा के राज्यपाल के सलाहकार को इसका सदस्य बनने देने की व्यवस्था करने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि इस परिषद् के निर्णय मतैक्य पर आधारित हों । मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ऐसा अनौपचारिक विचार-विमर्श में ही अच्छा होता है । जब हम एक संविधिक निकाय की स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें निर्णय बहुसंख्यक आधार पर ही किये जाने चाहिये ।

इस परिषद् में जिन विषयों पर चर्चा की जायेगी उन में से एक सीमा विवाद भी है । यह एक ऐसा भावात्मक मामला है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजित हो कर अपने दृष्टिकोण को ही सही मानने लगता है । यदि हम ऐसे मामलों पर बहुसंख्या के आधार पर निर्णय लेने की व्यवस्था का पालन करेंगे तो इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अतः हमने एक संशोधन रखा है जिससे इस विषय को उन विषयों की सूची से निकाला जा सके, जिनपर यह परिषद् विचार कर सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिये उत्तर-पूर्व परिषद् नामक परिषद् की स्थापना करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रदेश के विकास तथा इसकी सुरक्षा के लिये एक एकीकृत तथा समन्वित ढंग अपनाना है । गृह-मंत्री ने अपने भाषण में भी इन दो पहलुओं पर ही बल दिया है । परन्तु मैं देखता हूं कि विधेयक में सुरक्षा के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है । इस परिषद् को सलाह देने तथा इस की सहायता करने के लिये भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होगा जिसका नामांकन योजना आयोग द्वारा किया जायेगा । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि योजना आयोग देश की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता है । दूसरा प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय का होगा । वह भी सुरक्षा की ज़िम्मेवारी नहीं ले सकेगा । सुरक्षा की ज़िम्मेवारी तो गृह-कार्य मंत्रालय अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय ही ले सकता है और मेरे विचार में इस परिषद् में इन दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधि होने चाहियें चाहे वे सभी बैठकों में उपस्थित भले ही न हों क्योंकि उनकी उपस्थिति तो उन समस्याओं पर निर्भर करेगी जिन पर विचार करना होगा ।

यह एक अच्छी बात है कि वहां पर एक अलग योजना विभाग खोला जा रहा है । उस योजना विभाग का दृष्टिकोण योजना आयोग के दृष्टिकोण से अलग ही होगा । क्योंकि वहां पर जितना भी विकास-कार्य होना है, वह सुरक्षा के पहलू को ध्यान में रख कर किया जाना है जबकि योजना आयोग में विकास के सुरक्षा सम्बन्धी पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि केवल वहां पर एक विभाग खोल देने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । इस के लिये हमें योजना आयोग को 50 करोड़ अथवा 100 करोड़ रुपये अलग से उपलब्ध करने होंगे ताकि यह राशि संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई सामरिक महत्त्व की योजनाओं पर व्यय की जा सके ।

यह ठीक है कि नागालैंड बाद में इस परिषद् का सदस्य बन सकेगा । परन्तु प्रश्न यह है कि वह अभी इस परिषद् का सदस्य क्यों नहीं बना ? क्या यह किसी राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह आंचलिक परिषद् का सदस्य बने अथवा न बने ? यदि ऐसी अनुमति दे दी गई तो यह एक गलत पूर्वदृष्टांत होगा । अतः मेरा अनुरोध है कि विधेयक में से इस उपबन्ध को हटा कर उस स्थान पर "नागालैंड सरकार" शब्द रख दिये जाएं ।

इस के अतिरिक्त इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस के अधीन विभिन्न राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेताओं को एक मंच पर सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार प्रकट करने तथा उन से अवगत होने का अवसर मिल सके और उन्हें एक सूत्र में बांधा जा सके ।

यह भी एक हैरानी की बात है कि इस परिषद् में नेफा का प्रतिनिधित्व राज्यपाल और उसका सलाहकार ही कर सकेगा । मैं चाहता हूं कि इस परिषद् में नेफा का भी एक प्रतिनिधि हो । यदि और कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो लोक-सभा में नेफा के संसद् सदस्य को ही एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर लिया जाए ताकि वह लोगों को सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से अवगत करा सके ।

विधेयक के उपबन्धों से यह स्पष्ट है कि यह परिषद् भी एक आंचलिक परिषद् की तरह की ही होगी और इस से भी कोई लाभ नहीं होगा ।

मैं माननीय मंत्री के संशोधन संख्या 6 का स्वागत करता हूं क्योंकि इस परिषद् को सीमा-विवाद और भाषा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य सौंपना ठीक नहीं होगा । इस परिषद् के कार्य क्षेत्र को सुरक्षा से सम्बन्धित विकास-कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिये । ताकि इस मामले में देश के इस उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान छः प्रशासनिक इकाइयों के बीच भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें । यह केवल एक सलाहकार निकाय ही नहीं होगा परन्तु यह एक ऐसा माध्यम होगा जिस से विभिन्न नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर तो मिलेगा ही परन्तु वे आवश्यकता पड़ने पर एक होकर देश के इस भाग की सुरक्षा भी कर सकेंगे ।

जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु मैं देखता हूं कि इस में कई त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों का स्वागत है क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में विभाजन की विधि को उल्टना है । प्रस्तावित परिषद् की मंच पर इस भाव-पूर्ण एकीकरण का यदि पूरा लाभ उठाया गया, तो इससे इस क्षेत्र की सभी समस्याएं हल हो जायेंगी ।

इस क्षेत्र की दो तरह की समस्यायें—सामान्य विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से विकास—हैं । यह दोनों समस्यायें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से विकास के कारण सामान्य विकास की उपेक्षा हो जाती है । अतः वर्तमान आंचलिक परिषद्, जिस का कार्य सामान्य विकास की देखभाल करना है, तथा प्रस्तावित परिषद् को जिसका कार्य सुरक्षा की दृष्टि से विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करना है, मिलकर इन समस्याओं को हल करना है ।

इस क्षेत्र की सब से बड़ी समस्या संचार है । जब तक इस क्षेत्र तथा भारत के शेष भागों के बीच संचार साधनों का विकास नहीं कर दिया जाता तब तक वहां पर कोई विकास नहीं हो सकता । यह एक हर्ष की बात है कि अब इस दिशा में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं । यह परिषद् निःसन्देह इस क्षेत्र का विकास करने के लिये उपयोगी योजनायें बनायेगी ।

यह ठीक है कि नागालैंड को परिषद् में शामिल होने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये परन्तु उसके इस इन्कार के परिणामों पर अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि सभी राज्यों के सहयोग के बिना इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है ।

राज्यपाल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। हम इस क्षेत्र में प्रशासन में अलोक-तंत्रात्मक प्रवृत्तियों के बारे में पहले ही बहुत चिंतित हैं। प्रशासनिक ढांचे के बढ़ने से निहित स्वार्थों की भी वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार समस्याओं को हल करना कठिन हो जाता है। इस क्षेत्र में लोक-तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। परन्तु राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां दी जा रही हैं, मैं नहीं जानता वे कहां तक संवैधानिक हैं।

इस परिषद् में निर्णय बहुसंख्या के आधार पर किये जाने हैं। इस का अर्थ यह हुआ कि 130 लाख की जनसंख्या वाले आसाम, 10 लाख की जनसंख्या वाले मेघालय और 10 लाख से भी कम संख्या वाले अन्य राज्यक्षेत्रों में बराबर-बराबर मत होंगे। इस के बावजूद हम इस परिषद् की स्थापना का स्वागत करते हैं क्योंकि अन्यथा हम इस क्षेत्र के विवादों को नहीं निपटा सकेंगे।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : उत्तर-पूर्व परिषद् की स्थापना करने वाले विधेयक में प्रस्तावित उद्देश्य सराहनीय है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका यदि विकास किया जाता, तो वहां के लोक समृद्ध हो सकते थे। परन्तु इस क्षेत्र की समस्याओं की ओर कोई ध्यान न दिये जाने के कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

मुझे आशा है कि इस क्षेत्र का सामूहिक विकास करने के बारे में जो भी विशिष्ट कार्य इस परिषद को सौंपे जायेंगे उन के साथ-साथ यह परिषद् सिंचाई, विद्युत और बाढ़ नियंत्रण उपायों की भी देखभाल करेगी क्योंकि खाद्य उत्पादन के मामले में इस क्षेत्र की क्षमता काफी अधिक है। इससे न केवल खाद्य उत्पादन में ही वृद्धि होगी परन्तु इस क्षेत्र का आर्थिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास भी हो सकेगा।

इस के साथ-साथ मुख्य बात जिस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये वह इस क्षेत्र को प्रतिरक्षा की दृष्टि से समर्थ बनाना है। परन्तु मैं देखता हूं कि इस परिषद् में इस प्रयोजन के लिये कोई विशेषज्ञ अथवा कोई ऐसा अधिकारी शामिल नहीं किया गया है जो प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सरकार को अपनी सलाह दे। इस क्षेत्र में आन्तरिक अशान्ति है और कुछ पथ-भ्रष्ट लोक तोड़-फोड़ की कार्य-वाहियां कर रहे हैं। तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी एजेंट भी आसाम में घूम रहे हैं। इन समस्याओं की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

सब से मुख्य समस्या यह है कि अन्दमान तथा निकोबार की तरह यह क्षेत्र देश के शेष भागों से बिल्कुल अलग-थलग है क्योंकि संचार साधनों का यहां पर अभाव है और वहां के लोगों को राष्ट्रीय जीवन की प्रधान धारा में समाविष्ट नहीं किया गया है। अतः इस क्षेत्र के स्तर को देश के अन्य भागों के स्तर के बराबर लाने के लिये अल्पकालीन के साथ-साथ दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिये।

इन क्षेत्रों तथा देश के शेष भागों के बीच निर्बाध रूप से लोगों के आने-जाने की सुविधा होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में नागालैंड ने अन्य भारतीयों के वहां पर जा कर बसने तथा व्यापार करने पर जो प्रतिबंध लगा रखा है उसे हटा दिया जाना चाहिये।

यह समझ में नहीं आता है कि नागालैंड को इस परिषद् में शामिल क्यों नहीं किया गया है। इस संदर्भ में श्री देवगुण द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 22 और 27 को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

मेघालय में विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये। इस के साथ-साथ बाढ़ के पानी का लाभ उठाकर अथवा इसका नियंत्रण कर के सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिसमें न केवल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी ही हो, परन्तु इससे पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों को लाभ भी हो।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : देश का यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । मैं श्री बरुआ की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सुरक्षा उपायों के कारण विकास-कार्यों को धक्का लगा है और वहां पर वास्तविक विकास नहीं हुआ है । देश के इस भाग में सुरक्षा उपायों तथा विकास-कार्यों को साथ-साथ किया जाना चाहिये ।

चीन और पाकिस्तान के बीच हुई भारत विरोधी नापाक साठगांठ से यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय षड़-यंत्रों का अखाड़ा बन गया है । वहां पर न केवल पाकस्तानी घुसपैठिये ही परन्तु चीन से प्रशिक्षण-प्राप्त तोड़-फोड़ करने वाले ऐसे व्यक्ति भी विद्यमान हैं, जो जासूसों और पंचमांगियों के रूप में राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां कर रहे हैं । मैं इस की सुरक्षा पर इसलिये बल दे रहा हूं क्योंकि इस क्षेत्र की सुरक्षा का अर्थ भारत की सुरक्षा है । चीन और पाकिस्तान हमारे देश के विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे हैं और वे पूर्वी क्षेत्र में गड़बड़ कराना चाहते हैं ताकि भारत की सुरक्षा खतरे में पड़े । अतः यह एक अच्छी बात है कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

यह ठीक है कि इस क्षेत्र में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर हमारे सुरक्षा दलों की निगाह है, फिर भी खतरा बना ही हुआ है और यहां तक कि गृह-कार्य मंत्री ने 9 अप्रैल सभा को यह सूचना दी थी कि नक्सलवादी इस क्षेत्र में अपनी कार्यवाहियों को तेज़ कर रहे हैं । जब तक सीमाओं की सुरक्षा के लिये कोई उपाय नहीं किये जाते और वहां पर कुछ संतुष्ट नागरिकों को नहीं बसाया जाता तब तक वहां पर शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है और इस की बजाय यह आग बंगाल को भी अपनी लपेट में ले लेगी । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस क्षेत्र का शीघ्र विकास करें तथा वहां ऐसा शान्तिपूर्ण वातावरण यार करें जिसमें पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्र के लोग सद्भावपूर्ण ढंग से रह सकें ।

नागालैंड को भी इस परिषद् में शामिल किया जाना चाहिये जिस से इस क्षेत्र की छोटी-छोटी इकाइयां मिलकर न केवल अपना विकास ही कर सकें परन्तु समूचे रूप से देश के हितों का भी ध्यान रख सकें ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : उत्तर-पूर्वी परिषद् एक व्ययपूर्ण एवं साहसी प्रयास है । क्योंकि इस अनावश्यक परिषद् को बनाये रखने के लिये जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा । इस परिषद् के गठन से यह पता चलता है कि सरकार को वहां काम करनेवाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था और वहां की जनता में विश्वास नहीं है क्योंकि यह परिषद् पूर्णरूप से एक नौकरशाही संस्था होगा और लोकतंत्र और नौकरशाही साथ-साथ नहीं चलेगी । वहां पहले ही एक क्षेत्रीय परिषद् कायम है जिसका काम इन प्रदेशों के विकास-कार्यों पर विचार करना है । वहां विधान-सभायें हैं, मंत्रि-परिषद् है जो आर्थिक विकास की नीतियां निर्धारित करते हैं । उत्तर-पूर्वी परिषद् के गठन के जरिये सरकार विधान सभाओं और मंत्रि-परिषदों के निर्णयों का उल्लंघन कर रही है । असम और मेघालय के मुख्यमंत्री इस परिषद् के सदस्य हैं । मेघालय को पृथक अस्तित्व प्रदान कर दिया गया है । इस का कोई अलग अस्तित्व नहीं है क्योंकि इस का खर्च असम सरकार द्वारा उठाया जाता है । यह असम के विस्तृत ढांचे का हिस्सा है । जब दोनों मुख्यमंत्रीयों को सदस्य बनाये गये हैं तो यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि आप को असम सरकार में विश्वास नहीं है ।

यह एक तथ्य है कि पूर्वी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बराबर उपेक्षित रही और यहां सुरक्षा संबंधी समस्यायें भी कायम हैं । पहले के क्षेत्रीय परिषद् में पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सभी कार्रवाइयों के बारे में चर्चा की जा सकती है । मगर इस परिषद् में इस प्रदेश की सुरक्षात्मक कार्रवाइयों के संबंध में चर्चा करने का कोई उपबन्ध नहीं है । इस के गठन का लक्ष्य केवल विकास कार्यों के लिए ही था तो नेफा, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों को इस में स्थान क्यों नहीं मिला ? विकास-कार्यों के लिए

योजनायें बनाना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है । मगर सरकार ने अब उसके ऊपर इस परिषद् का गठन किया । यह सच है कि विकास-कार्यों में तमाम पूर्वी प्रदेशों की निरंतर रूप से उपेक्षा होती रही और इसीलिए नक्सलवादियों को अपनी गतिविधियों को तेज़ करने का अच्छा मौका मिल गया । नक्सलवाद केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, उस की गहराई में कई आर्थिक-सामाजिक समस्यायें हैं, जो सरकार की अदूरदर्शिता के कारण पैदा हुई हैं । असम में युवकों में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से असंतोष बढ़ता जा रहा है । वहां के वित्त मंत्री के अनुसार चौथी योजना के अंत में असम में 14 लाख बेरोजगार लोग होंगे । असम की सबसे निम्नतम आय है । त्रिपुरा भी इस परिषद् का सदस्य है । गत चार महीनों में 200 से अधिक शरणार्थी लोग यहां पहुंच गये । सरकार ने उनकी सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठाया ।

मणिपुर को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है । मणिपुर के एक मंत्री ने अपने दल के विरुद्ध मतदान किया और उन्होंने एक संयक्त मोर्चे का गठन किया । उनको बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी आपने उन्हें संयुक्त सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वे एक मुसलमान है । धर्म-निरपेक्षता केवल एक नारा नहीं है । मणिपुर की मांग को आपने टाल दिया है ।

नागालैंड इस परिषद् का सदस्य नहीं है । संभवतः इसका कारण यह है कि नागालैंड इस परिषद् की सारहीनता को समझता है या इसीलिए कि वह वैदेशिक कार्य-मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । यह गृह-मंत्रालय के अन्तर्गत आना नहीं चाहता । अतः यह परिषद् अनावश्यक और लोकतंत्र के विरुद्ध है । यह मूलतः नौकरशाही संस्था है और यह वहां की जनता का ओज नष्ट करेगी ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । अब हमें देखना है कि उक्त विधेयक से उस लक्ष्य की पूर्ति संभव होगी जो मंत्री महोदय के मन में था । मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल, नेफा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय के विकास-कार्यों के लिए एक सामूहिक मंच चाहिये ताकि इन महत्त्वपूर्ण एवं अविलंबनीय कार्यों को समन्वित किया जा सके । इस से यहां के लोग अपने आर्थिक विकास-कार्यों के बारे में, समूचे पूर्वी प्रदेशों की सुरक्षा के बारे में आपस में विचार-विमर्श कर सकते हैं । प्रतिरक्षा आर्थिक विकास पर निर्भर है । अतः इस के लिए एक सुदृढ़ योजना अनिवार्य है । मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं ।

जैसे मैंने गत दिसंबर में कहा था, मेरी आशा है कि नागालैंड अपने पहले वाले रवैये को बदल देगा । पता नहीं वे इस विधेयक का विरोध क्यों करते हैं । हमारी आशा है कि वे शीघ्र ही इस परिषद् में शामिल हो जाएंगे ।

खंड 4(1) में कहा गया है कि यह एक सलाहकार निकाय होगी । आगे खंड 6 में कहा गया है कि इसमें केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि रहेंगे । एक योजना आयोग से और दूसरा वित्त मंत्रालय से । मगर यह कहीं नहीं कहा गया कि इस एकीकृत एवं समन्वित योजना में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका होगी । क्योंकि खंड 4(2) में कहा गया है कि परिषद् द्वारा किये जाने वाले निर्णयों के कार्यान्वयन का कार्य विभिन्न राज्यों और एककों को दिया गया है । इस शंका के बावजूद भी मेरा विश्वास है कि इस विकास योजना में केन्द्र आर्थिक सहायता देंगी ।

इस प्रदेश की जनता का मुख्य परिवेदन यह है कि विभाजन के बाद अब तक इसके विकास-कार्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया । हम जानते हैं कि मुद्रा की कमी इस का एक कारण है । मगर हम चाहते है कि केन्द्रीय सरकार इन प्रदेशों को वहां कायम रही विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखे और इन प्रदेशों के विकास-कार्यों पर विशेष जोर दे ।

हम बहुत खतरनाक परिस्थिति में रहते हैं । मुझे इस बात से दुख होता है कि जब कभी हम रेलवे आदि विकास योजनाओं पर चर्चा करते हैं, तो अक्सर इस प्रदेश के सामरिक महत्त्व को भूला दिया जाता है । आशा है कि हमें समय-समय पर जो मांगें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करनी होंगी, उन पर विचार करते समय केन्द्रीय सरकार इस सामरिक महत्त्व की समस्याओं की ओर जागरुक रहेगी ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the purpose of this Bill is quite in conformity with the policy of our party. Provisions are essential for the development and security of the eastern regions. But this Bill is incapable of serving these purposes, we raised objection against the fragmentation of Assam on the ground that this area is highly sensitive and of greater importance from strategic point of view. It is in constant danger of being attacked by both China and Pakistan. Therefore, the whole region should be integrated into one single unit. The development programmes and security measures should be carried out in an organised and co-ordinated manner. This was our policy. Whatever delusion might have been created about out policy, we are right in our conclusion that this region should be developed and the internal security measures should be intensified. But this Bill is not going to serve that purpose. One reason is that Nagaland is kept out of this Council, where high security measures are essential.

Recently, it appeared in the Newspapers that the leader of underground Naga has gone out of the border. But he could not be held by the security force there. In the last month, some 14 to 15 personnels of our security force were shot dead on the Naga border. It is evident that the situation there is highly explosive and insecure. Anyway the Chief Minister of Nagaland deserves to be congratulated for he did not include any of the Naga rebels in the ministry. The Central Government is spending large sum of money in strengthening the security measures. Nevertheless, the situation there is not normal. Hence, considering the strategic importance of it, it is highly essential that Nagaland should be included in the Council.

When Meghalaya was formed the Home Minister declared in the House that Nagaland also would be included in the Council. I quote him : "with this end in view, and after careful consideration, the Government has decided to set up the proposed North-Eastern Council consisting of the Government of Assam and Nagaland as Chairman, the Chief Ministers of Assam, Nagaland and the autonomous State, one Minister from each of these States, the Chief Commissioners and Chief Ministers of the Union Territories of the region."

This declaration came on September 11. But there is no mention of this in the Bill. Hence I want that this declaration be included in the Bill.

In Nagaland development is not being carried out on equal basis. Rs. 40 crores are being spent every year. But the benefit of this is not going to the hands of the common people. A handful of upper class people are getting benefited. Hence, development programmes should be carried out in such a way that the common man may be benefited. Similarly, full Statehood to Manipur is also essential for the overall security of the eastern region. There was mass rally throughout Manipur demanding Statehood for Manipur. Since the whole people demand it the Central Government should concede their demand without any reservation. Until these demands are fulfilled, the aim of the Bill cannot be achieved.

Therefore, I request the Home Minister to accept the amendments moved by me. One of the amendments seeks to request that Nagaland also may be included in the North

Eastern Council. To give option to the states is dangerous one. Hence, that clause may be deleted. The suggestion made by Mr. Ashok Mehta that representatives from the Defence Ministry, Home Ministry and External Affairs Ministry should be included in the Council is a sound one.

Nagaland must be under the Home Ministry. Their demand is that a separate Governor should be appointed there. Since the Governor is the representative of Home Ministry, there is nothing to be objected in this. Only when all these things are done, the Bill can be expected to achieve the end that is laid down in it.

श्री श० बरुआ (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह पहला अवसर है जब केन्द्रीय सरकार यह समझने लगी है कि इस प्रदेश के समूचे विकास के लिए एक एकीकृत योजना आवश्यक है जिस का समूचे देश की सुरक्षा से गहरा संबंध है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से पूर्वी क्षेत्र में युद्ध की संभावनायें हमेशा कायम रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इसकी ओर अधिकाधिक ध्यान दें।

यहां कुछ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि असम में नक्सलपंथी लोग उत्पात मचायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे नक्सलपंथी हो चाहे और कुछ हो, मगर असम की जनता की मनस्थिति और उनका व्यवहार कुछ भिन्न प्रकार का है। आज भी नक्सलपंथी लोग असम में अपना अड्डा जमाने में उतना सफल नहीं होते जितना पश्चिम बंगाल में। अतः सरकार को चाहिए कि समय रहते कुछ ठोस कदम उठाये, ताकि बाद में सारी स्थिति अपने नियंत्रण के बाहर न जा सके। इसलिए परिषद् को और अधिक प्रभावशाली बना दिया जाना चाहिए। श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा कि परिषद् में गृहमंत्रालय का या प्रतिरक्षामंत्रालय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। यह बहुत अनुचित बात है। पूर्वी क्षेत्र में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां हम आसानी से पहुंच नहीं सकते, आसानी से खाद्य सामग्री पहुंचा नहीं सकते। जब चीन ने आक्रमण किया तभी भारत सरकार ने महसूस किया कि रेल लाइन को मार्कागचेन्ल तक बढ़ा दिया जाए। यह बहुत ही जल्दी बना भी दिया गया। यह पहला मौका था जब भारत सरकार ने इस प्रदेश के सामरिक महत्त्व को समझ लिया। अतः यह परम आवश्यक है कि गृहमंत्रालय और प्रतिरक्षामंत्रालय इस में मिल-जुलकर कार्य करे ताकि वे आवश्यक सूचनायें दे सकें।

श्री सोमानी ने कहा कि नेफा में जल अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यहां की प्रचुर वनस्पति और जल की विपुल संभावना को देखते हुए आवश्यक है कि इसे भी परिषद् में शामिल किया जाए। नेफा, नागालैंड, मेघालय को नदी-नालों से आपस में मिला दिया जा चुका है। मगर अजीब बात यह है कि अबतक इस प्रदेश के समुचित विकास के लिए आवश्यक धनराशि खर्च नहीं की गई या ऐसी कोई सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई जो योजना आयोग स्वीकार कर ले। अतः मुझे डर है कि कहीं इस परिषद् भी एक अन्य क्षेत्रीय परिषद् की ही तरह तो काम न करेगी।

अंत में मैं मंत्री महोदय का ध्यान खंड 5(3) की ओर आकर्षित करता हूं। इस में भाषासंबंधी कुछ गलतियां हैं। जिस को सुधारना आवश्यक है। खंड 5(3) यह बताता है :— "परिषद् की किसी बैठक में सभी प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय किया जायगा। यदि मत बराबर रहे, तो सभापति या उनकी अनुपस्थिति में, पीठासीन कोई भी व्यक्ति द्वितीय या निर्णायक मत दे सकता है।" निर्णायक मत या द्वितीय मतदान से अर्थ स्पष्ट नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, हमें इस विधेयक से आश्चर्य नहीं होता क्योंकि दिल्ली हमेशा एक तरह का उपनिवेशवादी प्रशासन चलाने में कुख्यात है। सुरक्षा के बहाने से वे पुलिसराज कायम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल और संघराज्य क्षेत्र पूरा नहीं तो अर्द्ध उपनिवेशी

प्रदेश बन गये हैं। दिल्ली से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों/सेना अधिकारियों और गुप्त वार्ता विभाग के अधिकारियों को इन प्रदेशों में निरंतर भेजा जा रहा है।

हमने देखा कि मिज़ो पहाड़ियों में क्या हो रहा है। मिज़ो की जनता के साथ केन्द्रीय सरकार ने घोर विश्वासघात किया। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता या अन्य कोई विकासकार्य वहां नहीं किया गया। वहां कई जगह महीनों तक कर्फ्यू लागू रहती है, अतः लोग किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं निकल सकते। वे अस्पताल नहीं जा सकते, अपने साथ टार्च भी नहीं ले जा सकते। श्री चव्हाण जो लोकतंत्र शासन चला रहा है, उस का यही नमूना है।

इस प्रदेश का सारा विकास-कार्य सुदूर दिल्ली में रहने वाले नौकरशाह अधिकारियों के हाथ में क्यों सौंप दिया गया है ? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में यह कार्य क्यों नहीं दिया जाता ? आप जनता में विश्वास नहीं रखते। नौकरशाहों के हाथ में सारा अधिकार दिया गया है जो जनता को धोखा दे रहे हैं।

संघराज्य क्षेत्रों में सब कहीं नौकरशाही शासन चलता है जिसका दूसरा नाम है पुलीस राज। वहां पुलिस कमीशनर बड़े साहब हैं और मुख्य मंत्री गुमास्ता है। आप के अंग्रेज मालिकों द्वारा चलाई गई इस कुत्सित परंपरा को आप क्यों नहीं सुधारते ? जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में कुछ जिम्मेदारी आप क्यों नहीं सौंप देते ? आज हालत यह है कि किसी केन्द्रीय अधिकारी द्वारा किसी मुख्य मंत्री के सताये जाने पर भी वह कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री और उन के मंत्रि मंडल इन अंग्रेज़ नौकरशाहों को कुछ नहीं कर सकते।

ये नौकरशाह तमाम प्रशासन-यंत्र को चलाता है। विकास कार्य को जनता के हितों को और रोजगार को दृष्टि में रखकर किया जाना चाहिए। आर्थिक और साज-सामान संबंधी आत्मनिर्भरता अगर प्राप्त नहीं होगी तो कोई भी सुरक्षा कार्य प्रभावी नहीं होगा। आप जनता को भूखे रखकर सुरक्षा की बात सोच ही नहीं सकते। यह सारी कार्रवाई शायद आप की सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि आप दिनोंदिन जनता से दूर हटते जा रहे हैं। यह जनता की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती।

आप वहां की जनता को आर्थिक स्वतंत्रता क्यों नहीं देते ? गत बाईस वर्षों में आप ने राज्य सरकारों को दिवालिया म्युनिसिपल दफ्तर सा बना दिया। वहां पर आप क्यों इतना अधिक नियंत्रण लगा देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन सारी चीजों का उत्तर-पूर्वी परिषद् से क्या संबंध है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। पूर्वी क्षेत्र को जो प्राकृतिक संशोधनों से संपन्न है, केवल शोषण का क्षेत्र मत बनाओ। विदेशी इजारेदारों और उन के एजेन्टों को इस क्षेत्र में जमा होना नहीं देना चाहिए।

श्री मयाबन* (चिदाम्बरम) : मैं इस विधेयक पर, जो कि उत्तरी-पूर्वी परिषद् बनाने के बारे में है, कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यद्यपि इस विधेयक को विलम्ब से लाया गया है तो भी यह स्वागत-योग्य है।

1962 में चीनी आक्रमण के फलस्वरूप यदि यह विधेयक उस समय लाया जाता तब इसकी प्रशंसा की जाती परन्तु यह पूरे 8 वर्ष के पश्चात् लाया गया है।

---

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

यदि हम देश की सुरक्षा पर दृष्टिपात करें तो यह पायेंगे कि एक ओर तो चीन आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है और दूसरी ओर पाकिस्तान भी इस मामले में पीछे नहीं है । बर्मा भी सीमा संबन्धी झगड़े खड़ा कर रहा है । मैं सरकार पर यह दोषारोपण करता हूं कि उसने काफी समय तक उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा की है । यदि आप इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन-सार को देखें तो यह पायेंगे कि वे बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में है। उनके पास भोजन, वस्त्र, आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि उत्तरी-पूर्वी परिषद् का मुख्य ध्येय उन लोगों की आर्थिक विकास होना चाहिए ।

1962 में चीन ने नेफा पर आक्रमण कर उसकी तबाही की थी । अभी भी चीन का कहना है कि नेफा उसका क्षेत्र है, हमने इन बातों को जान बूझकर उठने का मौका दिया है । वहां के लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, अशिक्षित, सीधे-सादे होते हैं । इसके कारण विदेशी उनका शोषण करते हैं और वहां की भूमि पर अपना अधिकार जतलाते हैं, हाल ही में बर्मा ने भारतीय प्रदेश पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके वहां सीमा खम्बे लगा दिये । इस क्षेत्र में चीन तथा पाकिस्तान की घुसपैठ होती रहती है । यदि हम इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था न करें तो इस पर आक्रमण हो सकता है । ऊंची पहाड़ियों में होने के कारण हमें आसानी से यह पता नहीं चल सकता कि शत्रु किस दिशा से आते हैं । इस परिषद् का कार्य लोगों को आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने के साथ-साथ उन में राष्ट्रीयता का भाव भरने का भी होना चाहिए ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड के लिए बजट में धन की व्यवस्था बहुत कम की गई है । ऐसा करने से इस परिषद् द्वारा बनाई गई बड़ी विकासीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भारी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । जब तक इस क्षेत्र का समुचित आर्थिक विकास नहीं किया जाता तब तक हम प्रतिरक्षा कार्यों में तेजी नहीं ला सकते हैं । इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन की साक्ष्य यह है कि आसाम में प्रति हजार व्यक्तियों के लिए 0.45 शय्या है, नागालैंड में 2.25 शय्या और नेफा में 2.80 शय्याएं हैं । गत 22 वर्षों के आकड़ों को देखने पर पता चलता है कि हमने इस क्षेत्र को राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग कर दिया है ।

कम से कम अब आगे से इस परिषद् को इस क्षेत्र की आधारभूत आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए और समुचे क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम बनाना चाहिए । वहां के लोगों में यह भावना भरी जानी चाहिए कि वे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं ।

श्री रा० द्रो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । काफी समय से यह आवाज उठ रही है कि सरकार पूर्वी क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दे रही है और वे आर्थिक रुप से पिछड़े हैं । सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि जब नक्सलवादी उत्पात मचा रहे हैं, वे चुपचाप बैठे हैं ।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वी भाग, जो उत्तरी बिहार तक है, नक्सलवादियों के उत्पात से ग्रस्त है । मैं गृह कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्वी भाग में नक्सलवादियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं । सरकार वहां की समस्याओं को नहीं सुलझा रही है और इससे देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है। पर मुझे आशा है कि इस कार्यवाही से वहां शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखी जा सकेगी और साथ ही साथ आर्थिक विकास की ओर भी समुचित ध्यान दिया जा सकेगा ।

इस विधेयक के महत्व को देखते हुए क्या यह भी आशा की जा सकती है कि यह उस क्षेत्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में कारगर सिद्ध होगी । क्या योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय के किसी व्यक्ति की इसमें सदस्यता होने से इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा ? मेरा यह कहना है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय को इससे सम्बद्ध कर देना चाहिए जिससे

यह परिषद् प्रभावी रूप से कार्य कर सके। यदि कभी देश में क्रान्ति भी हुई तो यह पूर्वी क्षेत्रों से आएगी। गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार निर्धनता तथा आर्थिक विकास का अभाव में यहां नक्सलवादियों का प्रभाव पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस परिषद् को इतना प्रभावी बनना चाहिए जिससे पूर्वी भागों की सुरक्षाव्यवस्था और अन्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। अतएव मेरा यह कहना है कि प्रतिरक्षा तथा गृह मंत्रालय को भी इससे सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : अभी माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की है कि क्रांति पूर्वी क्षेत्र से आएगी। पूर्वी क्षेत्र के नक्सलवादियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं नहीं जानता कि ये विधेयक की परिधि में कैसे आते हैं।

मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को नहीं समझ पाया हूं। इसमें नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है जबकि मनीपुर का उल्लेख है। यदि इस सरकार के पश्चात् दूसरी सरकार आती है और वह इस व्यवस्था को न माने तब क्या होगा? इसी प्रकार ऐसा कौनसा कानूनी आधार है जिससे सब पक्ष इससे बंधे रहेंगे। गृह कार्य मंत्री ने इन सब का स्पष्टीकरण नहीं किया है। गत 23 वर्षों से नेफा राज्यपाल के आधीन है जिसकी सहायता एक परामर्शदाता कर रहा है। यह परामर्शदाता गत 10-12 वर्ष से निरंतर वहां पर है जबकि एक सरकारी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर कार्य नहीं करता है। मैं नहीं जानता कि वह वहां क्या हित-साधन कर रहा है।

मनीपुर अथवा त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के समान नेफा क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्र का विकास करना चाहिए था। परन्तु सरकार ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। वह केवल वहां शरणार्थियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य व्यक्तियों को बसा रही है। इसके परिणामस्वरूप उनका स्थानीय लोगों से झगड़ा होता रहता है।

स्थानीय लोगों की सामान्य भाषा आसामी है परन्तु उनपर हिन्दी थोपी जा रही है। अतएव मुझे इस विधेयक पर आशंका है। नागालैंड राज्य का निर्माण 1960 के करार के अन्तर्गत किया गया था। परन्तु कानून तथा व्यवस्था का भार राज्य सरकार पर न होकर राज्यपाल पर है। कई वर्ष बीत गये हैं और वहां प्रतिनिधि सरकार है परन्तु उनको समुचित शक्तियां नहीं मिली हुई हैं, इस प्रकार जनता का उनमें कैसे विश्वास रह सकता है। अब समय आ गया है कि सरकार कानून तथा व्यवस्था का भार राज्य सरकार को सौंप दे। दूसरा हम देखते हैं कि नागालैंड, नेफा, आसाम और मेघालय के लिए एक ही राज्यपाल है। मेरा यह कहना है कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल होना चाहिए।

इस विधेयक में निहित परामर्शदाता निकाय के बारे में मुझे संदेह है, इस विधेयक के पृष्ठ 3 में कहा गया है कि सभी प्रश्नों का निर्णय बैठक में बहुमत आधार पर होगा। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार प्रभावी होगा। इसके स्थान पर निर्णय सहयोग तथा समस्याओं के प्रति समान दृष्टिकोण से होना चाहिए। यदि यह कहा जाता है कि निर्णय बहुमत आधार पर होगा तो इससे विघटन ही होगा। मैंने इस विधेयक पर यह संशोधन दिया है कि सभी प्रश्नों पर निर्णय सर्वसम्मति आधार पर होना चाहिए जिससे हम एकरूप होकर आगे बढ़ सकें।

मैं **गृहकार्य** मंत्री को सावधान करना चाहता हूं कि त्रिपुरा में वहां के निवासियों को निकाला जा रहा है और वहां शरणार्थियों का प्रभाव राजनीतिक रूप से बढ़ रहा है। मेरे पास ऐसे समाचार हैं कि संभवतः निकट भविष्य में बंगालियों और त्रिपुरावासियों के बीच संघर्ष होने की आशंका है। वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

Shri S.M. Joshi (Poona) : I welcome the Bill, which is before this House. This kind of scheme should have been envisaged quite earlier from the security and economic

point of view. But we neglected this and we had to pay the price at the time of invasion by China. Even the late Pandit Jawahar Lal Nehru had to confess that attention should be given to this area.

I think that the people and security cannot be separated. If the people are not with us, we cannot maintain security. I placed my opinion when I supported the formation of Meghalaya. Just now my friend has said that Hindi is being imposed on the people of Nefa. But it is not true. I met some students of Gauhati university. They told me that they wanted to learn Hindi because of Job opportunities but Assamese was being imposed on them. I do not say that this is true but we should not put ourselves in such petty disputes.

I had made a suggestion at the Planning Commission's meeting which was convened by the Prime Minister. I said that the Centre should take responsibility of that area and the Planning Commission should make a separate provision of money for the development of that area. Putting all the financial burden on the State Government is not good. Under democracy the majority exploit the majority votes and the people of that area get nothing. A cell should be created in the Planning Commission which may only provide money for that area. I think then Nagaland will also be ready to join them. Otherwise they have no attraction in it.

As far as the defence is concerned, a representative of the Defence Ministry may sit in the Council and make suggestion. Many, for that purpose, may be taken from the Defence Ministry.

The clause 5 says that "the Council shall meet at such time as the Chairman of the Council may appoint in this behalf". You have conferred the Chairman with a power to call meeting at his discretion, but no compulsion has been laid down. There is no such provision as the meeting will be called at least once in a year.

While supporting the Bill, I hope that the **Home** Minister will admit our amendments so that proper development of that area may be undertaken.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है । माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने कुछ संदेह व्यक्त किये हैं जिनका मैं समाधान करना चाहता हूं ।

माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने यह बात उठाई है कि विधेयक पर वक्तव्य के समय विकास और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है परन्तु विधेयक में इसका कोई प्रावधान नहीं है । मैं खंड 7 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कि एक समन्वय समिति के गठन के बारे में है । जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया है वह उप-खंड (3) में दिया गया है । यह समन्वय समिति महत्त्वपूर्ण होगी और सुरक्षा की समस्याओं का भार इसको सौंपा जायेगा ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि इस परिषद् में सुरक्षा संबंधी बातों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है । ऐसा जानबूझ कर किया गया है । किसी विशेषज्ञ को समिति का पूर्ण कालिक सदस्य बनाना कठिन है, परन्तु खंड 8(1) में कहा गया है कि इस प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर होगी । जब प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा पर विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होगी तब केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करेगी । राज्यपाल को इस बात के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह प्रतिरक्षा सेवाओं के किसी महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि को बुला सकता है ताकि उसकी राय ली जा सके । ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि वह प्रतिनिधि सभी विषयों पर विचार विमर्श के दौरान भाग ले सके । इसमें मुख्य बात यह है कि राज्य सरकारें सुरक्षा समस्याओं के महत्त्व को स्वीकार करें और समय पर निर्णय ले सकें ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : क्या विशेषकर उस क्षेत्र में राज्यपाल के साथ एक सैनिक सलाहकार लगाया जा सकता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : व्यक्तिगत तौर पर मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है, वह उसको समन्वय समिति में आने का निमंत्रण दे सकता है । ऐसा करना ठीक होगा कि उसे परिषद् का पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाये । यह पूर्णतया परामर्शदायी निकाय है और यदि यह विशेषज्ञों से अधिक परामर्श लेना चाहता है तो वह ऐसा करने को स्वतंत्र है ।

श्री अशोक मेहता ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया है कि परिषद् को और अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए इसके पास कुछ वित्तीय संसाधन होने चाहिए, परन्तु परिषद् का सम्बन्ध योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से किया हुआ है । यह विशिष्ट रूप से कहा गया है कि योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध परिषद से होगा और वे उसकी बैठक में बैठेंगे ।

कुछ सदस्यों ने यह बात उठायी है कि नागालैंड सरकार को उसके अनिवार्य रूप से शामिल करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है । परन्तु इसमें कहीं भी अनिवार्यता का भाव नहीं निहित किया गया है । यह समुची पद्धति इस प्रकार बनाई गई है कि इसमें सभी भाग लेने को उत्सुक हों, हमने इस संबंध में नागालैंड से बातचीत की थी । चूंकि उनका विचार है कि आसाम को छोड़कर कोई अन्य राज्य परिषद् का सदस्य नहीं है अतएव उनके लिए इसमें शामिल होना ठीक नहीं है । उनको बाध्य करने से कई बातें उठ खड़ी होंगी । जब उन्हें पता चलेगा कि इसमें शामिल होना लाभप्रद है तो निश्चय ही वे परिषद् के सदस्य बन जायेंगे ।

यह बात उठाई गई है कि 'द्वितीय वोट' और 'निर्णयक वोट' का क्या अर्थ है, ये निरर्थक शब्द नहीं हैं और न इनमें समानता है । यदि अध्यक्ष को पहली बार वोट नहीं देने दिया तो उसे द्वितीय वोट देने दिया जाता है । इन शब्दों को जानबूझकर रखा गया है ।

यह शिकायतें की गई हैं कि आसाम, मेघालय और नेफा के लिए एक ही राज्यपाल रखा गया है । मेरे विचार में ऐसा करना कुछ वर्षों के लिए आवश्यक है । उदाहरण के लिए मेघालय का राज्यपाल का कार्यक्षेत्र आसाम राज्य भी होना चाहिए क्योंकि मेघालय आसाम का भाग है । इसी प्रकार उसका सम्बंध नेफा के कार्यों से भी होगा और उसको वहां के राज्यपाल का कार्य भार भी संभालना पड़ेगा । श्री बेदब्रत बरुआ ने कहा है कि वहां कोई लोकतांत्रिक पद्धति कार्य नहीं कर रही है । परन्तु ऐसी बात नहीं है यह क्रमशः वहां आ रहा है । पहले प्रत्येक जिले के लिए पंचायती प्रशासन था । हाल ही में राज्य पंचायत परिषद् का उद्घाटन किया गया है । यह लोकतांत्रिक निकाय है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने रोजगार की संभावनाओं के बारे में कहा है । मैं पूर्णतया इस बात से सहमत हूं कि विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रश्न को आर्थिक विकास की समस्या से अलग नहीं किया जा सकता है ये एक ही समस्या के दो रूप हैं । अतएव आर्थिक विकास तो सुरक्षा पहलू का एक भाग है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने मतैक्य और बहुमत का उल्लेख किया है । मतैक्य का अर्थ होता है सबकी एक बात पर सहमति होना, जब मतैक्य की संभावना होती है तो किसी को भी बहुमत तथा अल्पमत की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । परन्तु जब मतैक्य की संभावना नहीं होती है तो ऐसी बैठक की समुची कार्यवाही किसी एक व्यक्ति के 'नहीं' कहने में निष्फल हो जाती है तथा इसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है । हमारा अनौपचारिक बैठकों में ऐसा अनुभव रहा है । कोई यह कह सकता है कि वह इससे सहमत नहीं है तब मतैक्य असम्भव हो जाता है ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : सर्वसम्मति लाना तो असम्भव है किन्तु आम राय हासिल की जा सकती है। यदि एक व्यक्ति असहमत रहता है तो भी लगभग मतैक्य तो माना जा सकता है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : किन्तु जब हम कानूनी पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उसका अर्थ पूर्ण मतैक्य ही होता है। अतः इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय पर चर्चा करने से यह स्पष्ट हो गया है कि जो व्यवस्था की जा रही है वह आवश्यक है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इसमें कुछ दोष भी हो सकते हैं किन्तु प्रक्रिया ऐसी ही रही है। परिषद् के गठन तथा उसके कार्य से ज्ञात होगा कि वह सफल रहती है या नहीं। उसकी सफलता सभी के सहयोग पर आश्रित है। हमारी इच्छा यह है कि सभी राजनीतिक दलों के सदस्य परस्पर मिलकर इस नई व्यवस्था को सफल बनायें तथा उस क्षेत्र को आर्थिक रूप से तथा सुरक्षा की दृष्टि से शक्तिशाली बनायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिये उत्तर-पूर्व परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है अतः मैं उसे मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 उत्तर-पूर्व परिषद् की स्थापना तथा उसका गठन

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 9, से
"and" [और] शब्द हटाया जाये। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10, में
"Tripura" [त्रिपुरा] के स्थान पर "Tripura; and" [त्रिपुरा; और] शब्द रखे जायें। (4)

पृष्ठ 2 में 10वीं पंक्ति के पश्चात्

"(F) the person for the time being holding the office of the Adviser to the Governor of Assam for Tribal Areas."

"(च) आदिम जाति क्षेत्रों के लिये आसाम के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर इस समय कार्य करने वाला व्यक्ति"; जोड़ा जाये।(5)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय! मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं अपने संशोधन संख्या 21 और 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरदयाल देवगुन (पूर्व दिल्ली) : मैं अपने संशोधन संख्या 22, 24 और 27 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, it has been provided in clause three that the President may nominate not more than one person to represent the state on the Council. My submission is that one person cannot be all-perfect. In the State where there is no council of Ministers one administrator cannot perfectly handle the situation. Therefore, I request that at least two persons should be nominated by the President on the council.

श्री धीरेश्वर कलिता : राज्यपाल भी नौकरशाही का ही एक अंग है अतः उसे परिषद् का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिये। परिषद् को स्वयं अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार होना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जब एक व्यक्ति काम चला सकता है तो दो की क्या आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 9 से

"and" [और] शब्द को हटाया जाये (3)।

पृष्ठ 2 पंक्ति 10 में

"Tripura" [त्रिपुरा] के स्थान पर "Tripura; and" [त्रिपुरा; और] शब्द रखे जायें।(4)

पृष्ठ 2, में 10वीं पंक्ति के पश्चात्

"(f) the person for the time being holding the office of the Adviser to the Governor of Assam for Tribal Areas."

"(च) आदिम जाति क्षेत्रों के लिये आसाम के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर इस समय कार्य करने वाला व्यक्ति; जोड़ा जाये।(5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री शिव चन्द्र झा का संशोधन संख्या 19 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 तथा 28 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22, 24 और 27 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि पृष्ठ 2, पंक्ति 40 और 41 में,–

"border disputes, linguistic minorities or"

[सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अथवा] शब्दों को हटाया जाये। (6)

Shri Shiv Chandra Jha : I beg to move my amendment No. 20. Sir, the word employment should be specifically mentioned at the end of line 32. If economic development covers the idea of employment, there should be no need of maintaining the Ministry of employment as a separate machinery.

Realising the significance of the problem of employment a separate chapter was added in the First Five Year Plan by Shri Ashok Mehta. I feel that social security cannot be achieved without providing sufficient opportunities of employment. Therefore, I request that the word employment must be added there.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की आतुरता समझता हूं। किन्तु मेरा निवेदन है कि किसी क्षेत्र के विकास का अर्थ है वहाँ के व्यक्तियों का विकास। केवल रोजगार शब्द के जोड़ देने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। हम देश में सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं और रोज़गार की समस्या उसके अन्तर्गत आ जाती है। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, I rise to oppose the Government amendment. May I know the reasons for which Government want to omit the words "border disputes and linguistic minorities" from the clause? Do they think that the problems relating to the border disputes and the linguistic minorities should be dealt with by the Central Government itself? But may I know whether the Government have ever been successful to solve the border disputes stemmed between Maharashtra and Mysore and other such states? My suggestion, therefore, is that their problems should be studied by the Council. In case the Council feel otherwise certain cases may be referred to the Centre.

श्री यशबन्तराव चव्हाण : महोदय ! परिषद् को ऐसी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति देने से तो सरकार को सहायता मिल सकती हैं। किन्तु सीमा सम्बन्धी विवाद बड़े नाजुक होते हैं तथा इनसे दो राज्यों में वैमनस्य उत्पन्न होने की आशंका रहती है। अतः परिषद् को ऐसी शक्ति देने से उसका उद्देश्य हीं समाप्त हो सकता है। इसी भय से मैंने इन शब्दों को हटाने का संशोधन रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि पृष्ठ 2, पंक्ति 40 और 41, से––"border disputes, linguistic minorities or" [सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों अथवा] को हटा दिया जाये।(6)

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 107, विपक्ष में 5

Ayes 107, Noes 5

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The amendment was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 मतदान के लिये रखा गया ।

The amendment was put

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 12; विपक्ष में 93

Ayes 12; Noes 93

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि खण्ड ४ संशोधितरूप में विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4, संशोधितरूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill

खण्ड 5

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7

संशोधन किये गये

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 में

"Meghalaya; and" ("मेघालय; और") **के स्थान पर** "Meghalaya;" ("मेघालय") **रखा जाये।** (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (7)।

पृष्ठ 3, पंक्ति 24 में

"Tripura" ("त्रिपुरा;") **के स्थान पर** "Tripura; and" ("त्रिपुरा; और") **रखा जाये** । (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (8)

पृष्ठ 3, में 24वीं पंक्ति के पश्चात्

"(c) the person for the time being holding the office of the Adviser to the Governor of Assam for Tribal Areas;"

["(ग) आदिम जाति क्षेत्रों के लिये आसाम के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर इस समय कार्य करने वाला व्यक्ति"] **जोड़ा जाये** (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (9)

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं अपने संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 30 और 31 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7, संशोधितरूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7, as amended, was added to the Bill

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में--

"1969" **के स्थान पर** "1970" **रखा जाये** । (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधितरूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में—

"Twentieth" (बीसवां) के स्थान पर "Twenty-first" (इक्कीसवां) रखा जाये

(श्री यशवन्तराव चव्हाण) (1)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधितरूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधितरूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधितरूप में, पारित किया जाये।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : महोदय ! मुझे आशा है कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बनाया जायेगा जो किसी राजनीतिक दल का पक्षपाती नहीं होगा तथा उस क्षेत्र की प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से अवगत होगा। वह परिषद् में सर्वसम्मति लाने का प्रयास करेगा तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते समय सावधानी बरतेगा। साथ ही आशा है वह ऐसी स्थिति नहीं आने देगा जहाँ उसे अपने निर्णायक मत का उपयोग करना पड़े।

भाषा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हिन्दी के साथ-साथ उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा का भी विकास करना चाहिये।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 'नेफा' में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को और भी बढ़ावा मिलना चाहिये।

इस परिषद् को पर्याप्त उच्च स्तर प्रदान करना चाहिये तथा इसके लिये मंत्रालय के स्तर से प्रतिनिधि लेने चाहिएं। नागालैंड मंत्री अथवा सम्बद्ध मंत्रियों को भी इसमें भाग लेना चाहिये।

स्वयं गृह-कार्य मंत्री भी कभी-कभी इसकी बैठक में भाग लें। इससे भी परिषद् को सक्रिया योगदान मिलेगा।

Shri Shiv Chandra Jha : Superficially, this Bill appears commandable. But actually the Government is trying to escape the responsibilities of solving the basic problems relating to this region through this Bill. Sir, Manipur also comes within the perview of the North-Eastern Council and the demand of the people of Manipur is that it should be given

the status of separate Statehood. May I know whether anything is being done in this regard ? It is the policy of this Government that the attention of the people is diverted to the secondary things from the basic problems.

The term 'colonialism' used by Shri Jyotirmoy Basu is not altogether inconsistent so far as the NEFA is concerned. The forces leading the socio-economic set up of our country tend towards colonialism. (*Interruptions*) Sir, Dr. Lohia gave the name of so called NEFA as Urvashiyam. The Government should adopt this nam

No convincing reply has been made to the question as to why Nagaland has not been included in it. It would be much better if the Members of Parliament belonging to that area are taken in this Council. But the Government have filled it with the officers.

It is unfair on the part of the Government that wants to keep the matters of inter-State border disputes with them. It has been very well proved that the Central Government are unable to solve such disputes. Besides, it is contradictory to their own statement that people should solve their problems themselves. On one hand Government seek the co-operation and participation of the people and on the other they unnecessarily intervene in such disputes. In the name of the sensitiveness of the matter Government wants to withhold the powers of the Council.

The basic need of this area is that radical changes should be made in the socio-economic structure of this area. Without proper opportunities of employment to the people of that region no kind of integration is expected to be achieved.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I feel that this Bill should be passed. But I also want to point out two things in this connection. One thing is that unless the backwardness prevailing in that region is eliminated no council of this type would be proved useful. The root cause of the various agitations being launched by the Naxalites and others is the unequal distribution of agriculture land. We may differ and actually differ from the way of agitations launched by the Naxalites but it is a fact that the anxiety for agriculture land among the persons of that area has forced them to indulge in agitations and such other activities. Therefore, my suggestion is that the Government land still lying unutilised there should be allotted to the farmers. Besides, the surplus land owned by the capitalists should be acquired by the Government and it should be distributed among the landless persons.

My second point is that Hindi, being our official language, is required to be popularized in that region but it should be done in such manner that the people of that area welcome it. They should not be forced to adopt it but they should be convinced and pursuaded to take it as the official language. Besides, their local language should also be simultaneously developed.

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh) : I thank the Hon'ble Home Minister for constituting the Council of Eastern States of India. It is a step in the right direction as it will help in dealing the defence problem successfully and also in solving economic and other problems amicably. He has also done good thing by moving amendments for inclusion of NEFA in this Council and also for excluding the border disputes from its jurisdiction. In this connection I want to suggest that Nagaland should have also been included in this Council.

A demand for State hood for Manipur has been raised in the conference which has taken place in that State recently. The Government should grant the status of State hood to all those States who are demanding it. We should not force them to take the path of agitation.

Recently a symposium has been held here in the representatives of all the Eastern States were present. This is a good thing and I would suggest that such symposium should be held occasionally.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इनको कोई उत्तर नहीं देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

50वां प्रतिवेदन

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL

AND

MOTION RE : ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

महोदय आपकी अनुमति से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 29 मार्च, 1967, 3 मई, 1968 तथा 14 मार्च, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये।"

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 सम्बन्धी नवीनतम प्रतिवेदन के यहां पर उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इसको परिचालित कर दिया गया है। आगामी कुछ दिनों में इसको सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 से अपने कार्य कर रहा है और तब से इसकी गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी काफी बढ़ गई है और अनेक कालेज भी आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आ गये हैं। अतः आयोग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए

[**श्री क० ना० तिवारी** पीठासीन हुए
[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]]

एक संसदीय समिति नियुक्त की गई थी जिसने सिफारिश की है कि इसके 9 के बजाय 15 सदस्य होने चाहियें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इस के पूरे समय के लिए चार सदस्य होने चाहिए हालांकि इस समय पूरे समय के लिए इस समय केवल एक ही सदस्य है। यह भी सिफारिश की गई थी कि आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के उप-कुलपतियों को आयोग का सदस्य न बनाया जाये। इस समय आयोग केन्द्रीय सरकार के विश्वविद्यालयों को विकास तथा रखरखाव के लिए अनुदान देता है। अन्य विश्वविद्यालयों को यह आयोग विशिष्ट अथवा सामान्य प्रयोजनों के लिए विकास अनुदान देता है। रखरखाव सम्बन्धी अनुदान सीधे मंत्रालय द्वारा ही विश्वविद्यालयों को दिये जाते हैं। अब यह महसूस किया गया है कि यह कार्य भी आयोग को ही सौंप दिया जाये।

समिति के प्रतिवेदन को टिप्पणियों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा गया था। आयोग की राय है कि सदस्यों की संख्या को 15 तक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आयोग का विचार है कि 12 सदस्य पर्याप्त होंगे। उनके विचार में पूरे समय काम करने के लिये पांच के बजाय चेयरमैन के अतिरिक्त तीन सदस्य ही काफी होंगे।

आयोग यह भी महसूस करता है कि आयोग की सदस्यता से उप-कुलपतियों को निकालना उचित नहीं है। आयोग का मत है कि उप-कुलपति वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति है। अतः इनकी सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। परन्तु सरकार की राय यह है कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं तथा उप-कुलपतियों को आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इस आशय हेतु एक विधेयक 1966 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु इसकी अब समाप्ति हो चुकी है। शिक्षा आयोग ने भी विश्व-विद्यालय आयोग में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया है। उनकी राय भी यह है कि उप-कुलपतियों को आयोग की सदस्यता से वंचित करना उचित नहीं है। परन्तु सरकार की अभी भी यही राय है कि उप-कुलपतियों को आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इस आशय का एक विधेयक मार्च 1968 में राज्य में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक अगस्त 1968 में राज्य सभा द्वारा पास कर दिया गया था। तब से हम इसको इस सभा में पुरःस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

---

*मूल्यों में वृद्धि
**UPWARD TREND IN PRICES

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : सरकार ने 1969 में मूल्यों को स्थिर रखने का दावा किया था परन्तु सरकार अपने इस दावे को पूरा करने में असफल रही है। जून 1968 से जून 1969 के थोक मूल्य सूचांक 220 से बढ़कर 224.6 पर आ गया है। इसके बावजूद सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं अर्थात् खाद्यान्न के मूल्यों में इससे भी अधिक वृद्धि हुई है, गेहूं के मूल्य में 14.9

*आधे घण्टे की चर्चा ।

**Half-an-hour discussion.

प्रतिशत तथा मोटे अनाज में 16 से 32 प्रतिशत की वृद्धि है। ऐसा सरकार की आशाओं के विरुद्ध हुआ है। मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।

मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान रिजर्व बैंक के गवर्नर के वक्तव्य की ओर दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि इस समय मूल्य बहुत अधिक है और प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में सोचना चाहिए।

बजट प्रस्तावों की घोषणा के पश्चात् मूल्यों में 15 से 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल्यों में प्रत्येक सप्ताह अथवा प्रत्येक मास वृद्धि हो रही है। 'इकनामिक टाइम्स' ने मध्य वर्ग का एक सर्वेक्षण करने के बाद बताया है कि बम्बई में 1965 में जिस व्यक्ति का गुजारा 500 रुपये से होता था अब उसको उतनी वस्तुएं खरीदने अथवा उसी प्रकार जीवन निर्वाह करने के लिए 770 रुपये की आवश्यकता है। 1954 में 500 रुपये की आय वाले जिस व्यक्ति को अनाज पर 209 रुपये खर्च करने पड़ते थे अब उसको 500 रुपये की आय में से अनाज पर 353 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। यह ठीक है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्यों का कुछ हद तक बढ़ना अनिवार्य है परन्तु यदि मूल्य अचानक और सीमा से अधिक बढ़ जाये तो सामान्य व्यक्ति को कठिनाई होती है। मूल्यों से पूंजी के लगाये जाने तथा धन के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। नियत आय वर्ग के लोगों का जीवन-स्तर मूल्यों पर निर्धारित करता है। अतः मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न का एक विशेष महत्व है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने हेतु उत्पादक, वितरक तथा उपभोक्ता को उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। उत्पादक को अत्यधिक उत्पादन करना चाहिए और वितरक को उपभोक्ता के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए और उपभोक्ता को खपत में संयम से काम लेना चाहिए। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

सरकार ने बहुत अधिक नोट छापती है जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है और इसीके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है। क्या सरकार अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करेगी? क्या सरकार कोई ऐसी नीति अपनायेगी जिससे कृषि वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं के मूल्यों, लाभ और हितों, मजूरी तथा वेतन में कोई समन्वय स्थापित हो सके।

कुछ वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क में वृद्धि कर देने से कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने मूल्यों, लागत तथा प्रशुल्क सम्बन्धी एक आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

दिल्ली प्रशासन को यह शिकायत है कि सरकार सस्ते दामों पर अनाज वसूल करके उसको महंगे दामों पर बेचती है। वसूली मूल्य तथा बिक्री मूल्य में छः रुपये का अन्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या औचित्य है। दिल्ली में सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक मजदूर तथा समाज के निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं। यदि सरकार ने इस प्रकार मुनाफा कमाना आरम्भ कर दिया तो फिर इन गरीबों की क्या दशा होगी।

डालडा जैसे वनस्पति तेलों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अतः लोग उनको खाना तक पसन्द नहीं करते। पता नहीं उसमें चर्बी मिलाई जा रही है अथवा सोयाबीन का तेल निर्धारित मात्रा से अधिक मिलाया जा रहा है। परन्तु यह सच है कि डालडा का स्तर अब अच्छा नहीं है और उसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मुझे बताया गया है कि वनस्पति घी के निर्माताओं ने कांग्रेस को बम्बई अधिवेशन के समय धन दिया है इसलिए उनको मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन दें कि भविष्य में इनके मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी और कि उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म का डालडा उपलब्ध कराया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The prices of foodgrains and other essential commodities are increasing. It was claimed by Government that the prices will be stabilized. Now the Hon. Minister has himself stated in an answer to a question that prices have increased to the time of 3.1 per cent. I will say that these are under estimation. In Bihar the prices of coarse rice have increased from 40 rupees per maund to 60 rupees per maund. Prices of Dalda are also increasing. During the Holi-festival Dalda was not available in our villages. We expected that something will be done in this regard after the nationalization of banks. May I know whether the Government are prepared to entrust the job of wholesale purchase and sale of foodgrains to the Food Corporation of India and if not, the reasons therefor ? Secondly, I want to know whether Government propose to enact a law for taking strong action against the profiteers? Thirdly, I also want to know whether the ioans are still being granted by the nationalized banks to the profiteers and speculators? If it is true, may I know the justification for doing so? Fourthly, may I also know whether it is a fact that fair price is not being paid to the farmers for their produce and that they have to pay higher prices for the purchases they made ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I rise on a point of Order. Is it fair on the part of the hon. Members to put questions like this during half-an-hour discussion?

Mr. Chairman : Don't raise such controversies. You may ask your question.

Shri Ramavatar Shastri : This thing has already been raised. My last question is this whether Government have some solid policy in regard to check the rise in prices and if they have any, the details thereof ?

Shri Om Prakash Tyagi : It is a matter of great concern that even after the nationalization of banks the prices have gone up. Therefore it appears that there is something which is out of control of Government. We can understand the rise in prices of those commodities which have been taxed but we cannot understand the rise in the prices in those commodities which have not been taxed. May I know whether the Government will look into these matters and see why the prices of those commodities which have not been taxed have been raised by the dealers and whether some proceedings will be launched against such persons after making some changes in the Criminal Act. If not, the reasons therefor?

Secondly, the prices of all other commodities are always dependent on the prices of foodgrains in India and other countries. May I know whether the Government have considered this aspect of the question that as to why the prices of all other commodities are increasing while the prices of foodgrains are stationary.

Super Bazars were set up to check the rise in prices but the prices of commodities are increasing in these Super Bazars also. May I know whether this is happening with the consent of the Government? If these Bazars are not proving helpful in checking the rise in prices then these should be closed.

I also want to know whether the inflatory conditions are created by the introduction of P.L. 480 funds and black market money in the market or by the money which comes to India from foreign countries secretly which subsequently give rise to the increase in prices? If that is so then how the Government propose to have a check on such funds?

पूर्तिमंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि मूल्यों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है जैसा कि लोगों की सम्भावना थी। वर्ष के आरम्भ में मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी परन्तु नवम्बर के मध्य में मूल्य सूचांक इससे पूर्व के वर्ष से कुछ ही अधिक था। 1969 में थोक मूल्य सूचांक में 1968 की तुलना में केवल 2.1 प्रतिशत

की ही वृद्धि हुई थी। अतः 1969 के बारे में जो कुछ कहा गया है वह ठीक नहीं है। आम प्रभाव यह है कि मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है परन्तु यह प्रभाव गलत है। यह स्थिति दो वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई थी।

नवम्बर 1969 के मध्य तथा जनवरी 1970 के मध्य में खाद्यान्नों औद्योगिक कच्चे माल विशेषकर रूई तथा तेल के बीजों के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। सामान्य मूल्य सूचांक में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। परन्तु रिजर्व बैंक ने ऋण देने की शर्तों को कठोर बना दिया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण ही सरकार कुछ सीमा तक सतर्कता रख सकी है। रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों के कारण ही मूल्य स्थिति कुछ स्थिर हो सकी है।

17 जनवरी 1970 और फरवरी 28, 1970 के बीच सामान्य मूल्य सूचांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 7 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह में सामान्य मूल्य सूचांक में 1.0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इनमें से एक तिहाई वस्तुएं ही ऐसी हैं जिनका बजट प्रस्तावों पर प्रभाव है। इससे आगामी सप्ताह में मूल्य सूचांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु 21 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य सूचांक में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। परन्तु 28 मार्च 1970 तथा 4 अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताहों में क्रमश. 0.4 तथा 0.6 प्रतिशत की कमी हुई है । इसके पश्चात् 11 अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह में पुनः 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । परन्तु 18 अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मूल्य सूचांक में पुनः 0.2 प्रतिशत की कमी हो गई।

माननीय सदस्यों के मन में यह शंका थी कि बजट प्रस्तावों को देखते हुए व्यापारी लोग सामान जमा कर लेंगे और कमी की स्थिति उत्पन्न कर वस्तुओं के मूल्य बढ़ा देंग। परन्तु इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खाद्यान्नों की स्थिति आम तौर पर अच्छी थी। ऋण देने की व्यवस्था पर नियंत्रण कर तथा कुछ सतर्कता बरत कर भी स्थिति को स्थिर रखने में सहायता मिली है।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह सब झूठ है। आप बाजार में जाकर देखें कि क्या स्थिति है।

श्री र० के० खाडिलकर : जो कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं मैं सभा के समक्ष रख रहा हूं। यह नहीं कहा जा सकता कि ये झूठ हैं। यदि माननीय मित्र थोक मूल्यों सम्बन्धी आंकड़े चाहते हैं तो मैं वे भी इनको बता दूंगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : माननीय मंत्री को उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के बारे में आंकड़े देने चाहिए। हम जानते हैं कि दिल्ली में कितने मूल्य बढ़े हैं।

श्री र० के० खाडिलकर : सरकार समूची स्थिति पर निगाह रखे हुए है और हम इस बारे में ठोस उपाय कर रहे हैं। इन उपायों में वित्तीय तथा ऋण देने पर नियंत्रण रखना, खाद्यान्नों का फालतू भंडार बनाना, आयात करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो मूल्य नियंत्रण लागू करना शामिल है। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के कार्यक्रमों को त्रियान्वित कर सरकार वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है।

बैंकों से पुराने कदाचारों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। निर्यात, लघु उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को ही अब अधिक ऋण दिया जा रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को रियायती शर्तों पर ऋण दिये जा रहे हैं।

मैं इस समय यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि खाद्यान्नों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया है। मैं तो केवल यही बता सकता हूं कि अनाज का फालतू भण्डार बनाये जाने के कारण जो कि लगभग 40 लाख टन का है हम खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों को सामान्य स्तर तक बनाये रखने की स्थिति में हैं। जहां तक खाद्यान्नों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किये जाने का प्रश्न है मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

काले धन से व्यापारियों को सामान जमा करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। परन्तु सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु वांचू समिति नियुक्त की है।

हमारी नीति सामाजिक न्याय के साथ उत्पादन बढ़ाने की है। यह तब ही सम्भव है जबकि हम मूल्य नियंत्रण करें। यदि मूल्य नियत्रण से बाहर चले जाते हैं तो हम अपने इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वित्त विधेयक का अनुमोदन करते समय हमारी-इस धारणा का समर्थन किया है कि इन दोनों में उचित संतुलन बनाया गया है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 12 मई 1970/22 वैशाख 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 12, 1970/Vaisakha 22, 1892 (Saka).

MGIPRRND—3 LSS/70—16-12-70—340.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. In English/Hindi]